अष्टम माला, खंड 12, अंक 24

शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1985
29 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 12 में अंक 21 से 24 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रमाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 12, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 24, शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1985/29 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के आठवें सम्मेलन के संबंध में	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 70 से 477	3—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 478 से 489	22—32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4853 से 5089, 5089-क और 5089-ख	33—221
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	222—252
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	252
कार्यवाही-सारांश	
लोक लेखा समिति	253—255
विवरण	
याचिका समिति	255
कार्यवाही-सारांश	
प्राक्कलन समिति	255—256
21वां और 22वां प्रतिवेदन	
लोक लेखा समिति	256
24वां प्रतिवेदन	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	256
5वां और 8वां प्रतिवेदन	
भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब और हरियाणा के किसानों से खरीदे गए धान की कीमत की बकाया राशियों के बारे में वक्तव्य	
श्री के०पी० सिंह देव	257

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित 258

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित 259

नियम 377 के अधीन मामले 259—263

(एक) मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग

कुमारी पुष्पा देवी 259

(दो) कृत्रिम धागे पर उत्पाद-शुल्क की दर घटाने की आवश्यकता

श्री एस०जी० घोलप 260

(तीन) राजस्थान के, विशेषकर श्री गंगानगर जिले के० हरिजनों को आवासीय प्लाट देने की आवश्यकता

श्री बीरबल 260

(चार) राजस्थान और मध्यप्रदेश के जंगलों से लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग

श्री जुझार सिंह 261

(पांच) उड़ीसा के सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अनधिकार शिकार रोकने की आवश्यकता

श्री हरिहर सोरन 261—262

(छह) विदेशी सिगरेट निर्माता कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर-अपवंचन को रोकने के लिए कार्यवाही की मांग

श्रीमती बसव. राजेश्वरी 262

(सात) नए पदों के सृजन अथवा रिक्त पड़े वर्तमान स्थानों को भरने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग

डा० ए० कलानिधि 262—263

(आठ) सिक्किम में 1975 से रह रहे लोगों को नागरिकता अधिकार देने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक 263

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के बारे में प्रस्ताव 263—275

श्री गुलाम नबी आजाद 263

श्री ए० के० पंजा 263

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक 275—311

विचार करने के लिए प्रस्ताव

डा० बी० वेंकटेश 275

विषय	पृष्ठ
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	278
श्री हरीशरावत	228
श्री बी०एन० रेड्डी	282
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	285
डा० गौरीशंकर राजहंस	286
श्री सी० जंगा रेड्डी	288
श्री राम स्वरूप राम	291
श्री सोडे रामैय्या	295
श्री सोमनाथ रथ	296
श्री श्री ए०सी० षण्मुख	298
श्री एन० डेनिस	300
श्री काली प्रसाद पांडेय	301
श्री दामोदर पाण्डे	302
श्री मूल चन्द डागा	304
श्री जी० एस० बसवराजू	305
श्री रामाश्रयप्रसाद सिंह	306
श्री टी० अंजैया	307
खंड 2 और 1	310—311
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री टी० अंजैया	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	311
10वां प्रतिवेदन	
विधेयक—पुरःस्थापित	311—316
(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक	
(धारा 5 में संशोधन)	
श्री के० राममूर्ति	311
(दो) असैनिक कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयक	
श्री के० राममूर्ति	312
(तीन) चिकित्स सुरक्षा बल विधेयक	
श्री प्रियरंजन दास मुन्शी	312
(चार) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	
(धारा 100 में संशोधन)	
श्री पी०एम० सईद	313

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 16 में संशोधन)
श्री प्रियरंजन दास मुंशी 313
(छह) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक
(धारा 12 में संशोधन)
श्री प्रियरंजन दास मुंशी 314
(सात) सीमा आयोग विधेयक
प्रो० मधु दंडवते 314
(आठ) एकरूप स्कूली शिक्षा पद्धति विधेयक
श्री बाला साहेब विखे पाटिल 314
(नौ) आयकर संशोधन विधेयक
(धारा 10 में संशोधन)
श्री प्रियरंजन दास मुंशी 315
(दस) राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों का उपयोग करने के प्रतिशेध विधेयक 315
(ग्यारह) आयकर (संशोधन) विधेयक 387
(धारा 2 में संशोधन आदि)
श्री मूलचन्द डागा
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक 316—390
(धारा 125 और 127 में संशोधन)
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री जियाउर्रहमान अन्सारी 316
श्री सैफुद्दीन चौधरी 335

लोक सभा

शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1985/29 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों, श्री कन्हैया लाला बाल्मीकि और पंडित चतुर नारायण मालवीय के दुःखद निधन की सूचना सभा को देनी है ।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि अस्थायी संसद, पहली, दूसरी और तीसरी लोक सभा के कमशः 1950-52, 1952-57, 1957-62 और 1962-67 के दौरान उत्तर प्रदेश के बुलन्द-शहर और खुर्जा निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य थे ।

वह एक अनुभवी स्वत्रतंता सेनानी थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और लम्बे समय तक उन्हें बन्दी बनाया गया । एक राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने अपना जीवन शिक्षा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा दिया और उन्होंने नगरपालिका के कर्मचारियों के साथ तादातम्य स्थापित किया । यह आर्य समाज आंदोलन में भाग लेने के अलावा अनेक सामाजिक संगठनों से संबद्ध थे ।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि का निधन 2 दिसम्बर, 1985 को 67 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ ।

पंडित चतुर नारायण मालवीय 1952-57 के दौरान पहली लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने भोपाल रियासत से रायसीन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया । 1937 में वह भोपाल विधान सभा के सदस्य चुने गए थे । वह 1948-49 के दौरान भोपाल की तत्कालीन रियासत के मंत्री थे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया ।

एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और लम्बे समय तक जेल में रहे। उन्होंने भोपल के अधिमिलन और वहां जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए आंदोलन किया।

वह एक समाज सेवी और श्रमिक नेता थे और उन्होंने छूआछूत के विरुद्ध आंदोलन चलाया। वह अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे। उनकी शिक्षा के प्रसार, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण करने और कुटीर उद्योगों के विकास करने में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने कई देशों की यात्रा थी और कई पुस्तकें भी लिखी थीं।

पंडित चतुर नारायण मालवीय का निधन 30 नवम्बर, 1985 को 76 वर्ष की आयु में भोपाल में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि सभा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवादनाएं व्यक्त करने में मेरे साथ है।

सभा अब अपना दुःख व्यक्त करने लिए कुछ क्षण मौन खड़ी होती है।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

राष्ट्रमण्डल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के आठवें सम्मेलन के सम्बन्ध में

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं एक मिनट के लिए बोल सकता हूं।

क्या मैं राष्ट्रमंडलीय देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन को, जिसकी अध्यक्षता आप करेंगे, आयोजित करने का हमें जो सुनहरा मौका मिला है, उसके लिए संसद के सभी दलों की ओर से आपको बधाई दे सकता हूं।

महोदय, आपके माध्यम से हमें जो विशेषाधिकार मिला है, उसके प्रति हम जागरूक हैं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। श्रीमन यह विशेषधिकार आप सबका है।

प्रो० मधु दंडवते : हमसे यह बात इतनी देर तक गुप्त क्यों रखी गयी?

अध्यक्ष महोदय : रहस्योद्‌घान परिवार का सबसे बड़ा सदस्य ही करता है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह बुलेटिन में पहले दे दिया है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उड़ीसा में सुकिन्दा में निकल परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव

*470. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में निकल का आयात किया गया और उसका कितना मूल्य है ;

(ख) उड़ीसा में सुकिन्दा में निकल अयस्क का कितना भंडार उपलब्ध है ;

(ग) क्या उड़ीसा में सुकिन्दा में देश की पहली निकल परियोजना स्थापित करने का एक प्रस्ताव काफी समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन पड़ा है ; और

(घ) इस परियोजना की स्थापना कब की जाएगी और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल रखा है ।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गई निकल की मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख रुपए में)
1982-83	4086	2003.83
1983-84	4351	2156.97
1984-85	16302	9800.00

(ख) जिला कटक (उड़ीसा) के सुकिन्दा क्षेत्र में निकल अयस्क के भण्डार 154.50 मि० टन होने का अनुमान है, जिसमें निकल धातु का अंश 1.05 प्रतिशत है ।

(ग) और (घ) सुकिन्दा अयस्क भंडारों और स्वदेशी तकनालाजी पर आधारित 4800 टन वार्षिक क्षमता के एक निकिल उत्पादन संयंत्र हेतु अप्रैल, 1974 में स्वीकृति दी गई थी । वह तकनालाजी, प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर परखे जाने पर, संतोषजनक नहीं पायी गई । इसलिए उपलब्ध आंकड़ों का मूल्यांकन करना जरूरी हो गया । यह कार्य कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता से किया गया । मूल्यांकन से पता चला कि साध्यता रिपोर्ट तैयार

करने से पहले और अधिक गवेषण, प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रायोगिक संयंत्र परीक्षण करने की आवश्यकता होगी। प्राप्त प्रस्तावों से ज्ञात हुआ कि परवर्ती अध्ययनों पर लगभग 48.71 करोड़ रु० की लागत आएगी। ऐसे संकेत हैं कि परियोजना हेतु भारी सरकारी अर्थ सहायता की जरूरत होगी। धनस्रोतों की भारी तंगी और परियोजना प्रतिकूल अर्थवत्ता को देखते हुए उस पर आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : अध्यक्ष महोदय, निकल एक सामरिक महत्व की धातु है। उड़ीसा ऐसा एकमात्र राज्य है जहां कटक जिले के सुकिंदा क्षेत्र में सामरिक महत्व की धातु, निकल अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि परवर्ती अध्ययनों के लिए 48 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता थी और इसलिए इस परियोजना का काम आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

मंत्री महोदय के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि इस संबंध में आत्म-निर्भर होने की बजाय, हम भविष्य में भी इस धातु का आयात करते रहेंगे। मंत्री महोदय ने कहा है कि 1984 में उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस धातु का 4 गुना अधिक आयात किया गया। इसका 4 गुना अधिक आयात किया गया और राशि भी 4 गुना अधिक खर्च हुई। राजकोष से काफी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा निकाली जा रही है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि मंत्री महोदय के अनुसार, यह परियोजना घाटे की है। यदि यह सरकार के लिए घाटे की है तो क्या सरकार, जो इसमें 1974 से ही इतना अधिक विलम्ब करती आ रही है, सरकारी क्षेत्र को यह परियोजना को जारी रखने की अनुमति देगी जिससे राजकोष को बिना हानि पहुंचाए, यह धातु हवाई जहाजों के निर्माण, रक्षा और इस्पात उद्योगों में प्रयोग करने के उद्देश्य से देश में ही तैयार की जाए ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : सर्वप्रथम 1984-85 के आंकड़ों के संबंध में, मैं कहूंगा कि पहले के आंकड़े भी एक समान नहीं हैं। 1984-85 में प्राथमिक और माध्यमिक निकल का आयात किया गया था जबकि पहले के दो वर्षों में प्राथमिक निकल को ही दर्शाया गया है। अतः यह एक समान सुलभ नहीं है।

जहां तक निकल के आयात का संबंध है, माननीय सदस्य का मुख्य मुद्दा है। हम सारा निकल विदेशों से आयात करते हैं। निकल के भंडार केवल उड़ीसा में हैं और इसलिए वास्तव में सरकार ने 1974 में इस परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। एक भारतीय कम्पनी ने इसके सम्बन्ध में ज्ञान बढ़ाने का प्रयत्न किया और मुख्य संयंत्र का निर्माण किया गया। प्रायोगिक संयंत्र का अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे और इसलिए उस परियोजना को बीच में छोड़ देना पड़ा। उसके बाद सरकार ने विदेशी कंपनियों और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्ताव रखा और अध्ययन के बाद उनमें से एक विशेषज्ञ इस निर्णय पर पहुंचे कि यह आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः अव्यवहार्य है। तब भी सरकार ने इसे जारी रखा। लेकिन तदन्तर जब इस पर 48.71 करोड रुपये की लागत की बात आई—वह भी संयंत्र पर नहीं, अपितु संयंत्र लगाने से पहले इसके

अध्ययन पर, तब यह समझा गया कि यह परियोजना बहुत मंहगी पड़ेगी और इसे ताक पर रख दिया गया। इसे बीच में नहीं छोड़ा गया है। इसके लिए "ताक" पर रखना शब्द ही ठीक है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मंत्री महोदय ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। विदेशी कम्पनियों के बारे में वह पहले ही बता चुके हैं। मैं तो कहूंगी कि हमारा निकल निम्न श्रेणी का है जिसमें 1.05 प्रतिशत निकल ही है। अतः, अन्य देश हमारे यहां उपलब्ध निकल अयस्क के लिए नई तकनीक खोजने की चिंता क्यों करेगा ? उनके वहां उपलब्ध धातु में 4 प्रतिशत निकल का अंश है ?

इस स्थिति में, हमारी कार्यवाही योजना क्या होगी और क्या यू० एन० आई० डी० ओ० से कोई सहायता मांगी जाएगी, जैसा कि वे आम तौर पर ऐसे क्षेत्रों में विकासशील देशों की सहायता करते हैं ? यदि नहीं तो, क्या सरकार इस पहलू पर विचार करेगी और इस मूल्यवान पदार्थ को उपयोग में लाने के लिए प्रयत्न करेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं है कि सरकार ने सीधे विदेशी विशेषज्ञों से बात की। पहले हमने भारतीय कम्पनी को इस तकनीक का विकास करने का पूरा अवसर प्रदान किया और उनके द्वारा इस तकनीक का विकास करने की कोशिश करने के बाद ही, इस वृहत संयंत्र की स्थापना की गई थी। अन्ततः जब यहां संतोषजनक तरीके से काम नहीं हुआ तो इसे छोड़ देना पड़ा। हमने यहां काम शुरू नहीं किया।

दूसरे, इसके अध्ययन को जारी रखने के लिए कनाडा की फर्म के लिए सी० आई० ए० से सहायता ली गई। इस मामले में यू० एन० आई० डी० ओ० की बजाय सी० आई० डी० ए० से सहायता ली गई।

श्री जगन्नाथ राव : क्या सुकिन्दा में निकल अयस्क के भंडार होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वहां इसकी ईकाई स्थापित की जाए। पूंजी-लागत के अलावा क्योंकि भारत में इसकी तकनीक भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है इसलिए इस परियोजना को जारी रखना उचित नहीं है फिर चाहे भारत में इसकी कच्ची सामग्री उपलब्ध है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वास्तव में, इस परियोजना के इन तमाम वर्षों में जारी रखने का कारण यही हैं—(क) जैसा कि महिला सदस्य ने बताया, निकल एक महत्वपूर्ण धातु है और निश्चय ही सामरिक मामलों में इसका प्रयोग होता है और (ख) हमारे यहां 1545 लाख टन निकल है, निश्चय ही यह निम्न श्रेणी का है किन्तु फिर भी यह हमारे यहां उपलब्ध तो है। इसे विकसित करने में लाभ ही होगा। लेकिन इसकी लागत को ध्यान में रखना होगा। इसे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होना चाहिए। (व्यवधान) आप अच्छी तरह से यह जानते हुए कि इस परियोजना पर बहुत खर्च होगा, कोई परियोजना शुरू नहीं कर

सकते। यह तो समस्या है। फिर भी मैं कहूंगा कि योजना को पूरी तरह से छोड़ दिए जाने का प्रश्न ही नहीं है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। इस समय, संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता कि हम इसके लिए पैसा जुटा सकते हैं। **(व्यवधान)**

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम

***471. डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनको नजरबन्दी में लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अप्रैल, 1985 से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन 554 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है।

(ग) इन व्यक्तियों को इसलिए नजरबन्द किया गया है ताकि उन्हें ऐसा कोई भी कार्य करने से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संरक्षण अथवा संवर्धन में बाधक हो, अथवा इसलिए कि उन्हें माल की तस्करी करने, अथवा माल की तस्करी करने के लिए प्रोहत्साहन देने, अथवा तस्करी के माल को लाने-ले-जाने अथवा छिपाने अथवा रखने का कार्य करने अथवा तस्करी के माल को लाने-ले-जाने अथवा उसे छिपाने अथवा रखने से अन्यथा तस्करी के माल का धन्धा करने से रोका जा सके।

डा० फूलरेणु गुहा : विवरण में बताया गया है कि अप्रैल, 1985 से नवम्बर, 1985 तक 554 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितने व्यक्तियों का दोष सिद्ध हो पाया है तथा उन लोगों को अधिकतम तथा न्यूनतम क्या सजा दी गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 1 जनवरी, 85 से 31 अक्तूबर, 85 तक न्यायालय के निर्णय के द्वारा 876 मामलों में 682 व्यक्तियों को मामले में दोषसिद्ध पाया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : 682 व्यक्ति दृढ़ धारणा वाले हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 78.75 प्रतिशत व्यक्तियों का दोषसिद्ध हो गया जो कि बड़ा उच्च प्रतिशत है, लगभग 79 प्रतिशत है।

डा० फूलरेणु गुहा : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया । मैं जानना चाहता था कि न्यूनतम तथा अधिकतम क्या दण्ड दिया गया है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह न्यायालय में स्पष्ट हो जाएगा । यह न्यायालय से पता चलेगा क्योंकि 682 के मामले में मुझे जानकारी नहीं मिली कि कितनों को सजा दी गई है ।

डा० फूलरेणु गुहा : मेरा प्रश्न अति सरल है—न्यूनतम तथा अधिकतम जो भी स्थिति हो ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं यह जानकारी दे दूंगा ।

डा० फूलरेणु गुहा : मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश की कौन सी सीमा से तस्करी का माल भारत में आता है तथा किस तरस के माल की तस्करी होती है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार तस्करी संबंधी कानूनों को और दृढ़ बना रही है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अधिकांश तस्करी का माल पश्चिमी तट, पूर्वी, तट भारत-पाक सीमा, भारत-नेपाल सीमा, भारत-बंगलादेश सीमा तथा भारत-बर्मा सीमा से आता है । मैं उससे संबद्ध आंकड़े बताता हूं···

प्रो० मधु दण्डवते : यह काम चारों ओर हो रहा है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सर्वतोमुखी नहीं है । यह समान है । मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिमी तट से पकड़े गए माल का मूल्य 5424 लाख रु० है । पूर्वी तट, से 2340 लाख रु०, भारत-पाक सीमा से 2448 लाख रु०, भारत-नेपाल सीमा से 262 लाख रु०, भारत-बंगला-देश सीमा से 326 लाख रु० तथा भारत-बर्मा सीमा से 22 लाख रुपए मूल्य के माल की तस्करी हुई । तस्करी के माल में यह गुणपरक अन्तर हैं । मूल रूप से तस्करी किए गए माल में—सोना, घड़ियां, कृत्रिम कपड़ा, हीरे, औषधियां आदि प्रमुख चीजें हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृत्रिम कपड़े का मूल्य 3000 करोड़ रुपए है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या निरन्तर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बड़े उद्योगपति विदेशों में अपने धन को स्वेत बना रहे हैं क्योंकि भारतीय कम्पनियों के सरकार द्वारा अधिग्रहण की बात सरकार के ध्यान में है ? क्या सरकार ने उस सन्दर्भ में बड़े व्यवसायियों के परिसरों की तलाशी ली है, तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं तथा अपनी वित्तीय सीमाओं की रक्षा के लिए सरकार ने कौनसी दृढ़ कार्यवाही की है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जब तक प्रमाण न हो, मैं यह नहीं कह सकता कि सभी व्यवसायी ऐसा कर रहे हैं । परन्तु कुछ बड़े ग्रुपों के बारे में हमें पता चला है कि वे कम-बढ़ती

बीजक दिखा कर धन देश से बाहर भेजे रहे हैं । सरकार उसे गम्भीर अपराध मानती है। अंग्रेजों ने यही किया था । वे देश के धन को ले गये थे । यह उससे कम नहीं है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह सुपर तस्करी है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसलिए जहां भी हमें प्रमाण मिले हैं हमने उनके आधार पर छापे मारे हैं तथा हमने उसे सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक आसूचना ब्यूरो की स्थापना की है और हम देश तथा विदेशों में हम अपने तंत्र को और सुदृढ़ बना रहे हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किसी को दण्ड नहीं दिया गया ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमने कार्यवाही की है । मामले न्यायालय में हैं और मुकदमें चलाए जायेंगे ।

श्री हरूभाई मेहता : अभी हाल ही में डी०आर०आई० द्वारा बड़ी कम्पनियों जैसे किर्लोसकर आदि पर मारे गए छापे में विदेशी मुद्रा संबन्धी कतिपय उल्लंघनों का पता चला है । परन्तु एक विपक्षी दल—वामपंथी नहीं—द्वारा तथा वाणिज्य मण्डल (चैम्बर आफ कामर्स) द्वारा दबाव डाला गया । क्या मंत्री महोदय आश्वासन देंगे कि किसी राजनीतिक अथवा वाणिज्य मंडल के दवाब के सामने नहीं झुकेंगे, तथा इन ग्रुपों द्वारा विदेशी मुद्रा के अधिलंघनों के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक जानकारी और—माननीय सदस्य की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहते थे । अभी हाल में ही हवाला सौदों में "कोफेपोसा" के अंतर्गत 12 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है—वह कह रहे थे कि किसी को दण्ड नहीं दिया गया ।

किर्लोसकर ग्रुप के सम्बन्ध में जांच के बारे में मेरा कहना है कि जाँच हो रही है तथा सरकार निश्चय ही प्रमाण के अधार पर कार्यवाही करेगी तथा दबाव में आकर इसे बदलने का कोई प्रश्न नहीं है ।

भरतीय जीवन बीमा निगम में कम्प्यूटर लगाना

*472. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय जीवन बीमा निगम में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटर लगाने का है ;

(ख) क्या उसके मंत्रालय के अधीन अन्य विभागों में बड़े पैमाने पर कम्प्यूटर लगाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम के अपने मंडलीय कार्यालयों और बड़े शाखा कार्यालयों में अपनी पुरानी और

अप्रचलित पंच कार्ड मशीनों के स्थान पर माइक्रोप्रोसेसर्स पर आधारित प्रणालियां लगवाई हैं ताकि पालिसीधारकों को कुशल सेवा प्रदान की जा सके । माइक्रो-प्रोसेसर यूनिटों की संस्थापना करने के कार्य को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है।

जहां तक मंत्रालय का संबंध है, आय कर विभाग, केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत क्षेत्रीय संगठनों में, बजट बनाने और उससे संबंधित विवरण तैयार करने के कार्य में, और महानियंत्रक, लेखा द्वारा वाचर स्तर पर लेखाओं को तैयार करने के कार्य में गति, प्रभावकारिता और कार्यकुशला बढ़ाने से संबंधित सीमित प्रचालनों के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग करने से मामले में एक प्रकार से शुरूआत करने का कार्यक्रम बनाया गया है । मंत्रालय की सूचना आवश्यताओं के लिए भी संगणक सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा।

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : मैं वित मंत्रालय के विभिन्न विभागों में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम को अपनाये जाने की प्रशंसा करता हूं। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लागू करने से पूर्व सरकार को उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कर्मचारियों में फैले हुए इस भय का अध्ययन किया गया है कि भविष्य में कम्प्यूटरीकरण का उद्योग मंत्रालय के विभिन्न विभागों में लगे कर्मचारियों तथा लाखों शिक्षित बेरोजगार युवकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा । यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों तथा देश के शिक्षित बेरोजगारों में कमी में बने हुए इन सन्देहों के बारे में प्रकाश डालें ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि वर्तमान कर्मचारियों में से किसी की छंटनी नहीं की जाएगी। कम्प्यूटरीकरण तथा यंत्रीकरण अच्छी उत्पादिकता के लिए प्रबन्धकों को सहायता देते हैं। इसके कारण प्रबन्धकों को सहायता मिलती है जिससे रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि रोजगार के अधिक अवसर नहीं पैदा होंगे ।

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : मंत्री महोदय ने यह बात भली प्रकार स्पष्ट कर दी है कि वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों, यथा आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग तथा सीमा शुल्क विभागों में कम्प्यूटर प्रणाली लागू हो रही है। निःसन्देह यह प्रशंसनीय है मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसे बैंकिग प्रणाली के राष्ट्रीयकरण के बाद कार्य-कुशलता लुप्त हो गई, क्या सरकार बैंकिग प्रणाली में भी सुधार तथा कुशलता लाने के लिए कम्प्यूटरीकरण प्रणाली शुरू करेंगे। यदि हां, तो कृपया विवरण दें।

श्री जनार्दन पुजारी : हम बैंकिग सेवाओं में भी अच्छी सेवा के लिए कम्प्यूटरीकरण तथा पंजीकरण शुरू कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उन्हें विवरण दे दूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि व्यापक कम्प्यूटरीकरण क्या प्रभाव

होगा। निसन्देह कार्यकुशलता बढ़ेगी, परन्तु जिस देश में तीन करोड़ से अधिक बेरोजगार हों, उसमें उसका प्रभाव नौकरियों की उपलब्धता पर निश्चित रूप से पड़ेगा। पहले ही नौकरियां कम हो रही हैं। लगभग सभी पश्चिमी राज्यों या जहां पर व्यापक रूप से कम्प्यूटरों को अपनाया गया है, बेरोजगारी का प्रतिशत बढ़ा है। फिर हमारे देश में आंतरिक ढांचा बहुत कमजोर है। क्या ऐसे देश में जिसका ढांचा बहुत कमजोर है वहां पर विकसित शिल्पविधि चालू की जा सकती है। मंत्री महोदय कृपया स्पष्ट करें।

श्री जनार्दन पुजारी : जैसा कि मैंने पहले बताया है कम्प्यूटरीकरण तथा यंत्रीकरण से प्रबन्धक अधिक उत्पादन कर पायेंगे। जब सभी क्षेत्रों में अधिक आर्थिक गतिविधियां होंगी तो इससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राष्ट्र चाहता है कि सभी स्थानों पर अच्छी सेवा दी जाए।

उदाहरण के तौर पर जीवन बीमा निगम के मामलों के निपटारे में कम्प्यूटरीकरण चालू करने से अच्छी सेवा भी दी जाएगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कम्प्यूटरीकरण का यह अर्थ नहीं है कि अधिक रोजगारों के अधिक अवसर पैदा हों। इसके विपरीत वहां पर अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : दावों के निपटारे के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि करोड़ों रुपए जीवन बीमा निगम के पास पड़े हुए हैं तथा लाखों लोग अपने दावे के निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कम्प्यूटर लाए जाने के बाद दावों का निपटारा कितनी जल्दी हो सकेगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : जीवन बीमा निगम में हमारा एक शिकायत कक्ष है। मैंने भी बीमा कम्पनी के प्रमुख अधिकारियों की बैठक में भाग लिया था। दावों का जल्दी से जल्दी निपटारा करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा मामले निपटाने की दर बढ़ रही है।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मंत्री महोदय सभा में आश्वासन दे सकते हैं कि कम्प्यूटरीकरण के कारण कोई छंटनी अथवा बेरोजगारी नहीं होगी।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई छंटनी नहीं होगी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सेवा से अलग किए जाने का प्रश्न इससे पैदा होगा कि कम्प्यूटरीकरण अथवा माइक्रो प्रक्रिया कहां-कहां लागू की जाएगी। चूंकि कर्मचारियों में एक प्रकार की आशंका है, क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि वह इस प्रश्न पर जीवन बीमा निगम के अधिकारियों की एसोसीएशन के साथ, निर्णय लेने से पहले चर्चा करेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जीवन बीमा निगम में व्यवहारिक रूप से कोई विरोध नहीं हुआ है। इसके विपरीत मुझे जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बधाई देनी है। पूरे मामले पर उनसे चर्चा हुई थी तथा उन्होंने इसे प्रोत्साहित किया है।

उड़ीसा ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन

*473. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में ऋण वितरण के सम्बन्ध में ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है ;

(ख) शाखाएं खोलने, ऋण वितरण करने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के सम्बन्ध में उड़ीसा ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है ; और

(ग) उड़ीसा ग्रामीण बैंक में निदेशक मंडल के गठन के संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

मार्च, 1985 के अन्त में 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 60.79 लाख ऋण खातों के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों की बकाया राशि 1143.12 करोड़ रुपए थी। राज्यवार सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

मार्च, 1985 के अन्त में उड़ीसा राज्य के सभी 13 जिलों के 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 747 शाखाएं थीं। इन बैंकों की 6,97,426 ऋण खातों के अन्तर्गत 103.63 करोड़ रुपए की राशि बकाया थीं। दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 को इन बैंकों के कर्मचारियों (अधिकारी, क्लर्क और अन्य) की संख्या 2763 थी।

उड़ीसा के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मंडलों का गठन प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

अनुबन्ध

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बकाया अग्रिमों का राज्यवार विवरण

(मार्च, 1985 के अन्त तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	ऋण खातों की संख्या लाख रुपए	बकाया राशि (लाख रुपए)
1.	आंध्र प्रदेश	14	694419	12857.61
2.	असम	5	73986	1639.15

1	2	3	4	5
3.	बिहार	22	919290	14612.45
4.	गुजरात	9	40936	864.53
5.	हरियाणा	4	97173	2763.24
6.	हिमाचल प्रदेश	1	30239	893.00
7.	जम्मू और कश्मीर	3	47427	1034.66
8.	कर्नाटक	13	542622	11582.00
9.	केरल	2	342431	5773.97
10.	मध्य प्रदेश	22	382471	7989.44
11.	महाराष्ट्र	8	55374	2078.12
12.	मणिपुर	1	2692	50.96
13.	मेघालय	1	5330	94.73
14.	नागालैण्ड	1	336	10.27
15.	उड़ीसा	9	697426	10363.22
16.	पंजाब	3	6585	169.76
17.	राजस्थान	14	280691	7622.54
18.	तमिलनाडु	1	156063	2699.45
19.	त्रिपुरा	1	88148	1758.[illegible]3
20.	उत्तर प्रदेश	38	1204300	23348.25
21.	पश्चिम बंगाल	9	409394	6041.82
22.	अरुणाचल प्रदेश	1	113	2.26
23.	मिजोरम	1	1454	51.25
	अखिल भारतीय	183	6078900	114311.51

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं ग्रामीण बैंकों की ऋण नीति के मुख्य तत्व जानना चाहता हूं। ऋण किस उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं और क्या इनके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह भी देखा जाता है कि जिन परियोजनाओं के लिए ऋण मांगा गया है क्या वे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उन लोगों को ऋण दिया जाता है जिन

की वार्षिक आय 6,500 रु० से कम है। इस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपए है। इसमें कम पूंजी निवेश की गई है और इसका काम ग्रामीण क्षेत्री से ग्रामीण लोगों की विभिन्न आर्थिक कार्यों में जैसा कि छोटी दुकान ; जैसे चाय की दुकान आदि चलाने में और पम्पिग सेट खरीदने आदि में, सहायता करना है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : इस उत्तर के परिप्रेक्ष्य में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उड़ीसा राज्य में 6,97,426 ऋण खातों के मुकाबले 10,363 लाख रुपए बकाया है। औसतन यह प्रति खाता 150 रुपए बनता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि ऋण की स्वीकृति के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त किए गए और ये कुल कितनी राशि के थे ? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का मापदण्ड क्या है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में 13 जिले हैं। किंतु केवल 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। तीन मुख्य जिले—संभलपुर, सुन्दरगढ़ और बोलनगीर आर० आर० बी० के अंतर्गत आते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रत्येक जिले के लिए एफ० आर० आर० बी० होगा और क्या शाखाओं की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है।

श्री जनार्दन पुजारी : उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र बैंकों का ऋण जमा अनुपात 228/प्रतिशत है। इन क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्र बैंकों से 4537.25 लाख रुपए जमा किए गए हैं। बकाया ऋण 10,363.22 लाख रुपए था। खातेदारों की संख्या 6,97,426 है। जहां तक आर० आर० बी० खोलने के मापदण्डों का सम्बन्ध है, दो जिलों के लिए एक क्षेत्रीय बैंक होता है। कुछ जिलों में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है। किंतु मापदण्ड दो जिलों के लिए एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरी यह शिकायत है कि मेरा प्रश्न पूरे कन्ट्री के बारे में था लेकिन उसको उड़ीसा तक ही सीमित कर दिया गया है।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जितने भी बैंक खोले गए थे उनका उद्देश्य यह था कि इन ब्रांचों में वहीं गांवों की भाषा और कल्चर को जानने वाले सर्विस में लगें लेकिन उसमें भी शहर के लोग चले गए जोकि उनकी भाषा नहीं जानते। इसी प्रकार संचालक मंडल में गांव के लोग जो उनकी भाषा और दुख तकलीफ जानें उन्हीं को उसमें रखना था लेकिन वह भी शहर के लोग हो गए। जो रिकवरी इन्होंने दिखाई है मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी शिकायतें हैं कि फर्जी अंगूठे लगाकर पैसे ले लिए जाते हैं जैसे कि कुएँ के लिए लोन दिया गया लेकिन वहां पर कोई कुआं ही नहीं है तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें हैं। क्या मन्त्री जी ने ऐसी शिकायतों के सम्बन्ध में कोई असेस्मेंट करवाया है और कोई कार्यवाही की है—यह मैं जानना चाहूंगा।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जहां कहीं भी सरकार के ध्यान में विशिष्ट घटनाएं लाई

गई हैं शीघ्र जांच का आदेश दे दिया गया है। कार्यवाही की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें 183 ग्रामीण बैंक हैं जिन के अन्तर्गत 223 जिले आते हैं। जहां कहीं हमें भ्रष्टाचार तथा अन्य बातों की शिकायतें मिली हैं, हमने कार्यवाही की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि वह किसी मामले को सरकार की नोटिस में लाएंगे तो सचमुच ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रमेला बाई चव्हाण : महोदय, ऐसा केवल उड़ीसा में ही नहीं हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में नई बैंक शाखाएं खोलने में उदार नहीं है जिससे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें ? मुझे पता है कि कुछ सहकारी बैंकों के पास पैसा बेकार पड़ा हुआ है किंतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है। क्या माननीय मंत्री इस संबंध में कुछ करेंगे ?

श्री जर्नादन पुजारी : राष्ट्रीयकरण से पूर्व 65 हजार की जनसंख्या के लिए एक बैंक शाखा थी। आज अखिल भारतीय आंकड़े यह हैं कि 1: हजार लोगों के पीछे एक शाखा है। हमने देश भर में विशेषकर देहातों में शाखाएं खोली हैं। अब देश भर में लगभग 29,837 ग्रामीण शाखाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र :8.5 प्रतिशत हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार हम विस्तार कर रहे हैं और प्रत्येक दस किलोमीटर के लिए भी एक शाखा होगी।

सिक्किम में भूतत्वीय सर्वेक्षण

*474. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग सिक्किम में कोई सर्वेक्षण कार्य करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक के उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) खनिजों का सर्वेक्षण लगातार चलने वाला कार्य है तथा यह कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सिक्किम में भी किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप निम्नलिखित खनिजों का पता चला है :—

(1) रंगपो और डिक्चू में खनन योग्य बहुधातु खनिजीकरण।

(2) रोराथांग तथा पचेखानी में मामूली आधारधातु खनिजीकरण।

(3) रिशी में डोलोमाइट निक्षेप।

(4) उत्तर तथा पूर्व सिक्किम में लघु मारबल भंडार।

फील्ड सत्र 1985-86 के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का सिक्किम में विभिन्न प्रकार की 23 खोजें करने का प्रस्ताव है।

श्रीमती डी॰ के॰ भंडारी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि सिक्किम खनन निगम रगंपो 1960 से न केवल बहुधातु के मिश्रण की कच्ची धातु, तथा तांबे, जस्त का खनन कर रहा है बल्कि गाढे सीसे का भी उत्पादन कर रहा है जिसमें चांदी मिली रहती है और जो प्रोद्योगिकी के अभाव में प्रयोग में नहीं लायी जाती है। यदि हां, तो यह जानना चाहूंगी कि क्या इस प्रकार की प्रौद्योगिकी विदेश से प्राप्त की जाएगी और सातवीं योजना में सिक्किम में ही लघु स्मैल्टर स्थापित किए जाएंगे।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : यह बिल्कुल सही है कि सिक्किम खनन निगम जो भारत सरकार और सिक्किम सरकार का संयुक्त उद्यम है, खानों से न केवल बहुधातु अयस्क ही निकाल रहा है अपितु इसका सांद्रन भी कर रहे हैं और उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। मेरे पास गत तीन वर्षों के आकड़े हैं और मैंने देखा है कि तांबे, सीसे और जम्ता की सांद्रता बढ़ रही है। चांदी निस्संदेह थोड़ी मात्रा में है। यह सच नहीं है कि इनका प्रयोग नहीं हो रहा है। जहां तक तांबे का संबंध है इसे पहले ही घाटशिला प्रचालक में पिघलाया जा रहा है और जहां तक जस्त के दानों का संबंध है इसे विशाखापत्तनम प्रगलक में पिघलाया जाता है। इनको कार्यस्थल पर नहीं अपितु देश के अन्य प्रगालकों में पिघलाया जाता है।

श्रीमती डी॰ के॰ भंडारी : क्या सिक्किम में ऐसा नहीं किया जा सकता है?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : पिघलाने के लिए विभिन्न बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है। बिजली की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण बात है। यदि बिजली उपलब्ध नहीं है तो पिघलाने का काम नहीं किया जा सकता है।

श्रीमती डी॰ के॰ भंडारी : क्या यह सत्य नहीं है कि 1976 के दौरान इस बात की सूचना प्राप्त हुई थी कि डिक्चू में यूरेनियम और सोने के भंडार हैं और सोने की प्रतिशतता कोलार स्वर्ण क्षेत्रों से अधिक है?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : जहां तक मुझे सूचना है उसके अनुसार सिक्किम में सोना नहीं मिला है। मेरे पास इस समय सभी धातु तथा गैर-धातु खनिजों की सूची है। चांदी वहां निस्सन्देह, उपलब्ध है किंतु सोने का उल्लेख नहीं किया गया है। मुझे माननीस सदस्य से यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि सोना कहां-कहां पाया गया है।

डा॰ वी॰ वेंकटेश : महोदय, जैसा आप जानते हैं सोना मेरे चुनाव-क्षेत्र, कोलार स्वर्ण खानों में उपलब्ध है। सिक्किम एक पिछड़ा हुआ राज्य है और यह हाल ही में हमारे देश में शामिल हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार खनिजों पर आधारित कोई उद्योग स्थापित कर रही है।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : एक उद्योग अर्थात बहुधातु अयस्क और सान्द्रीकरण की माननीय

सदस्या, श्रीमती भंडारी ने चर्चा की है। गैरसरकारी क्षेत्र में एक उद्योगपति द्वारा डॉलोमाइट का खनन तथा उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सिक्किम सरकार भी एक लघु सिमेंट संयंत्र के लिए चूने-पत्थर और संगमरमर के प्रयोग की सम्भावना की जांच कर रही है।

रंगपो और डिक्चू के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी बहु-धातु के काफी भंडार हैं। वहां भी भविष्य आशाजनक है और अधिक विकास के उद्देश्य से इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

अफ्रीका और दक्षिण अमरीका में स्थापित संयुक्त परियोजनाएं

*475. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अफ्रीका और दक्षिण अमरीका के विभिन्न देशों में कितनी संयुक्त परियोजनाएं स्थापित की गई हैं और उन देशों में कितनी और परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सम्बन्धित देश इनमें से कुछ परियोजनाओं के निर्माण में अब अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कारणों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारतीय प्रवर्तकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1-1-1984 से अफ्रीका में चार भारतीय संयुक्त उद्यम आरम्भ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 12 भारतीय संयुक्त उद्यम अफ्रीका में कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। लातीनी अमरीका में कोई भारतीय संयुक्त उद्यम स्थापित नहीं किया गया है ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ख) जिन संयुक्त उद्यमों ने 1-1-1984 से काम करना आरम्भ कर दिया है, उनकी कुल लागत लगभग 225 करोड़ रु० बताई जाती है।

(ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का उत्तर माननीय मंत्री के चुनाव भाषणों की तरह बहुत ही संक्षिप्त है और उससे कुछ निकाल पाना संभव नहीं है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीका और दूसरे देशों से जो भारत को पहले ज्वाइन्ट वेन्चर के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, उस प्रस्ताव में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। यदि कमी आती जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं और यदि कमी नहीं आ रही है, तो कृपा करके यह बताइए कि सन् 1980 के बाद प्रतिवर्ष इस आशय के प्रस्ताव विभिन्न देशों से कितने प्राप्त हुए हैं।

श्री अर्जुन सिंह ; आदरणीय महोदय, संक्षिप्त उत्तर का मतलब उत्तर नहीं है, ऐसा नहीं है और संक्षिप्त भाषण का जो परिणाम निकला है, वह भी आप सभी जानते हैं और उनमें माननीय सदस्य का बहुत बड़ा योगदान है।

आदरणीय महोदय, यह बात सही नहीं है कि प्रोजेक्ट्स में कोई कमी आई है और यह अपनी जगह पर सही है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स में विभिन्न कारणों से कुछ विलम्ब हुआ है उनको लगाने में लेकिन कोई कमी गई है, ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री हरीश रावत : 1980 से पहले 12 प्रस्ताव अफ्रीका के देशों से प्राप्त हुए थे और 1980 के बाद कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और इस फील्ड में धीरे-धीरे कुछ नए देश, जिनमें चीन प्रमुख है, हमारे क्षेत्र को हथियाते जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत में विभिन्न कम्पनियों के पोटेंशियल को देखते हुए और अफ्रीका के देशों में भी आर्थिक विकास की संभावनाओं को देखते हुए, क्या सरकार हमारी कम्पनीज को नये इन्सेंटिव्ज देगी और डिप्लोमेटिक लेविल पर वहां के देशों के साथ इस आशय की वार्ता चलाएगी, ताकि हमको अधिक से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकें।

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीय महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल उपयुक्त है और यह आवश्यक है कि अफ्रीका और जो विकासशील देश हैं, वहां पर भारत की ओर से ज्वाइन्ट वेन्चर के लिए विशेष प्रयास किये जाएं ताकि इनमें और बढ़ोतरी हो। इस दिशा में जरूर प्रयास होंगे।

[अनुवाद]

श्री डी० पी०: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न अकेला का संबंध अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका दोनों से है। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए विवरण में कहा गया है कि दक्षिण अमेरिका की ओर से इस प्रकार के सहयोग का कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं मंत्री महोदय को सूचित करता हूं कि जब 1983 में मैंने विश्व के उस भाग के 16 देशों का दौरा किया, उनमें से कम से कम आठ या नौ देशों ने प्रस्ताव किया कि वह कृषि, पशु-पालन बड़े उद्योगों, रेलवे तथा अन्य परियोजनाओं में भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं। यह सूचना कृषि मंत्रालय को दी गई है। संभवतः सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा का अभाव है। मैं माननीय मंत्री से

जानना चाहूंगा कि क्या लातीनी अमेरिका के उन देशों का पता लगाया गया है जो भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक हैं । क्या इस मामले को पुनः उठाया जाएगा ?

श्री अर्जुन सिंह : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि उन्होंने दौरा करने के पश्चात् इस सम्बन्ध में जो भी सूचना दी, मैं इसका पता लगाऊंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है । किंतु इस समय जो स्थिति है उस का उत्तर प्रश्न में दिया गया है ।

[हिन्दी]

भारतीय बैंकिंग सेवा का गठन

***476. श्री सोमजी भाई डामर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिवाली के अवसर पर बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण सरकार को कितना नुकसान हुआ ;

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवाकी तरह एक भारतीय बैंकिंग सेवा का गठन करने का है ताकि ऐसी हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके और बैंक अधिकारियों को एक बैंक से दूसरे बैंक में स्थानान्तरित किया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि बैंक कर्मचारियों ने दीवाली के अवसर पर कोई हड़ताल नहीं की थी । लेकिन भारतीय स्टेट बैंक ने यह बताया है कि अहमदाबाद सर्कल के अधिकारियों ने दीवाली से एक दिन पूर्व 11 नवम्बर, 1985 को एक दिन की हड़ताल की थी । इस हड़ताल के परिणामस्वरूप उस दिन गुजरात में बहुत से कार्यालयों में काम नहीं हो सका । इस हड़ताल से ग्राहकों को असुविधा हुई, लेकिन यह बताना संभव नहीं है कि इससे कितनी हानि हुई ।

(ख) और (ग) सरकार का भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की तरह भारतीय बैंकिंग सेवा बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । बैंकों का अपना-अपना कानूनी अस्तित्व है और समान सेवा गठित करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है ।

[हिन्दी]

श्री सोमजी भाई डामर : अध्यक्ष महोदय, बैंक अधिकारियों ने जो हड़ताल की उससे बैंक 5 दिन तक बंद रहे। फिर भी मिनिस्टर साहब को पता नहीं है कि कितनी हानि हुई है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हर बैंक अपने-अपने कानून से काम कर रहा है। तो अपने-अपने कानून बदल कर एक ही कानून से बैंक चले, इस प्रकार का प्रावधान क्या भारत सरकार करना चाहती है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, बैंकों से आशा की जाती है कि वे बैंक कर्मचारियों के लिए निर्धारित मापदंड के अनुसार काम करें। इस मामले में हुआ यह कि दो ऐसे अधिकारियों का जिनका स्थानांतरण किया जा सकता था, उसी शहर में स्थानांतरण कर दिया गया। लगभग आठ अधिकारियों का स्थानांतरण अहमदाबाद से बाहर किया गया। इस पर उन सब ने यह कहते हुए हड़ताल कर दी कि उनके स्थानांतरण आदेश रद्द किए जाएं। जिन दो अधिकारियों का शहर में ही एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरण किया गया था उन्होंने भी इस पर आपत्ति की। उन्होंने आन्दोलन शुरु कर दिया और यहां तक कि इससे निकासी में भी बाधा पहुंची।

स्थानांतरण के आदेश जनवरी में जारी किए गए थे। आन्दोलन मार्च तक चला और कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया। वैसे भी संसद एक सर्वोच्च निकाय है। यह विचार करना हमारा काम है कि क्या इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का समय आ गया ? ऐसा करना संभव नहीं है। आजकल इन लोगों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करना बड़ा मुश्किल काम है। सरकार कड़ी कार्यवाही करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मुझे बहुत खेद से कहना पड़ रहा है कि अगर अहमदाबाद की जनता को इससे असुविधा हुई है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं।

[हिन्दी]

श्री सोमजी भाई डामर : बैंक अधिकारी जैसे मैनेजर वगैरह हैं, वे काफी घोटाला और गोलमाल करते हैं। यह भी देखा गया है कि पांच-पांच करोड़ रुपए तक खा जाते हैं। बैंक में जो डिपाजिट होता है, वह दूसरों के नाम से ले लेते हैं, इसलिए यह एक्शन लिया गया। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि यह हड़ताल सही थी या गलत। मंत्री महोदय ने उस टाइम कहा था कि जो लोग हड़ताल पर जायेंगे उनका पांच दिन का पगार काट लेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि पांच दिन का पगार काटा है या नहीं काटा है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, हड़ताल के दिन का वेतन काट लिया गया है। इन लोगों के हड़ताल पर जाने के कारण मैं बता चुका हूं। हड़ताल करने का एक और कारण है सभा को बताना मेरा कर्तव्य है कि एक नेता—मजदूर संघ का नेता—कार्यालय के समय काम करने को

तैयार नहीं था और इन लोगों ने कहा था कि उसे कार्यालय के समय काम करना होगा। उसका कहना था कि वह यूनियन के लिए काम करना चाहता है न कि कार्यालय के लिए। मुझे खेद है कि इस देश में, सभी नहीं पर कुछ मजदूर नेता ऐसे हैं जिन्होंने 20-25 सालों से काम नहीं किया है। उन्होंने पेन उठाकर एक अक्षर तक नहीं लिखा। हालत यह है। हम कार्यवाही करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं।

श्री चिंता मोहन : बैंकों में कुछ नुकसान बैंक कर्मचारियों के कारण या कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण हुए खासकर बम्बई में, स्टेट बैंक आफ इंडिया के सेन्ट्रल आफिस से एक बड़े उद्योगपति ने पांच साल पूर्व 52.5 करोड़ रुपए लिए थे और आज तक उसने पांच पैसे भी नहीं लौटाए हैं। आपके अपने राज्य बंगलौर में भी किसी अबाकारी ठेकेदार ने जाली चेक जारी करके 3 करोड़ रुपए लिए थे। मेरे अपने राज्य में, राजामुन्दरी में बैंक मैनेजर ने आदिवासियों के नाम पर 35 लाख रुपए लिए। उन्होंने एक छोटा सा गांव बनाया और जाली आदिवासियों के नाम पर 35 लाख रुपए ले लिए। कलकत्ता में बैंक आफ बड़ौदा में तत्कालीन चेयरमैन ने 7 करोड़ रुपए लिए। सरकार ने क्या कार्यवाही की।

श्री जनार्दन पुजारी : अध्यक्ष द्वारा 7 करोड़ रुपए लेने का आरोप हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। लेकिन जहां भी बैंक मैनेजरों ने ऐसा किया है हमने कड़ी कार्यवाही की है। माननीय सदस्य की सूचना के लिए बता दूं—उदाहरण के लिए उन्होंने मेरे राज्य कर्नाटक में एक घटना का उल्लेख किया था वहां भी हमने कार्यवाही की है और शिकायत दर्ज कराई है। दुर्भाग्य से राज्य सरकार तत्काल कार्यवाही करने में कारगर सिद्ध नहीं हुई। मैं उन सभी राज्यों से कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं जहां इस तरह की कमी पाई जाए (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरा सुझाव है कि उनके उत्तर में से 'राज्य सरकार' शब्द निकाल दिया जाए।

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें समझाने दीजिए कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को और केन्द्र सरकार को क्या करना चाहिए। हम यह समझना चाहेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां भी ऐसी धोखाधड़ी आदि हों वहां बैंक का कर्त्तव्य है कि वे उन्हें निकटतम कानून और व्यवस्था आधिकारियों के ध्यान में लाएं और उनसे कार्यवाही करने के लिए कहें। उन्हें तत्काल मामले को दर्ज करना चाहिए और तत्काल जांच शुरू करनी चाहिए। लोगों को भी तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। कुछ राज्यों में ऐसा हो रहा है। माननीय सदस्य ने मेरे राज्य का हवाला दिया था इसलिए मुझे यह कहना पड़ा। कुछ राज्यों में तत्काल कार्यवाही नहीं किए जाने पर वे अदालतों में जाकर अग्रिम जमानत प्राप्त कर लेते हैं (व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मेरे सहयोगी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की घटना होने पर वह एफ० आई० आर० दर्ज कराता है और उसके बाद राज्य की कानून और

व्यवस्था मशीनरी तथा पुलिस को फौजदारी कानून के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए। राज्य का यह कर्त्तव्य है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : माननीय मंत्री द्वारा दिए उत्तर से ऐसा लगता है जैसे कर्नाटक में कानून और व्यवस्था मशीनरी असफल हो गई है। चलिए बताइए, कितने एफ० आई० आर० दर्ज किए गए और कितने मामलों में ...(व्यवधान) उन्होंने यह कहा था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हर जगह यही होता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री जी को उत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : प्रश्न क्या है ? एक प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप राज्यवार आंकड़े दीजिए। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उन्हें एक प्रश्न तैयार करने दीजिए (व्यवधान) वे कोई प्रश्न तैयार नहीं कर सकते। हम प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, शोर-गुल का नहीं। (व्यवधान)

श्री भागवत झा आजाद : मेरे विचार से विपक्ष के माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं। उनकी ओर से मेरा कहना है कि हमें नहीं लगता कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाली मशीनरी असफल हो गई है। हमें लगता है कि मामले को दर्ज कराने के बाद तत्काल जांच नहीं की जाती। ऐसा किया जाना चाहिए (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : कितने मामले दर्ज किये गए हैं ? कृपया स्पष्ट बताइये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कितने एफ० आई० आर० दर्ज किए गए ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत स्टेशनों पर अलग-अलग व्यक्ति होते हैं जो कार्यवाही करते हैं। कोई राज्य सरकार विशेष, इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं होती है। यह कोई पुलिस स्टेशन या इसी तरह का कुछ होता है। यदि इस प्रकार से नहीं कहा जाता है तो इससे अन्य अर्थ लिया जा सकता है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइये। मैंने श्री अजय बिश्वास को प्रश्न पूछने के लिए कहा है। अजय बिश्वास जी को प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री अमर राय प्रधान : जी, बैठ जाइये। कृपया बैठ जाइए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मैं उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरी कठिनाई यह है कि मैं प्रश्न का जवाब दे सकता हूं, शोरगुल का नहीं।

अब मैं इस प्रश्न पर आता हूं कि कितनी एफ० आई० आर० दर्ज की गई और राज्यों में कानून और प्रशासन अधिकारियों ने उन पर क्या कार्यवाही की है। हम माननीय सदस्य को इस बारे में आंकड़े देंगे।

श्री अजय बिश्वास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कि स्थानांतरण का उद्देश्य कुछ अधिकारियों की मजदूर संघ सम्बन्धी गतिविधियों को दबाना था और वस्तुत: इसी कारण कर्मचारियों ने हड़ताल की। क्या सरकार सभा में आश्वासन देगी कि वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे समस्याएं पैदा हों और कर्मचारी शिकायत करें ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरी आजादी दी जानी चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : बैंक प्रबन्धक उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते जो कानूनों और नियमों का पालन करते हैं। आमतौर पर एक निर्धारित अवधि के बाद उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। अगर वे जाने के लिए तैयार न हों और बैंक के प्रबन्धकों के निर्देशों का उल्लघंन कर व्यवधान डालना चाहते हों तभी कार्यवाही की जाती है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत बैंक के प्रबन्ध वर्ग के पास चूक, गलती या बेईमानी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए काफी शक्तियां हैं ? या, क्या सरकार को मालूम है कि एक केन्द्रीय जांच ब्यूरो है, जहां स्थानीय जांच एजेंसियां असफल हो जाती हैं वहां आप उक्त ब्यूरो की सेवाएं मांग सकते हैं और यह ब्यूरो उनको चार्ट शीट दे सकता है और कार्यवाही कर सकता है ?

प्रो० मधु दंडवते : अगर सी० बी० आई० काम न करे तो आप सी० पी० आई० के पास जा सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : जब धोखाधड़ी के मामले होते हैं तो हमें धोखाधड़ी के मामलों को दर्ज कराना पड़ता है। माननीय सदस्यों की मांग है कि धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रबंधक उन्हें सजा दे सकते हैं लेकिन

जेल नहीं भेज सकते हैं। आपका कहना सही है कि विभागीय जांच की जा सकती है और हम विभागीय कार्यवाही कर सकते हैं। हम ऐसे लोगों को सजा दिये बिना नहीं रह सकते जो अपराध के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें जेल भी भेजा जाना चाहिए। सजा देने का एक तरीका यह भी है। विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान मत डालिए।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक सी० बी० आई० का संबंध है, उदाहरण के लिए राज्यों में कानून और व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही नहीं की जाती है तो कुछ मामले सी० बी० आई० को सौंप दिये जाते हैं और वह भी कुछ कार्यवाही कर रही है और आरोप दर्ज कर रही है।

भारतीय कपास निगम को घाटा

+

*477. श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास निगम को इसकी स्थापना के समय से ही बहुत अधिक घाटा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारतीय कपास निगम को 31 अक्तूबर, 1985 तक कितना घाटा हुआ है ;

(घ) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इस उपक्रम के कार्यकरण की जांच की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारतीय रुई निगम ने 1977 में अपनी स्थापना के बाद से लेकर 1976-77 तक तथा वर्ष 1980-81 में लाभ कमाए। शेष वर्षों में इसे हानि हुई है। 31 अगस्त, 1985 तक इसके द्वारा उठाई गई कुल संचित हानि लगभग 100.00 करोड़ रु० है।

2. निगम द्वारा उठाई गई हानियों के उत्तरदायी मुख्य कारण हैं बैंकों/सरकार से पहले उधार ली गई राशि पर ब्याज का भारी भार, जिसे निगम को इसलिए लेना पड़ा ताकि रुई की सप्लाई की अच्छी स्थिति में वर्षों के दौरान बड़ी खरीदारियां की जा सकें और स्टाक को ले जाने की लागतें।

3. निगम के कार्य-संचालन की समीक्षा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाती है और इसके कार्य को और अधिक कुशल एवं अर्थक्षम बनाने के लिए उचित उपाय किये जाते हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, कपास निगम न किसानों के लिए और न ही सरकार के लिए उपयोगी है। विवरण में उन्होंने बताया है कि 31 अगस्त, 1985 तक कुल 100.00 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई है।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस भारी हानि के कारणों की जांच की है और इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाया है और यदि हां तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री खुर्शीद आलम खां : संचित हानि का सबसे प्रमुख कारण यह है कि ब्याज की दर बहुत अधिक है। ब्याज की दर 19.5 प्रतिशत थी। जब हमने अभ्यावेदन भेजा तो इसे कम करके 17.5 प्रतिशत कर दिया गया और भारतीय निगम द्वारा गोदामों के लिए खरीदे जाने वाले स्टाक की ढुलाई जोड़ दी गई।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : निगम के कार्यों को सरल और कारगर बनाने के सरकार ने क्या उपाय किए हैं? क्या सरकार इसकी जांच के लिये सभा की कोई समिति गठित करने पर विचार करेगी?

श्री खुर्शीद आलम खां : भारतीय कपास निगम के कार्यों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जहां उपयुक्त हो वहां सभी आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कार्पोरेशन को घाटे से बचाने के लिये और भारत के किसानों को कपास के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कपास के आयात पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगाना चाहती है? यदि नहीं लगाना चाहती है तो उसका क्या रीजन है?

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : पिछले मौसम में छोटे रेशे की कपास की केवल 75,000 गांठों का आयात किया गया था क्योंकि देश में इस किस्म के कपास की सप्लाई कम थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जमीन के मूल्यों में वृद्धि के कारण काला धन पैदा होना

*478. श्री माणिक रेड्डी :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में तथा अन्य स्थानों पर जमीन के मूल्य में वृद्धि करने के हाल के निर्णय से काले धन में और वृद्धि होने की संभावना है, जैसाकि दिनांक 17 नवम्बर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निवारक उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या काले धन की अनुमानित राशि के सम्बन्ध में तथा इस बारे में उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप उसमें हुई अनुमानित कमी सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने भूमि की कीमतों में संशोधन के परिणामस्वरूप, जिसे 24-10-1985 को ही अधिसूचित किया गया है, काले धन में होने वाली वृद्धि/कमी का कोई अध्ययन नहीं किया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसियों को रद्द किया जाना

***479. श्री दौलत सिंह जवेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम सहित अन्य राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों द्वारा जनता के प्रति असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किए जाने की जानकारी है ;

(ख) ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए क्या नई व्यवस्था की गई है और सतर्कता के क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) वर्ष 1983, 1984 और 1985 में समूचे भारत में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी पालिसियां रद्द की गई ; और

(घ) क्या इन पालिसियों को रद्द करने में मनमानी की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम सहित राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियां बीमा करवाने वाले लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में जागरूक हैं और उन्हें अपना अधिकतम सहयोग देने का प्रयास करती हैं। सामान्य रूप से शिकायतों तथा विशेष रूप से पालिसीधारकों की मांगों से निपटने के लिए उसके पास सुव्यवस्थित तंत्र हैं। सरकार द्वारा उन्हें अपने शिकायत सुधार तंत्रों को मजबूत बनाने के लिए अनुदेश भी जारी किए गए हैं। कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं संबंधी मामलों की जांच करने के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्टाचार भी शामिल है, उनके अपने सतर्कता तंत्र हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान जिन पालिसियों पर कारंवाई नहीं की गई, उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	पालिसियों की संख्या	बीमाकृत राशि (करोड़ रुपए)
1982-83	5513	19·75
1983-84	4418	15·36
1984-85	4509	16·89

पालिसियों को निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार रद्द किया जाता है इसलिए इस सम्बन्ध में कोई मनमानी नहीं की जाती है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर की चांदनी चौक (दिल्ली) शाखा में घोटाला

*480. **श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1983 में स्टेट बैंक आफ इन्दौर की चांदनी चौक (दिल्ली) शाखा में लगभग 35 लाख रुपए का घोटाला पकड़ा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसमें दो शाखा अधिकारियों को अन्तग्रंस्त पाया गया ; और

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों को विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जानर्दन पुजारी) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उसकी चांदनी चौक (दिल्ली) शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबन्धक ने एक फर्म द्वारा प्रस्तुत असमाशोधित (अनक्लीयार्ड) चैकों के बदले अपनी विवेकाधीन शक्तियों से काफी अधिक राशि की निकासियों की अनुमति दे दी थी। "खरीदे गए डिमांड ड्राफ्ट" शीर्षक के अन्तर्गत उस पार्टी को किसी एक समय में 36·60 लाख रुपए की अधिकतम राशि के ऐसे ओवर ड्राफ्ट की अनुमति दी गई थी। लेकिन, खाते में जमा कराई रकम घटाने के बाद, अनियमितताओं की राशि 27·89 लाख रुपए बैठती है। बैंक द्वारा पार्टी से मूलधन और ब्याज की पूरी रकम वसूल कर ली गई है।

(ख) और (ग) बैंक के अनुसार, शाखा प्रबन्धक के अलावा इस खाते से सम्बद्ध विभिन्न गलतियों के लिए 4 और अधिकारी जिम्मेदार पाए गए थे। शाखा प्रबन्धक के खिलाफ की जांच के परिणामस्वरूप उसे यह सजा दे दी गई कि उसका ग्रेड एम० एम०-3 से घटा कर एम० एम०-2 कर दिया गया। विभागीय जांच के बाद दो अधिकारियों की भर्त्सना की गई और

अन्य दो अधिकारियों को प्रशासनिक चेतावनी दी गई। सरकार इन अधिकारियों को दिए गए दण्ड से संतुष्ट नहीं है। बैंक को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

औद्योगिक रूग्णता

*481. श्री आसुतोष लाहा :

श्री महेन्द्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने औद्योगिक रूग्णता के कारणों और इस समस्या के परिणाम के बारे में हाल ही में विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1981 में गठित एक समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक रूग्णता के कारणों और इस समस्या के आकार की जांच की थी।

समिति ने औद्योगिक रूग्णता लाने वाले जिन मुख्य कारणों का पता लगाया है वे हैं : प्रबन्धक की त्रुटियां, विपणन की बाधाएं, मांग की मंदी, मशीनों का पुराना होना, श्रम सम्बन्धी समस्याएं, बिजली, आवश्यक कच्चा माल आदि जैसी अत्यन्त महत्वपूर्ण निवेश्य वस्तुओं की अनुपलब्धता, नगदी सम्बन्धी बाधाएं या धनराशियों की अपर्याप्त उपलब्धता। समिति ने यह भी नोट किया कि किसी एकक की रूग्णता के कई कारण हो सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक हर छमाही में वाणिज्यिक बैंकों के सहायता पोर्ट-फोलियो के रूग्ण एककों की रूग्णता के आकार की समीक्षा करता है। दिसम्बर 1984 के अन्त की अनन्तिम सूचनानुसार रूग्ण एककों की संख्या 93282 है और इन के नाम 3638.39 करोड़ रुपए की राशि बकाया है।

[हिन्दी]

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना में विलम्ब

*482. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना करने के कार्य में काफी विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संयंत्र में कब उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) परियोजना का कार्य संशोधित अनुसूची के अनुसार लगभग समय के अनुसार हो रहा है ।

(ग) एल्यूमिनियम संयंत्र दिसम्बर, 1986 में चालू किया जाना है ।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर साथ लाए गए/पृथक से भेजे गए सामान का मूल्यांकन

*483. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क लगाने हेतु सीमाशुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सामान का मूल्य आंकने के लिए मूल्यांकन-कर्ता जिम्मेदार होता है ;

(ख) यदि हां, तो साथ लाए गए तथा पृथक से भेजे गए सामान के मूल्यांकन के लिए भारत के विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चौबीसों घण्टों काम करने लिए कितने मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार को कम मूल्यांकन किए जाने तथा कीमती सामान की बिक्री के लिए निर्धारित समय सीमा की समाप्ति से पहले ही उसको बिक्री के लिए मंगाए जाने के मामलों की जानकारी है ? और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ;

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) आयात और निर्यात किए जाने वाले माल पर शुल्क का निर्धारण अप्रेजरों द्वारा किया जाता है । ऐसे माल के मूल्य की घोषणा आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा की जाती है। अप्रेजर उस मूल्य की जांच करता है। और प्रतिशत-अनुपात के आधार पर कुछ मामलों की जांच अन्य अधिकारियों का एक समूह करता है । तथापि, इसे सुविधाजनक बनाने के लिए एक उपाय के रूप में और यात्रियों की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करने के लिए, असबाब के रूप में साथ लाई गई और साथ नहीं लाई गयी वस्तुओं पर शुल्क का निर्धारण हवाई सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा किया जाता है । एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिये, असबाब के रूप में आयात की गयी वस्तुओं पर शुल्क का निर्धारण हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क विभाग के प्राधिकारियों द्वारा रखी जा रही मूल्य सूचियों के आधार पर किया जाता है ।

(ग) और (घ) असबाब के रूप में आयात की गयी वस्तुओं की बिक्री करने, उन्हें प्रदर्शित करने, उनका विज्ञापन देने अथवा उनकी बिक्री अथवा उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी दुकान को देने की तब तक अनुमति नहीं दी जाती है जब तक कि नया होने की स्थिति में ऐसी वस्तुओं का बाजार मूल्य घटकर उनके बाजार मूल्यों के 50 प्रतिशत से कम नहीं हो जाता है । तथापि, टेलीविजन सेटों और आग्नेय अस्त्रों को इस प्रकार बेचने की तब तक अनु-

मति नहीं दी जाती है जब तक कि निकासी की तारीख से कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक उन्हें इस्तेमाल नहीं किया गया हो।

इन पाबंदियों के उल्लंघन का तब पता चलता है जब समुचित कार्यवाही (इसमें माल का जब्त किया जाना और अर्थदण्ड के बारे में न्याय-निर्णय का दिया जाना भी शामिल है) की जाती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा खनिज भंडार वाले क्षेत्रों का विदोहन

*484. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने खनिज भंडार वाले क्षेत्रों के विदोहन का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने के बारे में राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के विचार पूछे हैं ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकर ने खनिजधारी क्षेत्रों को आरक्षक-मुक्त करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने आरक्षण समाप्त करने के प्रश्न पर राज्य सरकारों की राय मांगी है। उसने आरक्षित क्षेत्रों को छोड़ने के प्रश्न पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भी विचार मांगे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में कमीशन की दरों में असमानता

*485. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के लिए न्यूनतम और अधिकतम कमीशन क्या लिया जाता है ;

(ख) इन प्रभारों में असमानता होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर आने वाली लागत के बारे में किए गए अध्ययन के आधार पर भारतीय स्टैट बैंक ने जून 1985 में अपने सेवा प्रभारों में सशोधन किया था। कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग सेवाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लिए जाने वाली अधिकतम और न्यूनतम प्रभारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

सेवाओं की मदें	प्रभार	
	न्यूनतम (रुपए)	अधिकतम (रुपए)
(1) वसूली की कमीशन :—		
(क) बिल	5	1000
(ख) चैक	3	1000

टिप्पणी :— डाक तार प्रभार और अन्य फुटकर व्यय पूरा वसूल किया जाता है।

(2) विनिमय खरीद :—		
(क) डिमांड ड्राफ्ट खरीद (बिल)	8.50	1000 रुपए और बिल की रकम का 0.35 प्रतिशत
(ख) डिमांड ड्राफ्ट खरीद (चैक)	6.50	1000 रुपए और बिल की रकम का 0.35 प्रतिशत
(3, तार अन्तरण खरीद पर विनिमय और देर/प्रति पूर्ति के लिए अतिदेय		कोई अधिकतम सीमा नहीं। अधिकतम सीमा तार अंतरण की रकम पर निर्भर करेगी।
ब्याज :—		
विनिमय	5 पैसे प्रतिशत	
अतिदेय ब्याज	5 पसे प्रतिशत प्रति दिन	तदैव
(4) प्रेषणाओं का विनिमय		
ड्राफ्ट/डाक/अंतरण तार अंतरण	2	1000
(5) डाक दरें :—		
(क) साधारण डाक	2	वास्तविक
(ख) रजिस्ट्री डाक	5	"
(ग) तार	15	"

टिप्पणी :—डाक तार प्रभार सेवा प्रभारों के, जहां पर वे लागू होते हैं, अलावा होंगे।

1	2	3	4
(6)	लेजर फोलियों प्रभार :—	खाते की न्यूनतम औसत के आधार पर कुछ छूटों के अधीन 20 रुपए प्रति वर्ष प्रति फोलियो ।	
(7)	अन्तर्देशीय गारंटियों पर कमीशन: —		
	(क) 2भ,000 रुपए तक की गारंटिया	25	1/8 प्रतिशत प्रति मास
	(ख) 20,000 रुपए से अधिक	26	1/12 प्रतिशत प्रति मास
(8)	ऋण/अग्रिम प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए कमीशन :—		
	(क) 2 लाख रुपए तक	शून्य	शून्य
	(ख) 2 लाख रुपए से अधिक	50 रुपए प्रति लाख रुपए या उसका भाग	5000

इन प्रभारों के क्रमिक ढांचे का भार छोटे ग्राहकों पर कम पड़ता है । सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों ने भी इन संशोधन सेवा प्रभारों को अपनाने का निर्णय लिया है ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू०बी०ए०बी० ओ०) लिमिटेड कलकत्ता की आधुनिकीकरण योजना के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बेंक से ऋण

*486. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता की आधुनिकीकरण योजनाओं के लिएकुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बेंक द्वारा अत्यधिक विलम्ब किये जाने के कारण राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड के अधीन एककों के आधुनिककरण की योजनाए समय पर कार्यान्वित नहीं की जा सकी हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस अवधि के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बेंक ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) को 121 लाख रुपए रिलीज किए ।

(ख) जी, नहीं ।

राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों और खेतिहर मजदूरों को ऋण

*488. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश दिये हैं कि छोटे और सीमान्त किसानों को खेतिहर मजदूरों को, केवल निजी जमानत देने पर 3000 रुपए, तक की राशि का ऋण स्वीकार किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 में, राज्यवार कितने परिवारों को इस प्रकार ऋण दिये गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जनार्दन पुजारी : (क) जी, नहीं। बैंक 5,000 रुपए तक के कृषि ऋणों और सावधि ऋणों पर फसल के बन्धक या ऋण से निर्मित परिसम्पत्तियों के अलावा किसी प्रकार की सांपार्श्विक जमानत नहीं मांगते।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण नीति की पुनरीक्षा का प्रस्ताव

*488. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1984-85 के दौरान बड़े/उद्योग व्यापार गृहों के लिए जारी किए गए विदेशी मुद्रा अनुमति पत्रों की पुनरीक्षा करने के लिए कार्यकारी दल गठित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन बड़े उद्योग/व्यापार गृहों के लिए समग्र विदेशी मुद्रा नियंत्रण नीति की पुनरीक्षा करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

इस्पात संयंत्रों के लिए कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

*489. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के सहयोग से इस्पात संयंत्रों के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत वाला कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों के सहयोग से भिलाई इस्पात कारखाने में एकीकृत कंप्यूटीकरण पद्धति लागू करने की योजनाएं बना रही है। अन्य इस्पात कारखानों में सीमित क्षेत्रों में भी कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं।

(ख) इस योजना में उत्पादकता, उत्पाद क्वालिटी, कार्य के माहौल, ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने और कच्चे माल तथा ऊर्जा की लागतों में बचत करने के उद्देश्य से भिलाई इस्पात कारखाने में सौपनिक वितरण प्रणाली लागू करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) इस योजना पर पूरी तरह से विचार करने तथा विशेष रूप से इसकी शक्यता तथा धन-राशि की उपलब्धता के संदर्भ में इसका मूल्यांकन करने के पश्चात् ही अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा।

मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड की विदेशी इक्विटी शेयर पूंजी

4853. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट का एपेण्डीक्स "ए" कोर सेक्टर उद्योग के रूप में वर्गीकृत किये जाने का उपयोग मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा केवल विदेशी इक्विटी शेयर पूंजी की 51 प्रतिशत रखने के लिए किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) परिशिष्ट I की मदों को सूचीबद्ध करते हुए औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा फरवरी, 1983 में की गई थी, जिसके अंतर्गत, लाइसेंसिंग के प्रयोजनों के लिए इन क्षेत्रों को विदेशी कम्पनियों तथा बड़े औद्योगिक गृहों के लिए खोल दिया गया था। संश्लिष्ट डेटर्जेन्ट्स की मद को लाइसेंसिंग नीति के परिशिष्ट I में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रशासन के लिए जारी किए गए उन मार्गदर्शी सिद्धांतों से भी पहले दर्ज कर लिया गया था, जिनकी घोषणा दिसम्बर, 1973 में की गई थी। "फेरा" कम्पनियों की विदेशी सामान्य शेयरधारिता के स्तर को, "फेरा" मार्ग निर्देशों में यथाकल्पित आधार पर उन कम्पनियों द्वारा अत्यधिक महत्व के क्षेत्रों (अर्थात् परिशिष्ट I की मदों, विनिर्माण की गतिविधियों जिसमें अत्यन्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता हो तथा अपने निर्यात के कार्यों) में किए गए उनके योगदान को उचित रूप से देखते हुए विनियमित किया जाता है।

(ख) उपचारात्मक उपाय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को यूनियन कार्बाइड गैस कांड के पीड़ित व्यक्तियों से ऋणों के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्र

4854. श्री अजीज कुरेशी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में राष्ट्रीयकृत बैंकों को यूनियन कार्बाइड गैस कांड के पीड़ित व्यक्तियों

से ऐसे कितने ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार ने उनके पुनर्वास हेतु अग्रेषित किए हैं ;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उनमें से कितने लोगों को ऋण मंजूर किया गया है ; और

(ग) इन बैंकों द्वारा शेष व्यक्तियों को ऋण मंजूर न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों को "शहरी गरीबों के लिए विशेष प्रशिक्षण और स्वरोजगार कार्यक्रम" (एस०टी०ई०पी०यू०पी०) के अन्तर्गत भोपाल गैस पीड़तों से सहायता के लिए 3466 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से बैंकों द्वारा 1121 आवेदकों को ऋण मंजूर किए गए थे। बाकी आवेदन पत्र मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से मंजूर नहीं किए जा सके :—

1. मूल्यांकन के लिए हिताधिकारी का न मिलना ;

2. एस०टी०ई०पी०यू०पी० के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा न करना ;

3. आवेदकों का बैंक शाखा के कार्य क्षेत्र से बाहर होना; और

4. कुछ आवेदकों द्वारा जिनकें आवेदन पत्र पहले मंजूर कर लिए गए थे, ऋण लेने से इंकार कर दिया जाना।

[हिन्दी]

स्टेट बैंक की आरा शाखा में गबन

4855. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 सितम्बर, 1985 के हिन्दी दैनिक पाटलिपुत्र में "आरा स्टेट बैंक से लाखों का गबन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न बैंकों में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो 1982 से अब तक प्रकाश में आए हैं ; और

(ग) जांच के बाद क्या तथ्य सामने आए हैं और कितने भ्रष्ठ व्यक्तियों को दण्डित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) सरकार ने यह समाचार देखा है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसकी आरा शाखा में 31.12 लाख रुपए की धोखाधड़ी का पता चला है। यह धोखाधड़ी शाखा के एक क्लर्क श्री

भरत मुनि मिश्र द्वारा समय की गयी जब वह 1976 और 1985 के बीच बचत बैंक काउंटर पर काम कर रहा था। श्री मिश्र द्वारा अपनायी गई कार्य-प्रणाली यह थी कि वह बहुत से ऐसे बचत बैंक खाताधारियों के साथ निकट सम्पर्क बना लेता था जो उस पर विश्वास करते हुए अपनी नगद रकम और पास बुक तथा जमा पर्चियां उसे अपने खातों में जमा करवाने के लिए दे देते थे। भरत मुनि मिश्र वह रकम उड़ा लेता था और उनकी पास बुकों में रकमें अपने ही हस्ताक्षरों से फर्जी तौर पर जमा कर देता था। श्री मिश्र कई खाताधारियों के बचत बैंक खातों से निकासी फार्मों पर उनके जाली हस्ताक्षर करके और कार्यकारी जूनियर मैनेजमेंट आफिसर की हैसियत से वाउचरों को भुगतान के लिए पास करके धोखे से रकमें निकाल लिया करता था और इस प्रकार पैसा गबन कर लेता था। पकड़ाई से बचने के लिए लेजरों में वह नामों की संबद्ध प्रविष्टियां अपने आप ही कर लेता था। जब कभी वे ग्राहक, जिनके खातों से उसने रकम उड़ा ली होती थी, निकासी फार्म प्रस्तुत करते थे तब वह उन्हें या तो अपनी जेब से या किन्हीं अन्य पार्टियों से उधार लेकर भुगतान कर देता था। जब धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त होने के मामले का पता चला तब वह अपनी ड्यूटी से गायब हो गया और स्थानीय पुलिस की कोशिशों के बावजूद अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका। बैंक ने श्री मिश्र को गिरफ्तार करने के लिए 19 सितम्बर, 1985 को प्रथम दृष्टि रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अलबत्ता, बैंक ने श्री मिश्र को मुअत्तल कर दिया है। बैंक ने उस अधिकारी को भी, जो उस समय शाखा का अधिकारी था जब धोखाधड़ी के इस मामले का पता चला था, कर्तव्य की अवहेलना करने और लापरवाही बरतने के कारण जिसके परिणामस्वरूप यह धोखाधड़ी हुई है, मुअत्तल कर दिया है। अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच का काम अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से धोखाधड़ियों की किस्म के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती, लेकिन बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष 1982, 1983, 1984 और 1985 (30 सितम्बर, 1985 तक) में दी गई सूचना के अनुसार चाहे धोखाधड़ी की घटना की तारीख कोई भी हो, भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि (विदेशी मुद्रा को छोड़कर) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	धोखाधड़ियों के मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपयों में)
		(आंकड़े अन्तिम हैं)
1982	2065	19.44
1983	2360	29.62
1984	2410	38.39
1985 (30-9-85 तक)	1623	38.44

[अनुवाद]

रुग्ण कम्पनियों का अधिग्रहण

4856. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक वर्ष अनेक कम्पनियाँ रुग्ण हो जाती हैं और प्रबन्धक अपने उद्योगों को बन्द करने के लिए बाध्य हो जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार अल्प संख्यक शेयर धारकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की कम्पनियों के अधिग्रहण को विनियमित करने हेतु व्यापक कानून बनाने पर विचार कर रही है ;

(ग) सरकार द्वारा आज की तारीख तक कितनी कम्पनियों का अधिग्रहण किया गया है और उनमें से कितनी कम्पनियां फिर से चालू हो गई हैं ;

(घ) ऐसी कितनी कम्पनियां हैं, जिनका सरकार ने अधिग्रहण किया है परन्तु अभी भी बन्द हैं ; और

(ङ) श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए उक्त कम्पनियों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रति वर्ष कुछ एकक रुग्ण हो जाते हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत 1967 से सरकार ने 80 एककों का अधिग्रहण किया है । इनमें से 28 एककों का केन्द्रीय सरकार द्वारा और 19 एककों का राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया है जबकि 4 एकक अनधिसूचित कर दिए गए हैं । 2 एकक भूतपूर्व मालिकों को सौंप दिए गए हैं और 27 एककों का प्रबन्ध अभी भी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जा रहा है ।

जनपथ होटल, नई दिल्ली में गलत बिल बनाने के संबंध में ग्राहकों की शिकायतें

4857. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री रामश्रय प्रसाद सिंह : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ होटल, नई दिल्ली के ग्राहकों/अतिथियों से गलत बिल बनाने के संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रबंधकों को इन शिकायतों के कारण अतिथियों को भारी राशि लौटानी पड़ी है ;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस संबंध में की गई जांच की रिपोर्ट क्या है ; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं। ऐसी तीन शिकायतें 1982-83 में और दो शिकायतें 1983-84 में प्राप्त हुई थी ; 1984-85 में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उगांडा में होटल "कम्पाला इन्टरनेशनल" का नवीनीकरण

4858. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उगांडा अपने सबसे बड़े होटल "कम्पाला इन्टरनेशनल" के नवीनीकरण के लिए भारत से सहायता का अनुरोध कर रहा है ;

(ख) क्या मिल्टन ओबटे की सरकार ने होटल के नवीनीकरण के लिए भारत की ओबराय श्रृंखला के साथ 2.20 करोड़ डालर का सौदा किया था जैसाकि 14 नवम्बर, 1985 के कलकत्ता के बिजनेस स्टैंडर्ड में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम अपनी समस्त विशेषज्ञता और प्रशिक्षित श्रम शक्ति के बावजूद यह काम हासिल करने के लिए आगे क्यों नहीं आ रहा ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) उगांडा के पर्यटन मंत्रालय और भारत की ओबराय होटल श्रृंखला के बीच उगांडा में "कम्पाला इंटरनेशनल" होटल का परिचालन करने के लिए एक समझौता हुआ है बशर्ते उसी होटल का नवीकरण कर लिया जाए। नवीकरण की अनुमानित लागत 22 मिलियन यू० एस० डालर थी और भारतीय पार्टी के अनुसार इस राशि के एक हिस्से की एग्जिम बैंक आफ इण्डिया द्वारा उगांडा सरकार को ऋण के रूप में व्यवस्था की जानी थी। इस परियोजना पर दोनों पार्टियों के बीच विचार-विमर्श अभी जारी है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम को इस बारे में सहायता संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

मैसर्स मैकनन मकेन्जी, बम्बई के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के लम्बित पड़े मामले

4859. श्री तम्पन थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मैकनेन मैकेन्जी, बम्बई के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 49 के साथ पठित धारा 8(3) के अन्तर्गत 1981 से जांच के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है ;

(ख) मामलों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या किसी मामले में न्याय निर्णय की कार्यवाही को वापस ले लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) 1981 से कोई ऐसा मामला लंबित नहीं पड़ा है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) और (घ) 1980 में दर्ज किए गए एक मामले, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 49 के साथ पठित धारा 8(3) के उपबंधों के उल्लंघन में 6,86,976 अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा के कथित दुरुपयोग के लिए मैसर्स मैकनन मैकेन्जी एंड कंपनी लिमिटेड, बम्बई तथा इसके निदेशकों की 1-10-81 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था । कारण बताओ नोटिस के संबंध में न्याय निर्णयन की कार्यवाही पहले ही मार्च 1984 में पूरी कर ली गई है तथा आरोपों को समाप्त कर दिया गया है क्योंकि विदेशी मुद्रा की राशि विधिवत भारत को वापस लौटाई गई पायी गई थी तथा उसका दुरुपयोग नहीं किया गया था जैसाकि कारण बताओं नोटिस में आरोप लगया गया था ।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269(ग) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए अधिग्रहण किए गए, दोषमुक्त किए गए तथा रद्द किए गए मामले

4860. **श्री एन० सौन्दर राजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 (ग) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए हर महीने 200 मामले बिना निपटारे के जमा हो रहे हैं ;

(ख) दिल्ली में पिछले तीन महीनों अर्थात् अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1985 के दौरान धारा 269च (6 और 7) के अन्तर्गत कितने मामले अधिग्रहण किए गए, दोष-मुक्त किए गए और रद्द किए गए ; और

(ग) यदि अभी तक कोई भी मामला नहीं निपटाया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जैसाकि भाग (ख) में दिए गए उत्तर से स्पष्ट होता है कि धारा 269 ग के अन्तर्गत अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1985 के प्रत्येक महीने में शुरू किए गए अधिग्रहण कार्यवाहियों के मामलों की संख्या लगभग 200 है। तथापि, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1985 के प्रत्येक महीने में निपटाए गए मामलों की संख्या क्रमशः 49 मामले, 5 मामले तथा 38 मामले हैं। कुल मिलाकर शुरू की गई कार्यवाहियों की संख्या पूरी की गई कार्यवाहियों की संख्या की अपेक्षा काफी अधिक है।

(ख) सूचना निम्नानुसार है :—

	उन मामलों की संख्या जिनमें धारा 269ग के अन्तर्गत कार्यवाहियों शुरु की गयी	उन मामलों की संख्या जिनमें धारा 269च(6) के अन्तर्गत आदेश पारित किए गए।	उन मामलों की संख्या जिनमें धारा 29 9च (7) के अन्तर्गत अधिग्रहण कार्यवाहियों को छोड़ा गया
अगस्त, 85	188	शून्य	49
सितम्बर, 85	217	शून्य	5
अक्तूबर, 85	234	शून्य	38

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1985-86 में पूरा होने के लिए निर्धारित उत्तर प्रदेश की परियोजनायें/योजनायें

4861. **श्री अख्तर हसन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश मे वर्ष 1985-86 में पूरी होने वाली अनेक परियोजनाओं और विकास योजनाओं की क्रियान्विति में केन्द्रीय सहायता के प्राप्त न होने के कारण बिलम्ब हुआ है क्योंकि इसे समय पर नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) चिन्हित परिव्यय राज्य के अनुमोदित योजनागत परिव्यय का भाग होते हैं। राज्यीय योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का बारहवां भाग प्रत्येक महीने की पहली तारीख को राज्य सरकारों के खातों में जमा कर दिया जाता है और किसी भी महीने में यह सहायता जारी करने में बिलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दवाइयों और रसायनों के आयात पर प्रतिबन्ध

4862. श्री सरफराज अहमद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 सितम्बर, 1985 के जनसत्ता में 'यूरोप में तो माना पर गरीब देशों को सप्लाई' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसी किन-किन दवाइयों और रसायनों का आयात किया जा रहा है ;

(ग) उनका आयात करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का इन दवाइयों और रसायनों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कुछ देशों द्वारा अपने बाजारों से कतिपय औषधियों से हटाये जाने के संबन्धित जानकारी मुख्यत: विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्राप्त की जाती है। ऐसी सभी रिपोर्टों पर सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् सहित चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके विचार किया जाता है और प्रतिबंध/या अन्यथा का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों, लाभ जोखिम पहलुओं, अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रतिस्थापनों और देश में इसके प्रयोग की सीमा को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक कतिपय देशों द्वारा 31 औषधियों के हटाये जाने की सूचना दी है। इन 31 औषधियों में से, 14 औषधियों को भारत में विपणन के लिए अनुमोदित नहीं किया गया है और भारतीय बाजार से 10 औषधियां हटाये जाने की कार्यवाही चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके पहले ही की जा चुकी है।

शेष 7 औषधियों अर्थात् (1) नइ ट्रेफ्यूरन कम्पाउण्ड्स, (2) फेनफर्मिन, (3) हाइड्रोक्सीक्विनोलीन्स डिरइवेटिव्स, (4) हायर डोज लिनेस्ट्रोनोम प्राडक्ट्स, (5) पिपर जीन, (6) फेनिलबूटाजोना आक्सीफेन बूटाजोन तथा (7) एनालिजन के संबंध में यह उल्लेख

किया जाता है कि हांलाकि कुछ देशों में इन औषधियों पर प्रतिबंध है परन्तु अभी भी अनेक विकसित देशों में इनका विपणन किया जा रहा है और ये सभी औषधियों औषधकोशों में शासकीय हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके देश में इन 7 औषधियों के विपणन की अनुमति इस शर्त पर देने का निर्णय लिया गया कि लेबल पराकूल मामलों में पैकेज इन्सर्ट पर सचेतक विवरण तथा प्रति संकेत दिए जाएं।

प्रेस समाचार में निर्दिष्ट औषधि, 'क्लोरमफेनिकोल' एक व्यापक एन्टीबायोटिक है और इस औषधि को टायफाइड बुखार के लिए तरजीह दी जाती है। क्लोरमफेनिकोल का अत्यधिक गंभीर प्रतिकूल प्रभाव अस्थि मज्जा अभाव है। इस औषधि के लिए जाने के परिणामस्वरूप गंभीर तथा घातक रक्त विकार उत्पन्न होते हैं। जहां तक हम जानते हैं अब तक, क्लोरमफेनिकोल केवल जापान में ही हटाई गई है और इसका प्रयोग अनेक विकसित देशों, जिनमें संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन तथा जर्मनी शामिल हैं, में टायफाइड बुखार, पैराटायफाइड बुखार तथा पुरुलेंन्ट मैनिनजाइटस के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

क्लोरमफेनिकोल एक अनुसूचि 'ज' औषधि है और इस औषधि वाली दवाइयां एक पंजीकृत चिकित्सक के नुस्खे के आधार पर ही बेचनी अपेक्षित हैं। यह औषधि, जब ध्यानपूर्वक नैदानिक निर्धारण से पता चलता है कि कोई अन्य एन्टीबायोटिक्स कारगर नहीं है तो केवल टायफाइड बुखार, एच इन्फलुएंजा, मैनिनजाइटिस तथा अन्य गंभीर संक्रमणों के लिए ही बताई जाती है। देश में क्लोरमफेनिकोल दवाइयों के प्रमुख विनिर्माता उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिए लेबल पर तथा स्ट्रिप-पैक पर निम्नलिखित चेतावनी विवरण दे रहे हैं कि इस औषधि के प्रयोग से ब्लड डायस्क्रेसियास उत्पन्न हो सकता है और इसलिए चिकित्सा के दौरान रक्त जांच आवश्यक है :—

"चेतावनी : ब्लड डायस्क्रेसियाए क्लोरमफेनिकोल के प्रयोग से संबद्ध हो सकता है। यह अनिवार्य है कि समुचित रक्त अध्ययन किए जाएं।"

क्लोरमफेनिकोल औषधि को अभी भी पूरे विश्व में टायफाइड बुखार के लिए तरजीह दी जा रही है।

[अनुवाद]

बंगलादेश में निर्वासितों की छूटी सम्पत्ति के लिए प्रतिपूर्ति के विचाराधीन मामले

4863. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वासियों की सम्पत्तियों अर्थात् अब पश्चिम बंगाल में बसे विस्थापित व्यक्तियों की बंगलादेश में छूटी सम्पत्तियों के लिए प्रतिपूर्ति दावों के मामलों के निपटाने में शीघ्रता के लिए कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) 31 अक्तूबर, 1985 तक कितने मामले विचाराधीन पड़े थे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां): (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार अनुग्रहपूर्वक अदायगी के वितरण के काम को बम्बई से कलकत्ता ले आने, जांच करने के पैनलों की संख्या में वृद्धि, पैनल के सदस्यों को पारिश्रमिक की दर में वृद्धि आदि, जैसे लम्बित दावों के निपटारे के लिए समय-समय पर कई कदम उठा रही है।

(घ) 14560.

[हिन्दी]

परिहार्य वस्तुओं का आयात रोकना

4864. **श्री मूल चंद डागा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यातोन्मुख वस्तुओं के उत्पादन के लिए उदार आयात नीति अपनाये जाने के बावजूद वर्ष 1985-86 में व्यापार अन्तर 7000 करोड़ रुपए तक होने की सम्भावना है जबकि पूर्व संशोधित अनुमान 5325 करोड़ रुपए का था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस वर्ष कितने मूल्य का कच्चा माल, मशीनें और खाद्य वस्तुओं का आयात किया गया और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि कई ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाता है जिनकी सामान्यतया देश में आवश्यकता नहीं है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसी परिहार्य वस्तुओं का आयात पर रोक लगाने का है ; और यदि हां तो कब?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए व्यापार घाटा अथवा कुल आयातों का अनुमान इस समय लगाना बहुत कठिन है। तथापि, सरकार वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित 11,736 करोड़ रु० के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

(ग) डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० कलकत्ता द्वारा संकलित अनन्तिम आंकड़ों पर आधारित एक सारणी जिसमें अप्रैल-जून 1985 के दौरान भारत के कुछ प्रमुख आयातों, जिनमें कच्चा माल, मशीनें तथा खाद्य पदार्थ दर्शाये गए है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) सामान्यत: भारतीय आयात नीति में केवल उन मदों के आयात की अनुमति होती है जो कि अनिवार्य निवेश, उत्पादन और अर्थव्यवस्था में खपत को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है।

विवरण

अप्रैल-जून 1985 के दौरान प्रमुख मदों के भारतीय आयात

(मूल्य : करोड़ रु०)

क्रमांक	मद	अप्रैल-जून 1985 (प्रारम्भिक)
1.	अनाज तथा अनाज से बनी चीजें	18.90
2.	लुग्दी तथा रद्दी कागज	48.94
3.	कच्चे उर्वरक	27.47
4.	गंधक तथा फरोस्टिड आयरन पाइराइट्स	35.44
5.	धात्विक अलोह अयस्क तथा धातु स्क्रैप	66.51
6.	पैट्रोलियम, पैट्रोलियम उत्पाद तथा सम्बद्ध उत्पाद	1103.18+
7.	वनस्पति तेल, जमा हुआ (खाद्य तेल)	184.98
8.	कार्बनिक तथा अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ	147.11
9.	विनिर्मित उर्वरक	162.96
10.	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि	36.35
11.	कागज, गत्ता तथा उससे बना सामान	32.99
12.	मोती, मूल्यवान तथा अर्धमूल्यवान रत्न	188.91
13.	लोहा तथा इस्पात	240.91
14.	अलोह धातुएं	85.30
15.	धातु निर्मित माल	43.94
16.	मशीनें तथा परिवहन उपस्कर	750.27
17.	व्यवसाय वैज्ञानिक, नियंत्रक यंत्र, फोटोग्राफिक तथा आप्टिकल वस्तुएं, घड़ियां तथा दीवार घड़ी आदि	85.03
	आयातों का कुल योग (अन्य मदों सहित)	4348.59

टिप्पणी : आंकड़े प्रारम्भिक अंतिम तथा संशोधित किये जा सकते हैं।

+पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर आधारित।

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एस०, कलकत्ता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण पदोन्नति आदि के मामले में सैनिक सेवा को शामिल करना

4865. **श्री रामसंमल पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पुनः नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि के मामले में अभी उनकी सैनिक सेवा शामिल करने के बारे में 1983 में कुछ दिश-निर्देश जारी किए थे ;

(ख) क्या सरकार को अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ से वेतन निर्धारण सम्बन्धी नियमों में कतिपय विषमताओं, पदोन्नति सम्बन्धी दिशानिर्देशों को कार्यान्वित न करने और विभिन्न बैंक प्रबन्धों द्वारा नियमों की पृथक-पृथक व्याख्या के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) क्या कुछ संसद सदस्यों ने भी इस बारे में सरकार को लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) मामले पर विचार किया जा रहा है।

छोड़े गए/रिहा किए गए तस्कर

4866. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने तस्करों को रिहा किया गया है ; और

(ख) सलाहकार बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने तस्करों को नजरबन्दी से मुक्त किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 के दौरान छोड़े गए तस्करों की कुल संख्या निम्नोक्त है :—

वर्ष	छोड़े गए तस्करों की संख्या
1982	319
1983	430
1984	220

(ख) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान सलाहकार बोर्ड के अभिमत के आधार पर नजरबंदी से रिहा किए गए तस्करों तथा विदेशी मुद्रा का धन्धा करनेवाले

व्यक्तियों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	सलाहकार बोर्ड के अभिमत के आधार पर नजरबन्दी से रिहा किए गए तस्करों की संख्या
1982	97
1983	92
1984	133

पूर्वी क्षेत्र में रबड़ और काफी उद्योग

4867. श्री चिंता मणि जेना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र में रबड़ और काफी उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ; और

(ख) इस संबंध में वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और वर्ष 1985-86 में कितनी धनराशि के खर्च किए जाने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) रबड़ तथा काफी बोर्ड रबड़ तथा काफी उद्योगों के विकास के लिए पूर्वी क्षेत्र में स्थित अपने कार्यालयों के जरिए अनुसंधान, विस्तार तथा तकनीकी सहायता दे रहा है। वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 में दोनों बोर्डों द्वारा किए गए और 1985-86 के दौरान किए जाने वाले सम्भावित व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	रबड़ बोर्ड	काफी बोर्ड
1983-84	3·00	12·50
1984-85	25.00	33.74
1985-86	115·00+	37·40+

+अनुमानित

सभी पहाड़ी स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को एक समान पहाड़ प्रतिकर भत्ता

4868. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से मांग की गई है कि सरकार और योजना आयोग (आर्थिक विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता) से पहाड़ी राज्यों और क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त सभी पहाड़ी स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को इस बात को ध्यान में रखे बिना कि वह स्थान औसत समुद्रतल से 1,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है या नहीं समान रूप से पहाड़ प्रतिकर भत्ता दिया जाये क्योंकि पहाड़ी राज्यों के भीतरी भागों में ऊंचाई वाले स्थान 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की तुलना में प्रायः अधिक महंगे होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मांग चौथे वेतन आयोग को भेज दी है अथवा इस पर स्वयं कोई निर्णय किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वास्तविक तारीख क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) विभिन्न पर्वतीय स्थानों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिपूरक भत्ते में वृद्धि करने के लिए प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। चौथा वेतन आयोग पर्वतीय प्रतिपूरक भत्ते सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों के ढांचे और अन्य सेवा शर्तों की पहले ही जांच कर रहा है।

सातवीं योजना में निर्यात बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का पता लगाया जाना

4869. **श्री गुरुदास कामत :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन नये क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्यात बढ़ाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किए गए हैं जो मध्यावधि के दौरान हमारे निर्यातों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। चाय, विशेष तौर से पैकेज एवं मूल्य-वर्धित रूप में अनाज, संसाधित खाद्य पदार्थ, जिनमें फल एवं जूस शामिल हैं, मांस एवं मांस के उत्पाद तथा ताजे फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद, विशेष कर मूल्य-वर्धित रूप में, लौह अयस्क, चमड़ा एवं चमड़े की बनी वस्तुएं, बाद वाली मद पर जोर देते हुए, हस्तशिल्प की वस्तु तथा आभूषण, पूंजीगत माल एवं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, इलैक्ट्रानिक वस्तुएं और कामप्यूटर साफ्टवेयर, मूल रसायन, वस्त्र, थान तथा तैयार वस्त्र, सिले सिलाए परिधान, ऊनी वस्त्र एवं निटवेयर, और परियोजनाएं एवं सेवाएं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों का नवीकरण

4870. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न होटलों के नवीकरण के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं ;

(ख) कितनी अवधि के पश्चात् प्रत्येक होटल का नवीकरण किया जाता है ; और

(ग) क्या होटलों के नवीकरण तथा होटल व्यापार के बीच कोई सम्बन्ध है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों के नवीकरण का प्रमुख मापदण्ड अन्य होटल शृंखलाओं के मुकाबिले सम्पत्तियों को समसामयिक और प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाए रखने की जरूरत है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र क्षेत्र में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर

4871. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र क्षेत्र के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हाल ही में आन्ध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के परामर्श से एक ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) आगामी तीन वर्षों में (क) इस्पात संयंत्र (ख) सहायक उद्योगों और (ग) स्व: रोजगार कार्यक्रमों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की संभावना है ;

(घ) इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ङ) क्या राज्य सरकार इस बारे में कोई जिम्मेदारी वहन करने के लिए सहमत हो गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) यह परियोजना अभी निर्माणाधीन है। भर्ती की दर विशाखापत्तम इस्पात परियोजना को चालू करने की समय-सूची, कार्यों के प्रकार, अपेक्षित अर्हता वाले विस्थापित व्यक्तियों की उपलब्धि आदि पर निर्भर करती है। यह बताना संभव नहीं है कि अगले तीन वर्षों में कितनी संख्या में व्यक्तियों की भर्ती कर ली जाएगी। विस्थापित व्यक्तियों को अनुषंगी उद्योगों में रोजगार के अवसर और स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को

संभावनाएं कारखाने के आसपास औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास की दर से निर्धारित होगी। राज्य सरकार विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर रही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) कानपुर और राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) कलकत्ता के आधुनिकीकरण में लगे ठेकेदारों को बिलों को अदायगी न किया जाना

4872. श्री जी० एस० बसवराजू : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (उत्तर प्रदेश) लिमिटेड, कानपुर और राष्ट्रीय कपड़ा निगम डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ० लिमिटेड, कलकत्ता के अंतर्गत विभिन्न इकाइयों के आधुनिकीकरण से संबंधित काफी संख्या में परियोजनाओं का कार्य विभिन्न ठेकेदारों के बिलों और अन्य संबंध अदायगियों की अदायगी न किए जाने और समय पर अदायगी न होने के कारण रुक गया है ;

(ख) क्या दोनों सहायक निगमों के प्रबंधकों द्वारा समयबद्ध ठेकों अथवा निर्धारित दर ठेकों के लिए भी जिनमें विभिन्न कारणों से विलम्ब हुआ, लागत में वृद्धि के लिए ठेकेदारों के दावों पर विचार नहीं किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान ठेकेदारों में से प्रत्येक के इस्पात के मूल्यों में दी गई सांविधिक वृद्धि सहित लागत वृद्धि दावों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) वर्तमान परियोजनाओं के पूरा होने की प्रक्रिया में तेजी लाने और कार्य करने वाली एजेन्सियों को सहयोग देने आदि के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। कुछ मामलों में विलम्ब है किन्तु वे ठेकेदारों की अदायगी न किए जाने या समय पर अदायगी न किए जाने के कारण नहीं हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान सिविल निर्माण संविदाओं में इस्पात तथा सीमेंट को छोड़ कर, जिनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी एन० टी० सी० की है, कीमतों में कानूनी वृद्धि करने के लिए खण्ड है। जहां तक मशीनरी की सप्लाई के आर्डरों का संबंध है, उनमें वृद्धि का खण्ड नहीं है क्योंकि कीमत को प्रत्येक बजट के बाद सप्लायरों के साथ मिल कर अंतिम रूप दिया जाता है और वह उस साल के लिए वैध रहता है।

(घ) आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन की मानिटरिंग ध्यानपूर्वक की जाती है और जहां कहीं आवश्यक होता है, उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच सहयोग

4873. श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच पिछले द वर्षों के दौरान सहयोग मंजूरियों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और भारत और जर्मन जनवादी गणराज्य में पार्टियों के नामों सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में रायल्टी, तकनीकी, शुल्क और अन्य प्रभारों की अदायगी के सम्बन्ध में मंजूरियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) किसी द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत जर्मन जनवादी गणराज्य की सरकार से कुल कितनी राशि के वित्तीय ऋण प्राप्त हुए ;

(घ) क्या जहाज उद्योग अथवा मोटर गाड़ी उद्योग के लिए कोई धन निर्धारित किया गया है और क्या कोई ऐसा सहयोग मंजूर किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान भारत और जर्मन कंपनियों के बीच विदेशी सहयोग संबंधी अनुमोदनों की संख्या क्रमशः 129 और 135 थी।

(ख) निम्नलिखित तीन वर्षों के दौरान, जिनके संबंध में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध है, जर्मन संघीय गणराज्य को रायल्टी और तकनीकी जानकारी शुल्क के रूप में प्रेषित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपए)

	तकनीकी जानकारी शुल्क	रायल्टी
1980-81	642	172
1982-82	779	107
1982-83	1132	232

(ग) भारत और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच वित्तीय सहयोग शुरू होने के समय से ले कर 1984-85 तक की अवधि तक जर्मन संघीय गणराज्य ने 98088.5 लाख ड्यूश मार्क के वित्तीय ऋणों की व्यवस्था के लिए वचनबद्धता दी है। वर्ष 1984 के लिए 3600 लाख ड्यूश मार्क तक की राशि सरकार से सीधे सरकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में तथा 300 लाख ड्यूश मार्क की राशि तकनीकी सहायता के रूप में दिए जाने की

वचनबद्धता की गई है। वर्ष 198: के लिए भी इतनी ही राशि की वचनबद्धता दी गई है जर्मन संघीय गणराज्य सरकार कलेंडर वर्ष के अनुसार आवंटन करती है।

(घ) और (ङ) पिछले दो वर्षों में, सरकार से सरकार को दी जाने वाली सहायता में से किसी भी क्षेत्र के लिए कोई वित्तव्यवस्था नहीं की गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों/एजेन्टों द्वारा व्यापारियों/उद्योगपतियों को अनधिकृत ऋण दिया जाना

4874. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कुछ ऐसे मामले आए हैं जहां देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ प्रबन्धकों/एजेन्टों द्वारा व्यापारियों/उद्योगपतियों को आनधिकृत ऋण दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए गए हैं ;

(घ) क्या इस प्रकार के अनधिकृत कार्यों से सरकार की ऋण नीति विफल नहीं हो रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि उसके ध्यान में कुछ ऐसे मामले आये हैं, जिनमें कुछ बैंकों में विभिन्न स्तरों पर विवेकाधीन शक्तियों से अधिक राशियों के अग्रिम मंजूर किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को संबोधित दिनांक 7 जून, 1985 के इस विषय पर अपने पत्र में पहले के अनुदेशों को दोहराया है और अन्य बातों के साथ-साथ उन पर यह सुनिश्चित करने के लिए भी जोर दिया है कि विभिन्न स्तरों पर, अधिकारियों को, उन्हें दी गयी शक्तियों से अधिक तदर्थ सुविधाएं मंजूर करने से बचना चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि जब कभी कारोबार की अपेक्षाओं को देखते हुए विवेकाधीन शक्तियों से अधिक ऋण मंजूर किए जाएं तब उसकी सूचना तत्काल नियंत्रक प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए जिससे प्रधान कार्यालय/निदेशक बोर्ड का इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की ओर हर तिमाही ध्यान आकृष्ट हो सके।

[हिन्दी]

पर्यटकों की मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, नन्दगांव और बरसाने की यात्रा

4875. **डा० ए० के० पटेल** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष अनुमानतः कितने पर्यटक भगवान कृष्ण की जन्म भूमि मथुरा और वृन्दावन, गोकुल, नन्दगांव, बरसाने और अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं ;

(ख) इन स्थानों पर पर्यटकों को परिवहन तथा रहने और खाने की अच्छी सुविधाएं देने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा इस पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(घ) व्रज भूमि "परिक्रमा विकास" बृहद योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और निकट भविष्य में लागू होने वाले प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस बारे में आगामी जन्माष्टमी महोत्सव तक क्या लक्ष्य प्राप्त किए जायेंगे ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) देश की यात्रा करने वाले पर्यटकों के आंकड़े केवल प्रवेश-द्वार पर ही एकत्र किए जाते हैं, विदेशी पर्यटक भारत में जिन विविध स्थानों की यात्रा करते हैं उनसे संबंधित आंकड़े इनमें शामिल नहीं होते।

(ख) और (ग) पर्यटक केन्द्रों पर आधार-संरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्राथमिक तौर पर जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और केन्द्रीय सरकार प्राप्त प्रस्तावों को गुणवत्ता के आधार पर संसाधनों की उपलब्धता के मुताबिक सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय विभाग भारतीय यात्री आवास विकास समिति के माध्यम से 13.5 लाख रुपए की कुल अनुमानित लागत पर वृन्दावन में एक यात्रिका के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। रासलील मंच के निर्माण के लिए 1.15 लाख रुपए की धनराशि पहले ही मंजूर की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के माध्यम से व्रजभूमि परिक्रमा विकास के लिए 1.99 लाख रुपए की कुल लागत से एक मास्टर योजना तैयार कराई गई थी। यह मास्टर योजना भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित विभिन्न केन्द्रों को समाहित करती है। इसमें व्रजभूमि के संरक्षण, परिरक्षण और विकास की अभिकल्पना की गई है। पर्यटकों को आवास, आदि जैसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था भी इस स्कीम में शामिल की गई है। मास्टर योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बेरोजगार स्नातकों के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त ऋण आवेदन

4876. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उड़ीसा के प्रत्येक जिले में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार स्नातकों से कितने ऋण प्राप्त हुए ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक की शाखाओं ने वास्तव में कितनी राशि के ऋण वितरित किए; और

(ग) पृथक-पृथक कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए ; कितने आवेदन रद्द किए गए और कितने आवेदन विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना से है जो वर्ष 1983 में आरम्भ की गई थी। उड़ीसा में स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1983-84 में 28,168 आवेदन और वर्ष 1984-85 में 40,510 आवेदन प्राप्त हुए थे। वर्ष 1983-84 के लिए 8,600 आवेदनों के लक्ष्य के मुकाबले बैंकों ने 6823 आवेदन मंजूर किए जिनमें 13.69 करोड़ रुपए की रकम अंतर्ग्रस्त थी। वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित 7,000 आवेदनों के लक्ष्य के मुकाबले, बैंकों ने 17.04 करोड़ रुपए की रकम के 7,599 आवेदन मंजूर किए। उड़ीसा सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, वर्ष 1983-84 में, 31 मार्च, 1984 तक, 2883 आवेदनों के अंतर्गत 3.53 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गयी। वर्ष 1984-85 के दौरान, 31 मार्च 1985 तक, 4,429 आवेदनों के लिए 12.33 करोड़ रुपए की रकम संवितरित की गयी।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कारखानों संयंत्रों और स्टाकयार्डों की भंडार स्थिति

4877. **श्री [illegible] :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के विभिन्न संयंत्रों और स्टाकयार्डों की 1 अप्रैल, 1984, दिसम्बर, 1984 और 31 मार्च, 1985 को भंडार स्थिति क्या थी और उनकी दरें क्या थीं और उनका मूल्य कितना था ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : विभिन्न तारीखों को "सेल" के कारखानों और स्टाकयार्डों के पास इस्पात के स्टाक की स्थिति तथा उसकी औसतन दर तथा मूल्य इस प्रकार हैं :—

तारीख	"सेल" के कारखानों और स्टाकयार्डों में स्टाक (हजार टन)	औसतन दर (रुपए/प्रति टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1-4-1984	830.6	4700	390.38
31-12-84	688.7	5370	369.83
31-3-1985	602.7	5750	346.55

जेरोक्स और फोटोस्टेट मशीनों का आयात

4778. श्री यू० एच० पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कम्पनियों, उद्योगों ने 1 जनवरी, 1982 से 30 नवम्बर, 1985 के दौरान विदेशों से विभिन्न आकार और विभिन्न किस्मों की जेरोक्स तथा फोटोस्टेट मशीनों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों, इन मशीनों के आकार, संख्या व ब्रांड सहित ब्यौरा क्या है तथा किन देशों से इनका आयात किया गया और इन मशीनों का मूल्य क्या है ; और

(ग) उन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जो विभिन्न प्रकार की जेरोक्स, फोटोस्टेट, बिजली की मशीनों का निर्माण करती हैं तथा ऐसी प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितनी मशीनों का निर्माण किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) आयात लाइसेंसों का विवरण, जैसे पार्टियों के नाम तथा पते, लाइसेंसों का सी० आई० एफ० मूल्य, जिन देशों से आयात आदि की अनुमति दी गयी, आयात, निर्यात तथा औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में प्रकाशित किए जाते हैं।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	डी० जी० टी० डी० में पंजीकृत फोटोकापिंग मशीन जेरक्स मशीन बनाने वाले एककों के नाम	उत्पादन, अदद में (1984)
1.	मैसर्स अडवाणी प्रा० लि०, बम्बई	263
2.	मैसर्स मेक्नील एंड मेगर लि०, गाजियाबाद	91
3.	मैसर्स दास रिप्रोग्राफिक्स लि०, कलकत्ता	66
4.	मैसर्स बी० पी० एल०, बम्बई	217
5.	मैसर्स डायनेमेटिक हैड्रालिक्स लि०, बंगलौर	131
6.	मैसर्स बी इलैक्ट्रानिक्स प्रा० लि०	838
7.	मैसर्स जेरोग्राफिक प्रा० लि०, बम्बई	214
8.	मैसर्स नेशनल रेडियो एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लि०, सतपुरा	शून्य
9.	मैसर्स हिन्दुस्तान रिप्रोग्राफिक लि०, देहरादून	597

1	2	3
10.	मैसर्स नेथोडैक्स सिस्टम, नई दिल्ली	253
11.	मैसर्स कोरन बिजनस सिस्टम लि०, बम्बई	319
12.	मैसर्स मोदी जेरोक्स लि०, मेरठ	शून्य
13.	मैसर्स इंडियन जेरोग्राफिक सिस्टम लि०, बम्बई (100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख)	शून्य

लघु क्षेत्र में प्लेन पेपर कापियर्स बनाने वाले एकक

विकास आयुक्त, लघु उद्योग ने प्लेन पेपर कापियर्स बनाने के लिए मैं० गोल्डन कापियर्स, मद्रास तथा मैं० सूरी कापियर्स, नई दिल्ली के क्रमबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का अनुमोदन दिया है ।

उचित कीमतों पर उपभोक्ताओं को कपड़ा उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए कदम

4879. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुनाफे में कमी कर उचित कीमतों पर उपभोक्ताओं को कपड़ा उत्पाद कराने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या यह योजना सभी वर्गों के उपभोक्ताओं पर लागू हैं; और

(ग) ऐसी योजना के उचित कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जून 1985 में सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति में उद्योग में प्रतियोगिता उत्पन्न करके यथोचित कीमतों पर उपभोक्ताओं को इसके उत्पादों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वस्त्र उद्योग की उत्पादकता को सुधारने के लिए अनेक उपायों को करने की व्यवस्था है । इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं : उद्योग का आधुनिकीकरण, क्षमता का विस्तार, रेशा लोचशीलता, वित्तीय श्रेणियों का यौक्तिकीकरण तथा नई विनिमयों और नियंत्रणों का समाप्त करना । ये उपाय अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माता एककों को लाभों की केवल यथोचित मात्रा प्रदान करेंगे । इसके अलावा नेशनल टैक्टाइल कारपोरेशन ने 'सुलभ फैबरिक्स' नाम से शुल्क मुक्त रेशों का प्रयोग करके निम्न कीमत के ब्लेंडिड वस्त्रों के उत्पादन के लिए नया कार्यक्रम भी शुरू किया है । इन उपायों के कार्यान्वयन को नियमित आधार पर सरकार द्वारा मानिटर किया जाता है ।

भारत-सोवियत दल द्वारा कोलार सोना क्षेत्र में यूरेनियम का पता लगाना

4880. **श्री श्रीकांत दत्ता नरसिंह राजा वडियार :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-सोवियत दल ने कोलार सोना क्षेत्र में यूरेनियम की उपलब्धता का संकेत दिया है ;

(ख) क्या दल ने सोना क्षेत्र में उस विशेष क्षेत्र को ढूंढ लिया है जहां पर यूरेनियम निक्षेप है ; और

(ग) कोलार सोना क्षेत्र में यूरेनियम की जल्द खुदायी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु जल-क्रीड़ा का विकास और उन्हें प्रोत्साहन देना

4881. **श्री कुमार सिंह :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त साधन के रूप मे जल-क्रीड़ा का विकास करने और प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चम्बल नदी पर जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बांध और गांधी सागर पर विकसित समृद्ध जल परिसरों को भविष्य में जल-क्रीड़ा के स्थान के रूप में उपयोग करने का है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) : विभाग, पर्यटन के क्षेत्र में जल-क्रीड़ाओं के महत्व को समझता है और राजस्थान में रामगढ़ झील सहित देश के अनेक केन्द्रों पर नौकायन सुविधाएं और जल-क्रीड़ा उपकरण मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, गोआ में एक जल-क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की जा रही है ताकि प्रशिक्षकों और अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

(ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

सोडा-ऐश के मूल्य घटाने के उपाय

4882. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान तकनीकी विकास महानिदेशक के पास कितना सोडा ऐश आयात करने के सम्बन्ध में पंजीकरण किया गया है;

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की है कि आयातकों द्वारा ओपन जनरल लाइसेंसों का दुरुपयोग न किया जाए ;

(ग) सरकार ने इस आशय की शिकायत पर क्या कार्यवाही की है कि ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत भारी आयात की-चोर बाजारी हो रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक लाख टन से भी अधिक सोडा ऐश का आयात किए जाने के बावजूद सोडा के छः निर्माताओं ने मूल्य नहीं घटाए हैं जो उन्होंने अभाव का लाभ उठाकर बढ़ाये थे ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने हेतु कि निर्माताओं को मूल्य घटाने के लिए बाध्य किया जाए, क्या कदम उठाने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 72,390 मे० टन।

(ख) आयात नीति में स्वतः ऐसी व्यवस्था है जिससे सभी आयातकों के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वे ओ० जी० एल० के अंतर्गत किये जाने वाले आयातों के ब्यौरे सरकार को भेजें, जिससे कि वह उन पर नजर रख सके।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि सरकार ने, उन छोटी एककों के लिए जो स्वयं कच्चा माल आयात करने की स्थिति में नहीं हैं, हाजिर माल में से बिक्री के लिए खनिज व धातु व्यापार निगम को 10 000 मे० टन सोडा ऐश आयात करने की अनुमति देने का विनिश्चय किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने स्वदेशी विनिर्माताओं द्वारा सोडा ऐश के वितरण तथा लागत को मोनीटर करने के प्रयोजनार्थ, रसायन मंत्रालय (रसायन विभाग) के अंतर्गत सोडा ऐश संबंधी एक स्थायी समिति गठित की है। विनिर्माताओं द्वारा मंत्रालय को वितरणों का मासवार विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की निविदाओं के न्यूनतम होने के बावजूद गैर-सरकारी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों को निर्माण कार्य का ठेका दिया जाना

4883. **श्री गदाधर साहा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा कुछ निर्माण कार्यों का ठेका हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की निविदाओं के न्यूनतम होने के बावजूद गैर-सरकारी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों को दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है जो इस प्रकार गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों को दिये गये हैं ;

(ग) गैर-सरकारी प्रतिष्ठानों को ये ठेके देने के क्या लाभ हैं और हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और ठेका प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा उद्धृत की गई दरों में क्या अंतर था, तत्सम्बन्धी परियोजनावार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो उक्त निर्माण परियोजनाओं को गैर-सरकारी निर्माण प्रतिष्ठानों को देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (च) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तस्करी के मामले पकड़ने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रोत्साहन

4884. **डा० चिंता मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों को तस्करी के मामले पकड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य कर्मचारियों, जैसे आयकर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सम्पत्ति कर आदि के अन्य कर समाहर्ता कर्मचारियों को भी वैसे ही प्रोत्साहन दिये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रोत्साहनों में सुधार करने का निर्णय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार बिना टिकट यात्रा, गलत बीमा संबंधी दावों आदि जैसे विभिन्न विभागों में नियुक्त सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई समान नीति तैयार करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादन शुल्क कर्मचारियों को लगभग इसी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाते हैं तथा आयकर कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन दिए जाते हैं। चूंकि बिक्री कर तथा सम्पत्ति कर क्रमश: राज्य सरकार तथा म्यूनिसिपल कारपोरेशन का विषय है तथा केन्द्र सरकार का इन करों पर कोई भी अधिकार नहीं है।

(ग) मुखबिरों को तथा तस्करी रोधी कार्य में लगे विभागीय अधिकारियों को पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन मंजूर करने की योजना की सरकार द्वारा मार्च 1985 में समीक्षा की गई थी। तथा मुखबिरों और विभागीय अधिकारियों दोनों को पुरस्कार की पात्रता को पकड़े गए निषिद्ध माल के मूल्य के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत इस व्यवस्था के साथ करने का फैसला किया गया था कि अभिग्रहण के तत्काल बाद पुरस्कार का कुछ भाग मंजूर किया जाए। इसमें सरकार द्वारा अच्छे कार्य प्रोत्साहन देने, तस्करी रोधी उपकरण प्राप्त करने तथा विभागीय अधिकारियों को सुरक्षा के उपाय और सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने के लिए पकड़े गए निषिद्ध माल से उद्भूत होने वाले मूल्य के 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक की राशि से तीन निधियों का सृजन शामिल है। आयकर विभाग ने हाल ही में अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार मंजूर करने के लिए एक योजना लागू की

है। संक्षेप में, यह योजना सरसरी तौर पर संक्षिप्त कर निर्धारणों का अधिकतम निपटान करने, जांच कर निर्धारणों में आय में 50,001 रु० से अधिक की वृद्धि करने जिन्हें अपील में तत्वतः पुष्ट किया जाता है, तलाशी तथा अभिग्रहण का कार्य करने जिसमें कम से कम 10 लाख रुपये की परिसम्पत्तियां अन्तर्ग्रस्त हों, अपीलीय अधिकरण के समक्ष सफल अभिवेदन करने के लिए है। आयकर की वसूली क्षेत्र में भी सरकार ने 1973 में पुरस्कार की योजना आरम्भ की थी जिसका वास्तविक कार्य चालन को देखते हुए पुनः मूल्यांकन किया गया था तथा जनवरी 1982 में एक संशोधित योजना तैयार की गई थी। योजना में सुधार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(घ) रेल विभाग ने टिकटों की जांच करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसकी वित्त मंत्रालय के परामर्श से जांच पड़ताल की जा रही है। बीमा विभाग के कर्मचारियों के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी].

समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की योजना

4885. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने कुछ समाजवादी देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उससे देश को कितना लाभ होने की संभावना है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) पूर्व यूरोप में विभिन्न समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने तथा उसका विविधीकरण करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में, विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं जैसे कि व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, वाणिज्यिक प्रतिनिधिमण्डलों का आदान प्रदान, अन्तः सरकारी संयुक्त आयोग की बैठकों का बुलाया जाना और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए वार्षिक व्यापार संलेखों का संपन्न किया जाना।

(ग) और (घ) सरकार के सोवियत संघ, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, पोलैंड, चैकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया के साथ पृथक करार हैं जिनके अन्तर्गत भारत और इन देशों के बीच सभी वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक सौदों का निपटान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में करने की व्यवस्था है। इस प्रणाली के अन्तर्गत, द्विपक्षीय व्यापार सन्तुलित आधार पर होना है जहां आयात तथा निर्यात एक समयावधि के दौरान सन्तुलित होने की संभावना है।

(ङ) द्विपक्षीय रुपया निपटान से भारत को मुक्त विदेशी मुद्रा का सहारा लिए बिना अनिवार्य कच्चा माल तथा औद्योगिक माल प्राप्त करने और साथ ही परम्परागत तथा गैर-परम्परागत दोनों उत्पादों के निर्यातों के लिए सुनिश्चित बाजार प्राप्त करने में मदद मिली है। इस प्रकार रुपया व्यापार प्रबंधों से भारत को मुक्त विदेशी मुद्रा के संरक्षण तथा निर्यातों के संवर्धन में मदद मिली है।

[अनुवाद]

बैंक सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए/न्यायाधिकरणों न्यायालयों की स्थापना

4886. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों ने, राजकोट तथा गुजरात के अन्य स्थानों में, उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिन्होंने अभी तक अपने ऋण की अदायगी वापिस नहीं की है, अदालतों में मुकदमें दायर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1983 से अक्तूबर, 1985 के बीच उपर्युक्त बैंकों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में इस प्रकार के कितने मामले दायर किए हैं ;

(ग) क्या बैंकों के हक में फैसले होने के बावजूद वकीलों द्वारा विलम्ब करने के हथकंडे अपनाने के कारण यह निर्णय केवल कागजों तक सीमित है और उन्हें लागू करने में काफी विलम्ब होता है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के मामलों को निपटाने में विलम्ब को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा पृथक न्यायालय या न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मांगी गई सूचना को एकत्र करने में जितना समय, श्रम और धन लगेगा, वह प्राप्त होने वाले परिणामों की तुलना में कहीं अधिक होगा।

(घ) से (च) ऐसे मामलों के लिए अलग से अदालतें या अधिकरण स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

काले धन को रोकने के उपाय

4887. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

श्री मुरलीधर माने : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल महासंघ ने काले धन को रोकने के लिए कुछ उपाय का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समय देश में काले धन की मात्रा के बारे में सरकार का क्या अनुमान है और यह व्यापार/उद्योग के किन क्षेत्रों में है ; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल महासंघ के किसी सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) मंत्रालय को काले धन के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल महासंघ से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल कितना काला धन संचलन में है इसका कोई सरकारी अनुमान नहीं लगाया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यौन औषधालयों (सेक्स क्लिनिकों) द्वारा कर अपवंचन

4888. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री सुभाष यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में चलाए जा रहे तथा कथित यौन औषधालयों (सेक्स क्लिनिकों) की जानकारी है, जो अनेक लोगों का शोषण कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्लिनिकों द्वारा किए जा रहे कर अपवंचन की जांच कराने और अन्य कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिल्ली में चलाए जा रहे तथाकथित यौन औषधालयों के सम्बन्ध में प्रेस रिपोर्ट की सरकार को जानकारी है। जब कभी आयकर विभाग के नोटिस में कोई विशेष जानकारी आती है तो प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 1985-86 में चाय के निर्यात का लक्ष्य

4889. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में चाय के निर्यात का लक्ष्य कितना है ;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी ;

(ग) क्या सरकार ने चाय उद्योग में आए संकट के कारणों का कोई अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1985-86 के लिए निर्यात लक्ष्य 220 एम० किग्रा निर्धारित किया गया है। अप्रैल से दिसम्बर, 1985 की अवधि के दौरान जारी निर्यात लाइसेंसों का अनुमान 176.78 एम० किग्रा है। 1985-86 के लिए लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने की आशा है ।

(ग) और (घ) चाय उद्योग में कोई संकट नहीं है। विश्व चाय कीमतों में कमी के बावजूद भारत जनवरी-अक्तूबर, 1985 के दौरान 33.82 रु० प्रति किग्रा के स्तर पर चाय का इकाई वसूली मूल्य बनाए रखने में सक्षम रहा है जबकि 1984 में उसी अवधि के दौरान यह 34.54 रु० प्रति किग्रा था ।

इण्डियन पोटाश लिमिटेड के बम्बई स्थित जोनल कार्यालय की जांच

4890. **श्री एम० महालिंगम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पोटाश लिमिटेड के बम्बई स्थित जोनल कार्यालय में पाई गई कुछ अनियमितताओं के कारण सीमा शुल्क आसूचना अधिकारियों द्वारा छापे मारे गए थे/जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सीमाशुल्क गुप्तचर्या अधिकारियों द्वारा लिमिटेड, बम्बई के परिसरों पर छापे नहीं मारे गए थे। तथापि, जांच-पड़ताल किए जाने के बाद इण्डियन पोटाश लिमिटेड द्वारा म्यूरियेट आफ पोटाश की दिनांक 19 जुलाई, 1980 की अधिसूचना सं० 146-सीमा शुल्क के तहत की गई निःशुल्क निकासी के तथाकथित दुरुपयोग के संबंध में एक मामला जनवरी, 1985 में सीमाशुल्क विभाग, बम्बई ने दर्ज किया था। उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत खाद के रूप में अथवा मिश्रित उर्वरकों के निर्माण के लिए इस्तेमाल हेतु आयातित म्यूरियेट आफ पोटाश को सीमाशुल्क से छूट दी गई है। जांच पड़ताल से यह पता चला है कि इण्डियन पोटाश लिमिटेड द्वारा ऐसे आयातित म्यूरियेट आफ पोटाश की बिक्री उर्वरक से भिन्न इस्तेमाल के लिए की गई है। संबंधित फर्मों और व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायनिर्णयन संबंधी कारंवाई पहले से ही शुरू की जा चुकी है ।

बैंक कर्मचारियों को दिल्ली में फ्लैटों के निर्माण के लिए ऋण

4891: **श्री मनकूराम सोढी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक यूनाइटिड कमर्शियल बैंक, न्यू बैंक आफ इंडिया, ओरियन्टल

बैंक और ग्रिन्डलेज बैंक जैसे विदेशी बैंक अपने कर्मचारियों को दिल्ली में किसी सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, जो कि रजिस्ट्रार और बैंक सोसाइटी के पास पंजीकृत हो के माध्यम से फ्लेटों के निर्माण हेतु ऋण सुविधायें उपलब्ध कराते हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्टेट बैंक आफ इंडिया और स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर के उन कर्मचारियों को, जो सीमित सहायता वाली इन सोसाइटियी के सदस्य नहीं हैं परन्तु उन्होंने समान नियम के अन्तर्गत पजीकृत अन्य सोसाइटियों की सदस्यता प्राप्त कर ली है, इन बैंकों द्वारा ऋए सुविधाएं न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लोगों को भी फ्लेटों के निर्माण के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा साबुन बनाने में बकरे की चर्बी के स्थान पर गौण (माइनर) तेलों का प्रयोग

4892. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साबुन बनाने में बकरे की चर्बी के स्थान पर गौण तेलों का प्रयोग करने के बारे में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के दावे का निर्धारण और जांच की गई है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा साबुन बनाने में चर्बी के स्थान पर प्रयोग किए गए गौण तेलों की वास्तविक मात्रा का पता लागने के लिए निगरानी अणाली है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार के पास हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा 1974 में अब तक खरीदे गए गौण तेलों के वर्ष-वार कोई आंकड़े है ;

(ङ) 1974 से 1984 तक की अवधि के दौरान हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा चर्बी, गोमांस तथा बकरे के मांस की कितनी मात्रा खरीदी अथवा आयात की गई ; और

(च) क्या सम्बन्धित जानकारी और आंकड़ों के अभाव में इस सकम्पनी को सहायक कंपनी का दर्जा प्रदान करने के प्रयोजन के लिए उसके कथन पर विश्वास करना उचित है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ङ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपरम्परागत माइनर आयल्स और टैलो की खपत के संबंध में कम्पनी द्वारा महानिदेशक तकनीकी विकास को प्रस्तुत की गई जानकारी दी गई है।

(ख) और (ग) महा-निदेशक तकनीकी विकास के पास, सूची में दर्ज समस्त एककों से प्रतिवर्ष वार्षिक आयोजन सम्बन्धी आंकड़े पहुंचते हैं। इन आयोजन सम्बन्धी आंकड़ों में विभिन्न प्रकार के आयतित तथा देशी कच्चे माल के उत्पादन, निर्यात और उसकी खपत की मात्रा दी जाती है।

(घ) महा-निदेशक तकनीकी विकास के द्वारा खरीद के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में विदेशी शेयरधारिता की बहुलता के प्रश्न का फैसला संसाधित ट्रिगला-सेराइडस से होने वाले कुल कारोबारी मूल्य के आंकड़ों और साबुनीकरण तथा "लाई" निकर्षण के कारबारी मूल्य के 50 प्रतिशत तक के आंकड़ों के आधार पर किया गया था, जिसे तकनीकी परामर्श के आधार पर अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग की आवश्यकता वाला कार्य मान लिया गया था। यह मूल्य अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कम्पनी के कारोबारी मूल्य के अलावा था।

विवरण

(मैट्रिक टन)

	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
1. अपरम्परागत मझानर आयल्स	40,000	65,710	80,023	62,371	68798	82254	73791	73803	78018	86598	102442
2. उपयोग में लोई गई टैली	9,191	4,519	1,490	15,330	11,052	3693	6306	15420	11221	15290	—
3. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा साबुन का उत्पादन	94135	129748	150606	158640	163771	160312	163726	166246	153144	170430	198301

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्यों को स्थिर रखना

4893. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्यों को स्थिर रखने का मामला अन्य काफी उत्पादक देशों के साथ उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत पहले ही अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार का हस्ताक्षर कर्त्ता है जिसके उद्देश्यों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी की कीमतों में स्थिरता लाना शामिल है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते देने पर खर्च की गई राशि

4894. **श्री के० कुन्जम्बू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ते पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ख) क्या कर्मचारियों ने वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तक अन्तरिम राहत दिए जाने की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान स्वीकृत महंगाई भत्ते पर 140 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक अन्तरिम राहत के लिए कर्मचारियों की मांग को दृष्टि में रखते हुए, वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया गया था ताकि आयोग अगस्त, 1983 में स्वीकृत की गई और 1-6-1983 से प्रभावी ऐसी अन्तरिम राहत को दृष्टि में रखते हुए अन्तरिम प्रकृति की राहतों पर विचार कर सके। चौथे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश की गई अन्तरिम राहत अप्रैल, 1985 में स्वीकृत की गई थी। आगे और किसी अन्तरिम राहत पर विचार करना तथा सरकार से इसकी सिफारिश करना चौथे वेतन आयोग का काम है।

"काफीपोसा कपुल्स ड्रेमेटिक डिपार्चर फार यू० एस० ए०" शीर्षक से समाचार

4895. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1-12-1985 के "क्लेरिटी" में छपी इस खबर की ओर दिलाया गया है जो 46 लाख रुपये से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा की तस्करी में संलग्न अहमदाबाद के एक दम्पति के नाटकीय ढंग से अमेरिका भाग जाने के बारे में है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के पूरे तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त मामले में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि भारत से 46.63 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा के तस्कर-निर्यात के प्रयास के सिलसिले में दिनांक 20-3-1985 को हवाई गुप्तचर्या एकक, बम्बई के अधिकारियों ने सर्वश्री मरुगेश जयकृष्ण, आशुतोष प्रफुल्लचन्द्र नानावती और चन्द्रकान्त शिवभाई अमीन को गिरफ्तार किया था। बाद में इन सभी तीनों व्यक्तियों को दिनांक 9-4-1985 को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबन्द किया गया था। दिनांक 1?-9-1985 को उनके मामले सलाहकार बोर्ड के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हुए और सलाहकार बोर्ड की राय के आधार पर, महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 23-9-86 को श्री मरुगेश जयकृष्ण और श्री आशुतोष प्रफुल्लचन्द्र नानावती के नजरबन्दी आदेश रद्द कर दिए लेकिन श्री चन्द्रकान्त शिवभाई अमीन को नजरबन्दी की पुष्टि की। इस सम्बन्ध में दिनांक 30-9-85 को श्री मरुगेश जयकृष्णा की पत्नी श्रीमती पार० एम० जयकृष्णा को भी गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

दिनांक 14-10-1985 को श्री मरुगेश जयकृष्ण और उनकी पत्नी ने बम्बई स्थित मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने व्यापार संबंधी वायदों को पूरा करने हेतु चार सप्ताह के लिए विदेश जाने के निमित्त न्यायालय की अनुमति लेने के लिए याचिका दायर की। विभाग ने याचिका का विरोध किया। सीमाशुल्क विभाग की आपत्ति के बावजूद भी न्यायालय ने उनके द्वारा 2 लाख रुपये की अतिरिक्त प्रतिभूति के दिए जाने पर उन्हें 28-10-85 को विदेश जाने को अनुमति दे दी थी।

विभाग ने उच्च न्यायालय, बम्बई में, निचली अदालत के निर्णय का विरोध किया। सीमाशुल्क विभाग की आपत्ति के बावजूद भी उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेशों का समर्थन किया और श्री मरुगेश और उनकी पत्नी दिनांक 19-11-85 को विदेश चले गए और 9-12-1985 को भारत वापिस आ गए। उनके वापस लौटने पर दिनांक 10-12-85 को उनके पासपोर्ट न्यायालय को सौंप दिए गए थे।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार विकास

4896. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कमीशनर, श्री चैस ने इस समुदाय देशों के साथ व्यापार विकास के सम्बन्ध में नई दिल्ली का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) जो विचार-विमर्श हुआ वह विशेष रूप से भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार, भारतीय वस्तुओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय में बेहतर प्रवेश, उद्योग के क्षेत्र में सहयोग तथा उद्यमियों में जानकारी के प्रसार के बारे में आपसी हित के मामलों पर समय-समय पर विचारों के द्विपक्षीय आदान-प्रदान का भाग था।

बन्द कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेने का निर्णय

4897. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम या राज्य कपड़ा निगमों ने बन्द कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में न लेने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन मिलों के बन्द होने के परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नई वस्त्र नीति के अनुसार जहां कि एकक की एक उचित समय अवधि में आर्थिक रूप से सक्षम होने की सम्भावना नहीं है, तब कोई विकल्प नहीं है सिवाए इसके कि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए मिल को बन्द करने की अनुमति दे दी जाए। ऐसे रुग्ण एककों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने अथवा राष्ट्रीयकरण करने रुग्णता की समस्याओं के लिए कोई हल नहीं है तथा सरकार नियम के अनुसार ऐसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

रुग्ण एककों के पुनरुत्थान के प्रक्रम में तथा बंद या समापन करते समय श्रमिकों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। अन्य एककों में रोजगार प्राप्त करने के लिए विस्थापित कामगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रिआयती वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। एककों को पूरी तरह या कुछ भाग को चलाने के लिए कामगारों की सहकारी समितियां बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। पुनर्रोजगार प्राप्ति के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण के लिए योजनाएं बनायी जाएंगी।

सिंथेटिक कपड़े और मिश्रित ब्लेन्डिड धागे पर उत्पादन शुल्क में कमी

4898. **श्री शरद दिघे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंथेटिक कपड़े और मिश्रित धागे पर से उत्पादन शुल्क में दिनांक 23 अगस्त, 1985 को अथवा उसके आस-पास की किसी तारीख को घोषित कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक न पहुंचने के बारे में सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार के क्या निष्कर्ष हैं ; और

(ग) यदि शुल्क में कमी को उपभोक्ताओं तक न पहुंचाया जाये तो सब सरकार का इस मामले में किस प्रकार निबटने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) 28 अगस्त, 1985 को घोषित अतिपय सिंथेटिक फाइबर तथा ब्लैंडिड यार्न पर उत्पादन शुल्क में कमी के पश्चात् इन फइबरों तथा ब्लैंडिड के इस्तेमाल होने वाले कपड़ों के मूल्यों में सामान्यतः कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी है । सरकार स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है ।

भिवन्डी में विद्युत करघों का बन्द होना

4899. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के भिवन्डी क्षेत्र में कितने विद्युतकरघे हैं और कितने काम कर रहे हैं ;

(ख) उक्त करघों के बन्द होने के क्या कारण हैं ;

(ग) विद्युतकरघा उद्योग को 'जकात' में कितनी राशि की छूट दी गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस छूट को समाप्त करने का है और इस निराशा के कारण लोग अपने कारखानों को बन्द कर रहे हैं ;

(ङ) विद्युत करघों के कामगारों की दैनिक मजदूरी कितनी है ;

(च) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कामगारों को पूरी मजदूरी की अदायगी सुनिश्चित करने हेतु कोई अनुदेश जारी दिए गए हैं ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भिवंडी में वैध परमिट वाले लगभग 1.12 लाख शक्तिचालित करघे हैं । बुनाई सम्बन्धी क्रियाकलापों के स्तर समय-समय पर बदलते रहते हैं जोकि बाज़ार स्थितियों पर निर्भर होते हैं । हालांकि, बुनाई सम्बन्धी क्रियाकलापों के स्तर में हाल में कुछ कमी आई है, बंद पड़े शक्तिचालित करघों की सही संख्या के बारे में कोई सही अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) धागे पर 1 प्रतिशत की रियायती दर पर चुंगी (जकात) देय है ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार भिवडी में बुनकर के लिए देय न्यूनतम मजदूरी लगभग 1046 रु० प्रति माह है । इस अधिसूचना का बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उक्त मजदूरी का 75 प्रतिशत भाग न्यायालय में इस मसले के लम्बित रहने के दौरान भुगतान करना पड़ेगा ।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंक आफ इंडिया को महात्मा गांधी रोड स्थित रायपुर सिटी शाखा में डकैती

4900. **श्री राज कुमार राय : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर शहर के बीच महात्मा गांधी रोड पर स्थित बैंक आफ इंडिया की शाखा से 16 लाख रुपए लूटे गए थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बैंक की शाखा में न तो सुरक्षा गार्ड था और न ही संकेत घंटी (अलार्म) काम कर रही थी ;

(ग) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने सुरक्षा गार्ड और संकेत घंटी (अलार्म) के रखरखाव के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि बैंक की रायपुर शाखा से दिनांक 26 अक्तूबर, 1985 को 16,56,456 रुपए लूट लिए गए थे।

(ख) से (घ) बैंक ने सूचित किया है कि बैंक की शाखा में सशस्त्र गार्ड नहीं था। बैंक ने आगे यह भी बताया है कि शाखा में एक इलेक्ट्रानिक अलार्म और एक साधारण अलार्म है। यद्यपि साधारण अलार्म ठीक हालत में था, इलैक्ट्रानिक अलार्म अगस्त, 1985 से खराब था और बैंक ने इसकी मरम्मत के लिए सम्बंधित फर्म से कहा था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया बैंक की अन्य शाखाओं में फर्म की "बिक्री के पश्चात् सेवा" की जांच करने के पश्चात् बैंक का भारतीय बैंक संघ को लिखने का पस्ताव है कि रायपुर शाखा में इलेक्ट्रानिक वाली फर्म का नाम काली सूची में रख दिया जाए।

(ग) बैंक ने सूचित किया है कि पुलिस ने इस संबंध में पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 16,32,611 रुपए की राशि वसूल कर ली है।

[अनुवाद]

भारतीय स्पन सिल्क निर्माताओं को सहायता

4901. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन अपने रेशम का भण्डार जमा कर रहा है जिसके कारण भारतीय स्पन-सिल्क निर्माता लाभ की स्थिति में आने में कठिनाई समक्ष रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अग्रिम लाइसेंस और प्रतिपूर्ति लाइसेंस योजनाओं से रेशम उद्योग में संकट पैदा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो चीन द्वारा रेशम का भण्डार जमा करने को रोकने और स्पन-सिल्क निर्माताओं को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उनकी सहायता करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आयात निर्यात नीति की अग्रिम लाइसेंसिंग तथा प्रतिपूर्ति योजनाओं के अन्तर्गत स्पन सिल्क के धागे के आयात की अनुमति केवल निर्यात कार्य के लिए दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके उचित उपयोग के लिए जांच की भी व्यवस्था है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत अनुबंधन प्रणाली की व्यवस्था है ताकि उचित कीमतों पर कच्चा माल (सिल्क वेस्ट) प्राप्त करने में स्पन-सिल्क विनिर्माताओं की मदद की जा सके ।

]हिन्दी]

दीर्घावधि पर्यटन योजना संबंधी मसौदा

4902. **श्री हरीश रावत** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय दीर्घावधि पर्यटन योजना का मसौदा तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक इस मसौदे को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ; और

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से भी इस बारे में परामर्श किया गया है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) योजना आयोग को प्रस्तुत किए गए सातवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दस्तावेज में पांच वर्षों की अवधि के दौरान पर्यटन आधार-संरचना के विकास के बारे में विभाग की नीति और कार्यक्रम की घोषणा की गई है । इस दस्तावेज में लम्बावधि परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा गया है ।

(ग) सातवीं योजना को राज्य सरकारों से परामर्श करके अंतिम रूप दिया गया था ।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के प्रबन्धकों तथा शाखा प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

4903. **श्री मोहनलाल झिकराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण और अन्य वाणिज्यिक बैंकों के प्रबन्धकों और शाखा प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कुछ मामले हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश तथा देश के अन्य भागों के बैंक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि भ्रष्टाचार के मामलों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक में राज्यवार/क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते। जब कभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और अन्य बैंकों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के बारे में कोई खास उदाहरण सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और/अथवा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के ध्यान में आते हैं या लाये जाते हैं तब प्रक्रियात्मक पक्ष में सुधार करने के वास्ते कार्रवाई करने के लिए उनकी तुरन्त जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यक हो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

"फोरन एक्सचेंज रैकेट डिटेक्टिड" शीर्षक का समाचार

4904. **श्री काली प्रसाद पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 6 नवम्बर, 1985 के "ट्रिब्यून" में "फर्जीवाड़े यात्रा और विदेशी मुद्रा घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ट्रैवल एजेंटों द्वारा विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत किए गए घोटाले के मामलों की कोई जांच कराई है ;

(ग) यदि हां, तो उन एजेंटों/संगठनों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है और अब तक कितनी धनराशि के घोटाले का पता चला है ; और

(घ) भविष्य में धोखाधड़ी के इस प्रकार के इन मामलों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समाचार में उल्लिखित मामले की प्रवर्तन निदेशालय (फेरा) द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। मामले में ये आरोप लगाए गए हैं कि कुछ व्यक्तियों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बैंक से कुल मिलाकर 2,74,000 अमेरिकी डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त की है।

इस संबंध में पांच व्यक्तियों नामतः सर्वश्री कुन्दनसिंह, चरणजीतसिंह, प्रेमचन्द, तरसेमसिंह तथा स्वरूपसिंह को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

जांच पड़ताल पूरी होने के पश्चात ही इस मामले में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार यथोचित आगे कार्यवाही की जाएगी। तथा यथा-आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में स्थानान्तरण नीति

4905. **श्री बनवारी लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास बैंक में अधिकारियों के स्थानान्तरण के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के अधिकारियों के संबंध में उक्त नीति का पालन किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुल 10 अधिकारियों में से 7 अधिकारियों को सिंगापुर में क्यों नियुक्त किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि इसने अपने अधिकारियों के स्थानान्तरण को नियमित करने के लिए निश्चित मानदण्ड बनाए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ किसी खास स्थान पर अधिकारी की नियुक्ति की अवधि, विभिन्न केन्द्रों पर रिक्तियों की संख्या आदि का ध्यान रखा जाता है। यह मानदण्ड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों पर लागू होता है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक ने सूचित किया है कि सिंगापुर में उसका कोई कार्यालय नहीं है।

ताड़ का तेल वाले जहाज का लापता हो जाना

4906. **श्री कमल नाथ : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनामा पंजीकृत जहाज, जो भारतीय राज्य व्यापार निगम के लिए ताड़ का तेल आसवित चर्बीयुक्त अम्ल ला रहा था मलेशिया सें भारत के मार्ग में रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में लापता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या भारतीय राज्य व्यापार निगम को इसके परिणामस्वरूप कोई घाटा हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1985 के दौरान "ट्रापिकल-क्वीन नामक जहाज, जिस पर पनामा का झण्डा लगा हुआ था और जो अन्य चीजों के साथ-साथ पाम फैटी एसिड लिस्टीलेट ला रहा था,

निर्दिष्ट मार्ग से हट जाने के समाचार के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट भारतीय बन्दरगाह पर नहीं पहुंचा। इस जहाज को मलेशिया के तीन सप्लाइयरों ने 22-58-5 को पाम फैटी एसिड डिस्ट-लेट के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा की गई आयात संविदाओं के आधार पर काम में लगाया था।

(ग) जी नहीं।

कपास उत्पादकों पर नई वस्त्र नीति का प्रभाव

4907. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में कपास का कुल उत्पादन कितना हुआ है ;

(ख) चालू वर्ष में सूती कपड़े के निर्माण के लिए कपास की कितनी गांठें प्रयोग की गई ;

(ग) नई वस्त्र नीति, जिसमें मानव निर्मित और सिन्थेटिक रेशों पर उत्पादन शुल्क में कमी की गई है ध्यान में रखते हुए कपास उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या सरकार का विचार कपास के बफर भण्डार बनाने अथवा इसके निर्यात में वृद्धि करना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) देश में चालू रुई मौसम के दौराम रुई के उत्पादन का अनुमान नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार लगभग 94 लाख गांठें लगाया गया है।

(ख) चालू वर्ष रुई मौसम अर्थात सितम्बर तथा अक्तूबर 1985 के पहले दो महीनों के दौरान वस्त्र मिलों द्वारा रुई की खपत अनुमानतः लगभग 15 लाख गांठें है।

(ग) नई वस्त्र नीति में यह व्यवस्था है कि वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री के रूप में रुई की प्रमुख भूमिका को कायम रखा जाएगा। मानव-निर्मित तथा संश्लिष्ट रेशों पर प्रभाव उत्पादन शुल्क में कमी से रुई उपजकर्ताओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(घ) देश में रुई की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। हमारी आवश्यक-ताओं के अनुसार वेशी समझे जाने वाली रुई की मात्राओं, किस्मों को निर्यात के लिए रिलीज किया जाता है।

राज्य व्यापार निगम का अखबारों के लिए अखबारी कागज का आयात करने में असफल रहना

4908. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम विदेशी मुद्रा के अभाव में पर्याप्त अखबारी

कागज का आयात करने में असफल रहने के कारण अनेक अखबार वर्ष 1984-85 के लिए आवंटित अखबारी कागज का कोटा राज्य व्यापार निगम से नहीं छुड़ा पाते थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी कौन हैं ;

(ग) पर्याप्त विदेशी मुद्रा जारी न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने ऐसे अखबारों के मामले में क्या कार्यवाही की है जो इस कारण राज्य व्यापार निगम से अखबारी कागज का कोटा नहीं उठा सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) : जी हां। विदेशी मुद्रा स्रोतों पर नियंत्रण के कारण भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा कुछ समाचार पत्रों को उनको आबंटित कोटे के स्तर तक आयातित अखबारी कागज न दिया जा सका। विदेशी मुद्रा वित्त मंत्रालय द्वारा रिलीज की जाती है।

(घ) ऐसे समाचार पत्रों को अखबारी कागज के न दिए गए कोटे का दिया जाना विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम द्वारा त्रिपुरा को दी गई सहायता

4909. **श्री अजय विश्वास** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा त्रिपुरा को वर्ष 1982 से आज तक वित्तीय तकनीकी और अन्य प्रकार की क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है ; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में कुशलता और क्षमता के विकास हेतु भविष्य में इस बारे में क्या कार्यक्रम हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में फुलवाड़ी काटन मिल्स चलाने के लिए केन्द्रीय सहायता

4910. **श्री सी०पी० ठाकुर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने फुलवाड़ी काटन मिल्स को चलाने के लिए किसी प्रकार की सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा एकक को हाथ में लिए जाने की संभावना पर विचार करने के लिए

केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। भारत सरकार का विचार इस एकक को हाथ में लेने का नहीं है।

मध्य प्रदेश में कताई मिलों की स्थापना

4911. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में कुछ कताई मिलें स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन जिलों में ऐसी कितनी कताई मिलें स्थापित की जाएंगी ;

(ग) क्या सरकार ने एक नई कताई मिल स्थापित करने के लिए रायगढ़ जिले को भी चुना है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का आधुनिकीकरण कार्यक्रम

4912. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय निगम के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम की आवश्यकता के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 302 करोड़ रु० की आवश्यकता का अनुमान लगाया था और तदनुसार योजना में व्यवस्था का सुझाव दिया था। योजना आयोग ने सातवीं योजना अवधि के दौरान एन०टी०सी० की श्रमिक योजनाओं के आधुनिकीकरण तथा सव्यवस्थीकरण के लिए अब तक 147 करोड़ रु० के परिव्यय का संकेत दिया है।

केन्द्रीय मंत्रियों के विदेशी दौरे

4913. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जनवरी, 1985 से कितने केन्द्रीय मंत्री विदेशों के दौरे पर गये ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ग) क्या किसी मंत्री ने दो से अधिक बार विदेशों का दौरा किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन मंत्रियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से (घ) सूचना उपलब्ध नहीं है और इसे भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित करना पड़ेगा। यह सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा और उसका जो परिणाम निकलेगा, वह सूचना एकत्रित करने में लगे समय और श्रम के अनुरूप नहीं होगा।

हेरोइन, नशीली दवाओं के व्यापार में लगे तस्कर

4914. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान हेरोइन, नशीली दवाओं, औषध आदि का व्यापार करने वाले कितने तस्कर गिरफ्तार किये गये हैं ?

(ख) उनसे पकड़ी गई नशीली दवाओं का मूल्य क्या है ; और

(ग) नशीली दवाओं की तस्करी रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984 और वर्ष 1985 (30-11-1985 तक) के दौरान हेरोइन, औषध-द्रव्यों आदि का धन्धा करने वाले तस्करों, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, की संख्या निम्नोक्त है :—

(30.11.85 तक)

औषध-द्रव्य का नाम	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	
	1984	1985*
1. हेरोइन	100	137
2. मार्फीन	32	89
3. कोकीन	3	—
4. गांजा	317	177
5. चरस	155	115
6. अफीम	490	472

(*वर्ष 1985 के आंकडे अनन्तिम हैं)

(ख) अभिग्रहीत किए गए औषध-द्रव्यों का ठीक-ठीक मूल्य बता पाना संभव नहीं है क्योंकि इनका गैर-सरकारी बाजार मूल्य, मुख्यतया अभिग्रहण के समय और स्थान, औषध-द्रव्यों की विशुद्धता, स्थानीय मांग और सप्लाई की स्थिति आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है ।

(ग) नारकोटिक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क बने रहते हैं । राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके समुचित तस्करी-निवारण उपाय किए जाते हैं ।

भारत-पाक सीमा के आर-पार नारकोटिक द्रव्यों की तस्करी को रोकने संबंधी मुद्दे पर दिनांक 2 से 4 जुलाई, 1985 तक नई दिल्ली में भारत-पाक संयुक्त आयोगों की हुई दूसरी बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था ।

औषध-द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी घनिष्ठ सहयोग स्थापित किया जाता है ।

एक नये अधिनियम, अर्थात् "नारकोटिक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985" को दिनांक 14 नवम्बर, 1985 से लागू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध-द्रव्यों का गैर कानूनी धन्धा करने सम्बन्धी अपराधों के सिलसिले में कड़े अर्थदंडों दिए जाने की व्यवस्था भी की गई है ।

विकास दर में गिरावट

4915. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी ऋण अदायगी तथा विदेशी मुद्रा घाटे के कारण देश की विकास दर में कमी आने की संभावना है ;

(ख) 1985-86 के लिए अनुमानित व्यापार घाटा कितना है और ब्याज अदायगी सहित आन्तरिक और विदेशी कितने ऋण की अदायगी करनी है ; और

(ग) यदि हां, तो विकास दर में संभावित गिरावट कितनी होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय कुल मिलाकर वर्ष 1985-86 के अनुमानित व्यापार घाटे के आंकड़े देना सम्भव नहीं है । केन्द्रीय सरकार के 1985-86 के बजट के अनुसार अल्प बचतों, भविष्य निधि आदि योजनाओं के अतिरिक्त बाह्य ऋण और आन्तरिक ऋण के कारण ऋण सेवा दायित्व (परिशोधन और ब्याज) 4836 करोड़ रुपए बैठेगा ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना में शामिल कम्पनियों का योजना से अलग होना

4916. श्रीमती किशोरी सिंह :

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उत्पादन योजना में शामिल अनेक कंपनियों ने योजना से अलग होने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार किया जारहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कुछ अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को योजना से अलग करनेके कारण विदेशी मुद्रा की आय में अनुमानित हानि का हिसाब लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की योजना की समीक्षा समय-समय पर की जाती है ताकि योजना के अन्तर्गत कुशल कार्य-संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

4917. श्री चिंता महांता :

श्री अमर रायप्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किसान उनसे मिले और यह शिकायत की कि ऋणों के लिए उनके आवेदन राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य के पास काफी लम्बे समय तक पड़े रहतेहैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने में देरी के बारे में शिकायत करने के लिए हाल ही में, किसान सामूहिक रूप से, वित्त मंत्री से नहीं मिले थे। लेकिन विभिन्न व्यवसायों के लोग जिनमें किसान भी शामिल हैं, वित्त मंत्री को समय-समय पर मिलते रहते हैं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है।

(ग) बैंकों से यह कहा गया है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 20,000 रुपए की ऋण सीमा के सभी आवेदन पत्र एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर और 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदन पत्र 8 से 9 सप्ताहों के अन्दर-अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए।

अदरक के निर्यात में अनुचित प्रक्रियाएं अपनाना

4918. श्री टी० बशीर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोचीन में अदरक के कुछ बड़े निर्यातक अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन आदि को अदरक का निर्यात करते समय कोचीन के अदरक में बाहर के कुछ घटिया किस्म के अदरक को मिलाते हैं ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस अनुचित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोचीन निर्यात बाजार में अदरक के मूल्य में भारी गिरावट आई है और यदि हां, तो मूल्य में कितनी गिरावट आई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार बाजार में उतार-चढ़ाव से अदरक के उत्पादकों को बचाने के लिए इन अनुचित प्रक्रियाओं की जांच करने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) निर्यातकों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुचित प्रक्रियाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) मसाला निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन को कोचीन के एक अदरक निर्यातक द्वारा इसे तथाकथित कदाचार के बारे में एक शिकायत मिली है। परिषद शिकायत की जांच कर रही है। अदरक जैसी वाणिज्यिक कृषि फसल फसल की बाजार कीमतों में चक्रीय उतार चढ़ाव रहता है। अदरक के निर्यात अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत होते हैं जो अनुचित कार्य-पद्धतियों से बचाते हैं।

मलेशिया के व्यापार के शिष्टमंडल का दौरा

4919. श्री पी० एम० सईद : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलेशिया के एक व्यापार शिष्टमंडल ने हाल ही में विभिन्न भारतीय वाणिज्यक और औद्योगिक संगठनों के साथ हुई अपनी बैठकों में कतिपय भारतीय वस्तुएं खरीदने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) उन तैयार और अर्ध-तैयार वस्तुओं के नाम क्या हैं, जिनमें उन्होंने रुचि दिखाई है ;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रक्रिया है ; और

(घ) क्या भारत का मलेशिया से कुछ मदों का आयात भी करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) जिन कुछ मदों में उन्होंने रुचि दिखाई है वे हैं ; लौह अयस्क पैलेट, कोयला, पानी

की सप्लाई की योजना के लिए रसायन, गेहूं, ताजे फल, गाड़ियां, मशीनरी तथा उपस्कर, हैलीकोप्टर के लिए अतिरिक्त पुर्जे, लम्पी अयस्क आदि ।

(ग) भारत सरकार की प्रतिक्रिया सकारात्मक है क्योंकि इससे व्यापार में असंतुलन कम करने में मदद मिलेगी ।

(घ) भारत मलयेशिया से ताड़ के तेल, रवड़, टिन आदि का आयात कर रहा है ।

मुक्त व्यापार क्षेत्र के संबंध में टंडन समिति की रिपोर्ट

4920. **श्री के० एस० राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित टंडन समिथि ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर सरकार का क्या निर्णय है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) टण्डन कमेटी द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक सिफारिश यह थी कि देश के निर्यात प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए देश में अतिरिक्त निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए जाने चाहिए। मद्रास, फाल्टा पश्चिम बंगाल), कोचीन और नोएडा(उत्तर प्रदेश) में 4 नए निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित किए जा रहे हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की विकास समितियों में जन-प्रतिनिधियों को शामिल करना

4921. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त** मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों की विकास समितियों में जन-प्रतिनिधियों को शामिल करने के बारे में 17 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने निदेश जारी किए हैं कि राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर राष्ट्रीयकृत बैंक की विकास समितियों में विधायकों और संसद सदस्यों जैसे जन-प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या इन निदेशों का सभी राज्यों में, विशेषकर राजस्थान में, पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राजस्थान में इन समितियों में जन-प्रतिनिधियों को कब तक शामिल किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वियन में सहायता प्रदान

करने के लिए खण्ड स्तर पर सलाहकार समितियां गठित करने का परामर्श दिया था। यह सुझाव दिया गया था कि स्थानीय विधायकों को भी इन समितियों में शामिल किया जा सकता है। जिला स्तर पर बेहतर समन्वय के लिए यह सुझाव भी दिया गया है कि बैंक ऋणों की सहायता से कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए गैर-सरकारी प्रतिनिधियों वाली जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें वर्ष में दो बार बुलाई जानी चाहिएं। राज्यों को, राज्य स्तरीय समितियों में भी जन-प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने का परामर्श दिया गया था। ये सब सुझाव के रूप में थे न कि कोई निर्देश। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठी की गई सूचना के अनुसार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान की सरकारों ने अलग से खण्ड स्तरीय सलाहकार समितियां गठित न करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उनकी दृष्टि में वर्तमान संस्थागत प्रबन्ध पर्याप्त हैं। राजस्थान सरकार ने मौजूदा खण्ड स्तरीय समन्वय समितियों को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। अब इन समितियों में सम्बद्ध पंचायत समिति के क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक और पंच समिति द्वारा सहयोजित तीन सरपंच भी शामिल होंगे।

भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसर

4922. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या वित्त मंत्री भारतीय आर्थिक सेवा में गत्यारोध के बारे में 15 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 265 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा की गई पुनरीक्षा के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : एक संवर्ग समीक्षा शुरू की गई है। जिसकी जांच विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से की जा रही है और उसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है।

लघु एककों के विकास के लिए ब्याज की रियायती दर वसूल करने के लिए बैंकों को दिशा निर्देश

4923. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न अग्रिमों पर मद-वार बड़े पैमाने के यूनिटों से वसूल की जाने वाली ब्याज की दर की तुलना में लघु एककों से सभी शुल्कों सहित ब्याज की कुल क्या दर वसूल की जाती है;

(ख) लघु एककों के विकास के लिए ब्याज की रियायती दर वसूल किए जाने के संबंध में सरकार द्वारा बैंकों को क्या दिशा निदेश दिए गए हैं;

(ग) क्या बैंकों द्वारा इन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा इन दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों के ब्याज की वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं :—

श्रेणी	(प्रतिवर्ष प्रतिशत) ब्याज की प्रतिशत दर
1. 25,000 रुपये तक के संयुक्त ऋण :	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.00
(ख) अन्य क्षेत्र	12.00
2. अल्पकालिक ऋण की सीमाएं :	
(क) 2 लाख रुपए तक तथा उसके सहित	14.00 से अधिक नहीं
(ख) 2 लाख रुपये से अधिक और 25 लाख रुपये तक	16.50 से अधिक नहीं
(ग) 25 लाख रुपये से अधिक	17.50 से अधिक नहीं
3. कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों की सहायता के लिए राज्य, स्तरीय निगमों को अग्रिम (हिताधिकारियों) को निवेश्य वस्तुओं की खरीद और पूर्ति और/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादन की बिक्री के लिए)	12.50
4. राज्य द्वारा प्रयोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों को ऋण (हिताधिकारियों का निवेश्य वस्तुओं की खरीद और पूर्ति के लिये तथा/अथवा हिताधिकारियों के उत्पादन की बिक्री के लिए)	12.50
सावधि ऋण :—	
लघु उद्योग एकक :	
(i) पिछड़े क्षेत्र	12.50
(ii) अन्य क्षेत्र	13.50

बड़े एककों के लिये वार्षिक वाणिज्यिक ब्याज दर, अल्पकालिक ऋणों के लिये 17.50 प्रतिशत और सावधि ऋणों के लिये 15.00 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं।

(ग) और (घ) सभी वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पालन की आपेक्षा की जाती है।

जर्मन जनवादी गणतंत्र की सहायता से इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

4924. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतंत्र ने वर्तमान इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार के समक्ष कुछ प्रस्तुत किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जर्मन जनवादी गणतंत्र की सहायता से आधुनिक बनाए जाने वाले किन-किन इस्पात संयंत्रों का पता लगा लिया गया है ;

(ग) इस सम्बन्ध में जर्मन जनवादी गणतंत्र से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) भारत-जर्मन जनवादी गणतंत्र संयुक्त आयोग के नई दिल्ली में नवम्बर, 1985 में हुए छठे सत्र में जर्मन जनवादी गणतंत्र की ओर से भिलाई में वायर रोड मिल और दुर्गापुर में स्माल और मीडियम सेक्शन मिलों के आधुनिकी करण मैं सहयोग देने में अपनी अभिरुचि का संकेत दिया गया था, लेकिन "सेल" को कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

परम्परागत वस्तुओं के व्यापार में कमी

4925. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1980 के बाद देश में परम्परागत वस्तुओं के व्यापार में कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, चाय तथा मेट, काजू गिरियां, मसाले, खली, अविनिर्मित तम्बाकू तथा तम्बाकू

कचरा अभ्रक (जिसमें स्पिलिटिंग्ज शामिल, हैं), अभ्रक छीजन, चपड़ा, लाख दाना, गोंद, रेजिन एवं बालसम एवं पटसन उत्पादों जैसी चुनिन्दा परम्परागत वस्तुओं के भारत के निर्यात 1980-81 की अपेक्षा 1984-85 में अधिक हुए। तथापि, भारत के परम्परागत एवं गैर-परम्परागत मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर नीति उपाय किये जा रहे हैं। इनमें उत्पादों को बढ़ाने एवं उनका विविधकरण करने, हमारे निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने, हमारे उत्पादों के लिए नये बाजारों का पता लगाने तथा अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं का संसाधन करने के उपाय शामिल हैं।

भारत आने वाले पर्यटकों हेतु किराए पर दिए जाने वाले वाहनों पर छूट

4926. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आने वाले पर्यटकों के लिए किराये पर दिये जाने वाले वाहनों पर छूट दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन छूटों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हाल ही में दी गई इन छूटों के परिणाम स्वरूप कितने और अधिक वाहन किराये पर भारत लाये जायेंगे ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) देश में आने वाले चार्टर-विमानों के प्रचालन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश, जिनकी घोषणा 1984 में की गई थी, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) हमारे देश मे आने वाली चार्टर-उड़ानों के प्रचालन को प्रोत्साहन देने के लिए चार्टर-विमानों के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देश, उन देशों में जहां से ऐसी उड़ानें की जाती हैं, दौरा परिचालकों और चार्टर-विमानों के प्रवर्तकों को परिचालित कर दिए गए हैं। विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों को चार्टर-विमानों के दिशा-निर्देशों के संबंध में व्यापक प्रचार करने के लिये निर्देश दिये गए हैं। जर्मनी से गोआ तक के लिए साप्ताहिक चार्टर-विमानों की एक श्रृंखला नवम्बर में शुरू हुई है और इसकी मार्च 1986 तक चालू रहने की आशा है। चार्टर-विमानों की संख्या का अभी इतनी जल्दी अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

विवरण

चार्टर विमानों के लिए दिशा-निर्देश

1. **उड़ानों का आरंभ** —चार्टर उड़ानें भारत से बाहर के किसी भी स्थान से आरम्भ होनी चाहिएं।

2. **प्रयोग किए जाने वाले हवाई-अड्डे**—फिलहाल दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता त्रिवेन्द्रम और डेबोलिम (गोआ) हवाई-अड्डे, सामान्यतः चार्टर उड़ानों के लिए प्रवेश और निकास के सिंगल प्वाइंट के रूप में खुले हैं।

3. **स्वदेशी क्षेत्रों पर यात्रा**—चार्टर उड़ानों द्वारा देश के अन्तर्गत यात्रा करने वाले पर्यटक जब भी डोमेस्टिक सेक्टरों पर उड़ान भरेंगे इंडियन एयरलाइन्स के विमान का प्रयोग करेंगे अथवा रेल तथा सड़क परिवहन का प्रयोग करेंगे **केवल भारत के लिए** नियम तथा दक्षिण एशिया के किसी भी पड़ोसी देश को नछूनेवाले चार्टर विमानों के मामले में अपवाद हो सकता है। ऐसे मामलों में चार्टर/विमान एकहवाई अड्डा उतरने के लिए और दूसरा प्रस्थान के लिए, प्रयोग करते हैं तथा उन दो हवाई-अड्डों के बीच चार्टर विमानें द्वारा केवल उन्हीं यात्रियों को ले जाया जा सकेगा जिनका नाम मूल लिस्ट में होगा।

4. **ठहरने की अवधि**—चार्टर विमानो द्वारा भारत आने वाले पर्यटकों को, विदेशी मुद्रा में पूर्व/प्रदत्त (प्रिपेड) पूर्णतः व्यक्त यात्रावृत के साथ, कम से कम 7 दिन ठहरना होता है। ठहरने की अधिकतम अवधि 45 दिन से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि वापसी यात्रा भी उसी चार्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है।

5. **चार्टर विमानों के बारे में सूचना**—चार्टर/विमान परिचालक का नाम उड़ानों का यात्रा वृत्त, यात्रियों की सूची आदि संबंधी सूचना चार्टर/विमान परिचालक/दौरा परिचालक/यात्रा अभिकर्त्ता द्वारा पर्यटन विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि को नियत उड़ान से कम से कम 7 दिन पूर्व भेज देनी चाहिए। यात्री सूची में आगे अधिक से अधिक 10 प्रतिशत तक की फेर-बदल अनुज्ञेय होगी। चार्टर/उड़ान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की अन्तिम सूची कम से कम 24 घंटे पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए।

6. **यात्रियों का प्रतिस्थापन इन्टर-मिक्सिंग**—प्रस्थान/स्थल पर अधिक से अधिक मूल यात्री सूची के 10 प्रतिशत तो तिक के प्रति स्थापन की अनुमति होगी। उसी चार्टर कार्यक्रम के यात्रियों की इंटर/मिक्सिंग के बारे में विचार किया जा सकता है।

7. **चार्टर विमानों का संचालन (हैंडलिंग)**—विमानों के संचालन (हैंडलिंग) का कार्य एयर इंडिया को सौंपा जाना चाहिए ; केवल उसी दशा में जब हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की स्थापना शाखा न हों तो विमानों के संचालन (हैंडलिंग) का कार्य इंडियन एयर लाइन्स द्वारा किया जा सकता है।

8. **व्यवस्थाओं के लिए भुगतान**—यात्रियों द्वारा अपेक्षित सभी व्यवस्थाएं पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा अधिकर्त्ता/दौरा परिचालक के माध्यम से की जाएंगी और उनका भुगतान विदेशी मुद्रा में अग्रिम रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार, विमान से संबंधित व्यवस्थाओं के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाएगा।

9. **प्रामाणिक (बोनाफाइड) प्रतिनिधियों के लिए चार्टर विमान द्वारा यात्रा करने की अनुमति**—चार्टर-विमान परिचालक/भारतीय यात्रा अभिकर्त्ता के यात्रा अभिकर्ताओं/प्रिंसिपल्स के साथ व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने के लिए चार्टर विमान द्वारा अपने प्रामाणिक (बोनाफाइड) प्रतिनिधि भेजने की अनुमति होगी। चार्टर-विमान का संचालन करने वाले व्यवस्थापक भी चार्टर-समूह के साथ यात्रा कर सकते हैं।

10. **कोड न० और उड़ान संबंधी विवरण**—फ्लाइट क्लियररेंस के लिए नागर विमानन के महानिदेशक से अनुमति लेते समय एयरलाइन परिचालक/दौरा परिचालक को नोटम 22/62 के तहत नागर विमानन महानिदेशक द्वारा अपेक्षित उड़ान विवरणी के साथ-साथ महानिदेशक, पर्यटन विभाग, द्वारा उड़ान को दिया गया विशिष्ट कोड न० अवश्य देना चाहिए।

11. **यात्रियों की राष्ट्रिकता**—भारत आने के लिए मंजूरी वाले वैध विदेशी पासपोर्ट-धारी व्यक्तियों को उस समय तक चार्टर सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति होगी जब तक वे अन्य निर्धारित-शर्तों का पालन करते हैं।

अन्य शर्तें

(i) **चार्टर-उड़ानों द्वारा पैकेज की कीमत के बारे में प्रतिबंध**—चार्टर उड़ानों पर स्थल-व्यवस्थाओं सहित 7 दिन के लिए पैकेज की कीमत, यात्राआरंभ के देश और भारत में गंतव्य के बीच, यदि उड़ानें ऐसे देश से आरंभ होती हैं जिसने भ्रमण और दूसरे वायुयान-किरायों के संबंध में भारत के साथ द्विपक्षीय करार किए हुए हैं, मौजूदा भ्रमण-किरायों से कम नहीं होगी।

(ii) चार्टर-उड़ानों को प्रामाणिक (बोनाफाइड) पर्यटकों को ले जाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमल कमने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

12. **भारत से होकर गुजरने वाली पारगमन चार्टर उड़ानें (समाप्त न होने वाली)**

I. **उड़ान के विवरण**:—वैमानिक सूचना परिपत्र 22/62 में निर्धारित समस्त सूचना महानिदेशक, नागर विमानन को भेजी जानी चाहिए ; प्रवेशपत्तन के विमान क्षेत्र-प्रभारी अधिकारी अथवा महानिदेशक नागर विमानन नई दिल्ली को ऐसे विमान द्वारा की जाने वाली उड़ान से, यदि कोई हो, निम्नलिखित विवरणों का उल्लेख करते हुए कम से कम 72 घंटे पहले नोटिस दिया जाना चाहिए :—

(i) वह मार्ग जहां से उड़ान की जाएगी (उड़ान-मार्ग)

(ii) प्रस्तावित उड़ान की तिथि।

(iii) विमानों का प्रकार।

(iv) विमानों की राष्ट्रिकता व पंजीकरण अंक।

(v) विमानों का काल-साइन ।

(vi) ले जाए रहे रेडियो उपकरणों का विवरण ।

(vii) विमान के कमाण्डर का नाम।

(viii) विमान के परिचालक का नाम, पता और राष्ट्रिकता ।

(ix) कर्मीदल और यात्रियों की संख्या, यदि कोई हों, तथा नागर-विमानन के महानिदेशक द्वारा क्लियर किये गए सामान का सामान्य विवरण ।

(x) ऐसी कोई अन्य सूचना जिसकी नागर विमानन महानिदेशक को आवश्यकता पड़ सकती हो ।

II. चार्टर-विमान के बारे में सूचना :—

यह आगामी सूचना भी भेजी जानी अपेक्षित है :—

(i) विमानों का पंजीकरण अंक

(ii) विमान की मालिक चार्टर कंपनी का नाम

(iii) दौरा परिचालक का नाम

(iv) यूरोप, यू० एस० एस० आर० आदि में आरम्भ स्थान से चलकर वापस उसी स्थान पर पहुंचने तक की मार्ग-अनुसूची (रूट शेड्यूल) ।

III. नए यात्रियों को ले जाना :—

कोई नए यात्री नहीं ले जाए जाने चाहिएं ।

पटसन उत्पादकों की पहचान के लिए पटसन कार्ड जारी करना

4927. **श्री देवी घोषाल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम को पटसन उत्पादकों की पहचान के लिए पटसन कार्डों के वितरण का सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है ;

(घ) पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादकों की पहचान करने क लिए इस समय क्या प्रणाली है ; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में पटसन के असली उत्पादकों को पहचान करने में भारतीय पटसन निगम द्वारा किन कठिनाइयों, यदि कोई हैं, का सामना करना पड़ रहा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से परामर्श करके भारतीय पटसन निगम केवल उन उपजकर्ताओं से, जिनके पास राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पटसन कार्ड हैं, अथवा उसके विकल्प स्वरूप जिला

अधिकारियों से परामर्श करके खण्ड विकास अधिकारियों/पंचायतों द्वारा दी गई उपजर्ताओं की सूची के आधार पर कच्चे पटसन की खरीद की प्रणाली को अपना रहा है। कुल मिलाकर उपरोक्त प्रणाली संतोषजनक कार्य कर रही है।

नेपाल में जापानी फर्म के सहयोग से भारत पर्यटक विकास निगम के होटल का निर्माण

4928. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में जापानी फर्म के सहयोग से भारत पर्यटक विकास निगम के किसी होटल का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त उद्यम में अधिकांश शेयर जापानी फर्म के हैं ;

(घ) नेपाल में स्थित की जाने वाली परियोजना के लिये जापान के साथ संयुक्त उद्यम शुरू करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि भारतीय होटल संस्थापना अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से पीछे है ; और

(च) यदि हां, तो होटल प्रबंध के किन-किन क्षेत्रों में हमें प्रबंधकीय ज्ञान उधार लेने की आवश्यकता है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, जुलाई 1985 में भारत पर्यटन विकास निगम ने काठमाण्डु (नेपाल) में मैसर्स होटल जिया इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ, एक होटल के निर्माण के लिए वाणिज्यिक आधार पर तकनीकी परामर्श व प्रबंध सेवाएं प्रदान करने हेतु, एक करार साइन किया था। इस कम्पनी के मुख्य शेयर होल्डर मैसर्ज मित्सुई रियल एस्टेट डेवलपमैंट कम्पनी लिमिटेड, टोकियो हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

]हिन्दी]

महाराष्ट्र सेविंग्स ग्रुप के कार्यकलापों की जांच

4929. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 सितम्बर, 1985 के "नवभारत टाइम्स" नई

दिल्ली में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि महाराष्ट्र सेविंग्स ग्रुप लोगों द्वारा जमा कराए गए धनको वापिस नहीं कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और उसमें धनराशि जमा करने वाले आम लोगों को उनका धन वापिस दिलाने की व्यवस्था की है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस ग्रुप के प्रबन्धक बोर्ड के सदस्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सरकार ने यह समाचार देखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि "महाराष्ट्र सेविंग्स ग्रुप" श्री अशोक थापर की मालिकाना हक वाली कंपनी है जिसका प्रधान कार्यालय बम्बई तथा प्रशासनिक कार्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय तीन-ग के उपबंधों के अनुसरण में, अनिगमित निकायों पर, कुछ निर्दिष्ट संख्या से अधिक जमाराशियां स्वीकार करने पर रोक लगाई गई है। इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों से इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र का निर्माण करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी राज्य सरकारों को आवश्यक तंत्र बनाने के लिए पहले ही कह दिया है।

कुछेक शिकायतें मिलने पर, जिनमें "महाराष्ट्र सेविंग्स" द्वारा जमाराशियों का भुगतान किए जाने का आरोप लगाया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी शिकायतें महाराष्ट्र सरकार को आवश्यक कार्रवाही के लिए भेज दी है।

बिहार में पाए गए सोने के भंडारों से सोना निकालना

4930. **श्री कुंवर राम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हाल ही में पाए गए सोने के भण्डारों से सोना निकालने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने बिहार में स्वर्ण निक्षेपों के खनन का अभी कोई प्रस्ताव नहीं बनाया है, क्या गवेषण कार्य अभी चल रहा है। स्वर्ण का दोहन निक्षेपों की प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

कच्चे पटसन की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रस्ताव

4931. **श्री अनिल बसु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कच्चे पटसन का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) भारतीय पटसन निगम ने कितने प्रतिशत उत्पाद खरीदा ;

(ग) क्या राज्य सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चे पटसन की खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 1980 से अब तक गैर सरकारी पटसन मिल मालिकों को कच्चे पटसन की खरीद के लिए कोई राशि दी गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पटसन/मिस्टा का फसल के आकार का वर्तमान अनुमान 85.90 लाख गांठें है। फसल के आकार के अंतिम अनुमान मौसम के दौरान बाद में ही उपलब्ध होंगे।

(ख) 12-12-1985 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पटसन निगम ने 85.90 लाख गांठों की अनुमानित फसल का लगभग 22.24 प्रतिशत भाग पहले ही खरीद लिया है। आगे खरीदारियां चल रही हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पर्यटन विकास निगम में वित्तीय अनियमितताएं

4932. **श्री एन० वेंकटरमन** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के वर्ष 1976-83 के लेखा परीक्षित लेखाओं से 772.12 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के उन होटलों तथा अन्य परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनमें हानि हुई है तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन हानियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी० एण्ड ए० जी०) द्वारा 1976-83 की अवधि के लिए भारत पर्यटन विकास निगम के लेखों की जांच से संबंधित है। लेखा परीक्षा की टीका-टिप्पणियां प्रारंभिक प्रकृति की हैं। लेखा-परीक्षित खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा

परीक्षक की रिपोर्ट की विषय-वस्तु हैं जिन्हें निगम द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण दिए जा चुके हैं।

एक ही तारीख को प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित किए जाने के बारे में निर्णय

4933. **श्री पी० सेलवेन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो प्रतियोगी परीक्षायें अर्थात् स्टेट बैंक प्रोबेशनरी अधिकारी परीक्षा 1985 और आयकर निरीक्षक परीक्षा 1985 को एक ही तिथि को अर्थात् 22 दिसम्बर, 1985 को आयोजित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इससे देश के शिक्षित बेरोजगार लोगों के हितों को चोट नही पहुंचेगी क्योंकि वे दोनों परीक्षाओं में एक साथ नहीं बैठ सकते ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त दोनों परीक्षाओं के लिए अलग-अलग तारीखें निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) केन्द्रीय भर्ती बोर्ड, बम्बई ने सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के लिए प्रोबेशनरी अधिकारियों की लिखित परीक्षा 22 दिसम्बर, 1985 को लेने का निर्णय कई महीने पहले ले लिया गया था। कर्मचारी चयन आयोग ने सूचित किया है कि उनका सम्बन्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि के लिए निरीक्षकों की परीक्षा से है जो 22-12-1985 को होगी। आयोग ने बताया है कि उनके द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देते समय यह ध्यान रखा जाता है कि परीक्षा की तारीख संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के साथ न टकराए। केन्द्रीय भर्ती बोर्ड और कर्मचारी चयन आयोग, दोनों ने बताया है परीक्षा की तारीख बदलने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि इससे उम्मीदवारों तथा भर्ती अभिकरणों दोनों के लिए और समस्याएं पैदा हो जाएंगी।

शेयरों के आवेदन के साथ और आबंटन किए जाने पर देय धनराशि की वसूली के लिए नई प्रणाली लागू करना

4934. **श्रीमती उषा चौधरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नए शेयरों के लिए आवेदन करने वाले छोटे निवेशकों को धन वापस करने में विलम्ब होता है ;

(ख) क्या जी० एस० पटेल समिति ने शेयर के आवेदन के साथ और आबंटन किए जाने पर देय धनराशि की वसूली के लिए एक नई प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है ; और

(ग) छोटे निवेशकों की सहायता करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कुछ एक कम्पनियों की ओर से धन वापसी के आदेश प्राप्त होने में देरी हो जाने की कुछ शिकायतें निवेशकों से हुई हैं। श्री जी० एस० पटेल की अध्यक्षता में कार्यरत स्टाक एक्सचेंजों सम्बन्धी उच्चाधिकारी प्राप्त समिति ने औद्योगिक प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम की लागत के विषय पर प्रस्तुत अन्तरिम रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम के लिए आवेदन-पत्रों की राशि केवल पेशगी भुगतान माध्यमों के जरिए, जैसे कि ड्राफ्टों, पोस्टल आर्डरों अथवा "प्रतिभूति चैकों" के नाम से जारी किए जाने वाले नए माध्यम के जरिए या फिर नगदी के रूप में ही ली जानी चाहिए। "प्रतिभूति चैक" को पुरःस्थापित करने के प्रश्न पर भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करते हुए विचार किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि फिलहाल मौजूदा प्रणाली को ही कायम रखने में सुविधा होगी।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ सरकार ने यह फैसला भी किया है कि पूंजी की सार्वजनिक पेशकश करने वाली कम्पनियों को, अभिदान सूची के बन्द हो जाने की तारीख के बाद 10 सप्ताह से अधिक की देरी के लिए अवरुद्ध राशि पर आवेदनकर्त्ताओं को 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा जबकि अब तक वे 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देती थीं। स्टाक एक्सचेंजों को इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं।

स्पंज-आयरन निर्माता यूनिटों को लाइसेंस मुक्त करना

4935. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्पंज आयरन निर्माता यूनिटों को लाइसेंस मुक्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो स्पंज-आयरन यूनिटों को लाइसेंस मुक्त करने का उद्देश्य क्या है ;

(ग) क्या स्पंज आयरन निर्माता यूनिटों का लाइसेंस मुक्त करने का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात बनाने के लिए वैकल्पिक कच्चे माल की व्यवस्था करने के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 16 मार्च, 1985 को स्पंज लोहे के उद्योग को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जबसे स्पंज लोहे के उद्योग को लाइसेंस-मुक्त किया गया तब से 30

इकाईयों को पंजीकरण प्रदान किया गया है अतः इस समय यह बताना समय पूर्व होगा कि इनमें से कितनों को कार्यान्वित किया जाएगा ।

"10 दिल्ली ज्वैलर्स लाइसेंसेज सस्पेन्डेड" शीर्षक से समाचार

4936. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के दस अभूषण मालिकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं जैसाकि 7 दिसम्बर, 1985 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अन्य बड़े शहरों में अभूासषण मालिकों द्वारा इसी तरह की अनितमितताओं पक अंकुश लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 की धारा 50 में लाइसेंस अथवा प्रमाण पत्र को रद्द करने अथवा आस्थगन करने की व्यवस्था है यदि स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के उपबधों का उल्लंघन किया जाता है । क्षेत्राधिकारिक अधिकारी उनके द्वारा नोटिस की गई अनियमितताओं पर उपर्युक्त कार्यवाही करते हैं ।

कपड़े धोने के साबुन का निर्यात

4937. **डा० पी० वल्लभ पेरूमान :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से विदेशों को कपड़े धोने के साबुन का निर्यात किय जाता है; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है तथा 1984-85 में प्रत्येक देश को इसकी कितनी मात्रा निर्यात की गई और उसकी प्रति टन कीमत क्या थी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1984-85 के निर्यात आंकड़े वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा अभी तक संकलित नहीं किए गए है ।

1982-83 के दौरान, जो कि अंततम वर्ष है जिसके लिए निर्यात आंकड़े संकलित किए गए हैं, निर्यातित लांडरी सोप के देशावर निर्यात आंकडों, को दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है

विवरण

वर्ष 1982-83 के दौरान विभिन्न देशों को निर्यातित लांडरी सोप की मात्रा तथा मूल्य को दर्शाना वाला एक विवरण

मद	देश	मात्रा/किग्रा०	मूल्य/रु०	लागत प्रति टन रु०
1	2	3	4	5
बार	आस्ट्रेलिया	900	16,500	18333

1	2	3	4	5
फ्लेक्स	बंग्लादेश	19000	22,628	1191
चिप्स पाउडर	पाकिस्तान	43200	3,78,000	8750
टेबलेट केक	कनाडा	1062	7,420	7174
	फिनलैंड	260	2,520	9692
	फ्रांस	576	10,200	17708
	मलेशिया	1500	29,200	19467
	सिंगापुर	2400	47,120	19633
	सं० अरब अमीरात	1152	19,380	16823
	ब्रिटेन	778	14,897	19148
	सं० रा० अमरीका	2700	18,200	6741
हाउस होल्ड	नेपाल	755	10,360	13722
लांडरी सोप,	सं० अरब अमीरात	400	11,100	27750
अन्यत्र उल्लिखित नहीं।	सोवियत रूस	21528	8,17,500	37974

श्रोत : वाणिज्यिक जानकारी यथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्रों के लिए धन का आबंटन

4938. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या इस्पात और खान मंत्री** सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के लिए धन के आवंटन के बारे में 26 जुलाई, 1985 के अतिरिक्त प्रश्न सं० 709 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात क्षेत्र के लिए आबंटनों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किए गए आवंटन का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आवंटित धन, देश के इस्पात संयंत्र के लिए किस सीमा तक पर्याप्त है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) (क) से (ग) : योजना आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड सहित सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों हेतु किए गए धन राशि के आवंटन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	कारखाना	निरन्तर चलने वाली योजनाएं	प्रतिस्थापन तथा नवीकरण	आधुनिकीकरण और नई योजनाएं	बस्ती तथा अन्य कार्यक्रम	कुल
1.	भिलाई इस्पात कारखाना	621.33	100.00	180.00	5.00	906.33
2.	बोकारो इस्पात कारखाना	554.01	55.00	160.00	5.00	774.01
3.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	28.03	190.00	460.00	10.00	688.03
4.	राउरकेला इस्पात कारखाना	166.20	143.00	360.00	5.00	674.20
5.	मिश्र इस्पात कारखाना	66.23	23.00	—	5.00	94.23
6.	सेलम इस्पात कारखाना	10.06	5.00	—	1.00	16.06
7.	इस्को उज्जैन सहित इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	73.14	83.00	52.00	7.00	215.14
8.	विश्वेश्वैश्या आयरन एंड स्टील लि०	1.24	—	50.00	—	51.24
9.	विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना	2500.00	—	—	—	2500.00
10.	नए इस्पात कारखाने	—	—	10.00	—	1000
	जोड़ :	4020.24	599.00	1272.00	38.00	5929.24

संसाधनों की समग्र स्थिति को ध्यान में रखकर धन-राशि का आवंटन किया जाता है। मोटे-तौर पर अधिकांश कारखानों को किए गए धन-राशि के आवंटन पर्याप्त हैं। परन्तु विशाखापत्तनम तथा वर्नपुर में जिस हद तक कार्य किया जा सकता है वह कार्य आबंटित की गई राशि से ही करना होगा। सातवीं योजनावधि में नए इस्पात कारखानों की स्थापना के कार्य में भी कोई प्रगति होने की सम्भावना नहीं है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों के लिए विदेशी बाजारों का पता लगाना

4939. **श्री. रेणु पद दास** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के तकनीकी एवं वाणिज्यिक विशेषज्ञों के एक दल ने उसके नियंत्रणाधीन मिलों द्वारा तैयार की गई विभिन्न मदों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कतिपय पश्चिमी यूरोपीय देशों की यात्रा की थी ; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनकी यात्रा के परिणाम उत्साहवर्धक रहे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एन० टी० सी० (नियंत्रक कम्पनी), नई दिल्ली के दो अधिकारियों के एक दल ने 29 से 31 अक्तूबर, 1985 तक आयोजित 54वें इन्टरस्टाफ मेले में भाग लेने के लिए फ्रैंकफर्ट (पश्चिम जर्मनी) का दौरा किया।

(ख) एन० टी० सी० ने ब्रिटेन से लगभग 1.5 लाख मीटर शीटिंग के लिए पक्की वचनबद्धताएं प्राप्त की हैं। शीटिंग, फलालेन कपड़े, जेब के अस्तर आदि के संबंध में इटली, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन से प्राप्त और पूछताछें चल रही हैं।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

4940. **श्री अमल दत्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी कपड़ा मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है, जिनमें इस समय तालाबन्दी अथवा जो बन्द पड़ी हैं ;

(ख) उनमें तालाबन्दी और उनके बन्द होने के कारण कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ग) इन मिलों को खुलवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 31-10-1985 को विद्यमान स्थिति के अनुसार देश में बंद पड़ी भूतपूर्व सूती वस्त्र मिलों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) इन बन्द मिलों में लगे हुए श्रमिकों की कुल संख्या 1.11 लाख के लग भग थी। थी।

(ग) नई वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग में रुग्णता का सामना करने के लिए व्यापक उपाय दर्शाए गए हैं। इसमें श्रमिक के हितों की सुरक्षा, बनके लिए रियायती वित्त की उपलब्धता तथा श्रमिकों को प्रशिक्षण तथा पुन: प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

विवरण

देश में 31-10-85 को बन्द पड़ी सूती वस्त्र मिलों का राज्यवार पृथक-पृथक ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	21
4.	हरियाणा	2
5.	कर्नाटक	2
6.	महाराष्ट्र	11
7.	उड़ीसा	1
8.	राजस्थान	5
9.	तमिलनाडु	25
10.	उत्तर प्रदेश	5
11.	पश्चिम बंगाल	7
12.	पांडिचेरी	1

पर्यटन और तीर्थ यात्रा के लिए दून घाटी और गढ़वाल की पहाड़ियों का विकास

4941. **श्री दिनेश सिंह :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन और तीर्थयात्रा के लिए दून घाटी और गढ़वाल की पहाड़ियों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकार से प्राप्त निम्नलिखित स्कीमें प्रारंभ की है :—

(i) औली-जोशीमठ में आवास और रेस्तरां सुविधाएं।

(ii) औली-जोशीमठ में हिम क्रीड़ाओं का विकास करने के लिए स्की लिफ्ट।

(iii) ट्रेकिंग उपकरणों की व्यवस्था।

इसके अलावा, भारतीय यात्री आवास विकास समिति, एक पंजीकृत सोसायटी, गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र में तीर्थाटन के कुछ स्थानों पर यात्रिकाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव कर रही है।

कपड़ा मिलों को दी गयी रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं को न मिलना

4942. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 23 अक्तूबर, 1985 के इकोनामिक टाइम्स की खबर के अनुसार कपड़ा उद्योग को अनेक रियायतें देने के बावजूद कपड़े के दाम कम नहीं हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कपड़ा मिलों को जनता के खर्चे पर लाभ पहुंचाया गया है ;

(ग) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि मिलों को दिया गया लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए ; और

(घ) क्या कपड़ा मिलों द्वारा इस तरीके से जोड़े गए अतिरिक्त धन में कपास उत्पादक भी शेयर पाने की उम्मीद कर सकते हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) विगत हाल में वस्त्र मदों की कीमतों में गिरावट का सामान्य रुख रहा है। सरकार स्थिति पर बराबर निगरानी रखे हुए है तथा उपभोक्ताओं सहित समाज के सभी सम्बद्ध वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए समय-समय पर उचित उपाय किए जाते हैं।

पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादकों की प्राथमिकता सूचियां तैयार करने में विलम्ब

4943. **श्री अतीश चन्द्र सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायतों से किसानों की प्राथमिकता सूचियां मिलने में विलम्ब होने के कारण भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन निगम द्वारा की जा रही पटसन की खरीद पर अन्य किन बाधाओं का प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से परामर्श करके भारतीय पटसन निगम केवल उन उपजकर्ताओं से जिनके पास राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पटसन कार्ड हैं, अथवा उसके विकल्पस्वरुपि जिला अधिकारियों से परामर्श करके खण्ड विकास अधिकारियों/पंचायतों द्वारा दी गई उपजकर्ताओं की सूची के

आधार पर कच्चे पटसन की खरीद की प्रणाली को अपना रहा है। कुल मिलाकर उपरोक्त प्रणाली संतोषजनक कार्य कर रही है और भारतीय पटसन निगम ने पश्चिम बंगाल से 11-12-85 तक 13.13 लाख गांठों की खरीद की है जो अब तक की सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में पटसन की भारी खरीद को देखते हुए, भण्डारण की एक समस्या बन गई है। इस समस्या के समाधान के लिए अतिरिक्त भण्डागारों को किराये पर लेने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय पटसन निगम की योजना तब तक कीमत समर्थन कार्य जारी रखने की है जब तक कि उपजकर्ता कानूनी न्यूनतम कीमत पर पटसन बेचते रहें।

बकाया ऋणों को बट्टे खाते डालने की नीति

4944. **श्री विष्णु मोदी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उन छोटे किसानों/उद्योगपतियों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि बट्टे खाते डालने की कोई नीति बनाई है जिन्हें दोषी होने विशेषकर जिन्होंने मौजूद मूलधन की राशि से अधिक राशि के ब्याज का भुगतान किया है, के कारण आगे ऋण प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी नीति के कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक कर्मचारियों द्वारा एक रुपए के नोट की काला बाजारी

4945. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंकों में बैंक कर्मचारियों द्वारा नए करंसी नोटों, विशेषकर एक रुपए के नोटों की व्यापक काला बाजारी किए जाने की जानकारी है ; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस प्रकार का कदाचार रोकने और इस धंधों में लगे लोगों का का पता लगाने के लिए द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सिक्कों और छोटे मूल्य वर्ग के नोटों की कमी है तथा इनके उत्पादन और इनकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ; प्राप्त सूचना के अनुसार बैंक कर्मचारियों द्वारा नोट जारी किए जाने में कोई कालाबाजारी नहीं की जा रही है। कुछ समय पहले, एक खास शाखा प्रबन्धक के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी और उसकी जांच की गई थी। यह शिकायत साबित नहीं हुई ; यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाई की जाए तो ऐसे कदाचार करते हुए पाए जायेंगे।

सोवियत रूप के साथ व्यापार बढ़ाना

4946. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस के गत तीन वर्षों में कितना आयात-निर्यात व्यापार किया गया और चालू वर्ष में कितने आयात-निर्यात व्यापार होने का अनुमान है ;

(ख) रूस को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या रूस के साथ व्यापार बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) गत तीन वर्षों में रूस को किये गये कुल निर्यात और वहां से किये गए आयात नीचे दिये अनुसार हैं :—

(करोड़ रु० में)

	निर्यात	आयात
1982-83	1558	1513
1983-84	1305	1659
1984-85	1635	1740

1985-86 के लिए व्यापार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि दोनों पक्षों द्वारा 1985 में 4620 करोड़ रु० के कुल व्यापार कारोबार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) रूस बने निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर उपाय कर रही है। इन उपायों में शामिल हैं, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शिनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता की बैंठकें करना, वाणिज्यिक एवं व्यापार प्रतिनिधियों का आदान-प्रदान, अन्त :— सरकारी संयुक्त आयोगों के मंच पर आविधक समीक्षाएं करना ।

(ग) और (घ) भारत तथा रूस दोनों ही द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने के लिए और इसे व्यापक बनाने के लिए, और सहयोग के नये तरीकों द्वारा इसकी वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इस दिशा में उत्पादन सहयोग, सेवा क्षेत्रों में यह उत्पादन एव सहयोग के क्षेत्रों को अभिज्ञान करने के लिए दोनों पक्ष बात चीत कर रहे हैं।

पौलियस्टर फिलामेन्ट यार्न से संबंधित मूल्य और टैरिफ

4947. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को पोलियस्टर फिलामेंट यार्न से सम्बन्धित मूल्य और टैरिफ नीतियों में मौजूदा विकृतियों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी मांग में कमी करके मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) अगस्त, 1985 में पालियस्टर स्टेपल फाइबर पर शुल्क में कटौती के पश्चात् सरकार को पालियस्टर फिलामेंट यार्न

पर शुल्क में कटौती के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए । हाल में फिलामेंट यार्न की बाजार कीमतों में गिरावट का रुख रहा है । स्थिति पर सरकार की निरन्तर निगरानी है ।

मानव निर्मित रेशे से बने धागे पर सीमाशुल्क से वसूली गई राशि

4948. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 से 31 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान मानव निर्मित रेशे से बने धागे पर सीमाशुल्क की कुल कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) 31 मार्च, 1985 से 31 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान भारत से कुल कितने मूल्य के कपड़े के सामान का निर्यात किया गया ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पहली अप्रैल, 1985 से 30 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान, मानव-निर्मित फाइबर के यार्न पर वसूल किए गए आयात शुल्क को कुल रकम 78.42 करोड़ रुपए है ।

(ख) टैक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, पहली अप्रैल, 1985 से 30 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान भारत से निर्यात किए गए टैक्सटाइल माल का अनन्तिम मूल्य 770.62 करोड़ रुपए है ।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

4949. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन बढ़ने की कोई संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार गैर-सरकारी एककों को अपना उत्पादन बढ़ाने की स्वीकृति देने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं । वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान "सेल" के ("इस्को" भी शामिल है) सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों का विक्रेय इस्पात का उत्पादन तथा उनकी भावी योजनाओं के बारे में नीचे बताया

गया है :—

	(लाख टन)
1983-84	47.6
1984-85	52.8
1985-86 (योजनागत)	59.6
अप्रैल-नवम्बर, 85 (वास्तविक)	39.4
1986-87 (योजनागत)	70.0

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और यह वृद्धि लगातार होती रहेगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) लघु इस्पात क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लघु इस्पात क्षेत्र तथा पुनर्बेलकों को कच्चे माल तथा बिजली की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए लगातार उपाय किये जाते हैं। इस्पात पिंड/बिलेट आदि के उत्पादन के लिए कई नई इकाइयों को आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस भी दिए गए हैं। कुछेक वर्तमान इकाइयों को अपनी क्षमता में काफी विस्तार करने की भी अनुमति दी गई है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अर्जित ब्याज विभेदक कोष की धनराशि

4950. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक को जर्मन जनवादी गणराज्य से प्राप्त ऋण में से अनुदान के रूप में ब्याज विभेदक कोष की कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ;

(ख) यह अनुदान किस प्रयोजन के लिए है ; और

(ग) परियोजनाओं को अनुदान की धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि दी गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बिकास बैंक ने यह बताया है कि जर्मन सघीय गणराज्य के० एफ० डब्ल्यू० से प्राप्त सहायता से सम्बद्ध ब्याज अन्तरनिधि (इन्ट्रेस्ट डिफ्रेन्शियल फंड) में 30 जून, .985 को 54.90 लाख रुपए की रकम उपलब्ध थी।

(ख) ब्याज अन्तर निधि में उपलब्ध राशि का उपयोग केवल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कार्यरत बैंकों के कमिकों के प्रशिक्षण के वित्त पोषण, होशगांबाद जिले में किसानों के लिए किए जाने वाले ऋण संवर्द्धन उपायों और कृषि ऋण क्षेत्रों के उन अन्य उपायों में आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाता है जो विकास के नीति के पहलुओं से विशेष रूप से संवर्द्धन योग्य हो।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह बताया है कि कमान क्षेत्र के बैंकों के कार्मिकों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए 55,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से इन व्यक्तियों की प्रभावकारिता बढ़ जाएगी।

नार्थ ब्रुक जूट मिल का बन्द होना

4951. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्थ ब्रुक जूट मिल, जिसमें 4000 श्रमिक कार्यरत थे 27 जनवरी, 1982 से बन्द पड़ी हुई है ;

(ख) क्या मालिक ने लगभग 3.80 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वापस नहीं किए हैं और इस कारण मिल का परिसमापन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो मालिक/प्रबन्धकों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ;

(घ) क्या श्रमिकों को उनकी सांविधिक बकाया राशि का भुगतान नहीं हुआ है और कुछ भूख और आत्महत्या के कारण मर गए हैं ;

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से मिल को एन० जे० एम० सी० के० नियंत्रण में लेने और पुनः उत्पादन आरम्भ करने के लिए अनुरोध किया है ; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस मिल के बैंकर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की कुल बैंक देय राशियां 31-3-82 की स्थिति के अनुसार लगभग 252.51 लाख रु० बताई जाती है। बैंक ने पहले ही अपनी राशि की वसूली के लिए मुकदमें दायर कर दिए हैं जो अभी तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लम्बित है। इस बीच 14-2-1982 से मिल का परिसमीपन कर दिया गया है।

(घ) बताया जाता है कि मिल कम्पनी ने सभी सेवा-निवृत श्रमिकों की ग्रेजुटी राशियों का भुगतान कर दिया है लेकिन भविष्य निधि की कुछ राशि बकाया हैं। सरकार को किसी श्रमिक की भुखमरी अथवा आत्महत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी हां।

(च) किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण उपचार नहीं है। सरकार की भूमिका प्रमुख रूप से रुग्ण एककों को पुनः पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं से सहायता एककों की वित्तीय तथा प्रबन्धकीय पुनः संरचना जैसे उपायों को समन्वित करना है।

सेठिया कम्पनी से ऋण की वसूली

4952. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सेठिया कम्पनी से ऋण बकायों की वसूली के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(घ) 30 नवम्बर, 1985 तक कुल कितना बकाया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने यह सूचित किया है कि जहां तक श्री रंजीत सेठिया के "सेठिया घराने" का सम्बन्ध है, उसकी केवल दो कंपनियां अर्थात् मैसर्स ड्रमप्लेस लि० और मैसर्स एस० एल० सेठिया लाइनर्स लि० का बैंक की लंदन शाखा के साथ लेन-देन था । बैंक ने अपनी रकमें वसूलने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(I) खाता मैसर्स ड्रमप्लेस लि०

(i) एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था और बैंक के पक्ष में फैसला दे दिया था । डिक्री के निष्पादन के रूप में, अदालत ने कम्पनी का अनिवार्य रूप से परिसमापन करने का आदेश दिया है ।

(ii) बैंक द्वारा श्री रणजीत सेठिया और बैंक के लंदन कार्यालय के भूतपूर्व (निलम्बित) श्री एन० एम० वलेच्छा के खिलाफ स्काटलैंड यार्ड पुलिस के पास एक अपराधिक शिकायत दर्ज करवाई गई थी और स्काटलैंड यार्ड पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप तैयार कर लिए हैं । दोनों व्यक्तियों को 15 नवम्बर, 1985 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनका बयान दर्ज कर लेने के बाद लंदन पुलिस द्वारा उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है ।

(II) खाता मैसर्स एस० एल० सेठिया लाइनर्स लि०

बैंक द्वारा कम्पनी के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई चल रही है ।

(ग) बैंक ने यह बताया है कि सेठिया घराने से अभी तक कोई रकम वसूल नहीं हुई है ।

(घ) 16.74 लाख अमरीकी डालर (लगभग 2.02 करोड़ रुपए) ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थानों के अशोध्य ऋणों में वृद्धि

4953. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-जून 1985 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थानों के अशोध्य ऋणों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रति वर्ष 31 दिसम्बर के अन्त में अपनी बहियां और खाते बन्द करते हैं। खातों को बन्द करते समय बैंक अपने अग्रिम पोर्टफोलियो की जांच करते हैं और अपने सांविधिक लेखा परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के लिए व्यवस्था करते हैं। बैंक सामान्यतः जून के अन्त में ऐसी व्यवस्था नहीं करते। अतः यह बताना सम्भव नहीं कि जनवरी-जून, 1985 की अवधि में अशोध्य ऋण बढ़ गए हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित तुलन पत्र और लाभ हानि विवरणों के अनुसार बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की जिनके लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों की तसल्ली के मुताबिक व्यवस्था कर ली गई होती है, राशि अथवा ब्यौरा प्रकट न करने की सांविधिक सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों और बैंकों में प्रचलित कानूनों के उपबंधों और बैंकों में प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

सरकारी वित्तीय संस्थानों के अशोध्य ऋणों में वृद्धि के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध एवं संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अधीन अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों की सरकार द्वारा लगातार समीक्षा की जाती रहती है। बैंकों और सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं में अपने-अपने संगठनों के विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग अग्रिमों पर बराबर नजर रखने की एक पद्धति होती है। बैंकों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों पर अशोध्य और संदिग्ध ऋणों पर विशेष नजर रखने और इन ऋणों के बारे में शुरू में ही चेतावनी देने की उचित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि पूरी रकम वसूलने की समय पर सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आर्थिक सक्षमता सुधार करने के लिए कदम

4954. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आर्थिक सक्षमता में सुधार करने का कोई विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों में हुई प्रगति की तुलना में क्या प्रगति हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता सहित उनके कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग के ऊपर सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) छठी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान अखिल भारत स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	मार्च 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार		मार्च 1985		मार्च 1980 के अंत-मार्च 1985 के दौरान वृद्धि	
	पश्चिम बंगाल	अखिल भारत	पश्चिम बंगाल	अखिल भारत	पश्चिम बंगाल	अखिल भारत
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	4	65	9	183	5	118
शाखाओं की संख्या	127	2521	625	11886	498	9365
जमाराशियां						
(I) खातों की संख्या	80094	2867541	708731	13798251	628637	10930710
(II) रकम (करोड़ रुपए में)	6.43	140.27	62.34	981.97	55.91	841.70
बकाया अग्रिम						
(I) खातों की संख्या	24334	1708944	409394	6078900	385060	4369956
(II) रकम (करोड़ रुपए में)	46.2	168.41	60.42	1143.12	54.00	974.71

[हिन्दी]

विदेशी ऋण की अदायगी

4955. श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत क ऊपर विदेशी ऋण का कुल कितना भार है और प्रतिवर्ष किस्त और ब्याज के रूप में कितनी राशि अदा की जाती है ;

(ख) 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान अब तक पृथक-पृथक कितनी राशि अदा की गई ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितने विदेशी ऋण की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के विदेशी ऋण की कुल राशि 24144.78 करोड़ रुपए थी। 1983-84 से 1985-86 तक के वर्षों में ऋण की वापसियों और उन पर ब्याज अदायगियों की राशि इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

	मूलधन	ब्याज
1893-84	556.84	368.65
1984-85	554.54	470.09
1985-86 (बजट अनुमान)	624.73	584.73

(ग) 1985-90 तक की सातवीं आयोजना अवधि में ली जाने वाली निवल सहायता और अन्य विदेशी ऋणों की राशि 1984-85 के मूल्यों के आधार पर 20,900 करोड़ रुपए आंकी गई है।

[अनुवाद]

फ्रांस के साथ द्विपक्षीय ऋण समझौता

4956. डा० वी० वेंकटेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन द्विपक्षीय ऋण व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है जो अभी भी भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच विद्यमान है ;

(ख) क्या फ्रांस सरकार द्वारा दिए गए ऋण की राशि का बहुत बड़ा भाग अप्रयुक्त रह रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने उक्त ऋण से कुछ राशि वैज्ञानिक उपकरणों, इलेक्ट्रानिक सामान, पोतों, आटोमोबाइल, कलपुर्जों जैसे विभिन्न मदों को प्राप्त करने और दूसरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर लगाने के लिए निर्धारित अथवा आबंटित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार को कुल कितना ऋण मिला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विद्यमान द्विपक्षीय ऋण व्यवस्थाओं के अधीन फ्रांस, भारत को मुख्यतः विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आबद्ध प्रोतोकोल ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है। ये ऋण दो समान भागों में होते हैं, एक भाग फ्रांसीसी राजकोष से तथा दूसरा भाग फ्रांस के बैंकों के समूह से होता है। राजकोष ऋण 28 वर्ष की अवधि के लिए होता है जिसमें दस वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल होती है और उस पर 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगता है। बैंक ऋण 10 वर्ष की अवधि के लिए होता है। इस पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के देशों (ओ०ई०सी०डी०) की सर्वसम्पति से निर्धारित दर के हिसाब से ब्याज लगता है जो इस समय 9.85 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

(ख) भारतीय आयातकर्ताओं तथा फ्रांसीसी निर्यातकर्ताओं के बीच सम्पन्न हुए तथा ऋण करार के अन्तर्गत फ्रांसीसी प्राधिकारियों को अधिसूचित किए गए, ठेकों की शर्तों के अनुसार 980-85 के दौरान फ्रांस द्वारा दिए गए 465.5 करोड़ फ्रांसीसी फ्रांक के ऋण में से अब तक 39392 लाख फ्रांसीसी फ्रांक अर्थात् 84.62 प्रतिशत ऋण का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) से (ङ) बाकी 7158 लाख फ्रांसीसी फ्रांक की रकम आपसी सहमति से निर्धारित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है। अब आपकी सहमति से निर्धारित जिन परियोजनाओं के लिए इन ऋण का उपयोग किया जा सकता है, वे हैं; पालघाट डी०डी०ए० एक्स परियोजना, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के अधीन शार्ट सर्किट टैस्टिंग लबोरेटरी, अनेक विकसीम कोयला युक्त खनन परियोजनाएं तथा पी० ए० बी० एक्स विनिर्माण संयंत्र इत्यादि। जहाजों अथवा आटोमोबाइल पुर्जों के लिए फ्रांसीसी ऋण में से धन का कोई आवंटन उपलब्ध नहीं है।

इस्पात पर पुस्तक लिखने वाले हिन्दी लेखकों तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के तो खकको पुरस्कार

4957. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस्पात और अन्य सम्बन्धित विषयों पर मूल रूप से हिन्दी पुस्तक लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार देने की योजना आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का विषय क्या है ;

(ग) क्या सरकार उड़िया तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसी प्रकार की पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को भी पुरस्कार देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ;

(घ) यदि हां, तो क्या तदनुसार योजना तैयार करने के लिए आवश्यक निदेश जारी करने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना का उद्देश्य इस्पात और खान मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले, इस तथा अन्य विषयों पर हिन्दी में मानक मूल पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इस योजना का उद्देश्य लेखकों को केवल हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। फिलहाल उड़िया तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में इसी प्रकार की पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयात-निर्यात पास बुक योजना

4958. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात-निर्यात पास बुक योजना शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब शुरू की जाएगी ; और

(ग) ऐसी योजना शुरू करने का प्रयोजन क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) योजना के 1 जनवरी, 1984 से लागू किए जाने की सम्भावना है।

(ग) यह योजना निर्यात उत्पादन के लिए आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों के लिए शुल्क मुक्त पहुच की व्ययस्था करने की दृष्टि से नियमित विनिर्माता-निर्यातकों के लिए आरम्भ की जा रही हैं। इस योजना का क्षेत्र वर्तमान अग्रिम लाइसेंसिंग योजना से अधिक व्यापक है और इससे पंजीकृत विनिर्माता-निर्यातकों को अपने उत्पादन/निर्यात कार्यक्रम के मुताबिक आयातित कच्चे माल आदि की अपनी आवश्यकताओं को शुल्क मुक्त प्राप्त करने में मदद मिलेगी तथा इससे प्रक्रिया संबंधी विलम्बों को दूर करके आयात लाइसेंसों को जारी करने की प्रणाली सरल बनेगी। इस प्रकार की पास बुक जारी करने से, जिसमें शुल्क मुक्त आयात लाइसेंस भी शामिल होगा, ऐसे लाइसेंसों के लिए बार-बार आवेदन देने की आवश्यकता भी समाप्त होगी।

उड़ीसा में अट्री और तप्तपानी गर्म झरनों का विकास

4959. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने गर्म पानी के झरने है ;

(ख) ये गर्म पानी के झरने किन-किन राज्यों में स्थित हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा में अनेक गर्म पानी के झरने हैं ;

(घ) क्या समस्त देश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा के अट्रो और तप्त-पानी के गर्म पानी के झरनों का विकास करने की आवश्यकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) देश में बड़ी संख्या में गर्मपानी के चश्में हैं और ये असम, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और बंगाल में हैं।

(ग) से (ङ) उड़ीसा में अट्री और तप्तपानी चश्मों के अलावा कुछ और भी गर्म पानी के चश्में हैं। विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र, राज्य, और प्राइवेट सैक्टर के मिले-जुले संसाधनों को एकीकृत करते हुए अवस्थाबद्ध विकास के लिए उड़ीसा में 20 केन्द्रों को अभि-निर्धारित किया है जिसमें एक केन्द्र तप्तपानी है।

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना मंडी जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के नये शाखा कार्यालय खोलना

4960. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) पंजाब नेशनल बैंक ; (दो) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ; (तीन) स्टेट बैंक आफ इंडिया ; (चार) पंजाब एण्ड सिंध बैंक ; (पांच) बैंक आफ इंडिया ; (छह) न्यू बैंक आफ इंडिया और (सात) स्टेट बैंक आफ पटियाला ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी जिलों में 30 सितम्बर, 1985 तक अपनी नई शाखाएं खोलने के कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक द्वारा शाखाएं खोलने के संबंध में पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में लाइसेंस की मंजूरी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1-4-85 से 30-9-85 तक की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को हिमाचल प्रदेश में नए शाखा

कार्यालय खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

बैंक का नाम	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
पंजाब नेशनल बैंक	हमीरपुर	नाल्टी
-तदेव-	-तदेव-	बत्रन
-तदेव-	कांगड़ा	कठोग
स्टेट बैंक आफ पटियाला	मंडी	मंडी
भारतीय स्टेट बैंक	-तदेव-	नौर चौक

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 1-4-85 से 31-3-90 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति को अभी अंतिम रूप दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों और अग्रणी बैंकों से नीति के अंतर्गत बैंक कार्यालय खोलने के लिए उचित केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा है। इस नीति के अनुसार पता लगाए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर शाखा कार्यालय खोलने के आवेदन पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम को कुल घाटा

4961. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1985 तक कुल कितना घाटा हुआ है ; और

(ग) निगम को मुनाफे में चलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) 31-3-1985 तक संचित हानि 113.89 करोड़ रु० की है। (जिससे सरकारी ऋणों पर 20.73 करोड़ रु० का ब्याज शामिल है)।

(ग) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के कार्यनिष्पादन की बराबर समीक्षा की जाती रहती है। सरकार ने राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम एन० जे०एम०सी० की हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए है :—

(i) एन०जे० एम०सी० मिलों (आर० बी० एल० एम० एकक को छोड़कर) की क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए 28.34 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की आधुनिकीकरण/नवीकरण योजना आरम्भ की गई है।

(ii) एन० जे० एम० सी के आर० बी० एच० एम० एकक के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के उपाए किए गए हैं।

शेयरधारियों के लिए एक सुरक्षा कोष स्थापित करने का प्रस्ताव

4962. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा की गई गलतियों से प्रभावित होने वाले शेयरधारियों के लिए सुरक्षा कोष स्थापित करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) देश में मुख्य स्टाक एक्सचेंज की, विशेषरूप से प्रस्तावित कोष में उनके योगदान करने के प्रति, क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) इस समय यह मामला किस स्तर पर है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) किसी स्टाक एक्सचेंज के भुगतान में चूक करने वाले सदस्य से संबंधित ग्राहकों क निवेश के वैध दावों की देखभाल के लिए, स्टाक एक्सचेंजों द्वारा ग्राहक संरक्षण विधि की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव को स्टाक एक्सचेंजों के पास तत्संबंधी ब्यौरे तैयार करने के लिए भेज दिया गया। इस प्रस्ताव में यह परिकल्पना की गई है कि इसका प्रारम्भिक वित्तपोषण सदस्यों द्वारा किए जाने वाले क्रयविक्रय पर एक उपकर लगाकर और स्टाक एक्सचेंजों द्वारा प्राप्त की जाने वाली सूचीबद्ध करने के कार्य की फीस से किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव के संबंध में अधिकतर मुख्य स्टाक एक्सचेंजों की प्रतिक्रिया अनुकूल है। वे इस योजना के ब्यौरे तैयार कर रहे हैं।

देश के औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा उपार्जित लाभांश का पुनः निवेश

4963. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा उपार्जित लाभांश का देश में औद्योगिकीकरण के लिए पुनः निवेश किया जाना अनिवार्य बनाने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार की औद्योगिक नीति के निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत भारत में कार्यरत कम्पनियों, को जिनमें विदेशी कम्पनियां

भी शामिल हैं नई क्षमताओं की स्थापना करने अथवा उनका विस्तार या उनका विविधीकरण करने की छूट है। ऐसा करने में कम्पनियां अपने लाभ/लाभांश को फिर से वहीं पर लगाना पसन्द करेगी, इसका निर्धारण निगमित निर्णय पर निर्भर करेगा ; इसके सम्बन्ध में सरकार को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं करने हैं ।

"डेक्लेरेशन आफ अनडिसकलोज्ड इनकम रिजर्वेशन आन वेलेडिटी आफ मिनिस्ट्रीज आफर" शीर्षक से समाचार

4964. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 नवम्बर, 1985 के "इक्नामिक टाइम्ज" नई दिल्ली में "डेक्लेरेशन आफ अनडिस्कलोज्ड इनकम रिजर्वेशन आन वेलेडिटी आफ मिनिस्ट्रीज आफर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि निर्धारितियों के बारे में कानूनी विशेषज्ञों ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को इस पेशकश को कि अघोषित आय की घोषणा पर अर्थदण्ड को माफ कर दिया जाएगा सशर्त स्वागत किया ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कानूनी रूप देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) बोर्ड ने वित्त मंत्री की दूरदर्शन पर वार्ता और प्रेस रिलीज को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक परिपत्र जारी कर दिए हैं ।

सोवियत संघ को पटसन का निर्यात

4965. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने इस मौसम में 5000 टन कच्चे पटसन के निर्यात का सोवियत संघ से पहला क्रया-देश प्राप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्रया-देश का मूल्य कितना है ;

(ग) पश्चिम बंगाल में रेशे की प्राप्ति के लिए भारतीय पटसन निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि केवल अच्छी किस्म के रेशे की ही सप्लाई की जाये और शिकायत प्राप्त न हो जिससे कि भारतीय पटसन निगम को भविष्य में ऐसे अनुबंध करने में कठिनाई हो ।

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) निर्यात आर्डर का कुल मूल्य 242.88 लाख रु० है ।

(ग) और (घ) निर्यात संविदा में अनिवार्य लदानपूर्व निरीक्षण की व्यवस्था होती है। इसके अलावा प्रदर्शक सैम्पल गांठों को सील किया जाता है तथा खरीदारों और विक्रेताओं के ऐजेंटों दोनों ही द्वारा जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पैकिंग स्तर पूर्णतः सीलड सैम्पलों के अनुरूप है। ये उपाय यहां सुनिश्चित करते हैं कि निर्यात किया गया माल अनुमोदित क्वालिटी के अनुसार है।

विदेशी मुद्रा भंडारों में कमी

4966. **श्री आर० एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने और विशेष निकासी अधिकार को छोड़ कर, भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार में नवम्बर, 1985 में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष और प्रतिशतता वार विदेश मुद्रा के भण्डारों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) की रकम पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार थी :—

तारीख	रकम (करोड़ रुपए)	पिछली अवधि की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1-4-82	3354.47	
1-4-83	4265.26	+27.15
1-4-84	5497.85	+28.90
1-4-85	6816.78	+23.99

दिल्ली क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत लघु बचत संगठन के कर्मचारियों और एजेंन्टों के बीच सांठ-गांठ

4967. **श्री सरफराज अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली क्षेत्र के राष्ट्रीय लघु बचत संगठन के कर्मचारियों और

संगठन के एजेन्टों के बीच सांठ गांठ है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ एन्जेंटों द्वारा, विशेषकर चांदनी चौक क्षेत्र में रहने वाले एजेन्टों द्वारा, जो गुट के सदस्य हैं, ने एजन्सियों का एकाधिकार प्राप्त कर लिया है ;

(ख) क्या एक पते पर एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों को एक से अधिक एजेन्सियां दी गई हैं ; और

(ग) एजेन्सी अनुबन्ध के उसी खण्ड को प्रयोग करके एजेन्सी समाप्त करने तथा अगले तीन वर्षों तक उन एजेन्टों पर राष्ट्रीय लघु बचत संगठन का कार्य करने पर रोक न लगाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां ।

(ग) नियमों में एक ही परिवार के सदस्यों को अल्प बचत एजेंसी होने की मनाही नहीं है, बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

ब्याज की विभेदी दर योजना के अन्तर्गत ऋण न मिल सकने के कारण कमजोर वर्गों में असंतोष

4968. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों में इस बात का भारी असंतोष है कि उन्हें "ब्याज की विभेदी दर" योजना के अन्तर्गत ऋण नहीं मिल रहे ;

(ख) यदि हां, तो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक ऋण मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कितने व्यक्तियों को ऋण की कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(घ) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने लोगों को यह ऋण मिले हैं ; और

(ङ) प्रत्येक बैंक में इस प्रकार के ऋणों के कितने आवेदन पत्र बकाया हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। विभेदी ब्याज दर योजना (डी० आर० आई० स्कीम) भारत सरकार द्वारा 1972 में तैयार की गई थी। मूलतः, इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर

से कमजोर वर्गों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना और छोटे-छोटे उत्पादक धंधों के जरिये उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे गत वर्ष के अन्त में अपने कुछ अग्रिमों के 1 प्रतिशत के बराबर की राशि इस योजना के अन्तर्गत देंगे। कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य में दिये गये अग्रिमों के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

बकाया राशि (लाख रुपये)

को समाप्त वर्ष	खातों की संख्या	राशि	जिसमें से अनु० जाति/अनु० ज० जा० खातों की संख्या	राशि
दिसम्बर 1982	174760	1020.96	98392	555.62
दिसम्बर 1983	217865	1552.72	133257	91.179
दिसम्बर 1984	270727	1867.69	137454	1095.77

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अंतर्गत दिये जाने वाले अग्रिमों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं रखे जाते। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अलग से नहीं रखे जाते।

(ङ) प्रश्न में जिस प्रकार के आंकड़े मांगे हैं, बैंकों से वैसी सूचना प्राप्त नहीं होती। फिर भी, बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि समाज के कमजोर वर्गों के ऋण प्रस्तावों पर अवश्य कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें से अधिकांश आवेदन-पत्र शाखा स्तर पर ही निपटा दिए जाएं।

कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण

4969. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी कपड़ा मिलों का प्रबन्ध ग्रहण किया है ;

(ख) उनमें से कितनी कपड़ा मिलों को पुनः चालू किया गया है ;

(ग) ऐसी कितनी मिलें हैं जो अभी तक बन्द पड़ी हैं तथा उनके कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(घ) बन्द मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1974 से केन्द्रीय सरकार ने 37 वस्त्र मिलें अपने हाथ में ली हैं । इन मिलों का राज्यवार ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) हाथ में लिए गए सभी एकक कार्य कर रहे हैं ।

विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	6
2.	महाराष्ट्र	16
3.	केरल	3
4.	तमिलनाडु	2
5.	गुजरात	3
6.	उड़ीसा	1
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	पश्चिम बंगाल	2
9.	कर्नाटक	1
10.	राजस्थान	1
11.	पांडिचेरी	1
	ग :	37

तृतीय विश्व के देशों में भारत-यूगोस्लाव संयुक्त उद्यम

4970. **श्री मोहन भाई पटेल** :क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय विश्व के देशों में परियोजनाएं स्थापित करने के भारत-यूगोस्लाव संयुक्त उद्यम समिति से संबंधित उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या किन्हीं परियोजनाओं की स्थापना की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) भारत-युगोस्लाविया संयुक्त समिति की बैठक नई दिल्ली में 25 से 29 जुलाई 1985 तक हुई। तब से कोई परियोजनाएं स्थापित नहीं की गई हैं।

गैर-आरक्षित खानों से इस्पात संयंत्रों के लिए कच्चे लोहे की खरीद

4971. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात संयंत्र गैर-आरक्षित खानों में कच्चा लोहा खरीद रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1983-84 और 1984-85 के दौरान गैर-आरक्षित खानों से विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा महीनेवार कितना लोहा खरीदा गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान "सेल" द्वारा उन स्रोतों से, जो इस्पात कारखानों के अपने नहीं हैं, प्राप्त किये गये लोह अयस्क का संयंत्र-वार तथा महीने-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

गैर-रक्षित खानों से लोह-अयस्क की प्राप्ति

(हजार टनों में)

	भिलाई इस्पात कारखाना	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	राउरकेला इस्पात कारखाना	बोकारो इस्पात कारखाना	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (कुल)
अप्रैल, 83	शून्य	42.6	38.0	10.7	29.2	120.5
मई	शून्य	27.3	44.2	5.6	16.3	93.4
जून	शून्य	30.7	7.3	4.4	27.8	70.2
जुलाई	शून्य	30.0	39.3	9.3	27.1	105.7
अगस्त	शून्य	30.7	40.4	8.9	10.9	90.9
सितम्बर	शून्य	11.9	17.2	4.3	18.4	51.8

	भिलाई इस्पात कारखाना	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	राउरकेला इस्पात कारखाना	बोकारो इस्पात कारखाना इंडिया	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड	स्टील अथारिटी आफ लिमिटेड (कुल)
अक्तूबर	शून्य	21.9	31.5	9.9	25.1	88.4
नवम्बर	शून्य	28.2	30.2	15.0	24.7	98.1
दिसम्बर	शून्य	27.6	27.0	14.6	22.7	91.9
जनवरी 84	शून्य	36.6	27.3	26.0	32.3	122.2
फरवरी 84	शून्य	27.5	10.9	24.6	27.6	90.6
मार्च	शून्य	30.1	15.4	40.9	32.6	119.0
1983-84	शून्य	345.1	328.7	174.2	294.7	1142.7
अप्रैल, 84	शून्य	47.3	36.8	49.0	30.7	163.8
मई	शून्य	90.8	16.6	66.7	40.6	213.7
जून	शून्य	49.9	12.0	53.9	16.6	142.4
जुलाई	शून्य	48.9	33.6	59.7	6.3	148.5
अगस्त	शून्य	25.2	34.1	51.9	34.7	145.9
सितम्बर	शून्य	24.8	41.1	77.6	19.5	163.0
अक्तूबर	शून्य	22.3	55.5	81.9	30.6	190.3
नवम्बर	शून्य	10.1	29.8	92.4	17.4	149.7
दिसम्बर	शून्य	11.9	25.0	123.2	23.7	183.8
जनवरी, 85	शून्य	14.2	25.4	80.3	28.6	148.5
फरवरी	शून्य	9.7	21.6	67.4	40.5	139.2
मार्च	शून्य	16.9	18.5	78.0	29.3	142.7
1984-85	शून्य	382.0	350.0	881.0	318.5	1931.5

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों सम्बन्धी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

4972. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित, बेरोजगार व्यक्तियों सम्बन्धी योजना के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को, बैंक गारन्टी के बिना अब तक 25,00 रुपए का ऋण दिया गया है ;

(ख) उड़ीसा में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऐसे ऋणों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा ग्रामीण बैंक ने इस सम्बन्ध में कहां तक रुचि दिखाई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983 में शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना से है। स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंकों द्वारा वर्ष 1983-84 और 1984-85 में क्रमशः 2.42 लाख और 2.29 लाभ हिताधिकारियों को ऋण मंजूर किए गए थे।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान उड़ीसा में बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रखे गए 8600 मामलों के लक्ष्य के मुकाबले 6823 मामलों में 13.69 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इसी राज्य में बैंकों द्वारा वर्ष 1984-85 में रखे गए 7000 मामलों के लक्ष्य के मुकाबले 7599 मामलों में 17.04 करोड़ रुपए मंजूर किए गए।

(ग) स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य के संपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की जानी होती है और इस योजना के अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कोई लक्ष्य नहीं दिया जाता।

आयातित शराब की सप्लाई पर बिक्री कर लगाने में असावधानी

4973. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिक्री कर अधिकारियों द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम पर मद्रास की सीमा शुल्क मुक्त दुकानों के भूतपूर्व प्रबंधक की लापरवाही के कारण वर्ष 1979-80 में गैर-सरकारी होटलों को आयातित शराब की सप्लाई पर बिक्रीकर न लगाने पर लगभग 9 लाख रुपये की शास्ति लगायी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है और क्या इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसका कारण और औचित्य क्या है ; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा की जाने वाली शास्ति के भुगतान की नवीनतम स्थिति क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) बिक्री-कर प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981-82 के लिए मद्रास में भारत पर्यटन विकास निगम के बांडेड वेयरहाउस से खरीदी गई मदिरा (लिकर) पर होटल-मालिकों द्वारा दिए गए सीमा-शुल्क पर भारत पर्यटन विकास निगम से 5.08 लाख रु० की राशि बिक्री-कर के रूप में वसूल की गई थी। भारत पर्यटन विकास निगम ने इस कर-मूल्यांकन का प्रतिवाद किया है तथा उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध बिक्री-कर अपील न्यायाधिकरण को एक अपील की है । मामला न्यायाधीन है ।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशों से खरीदी गई वस्तुओं पर बिलम्ब शुल्क

4974. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाई जा रही सीमा शुल्क मुक्त दुकानों के लिए विदेशों से भारी मात्रा में खरीदी गई वस्तुओं को निर्धारित समय के भीतर नहीं छुड़ाया जाता जिसके परिणामस्वरूप निगम को भारी बिलम्बन शुल्क अदा करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और सितम्बर, 1985 तक भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विलम्बन शुल्क के रूप में क्रयादेश वार/प्रेषित माल-वार कुल कितनी राशि अदा की गई ;

(घ) क्या इस संबंध में किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ; और

(ङ) भविष्य में विलम्बन प्रभारों को कम करने के लिए प्रबंधकों द्वारा यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) जी, नहीं । भारत पर्यटन विकास निगम विदेशों से खरीदी गई वस्तुएं आमतौर पर निर्धारित समय के भीतर छुड़ा लेता है । फिर भी दस्तावेज/सूचना देर से मिलने, पोर्ट पर हड़ताल, एक ही इन्वायस के अंतर्गत प्रेषित-माल अलग-अलग तारीखों/फ्लाइटों से पहुंचने, आदि की वजह से यदा-कदा थोड़ा-बहुत विलम्ब हो जाता है । यदि निकासी एजेंट की लापरवाही की वजह से हानि होती है तो विलम्ब-प्रभारों की वसूली उनसे की जाती है । भारत पर्यटन विकास निगम ने

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामान समय से छुड़ा लिया जाए, मद्रास और बम्बई में स्पेशल स्टाफ तैनात कर रखा है ।

निर्यातोन्मुख क्षेत्रों के लिए स्वायत प्राधिकरण

4975. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कांडला और अन्य स्थानों जैसे निर्यातोन्मुख क्षेत्रों के लिए स्वायत प्राधिकरण हेतु एक प्रारूप विधेयक पर राज्य सरकार की राय मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधेयक के प्रमुख पहलू क्या हैं ; और

(ग) विधेयक के संसद में कब तक पुन: स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) प्रस्तावित प्रारूप विधेयक पर राज्य सरकारों की राय नहीं मांगी गई है। प्रारूप विधेयक के उपबन्धों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

दिल्ली में नकली सिक्कों को बनाया जाना तथा परिचालन

4976. **श्री प्रताप राव बी० भोसले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1985 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में नकली सिक्के बनाए जा रहे हैं तथा ये परिचालन में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास भेजा गया था । इस पर अभी जांच जारी है ।

मैसूर पेलेस और बंगलौर पेलेस के सम्बन्ध में बकाया कर की राशि

4977. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने हाल ही में मैसूर पैलेस और बंगलौर पैलेस को अस्थायी रूप से कुर्क किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने उसे पट्टे पर लेकर सरकारी विभागों को किराए पर दे दिया ;

(ग) क्या उक्त कुर्की, कर की बकाया राशि के संबंध में है ; और

(घ) यदि हां, तो कर की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और उसे किस प्रकार वसूल करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । लेकिन मैसूर पैलेस के संबंध में पैलेस की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए स्वर्गीय महाराजा के कानूनी उत्तराधिकारीयों के अनुरोध पर 1976 में एक पैलेस सलाहकार समिति का गठन किया गया था । समिति के अध्यक्ष कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव हैं । समिति ने पैलेस की इमारत के कुछ हिस्सों को किराए पर दे दिया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कुल बकाया कर की राशि लगभग 13.61 करोड़ रुपए की ही है जिसमें 9'32 करोड़ रुपए आयकर और धनकर से संबंधित हैं और 31-3-1985 तक कर वसूली अधिकारी द्वारा प्रभारित 4.29 करोड़ रुपए का ब्याज भी शामिल है । इसमें से 6.76 करोड़ रुपये की राशि समझौता आयोग के समक्ष विचाराधीन कार्यवाहियों के अंतर्गत आती हैं ।

आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) के अंतर्गत बंगलौर पैलेस के उन किरायेदारों को एक आदेश जारी किया गया था जिनको सम्पत्ति किराए पर दी गई है । लेकिन उन सबने मैसूर के महाराजा को किसी भी देनदारी देने से इन्कार कर दिया है । किराया मैसर्स चामुण्डी होटल्स (प्रा०) लि० बंगलौर द्वारा जिसने बिक्री कर के अंतर्गत बंगलौर पैलेस का कब्जा लिया हुआ है, एकत्रित किया जाता है ।

जहां तक मैसूर पैलेस का सम्बन्ध है, धारा 226(3) केअन्तर्गत अध्यक्ष और पैलेस सलाहकार समिति को एक आदेश जारी किया गया था । समिति ने इस नोटिस के प्रत्युत्तर के लिए समय बढ़ाने की मांग की है । तथापि, स्वर्गीय महाराजा के पुत्र श्री श्रीकान्तदत्ता नरसिम्ह राजा वाडियार ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष पर बोर्ड से एक प्रापक की नियुक्ति करने के लिए निवेदन किया है ।

बस्तर (मध्य प्रदेश) से टिन आयस्क की तस्करी

4978. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :
श्री सुभाषा यादव :
श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "लार्ज स्केल स्मगलिंग आफ टिन और फ्राम बस्तर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस आमले में कोई जांच कराई गई है ; और

(घ) देश से टिन अयस्क की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में कन्टेनर माल-भाड़ा केन्द्र की स्थापना

4979. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेजी से विकास कर रहे हैदराबाद औद्योगिक क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने लिए कन्टेनर माल भाड़ा केन्द्र हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में स्थापित किया जाएगा जिसमें शुष्क बन्दरगाह की सुविधाओं तथा निर्यात और आयात के लिए सीमा शुल्क के मामलों को निपटानि की सुविधाओं की व्यवस्था होगी ; और

(ख) क्या उक्त केन्द्र वर्ष 1985 के दौरान चालू हो जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ख) इस प्रकार की सुविधाएं उपयुक्त स्थानों पर तथा यातायात की संभाव्यता के आधार पर रेलवे द्वारा स्थापित अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो पर दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि यातायात की संभाव्यता के अनुसार हैदराबाद में अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो की स्थापना करना न्यायोचित नहीं होगा। इस समय हैदराबाद में कन्टेनर भाड़ा स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जहाज तोड़ने पर उत्पाद शुल्क लगाना

4980. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के कारण भावनगर के समीप अलांग शिप ब्रेकिंग यार्ड तथा देश में ऐसे ही अन्य यार्डों में जहाजों को तोड़ने के कार्यों को क्षति पहुंची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य को निर्माण कार्य माना गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो प्रति टन 365 रुपए का भारी उत्पाद शुल्क लगाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो जहाज तोड़ने के कार्य को निर्माण कार्य मानने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) सरकार को उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय, जिसके परिणामस्वरूप देश में जहाज तोड़ने के कार्यों को क्षति पहुंची है, की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) जहाजों को तोड़ने के कार्य को निर्माण कार्य के रूप में माना गया है और तदनुसार इस कार्य से निकलने वाले पुनर्बेलन-योग्य स्क्रैप पर 365 रुपए प्रति टन की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है।

(घ) जहाज तोड़ने का कार्य केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 2 (एफ) के अनुसार "निर्माण" की परिभाषा के अन्तर्गत आएगा।

औषध इण्टरमीडियेट पर सीमा शुल्क लेवी

4981. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिग्रो; माइसीन स्पेक्ट्रम औषध के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली औषध इण्टरमीडियेट पर 140 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने के क्या कारण हैं जबकि किसी भी औषधि या औषधि इण्टरमीडियेट पर इतना अधिक सीमाशुल्क नहीं लगाया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : देश में हरिग्रोमाइसिन औषध-द्रव्य का उत्पादन टी० आई० ओ० सी० के साथ-साथ मूल किण्वन स्तर पर किया जाता है। स्वदेशी उत्पादन के हित में और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह औषध-द्रव्य एक समान कीमत पिर उत्पादन उपलब्ध हो, टी० आई० ओ० सी० पर शीमाशुल्क मूल्यनुसार 140 प्रतिशत पर नियत किया गया है।

औषधियों पर करों की उच्च प्रतिशतता

4982. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों पर इतने अधिक प्रतिशत कर और आयातित कच्चे माल और इण्टर-मीडिएट्स पर 48 प्रतिशत अर्थात् 100-140 प्रतिशत सीमा शुल्क, फार्मुलेशन्स पर 13 प्रतिशत, उत्पाद शुल्क "फार्मास्यूटिकल" के कच्चे माल पर 10 प्रतिशत बिक्री कर, बिक्री कर पर 12 प्रतिशत अधिभार, फार्मास्यूटिकल्स फार्मुलेशन्स पर 4 प्रतिशत बिक्री कर और 4 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर तथा 1-2 प्रतिशत चुंगी होने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार जीवन रक्षक औषधियों पर सभी प्रकार के कर माफ करने और बीमार उपभोक्ताओं को करों के अत्यधिक भार से राहत देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) औषध द्रव्यों के विनिर्माण के लिए आयातित कच्ची सामग्रियों तथा अन्तर्वर्तियों के मामले में यह उल्लेखनीय है कि ये और कुछ नहीं परन्तु केवल रसायन होते हैं इस प्रकार ये रसायन सीमा शुल्क टैरिफ में रसायनों के सामान्य शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते हैं तथा इन पर शुल्क की उपयुक्त दर लगाई जाती है। इन रसायनों को सामान्य छूट देना संभव नहीं हो पाया है जैसा कि बल्क ड्रग्स के लिए

किया गया है। उत्पादन शुल्क के मामलों में, 13 प्रतिशत की शुल्क दर को ऊंची दर नहीं माना जा सकता जबकि अवशिष्ट टैरिफ मद 68 पर 12 प्रतिशत शुल्क लगता है। सभी बल्क ड्रगसों को उत्पादन शुल्क के उदग्रहण से पूरी छूट प्राप्त है। 55 औषध द्रव्य अन्तर्वर्तियों को भी अधिसूचना सं० 147/84-के उ० शु० के अन्तर्गत उत्पादन शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है।

जहाँ तक बिक्री कर के उदग्रहण का सबंध है, यह उल्लेखनीय है कि संविधान के अंतर्गत यह राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय बिक्री कर से कोई छूट मंजूर करने का कोई अधिकार नहीं है। चुंगी स्थानीय नगर पालिका लगाती है तथा केन्द्र सरकार चुंगी से कोई छूट मंजूर नहीं कर सकती है।

(ख) जीवन रक्षक दवाईयों पर से सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाप्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के त्रिकोण (गोल्डन ट्राइंगल) और अन्य पर्यटक केन्द्रों में अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करना

4983. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के त्रिकोण (गोल्डन ट्राइंगल) और अन्य पर्यटक केन्द्रों में अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थानों में आवास के निर्माण के लिए उड़ीसा को वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ; और

(ग) उड़ीसा में महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में अतिरिक्त आवास सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच०के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सिमलीपाल में निर्माणधीन एक वन-गृह के लिए 36.76 लाख रुपए की एक राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में मंजूर की गई है जिसमें से 10.80 लाख रु० की एक राशि 1984-85 के दौरान रिलीज की गई थी तथा 10.00 लाख रु० की राशि 1985-85 के दौरान रिलीज की गई।

(ग) भारतीय यात्री आवास विकास समिति 13.50 लाख रु० की अनुमानित लागत पर पुरी में एक यात्रिका का निर्माण कर रही है। इसका 90 प्रतिशत केन्द्रीय पर्यटन विभाग वहन करेगा। इसके अलावा, पुरी में, भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के एक संयुक्त उद्यम के रूप में, 190 लाख रु० की अनुमानित लागत पर 44 कमरे वाली एक

3-सितारा होटल परियोजना निर्माणाधीन है। प्राइवेट सेक्टर में पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित 66 कमरे वाला एक 5-सितारा श्रेणी का होटल भी भुवनेश्वर में निर्माणाधीन है ।

[हिन्दी]

मितव्ययता अभियान के परिणामस्वरूप बचत

4984. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों को मितव्ययता बरतने के बारे में अनुदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मितव्ययता अभियान के परिणामस्वरूप कुल कितनी बचत हुई और प्रत्येक मंत्रालय द्वारा अलग-अलग कितनी बचत की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) कटौतियों को 1986-87 के बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में दर्शाया जाएगा। यह आशा की जाती है कि अब तक किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप संसद द्वारा पहले से ही स्वीकृत व्यय की तुलना में 800 करोड़ रु० की बचत होगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में बैंक शाखाएं खोलने हेतु शाखा लाइसेंस नीति में संशोधन

4985. **श्री हरीश रावत :**

प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए जनसंख्या को मुख्य आधार माना जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इसका अभिप्राय यह है कि देश के पर्वतीय क्षेत्रों में कम शाखाएं खोली जाएंगी जहां जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इस नीति को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क से (ग) वर्ष 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य केवल प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय खोलना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में बड़ी-बड़ी स्थानिक दूरियों को भी कम करना ताकि 10 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर कम से कम एक बैंक कार्यालय अवश्य हो। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पर्वतीय इलाकों/दूर-दूर छुटपुट आबादी वाले इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों पर खास दिया

जाएगा और इन क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता में वर्तमान कमी, बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता, आर्थिक गतिविधियों में पता लगाए गए विकास की अपेक्षाओं आदि को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत उदारता से किया जाएगा ।

जीवन बीमा निगम के माध्यम से बीमा कराने वाले लोगों की संख्या में कमी आना

4986. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से बीमा कराने वाले लोगों की प्रतिशतता में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, नहीं । इसके विपरीत पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से बीमा कराने वाले लोगों की प्रतिशतता में लगातार वृद्धि हुई है । व्यक्तिगत आधार पर पहली बार बीमा कराने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, अर्थात् बीमा कराने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत जो 1980-81 में 64.4 था वह 1984-85 में बढ़कर 68.7 तक पहुंच गया । इसी प्रकार चालू सामूहिक बीमा योजनाओं के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, अर्थात् 1980-81 में इन योजनाओं के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों की संख्या 63.9 लाख थी जो 1984-85 में बढ़कर 78.9 लाख तक हो गई । जीवन बीमा निगम ने शाखाओं का तेजी से विस्तार करने, नई योजनाएं आरंभ करने, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारियों और आजीविका एजेन्टों की भर्ती करने जैसे बहुत से कदम उठाए हैं ताकि बीमा करवाने वाले लोगों को आकर्षित किया जा सके ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालय

4987. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जो देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है ; किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का मुख्यालय नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश के कुछ अन्य बड़े राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या भी कम है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस असमानता को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 69 क्षेत्रीय/मंडल कार्यालय हैं जबकि महाराष्ट्र में ऐसे कार्यालयों की संख्या 84, कर्नाटक में 53, तमिलनाडु में 52, पश्चिम बंगाल में 49, गुजरात में 42 और बिहार में 36 है। किन्हीं विशेष इलाकों में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के प्रश्न पर निर्णय संबंधित बैंक द्वारा उस क्षेत्र में कार्यरत शाखाओं की संख्या, व्यापार के स्तर, कार्यक्षेत्र की व्यापकता, प्रशासनिक सुविधा आदि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी कंपनियों द्वारा पूंजी ढांचे का भारतीयकरण

4988. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**

श्री मानसिक रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी कंपनियों की वर्षवार संख्या और नाम क्या हैं ; जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान अपनी पूंजी ढांचे का भारतीयकरण किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29(2)(के) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने वाली कम्पनियों के बारे में सूचना संकलित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों को राज-सहायता अनुदान

4989. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि राज-सहायता/अनुदान के रूप में दी है ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस राशि में से उड़ीसा को वर्षवार कितनी धनराशि मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों, 1982-83, 1983-84, 1984-85 के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुदान की राशि को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपये)

क्रम संख्या	राज्य	(1982-83) (लेखा)	1983-84 (संशोधित अनुमान)	1984-85 (बजट अनुमान)
1.	आन्ध्र प्रदेश	210.02	311.04	215.33
2.	असम	131.12	230.43	252.75

1	2	3	4	5
3.	बिहार	220.00	258.83	353.88
4.	गुजरात	129.98	179.98	190.07
5.	हरियाणा	42.45	71.02	78.92
6.	हिमाचल प्रदेश	116.48	147.56	134.76
7.	जम्मू-कश्मीर	122.98	160.80	132.57
8.	कर्नाटक	100.88	138.11	185.49
9.	केरल	69.43	115.27	103.19
10.	मध्य प्रदेश	190.74	315.32	417.81
11.	महाराष्ट्र	182.38	274.64	298.76
12.	मणिपुर	96.45	79.05	90.36
13.	मेघालय	53.39	76.09	75.81
14.	नागालैण्ड	64.29	86.50	93.82
15.	उड़ीसा	307.19	230.36	231.97
16.	पंजाब	49.28	81.98	98.11
17.	राजस्थान	171.33	189.70	190.65
18.	सिक्किम	36.58	35.19	38.36
19.	तमिलनाडू	141.94	187.92	207.84
20.	त्रिपुरा	58.01	71.81	83.29
21.	उत्तर प्रदेश	448.52	522.54	580.06
22.	पश्चिम बंगाल	196.31	175.85	204.31
	जोड़ :	3139.75	3941.99	4159.09

सीमा शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता द्वारा जब्त की गई कार

4990. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मंत्री सीमा शुल्क समाहर्ता, कलकत्ता द्वारा जब्त की गई कार के बारे में 3 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) विदेशी डैटसन कार जब्त करने (दो) इनकी मरम्मत के लिए किए गए आदेशों तथा (तीन) इसे बेचने के लिए नीलामी की तारीखें क्या हैं ;

(ख) क्या जब्त की गई विदेशी कारों की सार्वजनिक नीलामी किए जाने से पहले उनकी मरम्मत किये जाने और उनके उपयोग के लिए सड़क कर का भुगतान किए जाने के कोई अन्य मामले हुए हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क समाहर्ता कलकत्ता द्वारा की गई इस कार्यवाही के नियमितिकरण हेतु विलंब से किए गए समाहर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन करने के लिए समाहर्ता के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जनार्दन पुजारी) : (क) (i) कार 13-1-1983 को जब्ती की गई थी। (ii) 12-4-1984 को इसकी मरम्मत के लिए आदेश दिए गए थे। (iii) निपटान की कार्यवाही नवम्बर, 198 में प्रारम्भ की गई थी। सात बार नीलामी द्वारा तथा छः बार निविदा के माध्यम से इसको बेचने का प्रयास किया गया था । अधिकतम बोली 23-7-1985 को प्राप्त हुई थी और कार बेच दी गई थी।

(ख) कलकत्ता सीमा शुल्क गृह द्वारा आपातकालीन प्रयोग के लिए तैयार रखने के लिए नवम्बर, 1985 में एक मिनी बस पंजीकृत करवायी गई थी।

(ग) जब्त की गई कार को तस्करी रोधी आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए चालू अवस्था में रखा गया था। इसलिए सीमा शुल्क समाहर्ता कलकत्ता को अपनी कार्यवाह को नियमित करवाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं उठता था।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और जर्मनी के बीच प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किया जाना

4991. **श्री बी० बी० देसाई** :

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मन संयुक्त आर्थिक आयोग द्वारा 1 सितम्बर, 1985 को हस्ताक्षर किए गए एक प्रोटोकोल के परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों में एक चिर प्रतीक्षा अध्याय जुड़ जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो भारत-जर्मन संयुक्त आर्थिक आयोग, जो द्विपक्षीय आर्थिक मामलों पर विचार करने और आपसी हितों के सुगम पोषण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 1978 में स्थापित किया गया था, कि यह छठी बैठक थी ;

(ग) यदि हां, तो भारत-जर्मन संयुक्त आर्थिक आयोग ने किस हद तक उद्देश्य पूर्ण निर्णय किए हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद होंगे ;

(घ) क्या नवीनतम प्रोटोकोल से यह प्रकट होता है कि भारत के प्रति जर्मनी के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है ; और

(ङ) इस परिवर्तन दृष्टिकोण से दोनों देशों के बीच व्यापार के संवर्धन किस में हद तक सहायता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत जर्मन संयुक्त आर्थिक आयोग द्वारा 1 सितम्बर, 1985 को किसी प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर नहीं किए गए किन्तु 29 अगस्त, 1985 को औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग संबंधी भारत जर्मन संघीय गणराज्य संयुक्त आयोग की छठी बैठक के अन्त में बैठक के कार्यवृत्त पर संबंधित शिष्ट मंडलों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए थे।

(ख) उपर्युक्त आयोग की बैठक छठी बार हुई थी।

(ग) आयोग, द्विपक्षीय आर्थिक महत्व के मामलों के सुचारु कार्यान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त्र करने की दिशा में उपयोगी सिद्ध हुआ।

(घ) और (ङ) भारत के प्रति जर्मनी का रवैया विगत की तरह मैत्रीपूर्ण बना हुआ है और उन्होंने द्विपक्षीय सहयोग में और अधिक रुचि प्रदर्शित की है।

खनिज और लघु व्यापार निगम के माध्यम से सोडा ऐश का आयात

4992. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने डिटजेंट और सिलिकेट एककों जैसे लघु-पैमाने के प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनिज और धातु व्यापार निगम को 10,00 - टन सोडा ऐश आयात करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सोडा ऐश के आयात में गैर-सरकारी व्यापारिक कम्पनियों द्वारा किए जा रहे कदाचारों को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया गया है ;

(ग) आयातित सोडा ऐश की कीमतें कम करने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे है ; और

(घ) क्या सरकार को लघु एककों की इस दशा की पूरी जानकारी है कि उन्हें आयतित सोडा ऐश की सप्लाई के लिए गैर सरकारी व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं क्योंकि घरेलू उत्पादन उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसे लघु एककों को, जो कि खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत स्वय सोडा ऐश का आयात करने की

स्थिति में नहीं है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम से हाजिर माल में से डिलीवरी के लिए 10,000 एम० टी० सोडा ऐश का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) सोड़ा ऐश की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से भावी मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता बनाई गई है। सोड़ा ऐश के आयात पर शुल्क में काफी कमी की गई है ताकि वास्तविक प्रयोक्ता कीमत पर उसका आयात कर सकें।

व्यापार और औद्योगिक सहयोग के लिए भारत-स्विटजरलैंड संयुक्त आयोग

4993. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-स्विटजरलैण्ड सयुक्त आयोग व्यापार और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और स्विटजरलैण्ड के बीच द्विपक्षीय व्यापार से योरोपीय समुदाय के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो भारत स्विटजरलैण्ड संयुक्त आयोग की बर्न में हुई बैठक में क्या मुख्य निर्णय लिए गए हैं ; और

(घ) दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) सितम्बर, 1985 में बर्न में हुए भारत-स्विस संयुक्त आयोग के चौथे सत्र ने अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के क्षेत्रों का पता लगाया। अनेक व्यापार संवर्धन उपायों विशेष रूप से उत्पाद विकास और विपणन के लिए उपायों पर विचार किए गए। ऐसे नए क्षेत्रों जिनमें स्विस तकनीकी जानकारी का प्रयोग किया जा सकता है तथा भारतीय भागीदारों द्वारा विचार किया जा सकता है, का पता लगाने के लिए गुंजाईश को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकियों के अन्तरण की जरूरत पर बल दिया गया।

स्विटजरलैण्ड को भारत के निर्यात 1984-85 में 116.97 करोड़ रु० के हुए थे जबकि 1982- 83 के दौरान 95.63 करोड़ रु० के स्तर के निर्यात हुए थे। स्विटजरलैण्ड से भारत के आयात जो 1982-83 में 111.18 करोड़ रु० के थे बढ़कर 1984-85 में 161.45 करोड़ रु० के होगए। स्विटजरलैण्ड यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य नहीं है।

राज्यों में खनिजों पर विभिन्न किस्म की लेवी लगाया जाना

4994. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों द्वारा अपने अर्थोपाय की स्थिति में सुधार करने के प्रयास में राज्यों में उत्पादित खनिजों पर अनेक प्रकार की लेवी लगाए जाने की बढ़ती हुई प्रवृति से चिंतित है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा खनिजों पर लगाए गए वित्तीय भार से खनन कार्य और अधिक खर्चीला हो गया है ;

(ग) क्या खनिज सलाहकार समिति ने अधिकारियों की समिति को विभिन्न खनिजों पर रायल्टी की दर में संशोधन करने और विभिन्न राज्यों द्वारा रायल्टी की दरों के अतिरिक्त लगाए गए उपकर और खनिज अधिकार पर विचार करने की सलाह दी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) खनिज सलाहकार परिषद ने 9-5-1985 को नई दिल्ली में हुई 22वीं बैठक में सिफारिश की थी कि खनिजों पर अधिशुल्क की दर में सशोधन करने वाली समिति द्वारा विभिन्न सरकारों द्वारा खनिजों पर अधिशुल्क के अलावा लगाए गए उपकर तथा खनिज अधिकार कर पर भी विचार करना चाहिए। तदनुसार मामला अधिशुल्क की दरों में संशोधन हेतु गठित अध्ययन अध्ययन दल को भेज दिया गया है। अध्ययन दल ने विचार- विमर्श पूरा कर लिया है तथा उसकी शीघ्र रिपोर्ट मिल जाने की आशा है। रिपोर्ट मिलने पर, सरकार द्वारा इस प्रकरण का अध्ययन किया जाएगा। किसी भी प्रकार का वित्तीय भार बढ़ाने से कार्यचालन लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक होता है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता के एककों के आधुनिकीकरण में हुई प्रगति

4995. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रत्येक एकक में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल निर्माण, मोजूदा परिसरों के विस्तार और नई मशीनों आदि की स्थापना की प्रक्रिया में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। 30 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए०

ओ०) लि० के अन्तर्गत प्रत्येक वस्त्र एकक में स्वीकृत तथा कार्यान्वित की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन की ध्यानपूर्वक मानिटरिंग की जाती है और जहां कही आवश्यक होता है उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

(लाख रु० में)

क्रमांक	मिल का नाम	स्वीकृत धनराशि	कार्यान्वित धनराशि
1.	बंगाल लक्ष्मी कॉटन मिल्स	362.83	340.98
2.	सेंट्रल कॉटन मिल्स	85.74	81.94
3.	रामपुरिया कॉटन मिल्स	299.83	316.76
4.	शेहरी महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	142.06	164.63
5.	बंगासारी कॉटन मिल्स	382.30	203.00
6.	गया कॉटन एंड जूट मिल्स	258.72	220.85
7.	बंगाल फाइन नं०	209.67	197.83
8.	मन्दिरा कॉटन मिल्स	76.20	42.71
9.	ज्योति वेविंग मिल्स	38.97	54.67
10.	लक्ष्मी नारायण कॉटन मिल्स	226.41	219.02
11.	आरती कॉटन मिल्स	331.12	240.50
12.	कनोरिया इंडस्ट्रीज	94.21	75.87
13.	बंगाल टेक्सटाइल्स	342.40	144.06
14.	बंगाल फाइन नं० 2	280.51	131.47
15.	मोदीपुर कॉटन मिल्स	156.30	181.70
16.	बिहार को-ओपरेटिव्स	134.15	68.82
17.	ऐसोसिएटिड इंडस्ट्रीज	210.18	174.82
18.	उड़ीसा कॉटन मिल्स	320.78	297.57
	सेन्ट्रल टेस्टिंग लेब	7.16	—
19.	मोहिनी मिल्स	27.26	—
	योग :	39.86.74	3156.19

रुई का विभिन्न किस्मों के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य

4996. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में वर्ष 1984-85 में रुई की सभी किस्मों का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) सभी मिलों की रुई की विभिन्न किस्मों की वार्षिक मांग कितनी है ;

(ग) वर्ष 1984-85 में बढ़िया किस्म की कितनी रुई आयात की गई ;

(घ) उत्पादित रुई की विभिन्न किस्मों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य क्या है ; और

(ङ) क्या भारतीय कपास निगम सम्पूर्ण उत्पादित रुई की खरीद कर सका, यदि हां, तो 1984-85 उत्पादकों को कितना मूल्य दिया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1984-85 रुई वर्ष के दौरान देश में रुई के उत्पादन का अनुमान लगभग 101.5 लाख गांठें लगाया गया था।

(ख) 1984-85 के दौरान वस्त्र मिलों की आवश्यकता का अनुमान लगभग 86.5 लाख गांठें था।

(ग) 1984-85 रुई मौसम के दौरान आयात हेतु माध्यम स्टेपल रुई की 75,000 गांठों के लिए संविदा की गई।

(घ) 1985-86 रुई मौसम के दौरान कपास की विभिन्न किस्मों की अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन कीमतें विभिन्न किस्मों के लिए 340 रु० प्रति क्विटल (बंगाल देशी के सम्बन्ध में) से लेकर 900 रु० प्रति क्विटल (सुविन के सम्बन्ध में) तक हैं।

(ङ) रुई निगम के लिए उत्पादित रुई खरीदना अपेक्षित नही है। तथापि, जब कभी कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तर से नीचे गिर जाती हैं तब वह कीमत समर्थन कार्यवाही करता है। 1984-85 रुई मौसम में किसानों से कपास की खरीद पर निगम द्वारा भुगतान की गई औसत कीमत विभिन्न किस्सों के सम्बन्ध में 476 रु० से 900 रु० प्रति क्विटल है।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान बेरोज़गार युवकों को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य

4997. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रह रहे ऐसे कितने बेरोजगार युवक और व्यक्ति हैं, जिन्हें मार्च 1983 से अक्तूबर 1985 की अवधि के दौरान बैंकों से ऋण दिए गए ;

(ख) सातवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रह रहे कितने

बेरोजगार युवकों और व्यक्तियों को बैंकों द्वारा ऋण दिए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि बिहार के गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनेक व्यक्तियों को ऋण नहीं दिया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबध में सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1981 में शुरु की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) से है । स्वरोजगरा योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 1983-84 में 2.42 लाख और 1984-85 में 2.19 लाख हिताधिकारियों को ऋण मंजूर किए गए । इस योजना को वर्ष 1985-86 तक बढ़ा दिया गया है और अब 2.5 लाख हिताधिकारियों का लक्ष्य रखा गया है । छठी आयोजना की अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के तहत 1.64 करोड़ से अधिक परिवारों को सहायता दी गई । सितम्बर 1985 तक वर्ष 1985-86 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7.7 लाख से अधिक परिवारों को सहायता दी गई । सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के दौरान आई० आर० डी० पी० के अधीन सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है ।

(ग) जी, नहीं । छठी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में बिहार राज्य में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन 19.?3 लाख परिवारों को सहायता दी गई । वर्ष 1985-86 में सितम्बर 1985 तक 1.19 लाख परिवारों को सहायता दी गई ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दोषी सिद्ध वस्त्र निर्यातक फर्में

4998. **श्री आर० एस० भोके** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उन वस्त्र निर्यातक फर्मों की ओर दिलाया गया है जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान दोष सिद्ध हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उन फर्मों के द्वारा किए गए अपराधों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) जिन मामलों में अपैरल निर्यात संवर्धन ने पिछले तीन वर्षों में कार्यवाही की हैं उनके संबंध में फर्मों के नाम तथा उनके द्वारा किए गए अपराधों के ब्यौरे बताने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	किए गए अपराधों के ब्यौरे
1	2	2
1.	मैसर्स सारा इंटरनेशनल नई दिल्ली	साख पत्र में वैधता अवधि में हेर-फेर।
2.	मैसर्स टाप्स एंड बाटम्स, नई दिल्ली	पी०पी०क्यू० प्रमाण पत्र के संबंध में गलत बयान।
3.	मैं० ओसीस एक्सपोर्टस, नई दिल्ली	गलत घोषणा करना की शाख पत्र पहले से ही अपैरेल निर्यात संवंधन परिषद् के पास था।
4.	मैसर्स रैने डैफ्यूसिन प्रा० लि०, नई दिल्ली	आवक प्रेशिता रकम में हेर-फेर।
5.	मैसर्स मेहरा एसोसिएटस, नई दिल्ली	आवक प्रेषित रकम में हेर-फेर।
6.	मैसर्स सिंह इंटरनेशनल, नई दिल्ली	बलिव फेयर कोटा आर्डर में जाल साजी।
7.	मैसर्स नार्दन इंडिया ट्रेडिंग क०, नई दिल्ली	वस्त्र समिति के प्रमाणपत्र में हेर-फेर।
8.	मैसर्स परल एजेन्सीज, नई दिल्ली	साख पत्र में वैद्यता अवधि में हेर फेर।
9.	मैसर्स माथुर इम्पोंटिट एंड एक्स-पोंटस प्रा० लि०, नई दिल्ली	माल को स्विटजरलैंड से पश्चिम जर्मन को अप्राधिकृत रूप से भेजना।
10.	मैसर्स स्विच क्राप्ट इंडिया, नई दिल्ली	साख पत्र में हेर-फेर।
11.	मैसर्स ओल्ड टाउन, दिल्ली	सदस्यता संख्या के संबध में दी गई गलत जानकारी।
12.	मैसर्स सनलार्ड अपैरल मैन्यू० कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली	साख पत्र में हेर-हेर।
13.	मैसर्स कान्टीनेनटल एक्सपोंटस, नई दिल्ली	साख पत्र में वैद्यता अवधि में हैर फेर

1	2	3
14.	मैसर्स इन्डो इम्पेक्स, नई दिल्ली	साख पत्र में हेर-फेर ।
15.	मैसर्स रूचि कारपोरेशन, नई दिल्ली	साख पत्र में वैद्यता अवधि में हेर-फेर।
16.	मैसर्स फैशन एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली	साख पत्र में वैद्यता अवधि में हेर-फेर।
17.	मै० शकुन इंटरनेशनल दिल्ली	साख पत्र में वैद्यता अवधि में हेर-फेर।
18.	मै० शकुन्तलास एक्सपोर्ट हाउस प्रा० लि० नई दिल्ली	साख पत्र में वैद्यता अवधि में हेर-फेर।
19.	मै० जैदका होजरी फैक्टरी रजि०, नई दिल्ली	स्वीडन को अप्राधिकृत निर्यात जिसके लिए अपैरल निर्यात संबंधी परिषद द्वारा कोई ई० आई० सी० नही दिया गया ।
20.	मै० इंडेना एक्सपोर्ट कारपोरेशन, नई दिल्ली	बीजक में श्रेणी विवरण में परिवर्तन परन्तु ई०सी० में कोई हेर-फेर नहीं ।
21.	मै० डालिफन इंटप्राईजस, नई दिल्ली	बीजक में समूह सं० परिवर्तन परन्तु ई० सी० में कोई हेर-फेर नहीं ।
22.	मै० एनबी, नई दिल्ली	पी० पी० क्यू० खजाने के संबंध में गलत विवरण।
23.	मै० गुरुकुल एक्सपोर्टस, नई दिल्ली	साख पत्र में हेर-फेर ।
24.	मै० जे० डी० एक्सपोंट, दिल्ली	साख पत्र में हेर-फेर।
25.	मै० जेमन्स इन्टरनेशनल, नई दिल्ली	साख पत्र में हेर-फेर।
26.	मै० पटवारी एक्सपोर्ट प्रा० लि०, मद्रास	भुगतान के तरीके में अप्राधिकृत संशोधन ।
27.	मै० गुप्ता गारमेन्टस, मद्रास	लदान बिल में अप्राधिकृत संशोधन ।

1	2	3
28.	मै० ईवस गारमेंट, नई दिल्ली	नमूना परेषण का अप्राधिकृत निर्यात।
29.	मै० बीवरले हिल्स, नई दिल्ली	आवक प्रेषित राशि में शेष के बारे में प्रमाण-पत्र की गलत घोषणा।
30.	मै० ला डेरनायर मोड़, नई दिल्ली	आवक प्रेषित राशि में शेष के बारे प्रमाण-पत्र की गलत घोषणा।
31.	मै० बीग बीयर, नई दिल्ली	आवेदन पत्र में एच० एल० को बदलकर पी०एल० करना।
32.	मै० गुदिया एक्सपोर्ट प्रा० लि०, नई दिल्ली	क्यू० सी० को एच० एल० से बदलकर पी० एल करना।
33.	मैसर्स यू० एम० सी०, नई दिल्ली	वस्त्र निर्मिति के प्रमाण पत्र का गलत प्रयोग।
34.	मै० अपोलो इंटरप्राईजेस, नई दिल्ली	साख पत्र में वैधता अवधि में हेर-फेर।
35.	मै० जे० के० एक्सपोर्ट्स, नई दिल्ली	साख पत्र में वैधता अवधि में हेर-फेर।
36.	मै० मोडर्न निट वर्क्स, नई दिल्ली	ऐसी गलत सूचना दी कि कोटा जारी नहीं हुआ है।
37.	मै० हेमला ईमबरोडरी मिल्स प्रा० लि० हरियाणा	पी० पी० क्यू० के लिए नकली बीजों का प्रस्तुत किया जाना।
38.	मै० इंडियन अप्रैरल इंडस्ट्रीज, बम्बई	अनधिकृत मात्रा का निर्यात।
39.	मै० इंडियन अपैरल इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात।
40	मै० शिवानी एक्सपोर्ट इंड०, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात।
41.	मै० दादु इंटरप्राइजिज प्रा० लि०, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।

1	2	3
42.	मै० एक्सपोर्ट मरचेन्टस, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
43.	मै हेन्डीक्राफ्ट इंटरनेशनल, लखनऊ	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
44	मै० भारत इंटरनेशनल, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
45.	मै० हरि इंटरनेशनल, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
46.	मै० हरि ईंटरनेशनल, नई दिल्ली	एल०/सी० में हेर-फेर।
47.	मै० बीजनिस एसोसिएटस इंडिया, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
48.	मै० एक्सपो इम्पो लिंकर्स, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० ई० जारी नहीं किया गया था।
49.	मै० इस्टरन सिल्क इंडस्ट्रील लि०, कलकत्ता	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था
50.	मै० आर्टिक्स इंडिया, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
51.	मै० दुगल एंड बजाज, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।

1	2	3
52.	मै० यू० एन० मी०, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
53.	मै० यू० एन० मी०, नई दिल्ली	एल०/सी० में हेर-फेर।
54.	मै० अंलकार मार्केटिंग एसोसिएशन, नई दिल्ली	अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
55.	मै० जेमिनी ओवरसीज लि०, कलकत्ता	अनधिकुय मात्रा का निर्यात जिसके लिए कोई ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
56.	मै० डाफीडिल्स, नई दिल्ली	अनधिकृक मात्रा का निर्यात जिसके लिए ई० सी० जारी नहीं किया गया था।
57.	मै० यू० एन० मी०, नई दिल्ली	स्वीडन को अनधिकृत निर्यात जिसके लिए कोई निर्यात प्रमाण पत्र जारी किया गया था।
58.	मै० इंदिरा इंटरनेशनल, नई दिल्ली	स्वीडन को अनधिकृत निर्यात जिसके लिए कोई निर्यात प्रमाण पत्र जारी किया गया था।
59.	मै० फेशन ओवरसीज, नई दिल्ली	यू०के० को अनधिकृत निर्यात।
60.	मै० गोकलदास फैशनस, बंगलौर।	अनधिकृत निर्यात तथा फ्रांस से संबंधित निर्यात प्रकाण-पत्र में हेर-फेर।
61.	मै० हिन्दुजा निटवियर, बंगलौर।	अनधिकृत निर्यात तथा प्रमाण-पत्र में हेर-फेर
62.	मै० शिवम इंटरनेशनल, कं० मद्रास	कोटा प्रमाण पत्र में हेर-फेर तथा गुप्त रूप से पात्र 480 अदद् के स्थान पर 4800 अद्द के लिए कोटा प्राप्त किया।

1	2	3
63.	मै० स्टिच आर्ट एक्स० प्रा० लि०, नई दिल्ली	1980 के दौरान स्वीडन के अनधिकृत निर्यात ।
64.	मै० मिटी क्राफ्टस, बम्बई	1980 के दौरान यू० के० को अनधिकृत निर्यात ।
65.	मै० पी० एंड ए० क०, कलकत्ता	1981 के दौरान यू० के० को अनधिकृत निर्यात ।
66.	मै० के० के० इंट, बम्बई	1981 के दौरान यू० के० को अनधिकृत निर्यात ।
67.	मैसर्स सकुन इंट०, दिल्ली	1981 के दौरान स्वीडन को अनधिकृत निर्यात ।
68.	मै० मोड इंटरनेशनल, नई दिल्ली	1981 के दौरान स्वीडन को अनधिकृत निर्यात ।
69.	मै० महारानी इंट, नई दिल्ली	एल० सी० में हेर-फेर ।
70.	मै० अना एक्सपोर्टस, नई दिल्ली	एल० सी० में हेर फेर ।
71.	मै० भण्डारी होजरी, लुधियाना	1982 के दौरान खेप के लिए स्वीकृत प्रमाफीकरज को 1983 कोटे के लिए बाद में प्राप्त की गई इसी के आधार पर क्लीयर किया गया ।
72.	मै० गोयल ड्रेसर्स, मद्रास	—वही—
73.	मै० आसता एक्सपोर्टस, नई दिल्ली ।	दस्तावेज का मित्याकरण तथा एल/सी० का दुरुपयोग ।
74.	मै० शर्मा क्लोदरीज, नई दिल्ली	सेगमेंट की गलत घोषणा
75	मै० तुलिप्स, नई दिल्ली	पी० पी० ई० के अन्तरण के लिए मिथ्या घोषणा प्रस्तुत करना ।
76.	मै० फेब्रिक्स फैशन्स, नई दिल्ली	पी० पी० ई० का अनधिकृत अन्तरण ।

1	2	3
77.	मै० फ्रेडबी फैशन्स, नई दिल्ली	बीजक में श्रेणी/विवरण का परिवर्तन।
78.	मै० एक्सेल ओवरसीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	पी० पी० ई० का अनधिकृत अन्तरण।
79.	मै० वेगनस मोड्स (आई०), नई दिल्ली	पी० पी० ई० का अनधिकृत अन्यरण।
80.	मै० सोवरिन निटवर्क्स, फरीदाबाद	पी० पी० ई० का अनधिकृत अन्तरण।
81.	मै० पालवैल एक्सपोर्ट्स (पी०) लि०, नई दिल्ली	पी० पी० ई० का अनधिकृत अन्तरण।
82.	मै० मार्स एन्टरप्राइसेस, नई दिल्ली	पी० पी० ई० के अन्तरण के लिए मिथ्या घोषणा।
83.	मै० जे० पी० एक्सपोर्टस (पी०) नई दिल्ली	पी० पी० ई० के० अन्तरण के लिए मिथ्या घोषणा।
84.	मै० कशिश एन्टरप्राइसेस, नई नई दिल्ली	शिपिंग दस्तावेजों में हेर-फेर।
85.	मै० पाल० एसोसिएट्स, नई दिल्ली	अतिरिक्त मात्रा का अनधिकृत निर्यात।
86.	मै० पूर्वी अपेरेल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	शिपिंग बिल में हेर-फेर।
87.	मै० रिजेन्सी अपेरेल्स, नई दिल्ली	सं० रा० अमरीका को अनधिकृत निर्यात।
88.	मै० हिन्दुजा निटवीयर, बंगलौर	शिपिंग दस्तावेजों में जालसाजी।
89.	मै० आर० एम० ओ० बी० इन्टल० ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली	वीजा के लिए सिफारिशी पत्र प्राप्त करने के लिए गलत घोषणा।
90.	मै० एम० जी० इन्ट० नई दिल्ली	नकली निर्यात दस्तावेजों के आधार पर अमरीका को अनधिकृत निर्यात।

1	2	3
91.	मै० कलकत्ता एक्सपोर्टस, कलकत्ता	स्वीडन को अनधिकृत निर्यात।
92.	मै० मानन्द ब्रादर्स, बरेली	निर्यात सार्टिफिकेट में जालसाजी करके कनाडा को अनधिकृत निर्यात।
93.	मै० समर एपेरल्स, दिल्ली	पी० पी० ई० की गलत घोषणा।
94.	मै० माक्सिमा, नई दिल्ली	पी० पी० ई० का अनधिकृत अंतरण।
95.	मै० मंजुषा एक्सपोर्टस,, नई दिल्ली	बैंक सार्टिफिकेट और निर्यात दस्तावेजों में जालसाजी करके सी० सी० एस० दावा किया।
96.	मै० दि० इन्स्टाइल क्लब, नई दिल्ली	पी० पी० ई० का अनधिकृत अन्तरण।
97.	मै० सन्नोरिता, नई दिल्ली	बैंक सार्टिफिकेट के खो जाने के बारे में बैंक को गलत घोषणा करना।
98.	मै० गोकलदास फैशन्स, बंगलौर	लदान दस्तावेजों की जालसाजी
99.	मै० एटलस एक्सपोर्टस, बम्बई	लदान दस्तावेजों में हेर-फेर।
100.	मै० पी० एंड ए० कं०, कलकत्ता	इटली को ऐसी अनधिकृत मात्रा का निर्यात जिसके लिए ए० ई० पी० सी० द्वारा कोई निर्यात सार्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था।
101.	मै० रौनक इन्ट०, नई दिल्ली	निर्यात सार्टीफिकेट में जालसाजी के जरिए 1981 के दौरान कनाडा को कैट० 3 के अधीन अनधिकृत निर्यात।
102.	मै० मोनु इन्ट०, दिल्ली	निर्यात के नकली/जाली प्रमाण प्रस्तुत किए।

निर्धन लोगों को सस्ते ऊनी कम्बल उपलब्ध

4999. **श्री आर०एम० भोये** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्दी के वर्तमान मौसम में निर्धन लोगों को ऊन या पटसन के बने सस्ते कम्बल उपलब्ध कराये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके मूल्य क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त सस्ते ऊनी कम्बल सुपर बाजारों और खादी ग्रामोद्योग आदि में उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) निर्धन लोगों पर सस्ते ऊनी कम्बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वदेशी ऊन बनाये गए शाडी कम्बलों के उत्पादन शुल्क की अदायगी से पूरी छूट दे दी गई है। अब तक पटसन के कम्बल वाणिज्यक प्रयोग में नहीं आये हैं।

(ख) ऊनी वस्त्रों जी कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है।

(ग) खादी यथा ग्रामोद्योग क्षेत्र द्वारा विनिर्मित ऊनी कम्बल मुख्यतः खादी ग्रामोद्योग भवनों यथा गांधी आश्रमों आदि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बेचे जाते हैं। वर्ष 1985-86 के लिए 90 दिनों की अवधि हेतु 10 प्रतिशत की रिबेट की अनुमति दी गई है। सुपर बाजार द्वारा भी सस्ते ऊनी कम्बलों की बिक्री की जाती है।

बम्बई तथा दिल्ली में पकड़े गये हेरोइन का धंधा करने वाले गिरोह के मामले

5000. **श्री आर०एम० भोये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्ष के दौरान बम्बई और दिल्ली में हेरोइन का धंधा करने वाले गिरोह के कितने मामले पकड़े गए ;

(ख) इन गिरोहों में लगे गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विदेशियों के सहयोग से गैर-कानूनी धंधा चलाते पाए गए गिरोहों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान बम्बई और दिल्ली में हेरोइन की जालसाजी के पकड़े गए मामलों की संख्या और उसके सिलसिले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नोक्त है :—

शहर	1984			1985 *(30-11-85 तक)		
	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	
		भारतीय	विदेशी		भारतीय	विदेशी
बम्बई	15	3	15	27	29	9
दिल्ली	36	20	16	32	38	2

(टिप्पणी : *वर्ष 1985 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) और (घ) विदेशियों के साथ सांठगांठ करके गैर-कानूनी धंधा करते हुए पाए गए गिरोहों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इस सूचना को एकत्र करने में जो समय तथा श्रम लगेगा, वह प्राप्त परिणामों के सापेक्ष नहीं होगा। हेरोईन की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए गैर-कानूनी ढंग से धंधा करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध संगत कानूनों के तहत कार्रवाई की गई और मुकदमा चलाया गया।

[अनुवाद]

हरियाणा में गैर-कानूनी खनन कार्य बंद किया जाना

5001. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री सुभाष यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में अनेक खानें गैर-कानूनी रूप से चलाई जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये खानें किन-किन स्थानों में काम कर रही हैं ; और

(ग) सरकार का इन गैर-मानूनी खानों को बन्द करने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी की उत्पादकता में वृद्धि

5002. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि कलकत्ता से प्रकाशित 19 नवम्बर, 1985 के "टेलीग्राफ" में प्रकाशित समाचारों के अनुसार टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी अपने अनुसंधान और विकास कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 30 प्रतिशत उत्पादकता बढ़ाने में सफल हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपने इस्पात संयंत्रों के लिए इस प्रौद्योगिकी को खरीदने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी (टिस्को) ने सूचित किया है कि वे लौह-अयस्क के सज्जीकरण और स्क्रीनिंग, अयस्क के चूरे को छानकर, कोककर कोयले का बेहतर तरीके से शोधन करके और सिन्टर के अनुपात में वृद्धि करके कच्चे माल की सप्लाई में सुधार करने के विभिन्न उपायों की सहायता से अपनी धमन भट्टियों की उत्पादकता में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रयास कर रहे हैं। उनका कोयले की स्टैम्प चार्जिंग लागू करने का भी प्रस्ताव है।

"टिस्को" द्वारा किये जा रहे उपाय परिचालन संबंधी बेहतर प्रक्रियाओं के रूप में हैं स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) अपनी उत्पादिता में सुधार लाने के लिए इसी प्रकार के उपाय कर रही है और "सेल" टिस्को से प्रौद्योगिकी की खरीद करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती है।

गुजरात में सीमावर्ती जिले कच्छ में तस्करी की गतिविधियां

5003. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सीमावर्ती जिले कच्छ में तस्कर जासूस सम्बन्धों का पता चला है ; और

(ख) इन सीमावर्ती जिलों में जासूसी की सांठ-गांठ से तस्करों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि गुजरात राज्य का कच्छ क्षेत्र तस्करी की गतिविधियों के लिए लगातार सुगम्य क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 1984 में गुजरात राज्य के कच्छ जिला में जासूसी के किसी मामले का पता नहीं चला है। तथापि, वर्ष 1985 में लखपत (कच्छ) सीमा से एक मामला पकड़ा गया था जिसमें पाकिस्तान का एक राष्ट्रिक और भारत के तीन राष्ट्रिक जासूसी की गतिविधियों में लिप्त पाये गए थे।

उक्त क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा पर गश्त और निगरानी के काम को तेज कर दिया गया है। तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए उक्त क्षेत्र में तस्करी निवारण अभियान को भी तेज कर दिया गया है। तस्करी के तौर-तरीकों और पकड़े गए माल की लगातार समीक्षा भी की जाती है ताकि केन्द्रीय और राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ट तालमेल स्थापित कर समुचित उपचारी उपाय किए जा सकें।

जो व्यक्ति तस्करी की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ विभागीय रूप से और न्यायालयों में अभियोजन के जरिए सख्त कार्रवाई की जाती है। अन्तर्ग्रस्त माल को

जब्त किए जाने और वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाए जाने के अलावा, समुचित मामलों में "काफेपोसा" के तहत निवारक नजरबन्दी की कार्रवाई भी की जाती है।

इंजनों पर उत्पादन शुल्क में छूट के सम्बन्ध में मछुआरा सहकारिता से प्राप्त अभ्यावेदन

5004. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मछुआरों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले 150 अश्वशक्ति के नौ इंजनों के लिए हाईस्पीड डीजल आयल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्कों में छूट दी जाती है जबकि 150 अश्वशक्ति से कम शक्ति वाले इंजनों पर इस प्रकार की कोई छूट नहीं मिलती है ;

(ख) क्या "ठाणे जिला मच्छीमार मध्यवर्ती सहकारी संघ मर्यादित" ने 27 नवम्बर, 1985 को प्रधान मंत्री को 150 अश्वशक्ति से कम के इंजनों पर भी छूट देने के लिए अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निर्मित मछली-जलयान में इस्तेमाल किए जाने वाले रिफाइंड डीजल तेल पर जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हो ऐसे डीजल तेल पर उदग्रहणीन उत्पादन शुल्क के 50 प्रतिशत से इस समय छूट प्राप्त है। जिस मछली जलयान से मछली पकड़ने का काम किया जाता है, उसकीलम्बाई। 13.7 मीटर से कम नहीं हो और उसकी अश्वशक्ति (बी०एच०पी०) 150 से कम नहीं हो। डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क के सिलसिले में अन्य 50 प्रतिशत की राहत में से अतिरिक्त राहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के ऐसे मामलों में उपलब्ध है जहां पर श्रिम्प (मछली) के निर्यात के बारे में आवश्यक सबूत को एक निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिया जाए।

(ख) जी, हां।

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों में इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल तेल पर वर्तमान में उत्पादन शुल्क पर उपलब्ध छूट को मछली पकड़ने वाली अपेक्षाकृत छोटी नावों के लिए लागू किए जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा पूर्व में जांच की गयी थी किन्तु इसे मुमकिन नहीं पाया गया। तथापि, उक्त अनुरोध पर फिर से जांच किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में शीघ्र ही फैसला किया जाएगा।

कम्पनियों को परिवर्तनीय अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति देने का प्रस्ताव

5005. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए कम्पनियों को संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचार में इस योजना के क्या लाभ हैं ; और

(ग) क्या इसका साम्य जोखिम "इक्विटी रिस्क" पूंजी के प्रसार पर प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) परिवर्तनीय संचयी तरजीही शेयरों को जारी किए जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत, सरकार द्वारा 19 अगस्त, 1985 को जारी किए गए थे और उन्हें सभा पटल पर रख दिया गया था ।

(ख) निवेश करने वाली जनता को, वित्तीय माध्यमों के मुकाबले, सचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयरों से निम्नलिखित फायदे हासिल होते हैं :—

(1) निवेशकर्ताओं को आंबटन की तारीख से 10 प्रतिशत का स्थित लाभांस प्राप्त होना निश्चित हो जाता है ;

(2) संचयी परिवर्तनीय तरजीही शेयरों के समूचे निर्गम को 3 वर्ष की समाप्ति के बाद 5 वर्ष की समाप्ति की बीच की अवधि में सामान्य शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है ;

(3) तरजीही शेयरों को सामान्य शेयरों में परिवर्तित किए जाने पर, परिवर्तन की तारीख तक तरजीही शेयरों पर लाभांश की बकाया राशि, यदि कुछ हो, प्राप्त करने का हक ऐसे परिवर्तन के पश्चात् सामान्य शेयर धारक को पहुंचेगा । जब भी कम्पनी को लाभ होगा और वह लाभांश घोषित करने योग्य होगी, तभी सामान्य शेयरधारक लाभांस की बकाया राशि को प्राप्त करने का हकदार हो जाएगा ;

(4) तरजीही शेयरों पर उसी तरह से मताधिकार प्राप्त होगा जैसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तरजीही शेयरों पर प्राप्त होता है ; और

(5) सामान्य शेयरों के रूप में प्रस्तावित परिवर्तन हो जाने से, तरजीही शेयरों के मूल्य में भी कम्पनी के सामान्य शेयरों के पूंजीगत मूल्य की अभिवृद्धि होने पर, यदि कुछ हो, वृद्धि होगी ।

(ग) जी नहीं ।

पट्टा कम्पनियों द्वाराइ क्विटिं पूंजी एकत्रित करना

5006. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल बहुत ही पट्टा कम्पनीयां इक्विटी पूंजी तथा जनता से धन एकत्रित कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी है ;

(ग) क्या यह धन एकत्रित करने के संबंध में ये पठ्टा कम्पनियां गैर-बैंकिग कम्पनियों पर लागू विनियमों के अन्तर्गत आ जाएंगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार अनेक उपस्कर लीजिंग कम्पनियां इक्विटी शेयर जारी कर रही हैं तथा वे जनता से जमा के रूप में रकमें वसूल कर रही हैं।

(ख) इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों की व्यवस्थाओं को 1 सितम्बर, 1984 से उपस्कर लीजिंग कम्पनियों पर भी लागू कर दिया गया है।

(घ) उपस्कर लीजिंग कम्पनियां, जिनका कारोबार उपस्कर लीज करना अथवा ऐसे ही कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण करना है, कम से कम छः माह की अवधि के लिए और अधिकतम छत्तीस माह के लिए जमा प्राप्त कर सकती है। ये कम्पनियां जमा रकम पर अधिकतम 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर तक ब्याज का भुगतान कर सकती है। एक उपस्कर लीजिंग कम्पनी जमा के रूप में इतनी रकम स्वीकार कर सकती है जिसकी कुल राशि ऋण पत्रों और बैंकों तथा संस्थाओं से लिए गए उधारों की राशि सहित उसके अपने स्वामित्व के निबल धन से दस गुणा से अधिक नहीं हो। कम्पनियों को न्यूनतम नकद परिसम्पत्तियां बनाए रखना जरूरी होता है कि किसी भी तारीख को शेष जमा रकमों के दस प्रतिशत भाग से कम न हो जैसा कि किराया खरीद या आवासन वित्तपोषण कम्पनियों के मामले में आवश्यक है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में किए गए निवेश के परिणाम

5007. **श्री चित्त महाता** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में अभी तक कितना निवेश दिया गया है ; और

(ख) उसके परिणाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व से प्राप्त जानकारी के आधार पर, अनिवासी भारतीयों द्वारा देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में अब तक किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
(1) प्रत्यक्ष निवेश	
(प्रस्ताव अनुमोदित)	419.33
(2) पोर्टफोलियो निवेश (शेयरों/ऋणपत्रों की वास्तविक खरीद)	51.94

गुजरात फार्मूले के आधार पर मोदी नगर में कपड़ा मिलों को रियायतें

5008. **श्री थम्पन थामस** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी नगर (उत्तर प्रदेश) में कपड़ा मिलों में पुनः कार्य चालू हो गया है ;

(ख) गत ऐसे तीन वर्षों के दौरान उनके बन्द रहने से कितनी उत्पादन और सरकारी राजस्व का घाटा हुआ ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें गुजरात फार्मूले के आधार पर रियायत देने का है ; और

(घ) क्या इस बारे में सरकार के विचाराधीन कुछ अन्य प्रस्ताव हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) वस्त्र आयुक्त से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर मोदीनगर में तीन वस्त्र मिलें अर्थात्, माडर्न स्पनर्स लि० विशाल सिन्टैक्स लि० तथा मोदी टैक्सटाइल लि० बन्द पड़ी हैं ।

(ख) इन एककों के बंद होने के कारण उत्पादन में कुल अनुमानित हानि लगभग 11500 कि०ग्रा० यार्न तथा 7900 मीटर कपड़े की है । इन एककों के बन्द होने से राजस्व की हानि का अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ग) और (घ) इन एककों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्स्थापन पैकेज तैयार किया गया है ।

इस्पात नगरों की सुन्दरता बढ़ाने और उसका स्तर बढ़ाने के लिए योजना

5009. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात नगरों का स्तर ऊंचा करने तथा सुन्दरता बढ़ाने के लिए सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) क्या उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत इस्पात नगर राउरकेला का स्तर ऊंचा करने तथा सुन्दरता बढ़ाने का कोई विचार है ;

(घ) यदि हां, तो क्या योजना तैयार की गई है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) विकास और रख-रखाव के वार्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत, इस्पात नगरो को सुन्दर बनाना और उनका रख-रखाव करना

एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए धन-राशि की व्यवस्था की जाती है।

(ग) और (ङ) राउरकेला इस्पात नगर का स्तर ऊंचा करने तथा उसको और सुन्दर बनाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। इस नगर को सुन्दर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं। नगर को सुन्दर बनाने तथा उसके रख-रखाव सम्बन्धी कार्य बजट के कुल प्रावधान के अन्तर्गत किये जाते रहेंगे।

उड़ीसा में यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के विभिन्न शाखाओं में ऋण के अनिर्णीत आवेदन पत्र

5010. **श्री राधा कान्त डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने ऋणों के आवेदन पत्रों को कम समय में निपटाने के लिए नये मानदण्ड निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो यूनाइटेट बैंक आफ इंडिया ने इस बारे में क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं ; और

(ग) उड़ीसा में यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं में 30 जून, 1985 तक ऋणों के लिए कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े थे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि ऋण आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। अलबत्ता, बैंक ऋण आवेदन पत्रों के निपटान पर नियमित रूप से नजर रखता है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार आवेदन पत्रों का निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) दिनांक 30 जून, 1985 को उड़ीसा में बैंक की विभिन्न शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की कुल संख्या 1340 थी जिनमें से 412 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर०डी०पी०) से, 50 स्वरोजगार योजना से, 446 सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं से, 24 लघु उद्योगों से, 330 कृषि ऋण, 76 अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों से और 32 परम्परागित ऋण मामलों से संबंधित हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तकनीकी विकास निधि योजनाओं के अन्तर्गत सहायता

5011. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तकनीकी विकास निधि योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत अनुमोदित कुछ मामलों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को तकनीकी विकास निधि योजनाओं के अन्तर्गत सहायता के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए थे तथा कितने मामलों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वास्तव में सहायता उपलब्ध करवाई गई है ;

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के सम्बन्ध में कितनी राशि दी गई ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) और (घ) के सम्बन्ध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०) ने सूचित किया है कि छठी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि के दौरान उसे तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए 409 आवेदन प्राप्त हुए थे। बैंक ने 400 आवेदन पत्रों के अन्तर्गत कुल 86.14 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की, जिसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सम्बन्धित एककों से निश्चित समय सीमा के अन्दर-अन्दर आवश्यक सूचना के न मिलने और/या एककों के पिछले असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण बैंक द्वारा 9 मामलों में सहायता किए जाने पर विचार नहीं किया जा सका।

विवरण

तकनीकी विकास निधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त/मंजूर किए गए आवेदनों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

(जुलाई-जून) मंजूरियां	1980-81			1981-82			1982-83		
	संख्या	परियोजना की लागत	स्वीकृत रकम	संख्या	परियोजना की लागत	स्वीकृत रकम	संख्या	परियोजना की लागत	स्वीकृत रकम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. आन्ध्र प्रदेश	4	0.86	0.57	2	0.63	0.46	3	0.36	0.27
2. असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. बिहार	—	—	—	—	—	—	1	0.60	0.14
4. गुजरात	12	3.40	1.85	16	4.83	3.05	8	2.55	2.35
5. हरियाणा	1	0.43	0.34	5	1.19	0.94	1	0.66	0.50
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. कर्नाटक	3	0.64	0.43	6	0.89	0.65	2	1.09	0.70
9. केरल	2	0.38	0.25	5	0.70	0.51	1	0.37	0.28
10. मध्य प्रदेश	6	1.20	1.00	1	0.36	0.27	2	1.23	0.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. महाराष्ट्र	18	4.99	3.10	25	6.40	4.90	17	839	4.92
12. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15 उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. पंजाब	2	0.58	0.34	4	0.50	0.30	2	0.65	0.13
17. राजस्थान	—	—	—	1	0.25	0.16	3	0.83	0.63
18. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	23	6.70	4.52	28	5.54	3.87	12	5.61	3.47
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	2	0.22	0.15	2	0.36	0.28	2	0.92	0.59
22. पश्चिम बंगाल	2	0.52	0.36	4	0.41	0.31	2	1.48	0.35
23. संघ राज्य क्षेत्र (नई दिल्ली)	—	—	—	3	0.51	0.33	—	—	—
जोड़ :	75	19.92	17.91	101	22.57	16.03	56	24.34	15.03

(करोड़ रुपए में)

मंजूरियां	1983-84 संख्या	परियोजना की लागत	स्वीकृत रकम	1984-85 संख्या	परियोजना की लागत	स्वीकृत रकम	जोड़ संख्या	परियोजना की लागत	स्वीकृत रकम
	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. आंध्र प्रदेश	6	1.54	1.10	5	2.33	1.94	18	5.62	4.34
2. असम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. बिहार	—	—	—	1	0.07	0.06	2	0.27	0.20
4. गुजरात	7	2.47	1.56	6	0.27	1.35	49	15.52	10.16
5. हरियाणा	4	1.92	1.19	4	0.38	0.77	15	4.58	3.74
6. हिमाचल प्रदेश	1	0.40	0.31	—	—	—	1	0.40	0.31
7. जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. कनर्टाक	4	1.69	1.21	4	0.83	0.64	19	5.14	3.63
9. केरल	1	0.23	0.13	1	0.51	0.40	10	2.19	1.57
10. मध्य प्रदेश	—	—	—	2	1.61	1.19	11	4.40	3.16
11. महाराष्ट्र	34	9.80	7.01	42	15.67	1142	136	45.25	3135
12. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16. पंजाब	1	0.34	0.23	—	—	—	8	2.07	1.00
17. राजस्थान	2	0.97	0.73	2	0.77	0.58	8	2.82	2.10
18. सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	11	3.83	2.51	13	4.83	3.15	87	26.51	17.52
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	3	0.53	0.29	4	3.60	2.17	13	5.63	3.48
22. पश्चिमी बंगाल	3	0.64	0.45	7	3.68	178	18	6.73	3.25
23. संघ राज्य क्षेत्र (नई दिल्ली)	—	—	—	—	—	—	3	0.51	0.33
जोड़	77	24.36	16.72	91	36.45	25.45	400	127.64	86.14

कृषि के लिए बैंक ऋण की वसूली दर में गिरावट

5012. श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के लिए बैंक ऋण की वसूली दर में गिरावट आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अधिक वसूली करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष कृषि ऋणों के मामले में सहकारी क्षेत्र के बैंकों की गत तीन वर्षों में वसूली सम्बन्धी स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	मांग की तुलना में प्रतिशत वसूली
जून 1982	52.2
जून 1983	53.2
जून 1984	51.6

वसूली खराब होने के मुख्य कारण हैं ; ऋण चुकाने में जानबूझ कर चूक, सूखा और अन्य प्राकृतिक विपदाएं, आधारभूत सुविधाओं की कमी, योजनाओं का उचित रूप से तैयार और मूल्यांकन न किया जाना, अपर्याप्त वित्तपोषण, अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वसूली सम्बन्धी स्थिति पर बराबर नजरें रखी जाती हैं। जिन बैंकों की वसूली सम्बन्धी स्थिति खराब है, उन्हें अपनी बकाया रकमों की वसूली के लिए अपने तंत्र को तेज करने के लिए कहा गया है। बैंकों से मूल्यांकन के अपने तरीकों में और सुधार लाने तथा अतिदेय रकमों के मामलों की संख्या को कम करने के लिए ऋणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के अपने प्रयत्नों को जारी रखने के लिए भी कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में हिदायतें जारी कर दी हैं।

सिले सिलाए कपड़ों के निर्यात में नीति-सम्बन्धी भारी परिवर्तन के लिए सुझाव

5013. श्री प्रतापराव बी० भोसले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने सिले-सिलाए कपड़ों के निर्यात संबंधी नीति में भारी परिवर्तन करने के सुझाव दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) : से (ग) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद ने 1986 के लिए परिधानों और निटवियर के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं। सरकार ने अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1986 के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति की घोषणा कर दी है। नीति की घोषणा के पश्चात् अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद की सिफारिशों के आधार पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं जैसे एक बार हलफनामा स्वीकार करना तथा ऋण पत्र में आर्डर नम्बर की शर्त समाप्त करना।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण शिविर आयोजित करना

5014. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रतिमाह ऋण मेले ऋण शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों और संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को इन मेलों (शिविरों) से संबद्ध किया जाएगा ; और

(ग) क्या सरकारी बैंकों के लिए गरीबी हटाओ कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए कोई लक्ष्य अथवा मार्गनिदेश निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे गरीबी हटाओं कार्यक्रम के हिताधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को 14 दिन के अन्दर-अन्दर निपटाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं। सातवीं आयोजना अवधि के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 करोड़ परिवारों को सहायता देने का प्रस्ताव है।

अघोषित आस्तियों का पकड़ा जाना

5015. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दोषी व्यक्तियों की अस्तियों की कुर्की और बिक्री से बकाया कर की कितनी राशि वसूल की गई है ;

(ख) जून 1985 तक कितनी बार छापे डाले गए और कितना माल जब्त किया गया ; और

(ग) इन छापों के दौरान कितने मूल्य की ओघषित आस्तियां पकड़ी गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान चल तथा अचल संपत्तियों की बिक्री के रूप में वसूल की गई राशि के सम्बन्ध में सूचना

नियमानुसार है :—

(1) चल संपत्ति की कुर्की

1982-83	1983-84	1984-85xx
486438 रु०	471231 रु०	87765 रु०

(2) अचल संपत्ति की कुर्की

1982-83	1983-84	1984-85xx
641802 रु०	769902 रु०	637305 रु०

(3) चल और अचल संपत्तियों की बिक्री

1982-83	1983-84	1984-85xx
4248 रु०	244093 रु०	6137 रु०

xxआंकड़े अनन्तिम है ।

(ख) और (ग) **1-1-1985 से 30-6-1985 तक के दौरान ली गई तालाशियां**

3225

1-1-1985 से 30-6-85 तक के दौरान पकड़ी गई परिसंपत्तियों की कीमत

17.54 करोड़ रु०

[हिन्दी]

खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की आपत्तियां

5016. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड की देश में किस तारीख की स्थापना हुई थी ;

(ख) इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे और देश में विभिन्न अन्वेषण अभिकरण की भूमिका की तुलना में इसे क्या भूमिका सौंपी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) खनिज गवेषण निगम लि० की स्थापना, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से खनिज गवेषण कार्यों और उससे संबंधित उपकरणों एल कार्मिकों की स्थानांतरित करके, 21 अक्तूबर, 1972 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गई थी । कम्पनी के गठन का मूल उद्देश्य था-खनिज गवेषण को वाणिज्यिक आधार देना तथा खनिज निक्षेपों की आरम्भिक खोज और परतर्ती विदोहन के बीच अन्तराल को कम करना । भारतीय भूर्वज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिजों निक्षेपों के प्रारंभिक निर्धारण तथा

क्षेत्र के सर्विस मानचित्रण के बाद, इस बात की पुष्टि करने का काम खनिज गवेषण निगम लि० का हो जाता है कि खनिज निक्षेप अच्छी किस्म का और पर्याप्त मात्रा में है या नहीं और सुलभ प्रौद्योगिकी द्वारा उसका लाभकारी ढंग से खनन किया जा सके। विभिन्न राज्यों के खनन तथा भूतत्व विभाग भी अपने-अपने क्षेत्रों में खनिजों का गवेषण करते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। खनिज गवेषण निगम अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहा है। उसकी उपलब्धियों के कुछ उदाहरण हैं :—

(क) विभिन्न खनिजों के 17,653 मि० टन मूल्यवान निक्षेपों की पुष्टि, यथा कोकिंग कोल 6493 मि० टन, नान-कोकिंग कोल 6954 मि० टन, तांबा-सीसा जस्ता अयस्क 295 मि० टन, लौह अयस्क 1972 मि० टन, निकिल अयस्क 65 मि० टन, चूनापत्थर 128 मि० टन, डोलोमाइट 53.76 मि० टन, फ्लोस्पार 0.77 मि० टन, ग्रेफाइट 1.32 मि० टन, बालू 62.78 मि० टन, स्वर्ण 1.47 मि० टन तथा बाक्साइट 1626 मि० टन।

(ख) कम्पनी के कार्य से देश के विभिन्न भागों में असंख्य खानों की स्थापना हुई है। कम्पनी की गवेषण रिपोर्टों के आधार पर नाल्को तथा हिन्दुस्तान कापर लि० सहित कई संगठनों द्वारा महत्वपूर्ण पूंजी निवेश निर्णय यिए गए हैं।

(ग) इस समय कम्पनी 40 से भी अधिक परियोजनाओं में गवेषण कार्य कर रही है। निगम राष्ट्रीय महत्व के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रोन्नत गवेषण कार्य हाथ में लेती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में निगम को 23.25 लाख मी० ड्रिलिंग तथा 1.35 लाख मीटर खोजी खनन करने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना में एल्यूमिनियम संयंत्रों की स्थापना

5017. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलूमिनियम का उत्पादन उसकी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो कितना कम है ; और

(ग) मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) एल्यूमिनियम के देशी उत्पादन और मांग में मामूली अंतर है, आयात द्वारा पूरा किया जाता है, जो इस प्रकार हैं ;

	देशी उत्पादन (टनों में)	एम० एम० टी० सी० द्वारा आयात (टनों में)
1984-85	276,492	56,094
1985-86 (नवम्बर तक)	173,737	23,759

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नेशनल एल्यूमिनियम कं० लि० (नाल्को) परियोजना, जिसकी एल्यूमिनियम की क्षमता 218,000 टन वार्षिक है, उत्पादन शुरु कर देगी और भारत एल्यूमिनियम कपनी (वाल्को) का ग्रहीत बिजली भी बन कर तैयार हो जाएगी ताकि बिजली के लिए राज्य बिजली बोर्ड पर निर्भर न रहना पड़े ।

स्टेपल फाइबर पर शुल्क कम करने के कारण विद्युत चालित करघा में रुग्णता

5018. **डा० ए० के० पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टेपल फाइबर पर शुल्क कम करके और फिलामेंट यार्न पर शुल्क कम न करके मिल क्षेत्र को रुगणता विष्तु चालत करघा क्षेत्र में अन्तरिम करने में सहायता की है ;

(ख) यदि हां, तो विद्युत चालत करघा क्षेत्र का किसी प्रकार से रुग्ण किए बिना मिल क्षेत्र की रुग्णता दूर करने का सरकार का क्या प्रस्ताव है ; और

(ग) इस प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं । पोलियस्टर फिलामेंट यार्न के प्रयोक्ताओं ने पोलियस्टर फिलामेंट यार्न की ऊंची कीमतों के कारण कुछ समय तक इसे नहीं उठाया । इस प्रकार लगभग 1 नवम्बर, 1985 को फिलामेंट यार्न के विनिर्माता इसकी कीमत तीव्र कमी करने के लिए वाध्य हो गए । ऐसी आशा है कि कीमत में में इस कमी के हो जाने से स्थिति शीघ्र ही सामान्य हो जाएगी ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ;

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

5019. **श्रीमती गीता मुखर्जी** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के जिन अधिकारियों को आरोप पत्र दिए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ करने में अनावश्यक विलम्ब के कारण, संबंधित अधिकारी या तो दोष मुक्त कर दिए गए हैं या उन्हें कम दण्ड दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विलम्ब भ्रष्टाचार को सबूत के समय के साथ-साथ स्वतः समाप्त करने के लिए किया गया ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में छोटी-मोटी सजा दी गई है जबकि सतर्कता विभाग द्वारा बड़े दण्डों की सिफारिश की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क)। जी. नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) भारत पर्यटन विकास निगम का सतर्कता प्रभाव यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें भेजे गए मामलों में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है या नहीं, प्रारम्भिक जांच पड़ताल करना है। ऐसी प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के आधार पर, सर्तकता प्रभाग सक्षम अनुशासन प्राधिकरण को यह सुझाव देता है।क मुख्य शासित (मेजर पेनल्टी) या गौण शासित (माइनर पेनल्टी) देने के लिए कार्रवाई शुरु की जानी चाहिए। सक्ष्म अनुशासन प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को उनके विरुद्ध मुख्य या गौण शास्ति (पैनल्टी) देने के लिए कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए आरोप-पत्र जारी किया जाता है। आरोप-पत्र के उत्तर में संबंधित कर्मारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद अथवा भारत पर्यटन विकास निगम आचरण, अनुशासन और अपील नियम 1978 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित नियमित विभागीय जांच करने के लिए नियुक्त जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर सक्षम अनुशासन प्राधिकरण शास्ति (पैनल्टी) लगाता है।

दार्जिलिंग में होटलों में सस्ती दरों पर स्थान उपलब्ध कराना

5020. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम वर्ग के स्वदेशी पर्यटकों को दार्जिलिंग में होटलों में सस्ती दरों पर स्थान मिलने में कठिनाई होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यटन विकास निगम के माध्यम से दार्जिलिंग में सस्ते दर वाले होटलों का निर्माण करने का है ;

(ग) दार्जिलिंग में इस समय भारतीय पर्यटन विकास निगम के कितने होटल हैं ; और

(घ) उनका शुल्क कितना है और क्या वह मध्यम वर्ग के स्वदेशी पर्यटकों के साधनों के भीतर है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दार्जिलिंग में बजट पर्यटकों के लिए आवास की कमी के बारे में पर्यटन विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है। वहां पर्यटक गृहों सहित लगभग 40 संस्थापनाएं हैं जो बजट पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करती हैं ; दार्जिलिंग में मध्यम वर्गीय आवास मिलने में यदि कोई कठिनाई है तो वह सीजनल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) शून्य।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में काफी संसाधन फर्मों द्वारा शोषण

5021. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक में काफी संसाधन फर्में काफी बोर्ड को अपने इशारे पर चला रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो संसाधकों का शोषण समाप्त करने और प्रतिष्ठापित क्षमता की कमी पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) यद्यपि क्योरिंग के सम्बन्ध में समय-समय पर अस्थायी समस्याएं पैदा हुई हैं, जैसी कि किसी अन्य औद्योगिक कार्य कलाप के संम्बन्ध में पैदा होती हैं ; काफी बोर्ड ने मांग की पूर्ति करने के लिए क्योरिंग की क्षमता बढ़ाने की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की है। उन क्योरिंग फर्मों के खिलाफ कार्यवाही की गई है जिनके बारे में ऐसा पाया गया है कि उन्होंने मानदण्डों का उल्लंघन किया है और आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सेवा की बेहतर क्वालिटी सुनिश्चित की जा सके।

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों में घाटा

5022. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संहचालित बहुत से होटलों में बहुत कम लोगों के आने और रख-रखाव की अधिक लागत के कारण भारी घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में अकबर होटल जैसे कुछ बड़े होटलों में बहुत कम लोगों के आने से उन्हें केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में बदल दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे से चल रहे भारत पर्यटन विकास निगम के इन होटलों को गैर-सरकारी क्षेत्र को पट्टे हर देने का है ; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में घाटे के क्या कारण हैं जबकि गैर-सरकारी होटलों में लाभ हो रहा है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री)श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के 24 होटलों में से 12 होटलों ने 1984-85 के दौरान नुकसान उठाया जिसका कारण दिल्ली में 3 नए होटलों का खुलना, जो कि गेस्टेशन पीरियड में हैं और जिन पर भारी ब्याज व ह्रास के कारण वित्तीय भार है ; खास-खास शहरों में होटल आवास का फालतू हो जाना, तथा कुछ होटलों के पूर्णतया संवर्धनात्मक उद्देश्यों के लिए अवस्थित होना था।

अकबर होटल के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रयोग किए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भारत पर्यटन विकास निगम के पास अपने किसी भी होटल को प्राइवेट सैक्टर को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्वतीय स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ता

5023. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है पर्वतीय स्टेशनों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में इस पर असंतोष है कि राज्य सरकारी सेवाओं में उनके समकक्ष अधिकारियों की तुलना में उन्हें बहुत कम प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकारी कर्मचारियों को दिए जा रहे भत्तों के बराबर सभी भत्ते देने सम्बन्धी उनकी मांग पर विचार किया है और क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए क्या अनुवर्ती कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ओर क्या उनकी मांग चौथे वेतन आयोग को भेजी जाएगी और यदि पहले ही भेज दी गई है तो उसे किस तारीख को भेजा गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) पर्वतीय स्थानों पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता जैसे पर्वतीय प्रतिपूरक और शरदकालीन भत्ते तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिए जा रहे हैं। चौथा वेतन आयोग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों और अन्य सेवा शर्तों का सम्पूर्ण तंत्र का पहले ही अध्ययन कर रहा है। इन भत्तों के संशोधन के प्रश्न पर चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर उनको दृष्टि में रखकर विचार किया जाएगा।

ऐसे स्थानों, जिन्हें कष्टप्रद और दूरस्थ समझा जाता है, पर तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता भी दिया जाता है। इनमें पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं। इस भत्ते की स्वीकृति के लिए क्षेत्रों के वर्गीकरण के मामले में, भारत सरकार उन दरों को नहीं अपनाती जिन पर राज्य सरकारें अपने निजी कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूरक भत्ता देती हैं, बल्कि इस भत्ते की ग्राह्यता के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए केवल क्षेत्रों के वर्गीकरण को अपनाती है और दरों का निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह भत्ता उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में विशेष स्थानों पर ग्राह्य है। हाल ही में स्थिति की समीक्षा की गई थी और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।

गुजरात में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने के संबंध में शिकायतें

5024. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और बैंक अधिकारियों को कुछ बेईमान लोगों द्वारा अनुचित तरीके से स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात के राजकोट, भावनगर, कच्छ, अमरेली और जूनागढ़ जिलों में 1 जनवरी, 1984 से 30 नवम्बर, 1985 की अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों और ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन लोगों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने बैंकों को धोखा देकर इस तरह के ऋण लिए हैं ; और

(घ) ऋणों की राशि वापस लेने के लिए और इन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बैंकों को वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं। अलबत्ता, एक ऐसी योजना में, जिसे इतने बड़े पैमाने पर सारे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, ऋण मंजूर करने में देरी होने, ऋण मंजूर न किए जाने, ऋणों के दोषपूर्ण वितरण और अपात्र व्यक्तियों द्वारा ऋण प्राप्त किए जाने की कुछ शिकायतें हमेशा हो सकती हैं। जब कभी खास-खास उदाहरण/शिकायतें सामने आती हैं, उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से उनकी जांच की जाती है।

गुजरात के जिलों में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देना

5025. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इस बीच प्रक्रियाओं को सरल बना दिया है जिससे शिक्षित बेरोजगार स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत बिना अधिक कठिनाई के बैंकों से ऋण और अनुदान प्राप्त कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गुजरात के राजकोट, भावनगर, अमरेली, कच्छ, जूनागढ़ और जामनगर जिलों में 1 जनवरी, 1984 से 30 नवम्बर, 1985 के दोरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने शिक्षित बेरोजगार लोगों को बैंक ऋण दिए गए ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों ने ऋण के लिए आवेदन दिए और किमने मामलों में ऋण के आवेदन अस्वीकार किए गए थे और उनके अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) प्रत्यक बैंक द्वारा उक्त जिलों में वर्ष 1986 और 1987 के दौरान इस प्रकार ऋण देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवत माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोज़गार योजना से है जो वर्ष 1983 में आरम्भ की गई थी । भारतीय रिजर्व बैंक ने समय-समय पर स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत युवकों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उचित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं । इनके अनुसार बैंक को ऋण के लिए मार्जिन राशि या संम्पश्विक प्रतिभूतिना तीसरे पक्ष की गारंटी के रूप में मालिक के अंशदान की मांग नहीं करनी चाहिए । बैंक के लिए प्रतिभूति बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से निर्मित परिसंपत्तियां होंगी । बैंकों को योजना के अन्तर्गत प्रयोजित मामलों के संबंध में शाखा प्रगन्धकों को पर्याप्त विवेकाधीन अधिकार देने के लिए कहा गया है ताकि वे उच्च अधिकारियों को संदर्भ किए बिना ऋण मंजूर कर सकें । प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने और बैंकों की शाखाओं को उघित मामलों की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक जिले से एक कृतिक बल का गठन किया गया है । शाखा प्रबन्धक द्वारा ऋण प्रस्ताव को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन के अन्दम-अन्दर निपटाना होता है ।

(ग) और (घ) बैंकों की आंकड़ां सूचना प्रणाली से प्रश्न में मांगे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती । अलबत्ता, प्राप्त सूचना के अनुसार, संबंधित जिलों के बारे में वर्ष 1983-84 और 1984-

85 के दौरान मंजूर किए गए आवेदनों की संख्या के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

जिले का नाम	1983-84	1984-85
राजकोट	799	197
भावनगर	404	335
अमरेली	150	184
कच्छ	568	122
जूनागढ़	328	149
जामनगर	*एन०आर०	196

(*जामनगर जिले की वर्ष 1983-84 से संबंधित सूचना विकास आयुक्त) लघू उद्योग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई थी ।

(ङ) इस योजना की परिचालन अवधि केवल वर्ष 1985-86 के लिए बढ़ाई गयी है । अतः वर्ष 1986 और 1987 के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

[हिन्दी]

भारत एल्यूमिनियम कंपनी, कोरबा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कोटे की पूर्ति करना

5926. **श्री कुंवर राम : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत एल्यूमिनियम कंपनी, कोरबा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षित कोटा न भरने के क्या कारण हैं ;और

(ख) आरक्षित कोटे को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमत राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० की कोरवा यूनिट में, सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप, समूह "ग" और "घ" श्रेणियों में अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त कर्मचारी हैं । तथापि, कंपनी के निर्माण के समय, समूह "क" और समूह "ख" के तकनीकी और महत्वपूर्ण पदों पर, इन समुदायों के लोगों को, योग्य व्यक्ति न मिलने के कारण, पर्याप्त संख्या में नियुक्त करना संभव नही हुआ । कंपनी ने मैबेंधक-प्रशिक्षुओं के रूप में भर्ती हेतु एक मात्र इन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए खुले विज्ञापन देना पहले ही शुरु कर दिया हैं । कंपनी द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के माध्यम से उच्च ग्रेड पदों में भी इन समुदायों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं ।

[अनुवाद[

गगनचुम्बी भवनों के निर्माता और उनके द्वारा भेजे गए फ्लेटों के खरीददार

5027. **श्री कुंवर राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेधन का पता लगाने के लिए गगनचुम्बी भवनों के निर्माताओं और उनके द्वारा बेचे गए फ्लैटों के खरीददारों अथवा तथाकथित सामूहिक आकास समितियों के वास्तविक अथवा नकली पदधारियों अथवा इन भवनों के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने वाले अभिकरणों की मूल परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें उनकी अवैध सम्पत्ति का पता लगाने में सहायता मिली है ; और

(ग) क्या इन तत्वों द्वारा कालाधन एकत्र करने के लिए प्रयोग किए जा रहे तरीकों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है। फिर भी, जब कभी आयकर विभाग को को निश्चित सूचना मिलती है तो उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

[हिन्दी]

बिहार के गया जिले से मूर्तियों और अन्य पेंटिंग्स का निर्यात

5028. **श्री कुंवर राम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया जिले के पथ्थलकटी ग्राम के कारीगरों द्वारा निर्मित मधुबनी, पेंटिंग्स मूर्तियों और पत्थर की बनी अन्य वस्तुओं का निर्यात करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय अशाक के समय से आ रही उक्त प्रस्तर कला के विकास के लिए उपाय करेगा ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों के लिए कच्चे पटसन की आवश्यकता

5029. **श्री अनिल बसु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पटसन निर्माता संघ अथवा गैर-सरकारी पटसन मिल मालिकों को कच्चे पटसन का बफर स्टाक जमा करने पर सहमत कराया है ;

(ख) यदि हो, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों को कितने पटसन की आवश्यकता है ;

(ङ) क्या भारतीय पटसन निगम द्वारा कुल आवश्यकताएं सप्लाई की जाती हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) से (छ) नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन मिलों की कच्चे पटसन की सम्पूर्ण जरूरतों की सप्लाई जूट कार्पोरेशन आफ इंडिया (जे०सी०आई०) द्वारा की जाती है। बताया गया है कि नेशनल जूट मैन्युफैक्चर्स कार्पोरेशन (एन०जे०एम०सी०) ने चालू पटसन मौसम के दौरान अपनी सम्पूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे पटसन की 7.53 लाख गांठों की खरीद के लिए जे०सी०आई० को मांग भेजी है।

विवरण

पटसन (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश 1961 की धारा के अधीन पटसन आयोग द्वारा 6-9-85 को निजी क्षेत्र में कार्य कर रही 54 पटसन मिलों के संबंध में एक आदेश जारी किया जिसमें इस बात का आदेश था कि क्रमशः 30-9-85 और 31-10-85 तक 6 सप्ताह और 10 सप्ताह की खपत जरूरतों के बराबर कच्चे पटसन के स्टाकों को बनाया जाए। दस सप्ताह के स्तर तक कच्चे पटसन का स्टाक बनाने के लिए समय सीमा 31-10-1985 से बढ़ाकर 15-11-1996 कर दी गई है। 6-9-1985 के उनके निदेश का अनुपालन करते हुए जिन पटसन मिलों ने 31-10-1985 को 10 सप्ताह के स्तर तक का स्टाक बना लिया था उन्हें यहां भा निदेश दिया गया था कि ऐसे स्टाकों को नबम्बर, 1985 के दौरान किसी समय इस स्तर से नीचे न जाने दें। 29-11-85 के अन्य आदेश द्वारा पटसन मिलों को यह निदेश दिया गया था कि 31-12-85 तक 10 सप्ताह के स्टाक से कम स्टाक स्तर न रखा जाये। उन 54 मिलों में से जिन्हें पटसन आयुक्त द्वारा निदेश जारी किया गया था, 28 मिलों ने 30-9-1985 तक 6 सप्ताह के खपत स्तर और उससे अधिक के बराबर स्टाकों को बनाकर निदेश का अनुपालन किया। 31-10-85 को स्थिति के अनुसार 34 मिलों ने 10 सप्ताह और अधिक खपत के स्तर के स्टाक बनाएं।

पटसन आयुक्त द्वारा दोषी मिलों के खिलाफ नवम्बर 1985 महीने के लिए बी० ट्विल के कोटा आवंटन से उनको वंचित करके प्रशानिक उपाय किए हैं। इसका हितकारी प्रभाव हुआ है तथा दोषी मिलों द्वारा स्टाक बनाये जाने के प्रयासों में हाल में अच्छा सुधार हुआ है।

कच्चे पटसन का बफर स्टाक

5030. **श्री अनिल बसु:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम ने सितम्बर, 1985 में कच्चे पटसन की खरीद आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय पटसन निगम ने इस वर्ष राष्ट्रीयकृत पटसन मिलों की आवश्यकताओं अतिरिक्त कच्चे पटसन का बफर स्टाक जमा किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारतीय पटसन निगम ने अगस्त, 1985 के शुरू से कच्चे पटसन की खरीद प्रारम्भ की तथा राज्य सहकारी समितियों के सहयोग से 11-12-85 तक लगभग 20 लाख गांठों की रिकार्ड खरीद की। आगे खरीद तेजी से चल रही है ।

(ग) से (ङ) एन० जे०एम०सी० मिलों की कच्चे पटसन की आवश्यकताओं के अतिरिक्त भारतीय पटसन निगम राज्य सहकारी समितियों के सहयोग से पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए मूल्य समर्थन संचालन के अन्तर्गत कच्चे पटसन की खरीद कर रहा है ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद

5031. **श्री अनिल बसु :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निमम द्वारा नवम्बर, 1985 के अन्त तक महीनेवार, कच्चे [illegible] की कितनी मात्रा खरीदी गई और खरीद के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त खरीद इस वर्ष के कच्चे पटसन के उत्पादन का 33 प्रतिशत है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्यों में 25 रुपए और मिलाकर की गई थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) यह मानते हुए कि मध्य दिसम्बर, 1985 तक बाजार में 85.90 लाख

गाठों की अनुमानित फसल का लगभग 75 प्रतिशत बाजार में आ गया है, भारतीय पटसन निगम/सहकारिताओं द्वारा 12-12-85 तक की गई कुल अधिप्राप्ति लगभग 30-32 प्रतिशत बनती है। आगे खरीदारियां चल रही हैं।

(घ) और (ङ) भारतीय पटसन निगम ने सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक कीमत से ऊपर 25 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत सीमा के अन्दर अपने सीमित वाणिज्यिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1.34 लाख गांठों की कुल मात्रा की खरीद की।

विवरण

सहकारिताओं के सहयोग से भारतीय पटसन निगम द्वारा 12-12-85 तक चालू पटसन सीजन के दौरान महीने-वार खरीदे गए कच्चे पटसन की कुल मात्रा नीचे दिए गए अनुसार है :—

(मात्रा प्रत्येक 180 किग्रा० की लाख गांठों में)

मात्रा	भा०प०नि०	सहकारिताएं	योग
अगस्त	0.26	0.83	0.29
सितम्बर	2.91	2.10	4.01
अक्तूबर	4.75	2.26	7.01
नवम्बर	4.17	2.89	7.06
दिसम्बर (12-12-85 तक)	1.14	0.82	1.96
योग	1325	7.10	2023

12-12-85 तक राज्य-वार खरीदारियों के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार है :—

(मात्रा प्रत्येक 180 किग्रा० को लाख गांठों में)

राज्य	खरीदारियां
1	2
पश्चिमी बंगाल	13.33
असम	2.80
बिहार	2.44
उड़ीसा	0.62

1	2
मेघालय	0.11
त्रिपुरा	0.68
आंध्र प्रदेश	0.33
उत्तर प्रदेश	0.02
योग :	20.33

कोचीन मंगलौर, मद्रास, बम्बई पत्तनों पर सीमा शुल्क अधिकारियों की काली सूचियां तैयार करना में संशोधन

5032. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कोचीन, मंगलौर, मद्रास, बंबई आदि पत्तनो में जांच करने और सीमा शुल्क अधिकारियों की काली सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र जांच दल भेजे जाते हैं ;

(ख) क्या उन्होंने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी जांच का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों की न तो कोई काली सूची तैयार की गई न ही इस उद्देश्य के लिए कोई जांच-पड़ताल की गई है। तथापि, विभाग केन्द्रीय जांच ब्यूरों के साथ ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की सूची तैयार करता है जिनकी सत्यनिष्ठा के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती हैं या जिनकी सत्यानिष्ठा पर संदेह होता है। इन सूचियों की सतत समीक्षा की जाती है।

आवासीय मकान से होने वाली सम्भावित आमदनी पर छूट देने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन

5033. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों और शहरी विकास और स्थानीय सरकार की केन्द्रीय परिषद ने एक व्यक्ति द्वारा वास्तव में निवास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कम से कम एक रिहायशी मकान को सम्भावित आमदनी से छूट देने के लिए सरकार से कई बार अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या निकट भविष्य में कर ढांचे को युक्ति-संगत बनाने और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने प्रयोग के लिए अधिक मकान बनाने हेतु प्रोत्साहित करने की

दृष्टि से उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर अधिनियम को संशोधित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि नही, तो उक्त प्रस्तावों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) स्वधारित सम्पत्ति से होनेवाली आय पर कर से छुट देने के लिए इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव स्थानीय सरकार, शहरी विकास और आवास मंत्री को केन्द्रीय परिषद द्वारा की गई सिफारिश से उत्पन्न हुआ है। सरकार प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के बारे में निर्णय अगले वर्ष संसद में पेश किए जाने वाले "प्रत्यक्ष कर" (संशोधन) विधेयक से परिलक्षित होगा।

मेटल एंड स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन को आयरन स्क्रेप की सप्लाई

5034. **श्री एन० वेंकट रत्नम :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मेटल एंड स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन को कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का आयरन स्क्रेप सप्लाई किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि बबंई पोर्ट ट्रस्ट ने आयरन स्क्रेप की सप्लाई बंद कर दी है जिसके परिणामस्वरूप 40 एककों द्वारा किए जाना वाला पोतों को तोड़ने का कार्य रुक गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन को लोह स्क्रेप की सप्लाई की गई है। परन्तु बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन से अनुरोध किया है कि बम्बई को सप्लाई करने के लिए तोड़ने हेतु विदेशी ध्वज पोतों का आयात न किया जाए। फिर भी, उन्होंने बम्बई में भारतीय ध्वज पोतों को तोड़ने के लिए अनुमति दी है। चूंकि वहां पर भारतीय ध्वज पोतों को तोड़ने के लिए श्रमिकों का उपयोग किया जा रहा है अतः श्रम-शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना नहीं मिली है ।

विश्व मिर्च बाजार में भारत की स्थिति

5035. **प्रो० पी० जे० कूरियन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने विश्व मिर्च बाजार में अपनी स्थिति खो दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इस व्यापार में भारत की खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत विश्व बाजार में काली मिर्च के मुख्य निर्यातकों में से एक है। गत चार वर्षों में विश्व के काली मिर्च के व्यापार में भारत का भाग निम्नोक्त प्रकार रहा है :—

1981	—	14 प्रतिशत
1982	—	16 प्रतिशत
1983	—	22 प्रतिशत
1984	—	20 प्रतिशत

तथापि, अपेक्षाकृत लम्बी अवधि की स्थिति देखने पर मुख्य रूप से ब्राजील के विश्व बाजार में काली मिर्च के एक महत्वपूर्ण सप्लायर के रूप में उभरने के परिणामस्वरूप सापेक्ष रूप से गिरावट आई है।

(ग) काली मिर्च के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय के तत्वावधान में, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाता है। मेलों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के दौरे आदि जैसे अन्य संवर्धनात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने का प्रस्ताव

5036. श्री पी० ए० एन्टनी० : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट और लक्षद्वीप के बीच विशेष रूप से पर्यटकों के लिए पोत सेवा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) लक्षद्वीप में पर्यटन बढ़ाने का क्या कोई अन्य प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) कालीकट और लक्षद्वीप के बीच यात्री-नौ-परिवहन सेवाएं प्रारंभ करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) परिस्थितिय व परिवेशात्मक पक्षों तथा अधारभूत संरचना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार का, लक्षद्वीप द्वीप-समूह में चयनात्मक आधार पर पर्यटन का संवर्धन करने का प्रस्ताव है।

बैंकों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें

5039. श्री के० कुन्जम्बु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों, बेरोजगार लोगों और अन्य वर्गों के लोगों को ऋण वितरित करते समय बैंक अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कदाचार के बारे में सरकार को आम शिकायतों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार इस वर्ष ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) दोषो व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से आंकड़े प्राप्त नहीं होते । अलबत्ता, ऐसी योजनाएं जो इतने बड़े पैमाने पर सारे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं, उनमें ऋण मंजूर करने में देरी होने, ऋण मंजूर न किए जाने, ऋणों के दोष पूर्ण वितरण, अपात्र व्यक्तियों द्वारा ऋण प्राप्त किए जाने, बैंक अधिकारियों की अन्तर्ग्रस्तता की कुछ शिकायतें हमेशा हो सकती हैं । सरकार को बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचार या भ्रष्टाचार की विशिष्ट शिकायतें जब कभी मिलती हैं उनकी जांच की जाती है और सम्बन्धित बैंकों द्वारा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मामलों का ब्यौरा

5038. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यरों ने कुछ सरकारी अधिकारियों, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के अधिकारियों और वस्त्र निर्यातकों के विरुद्ध फरवरी मार्च, 1985 में मामले दर्ज किए थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा गया है ;

(ग) उन मामलों के क्या परिणाम रहे ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

ग्रेनाईट शिलाओं का निर्यात

5039. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं किन्हें कर्नाटक में नए मंगलौर पत्तन सेबड़ी मात्रा में ग्रेनाइट शिलाओं का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) इसका निर्यात किस प्रयोजन के लिए किया जाता है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इससे वार्षिक आय कितनी है ; और

(घ) 1983-84 के दौरान उपरोक्त से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) कर्नाटक में न्यू मंगलौर

बंदरगाह से जापान, पश्चिम जर्मनी, इटली, ताइवान सं० रा० अमरीका, हांगकांग, द० कोरिया, स्पेन अदि को ग्रेनाइट बोल्डरों का निर्यात किया जा रहा है।

(ख) इन ग्रेनाइट बोल्डरों का निर्यात स्मारकों के निर्माण, पालिस की हुई ग्रेनाइट की टाईलों के उत्पादन, सजावटी पैनलों, फर्शों आदि को तैयार करने में प्रयोग के लिए किया जा रहा है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट ब्लाकों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :

		(करोड़ रु० में)
1982-83	...	10.29
1983-94	...	18.48
1984-85	...	32.76

भारत और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित व्यापार समझौते

5040. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के पश्चात् भारत और सोवियत संघ के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो व्यापार समझौतों का कुल मूल्य क्या है ; और

(ग) समझौता मुख्य रूप से किन उत्पादों के संबंध में हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और जैसे ही उपलब्ध हो जाएगी, सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनन क्षेत्र में विकास लक्ष्य

5041. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खनन क्षेत्र के लिए क्या विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या उहाय करने का विचार है ;

(ग) इसके लिए क्या योजनायें लागू करने का विचार है ;

(ग) सातवीं योजना में खनन क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) वांछित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) यह प्रश्न कदाचित खान विभाग की खनन यूनिटों के बारे में है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड

सातवीं योजना के दौरान वर्ष 1985-86 तथा 1989-90 में तांबे की मांग क्रमशः लगभग 1,16,000 टन होने का अनुमान है, अर्थात् उसमें हर वर्ष 3.6% की औसत वार्षिक वृद्धि होगी।

खनिज गवेषण निगम लि०

7वीं योजना के लिए इस कम्पनी का वार्षिक विकास लक्ष्य 11% के लगभग है।

भारत एल्युमिनियम कम्पनी लि०

7वीं योजना के लिए वार्षिक विकास दर 9% आंकी गई है। निम्नलिखित सारणी में घरेलू उत्पादन तथा तथा भलित बढ़ोतरी/कमी के अनुमान दिए गए हैं;—

(टन/वर्ष)

	मांग	उत्पादन	बढ़सरीं/कमी
1985-86	338	280	(—) 58
1986-87	368	289	(—) 79
1987-88	400	393	(—) 7
1988-89	436	483	(+) 47
1989-90	475	496	(+) 24

हिन्दुस्तान जिंक लि०

जस्ते के लिए 7% तथा सीसे के लिए 14.5% चक्रवृद्धि विकास दर की परिकल्पना की गई है।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०

यह एक बड़ी एल्यूमिना/एल्यूमिनियम परियोजना है, जिसमें 24 लाख टन वार्षिक क्षमता की बाक्साइट खान, 8 लाख टन वार्षि क्षमता का एल्यूमिना संयंत्र तथा 2.18 लाख टन वार्षिक क्षमता का एल्यूमिनियम प्रद्रावक शामिल है। परियोजना की संशोधित लागत 24(8.14 करोड़ रु० होने का अनुमान है। वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल, 1987 से प्रारम्भ हो पाएगा।

भारत गोल्ड माइसन्‍ लि०

सातवीं योजना के लिए इस कम्पनी की विकास दर का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है।

(ख) और (ग) **हिन्दुस्तान कापर लि०**

तांबा उत्पादन बढ़ाने के लिए अल्पकीन उपायों में, खेतड़ी (राजस्थान) और घाटशिला (बिहार) वारप कम्पलेक्स के प्रद्रावकों एवं शोधनशालाओं की खराबियों को दूर करना/आधुनिकीकरण करना तथा देशी प्रद्रावण क्षमता से अधिक सान्द्रों को टोल प्रद्रावण हेतु विदेश भेजना शामिल हैं।

ताम्बोत्पादन की दीर्घकालीन योजना के लिए बिहार की सिंहभूम तथा मध्य प्रदेश की मलंजखंड ताम्बा पट्टी के विस्तृत गवेषण का इंतजार है।

खनिज गवेषण निगम लिमिटेड

ड्रिलिंग खनन और भूविज्ञान संबंधी पुराने उपकरणों के बदले आधुनिक उपकरण अपना कर बड़े पैमाने पर भूभौतिकी विधियां एवं कम्प्यूटर लगाकर, मानव संसाधन के सघन विकास तथा उत्पादकता में वृद्धि द्वारा अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

निकम का 18 लाख मीटर ड्रिलिंग तथा 9500 मीटर खनन का प्रास्ताव है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०

बिजली के प्रसंग में आत्मनिर्भरता द्वारा अधिकतम उत्पादन हासिल करने के लिए नाल्को और बाल्को दोनों सरकारी उपक्रम अपने निजी बिजलीघर लगा रहे हैं। निजी क्षेत्र में हिन्डाल्को का अपना ग्रहीत बिजलीघर है।

हिन्दुस्तान जिंक लि०

7वीं योजना के दौरान सीसा तथा जस्ता के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रस्तावित तरीके हैं:— (1) नई उत्पादन क्षमताओं का सृजन, तथा (2) मौजूदा क्षमताओं के अधिकतम उपयोग के लिए मौजूदा संयंत्रों का अधुनिकीकरण निम्नलिखित के कार्यान्वियन का प्रताव है :—

राजस्थान में जस्ते की 70,000 टन वार्षिक क्षमता तथा सीसे की 35,000 टन वार्षिक क्षमता के एक विशाल सीसा-जस्ता प्रद्रावक की स्थापना। यह परियोजन राजस्थान के रामपुरा-अगुचा, सीसा जस्ता निक्षेपों पर आधारित होगी जिसका 7वीं योजना के दौरान विकास किया जाएगा।

भारत गोल्ड माइन्स लि०

सवाल नहीं उठता।

नेशनय एल्यूमिनियम कंपली लि०

कम्पनी अभी निर्माणाधीन है।

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान कापर लि०

7वीं योजना में शामिल कई स्कीमें हैं—

स्कीम नाम/किस्म	7वीं योजना परिव्यय (करोड़ रु० में)
1. मौसाबानी खान विस्तार	0.60
2. मलंजखंड तांबा परियोजना	0.60
3. सुर्दा विस्तार	0.50
4. खेतड़ी कापर कम्पलैक्स में गैस टरबाइन	6.31
5. नई स्कीमें	70.84
6. प्रतिस्थपन, नवीकरण तथा बस्ती	65.00
7. कैपीटल खान विकास	15.95
8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	5.20
	165.00

खनिज गवेषण निगम लि०

प्रोन्नत परियोजनाओं के लिए 70 करोड़ रु० तथा पूंजी परिव्यय के लिए 55 करोड़ रु० निर्धारित है।

भारत एल्युमिनियम कंपनी लि०

	(करोड रु० में)
(1) तौजूदा स्कीमें	
गन्धमार्दन खानें	25.54
ग्रहीत ताप बिजलीघर	192.00
विशेष ग्रेड एल्यूमिना तथा गैलीयम के लिए साध्यता अध्ययन	2.45
जोड़	319.09
(2) नई स्कीमें	
एल०पी०जी० संयंत्र, जे० के० नगम में	0-01
(3) प्रतिस्थापन/नवीकरण तथा टाऊनशिप	8.00
(4) अनुसंधान और विकास स्कीम	3.00
जोड़	331.00

हिन्दुस्तान जिंक लि०

7वीं योजना में 104 करोड़ रु० का प्रावधान इस प्रकार है :—

	(करोड़ रु० में)
(1) मौजूदा स्कीमें	6.40
(2) नई स्कीमें	44.20
(3) प्रतिस्थापन तथा नवीकरण	50.00
(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीमें	3.40
जोड़	104.00

भारत गोल्ड माइन्स लि०

इसके लिए 7वीं योजना में 21.10 करोड़ रु० का प्रावधान निम्नलिखित है :—

	(करोड़ रु० में)
(1) मौजूदा स्कीमें	8.42
(2) नई स्कीमें	2.10
(3) प्रतिस्थान/नवीकरण	10.28
(4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीमें	0.30
जोड़	21.00

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि०

	(करोड़ रुपए)
(1) मौजूदा स्कीमें उड़ीसा एल्यूमिनियम कम्पलैक्स	1154.00
(2) नई स्कीमें हाऊनस्ट्रीम सुविधायें	20.00
जोड़	114.00

ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत सोडा एश का आयात

5043. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत सोडा एश का संपूर्ण आयात, आयात करने से पहले तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत करना अपेक्षित होता है ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस वर्ष से लागू की गई है ; और

(ग) वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 (अंतिम माह तक) के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत आयात का लैरा क्या है और (एक) आयातकों के नाम, (दो) आयात की मात्रा, (तीन) सी० आई० एफ० मूल्य, (चार) कुल मूल्य, और (पांच) उन देशों के नाम जहां से आयात किया गया है का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) 1983-84।

(ग) विवरण संलग्न है ।

विवरण

डी० जी० टी० डी० में दर्ज सोडा-ऐश के आयात के ब्यौरे

अवधि	आई एण्ड ई० पी० सैल डी० जी० टी० डी में दर्ज मात्रा (मे० टन में)	आयात/मे० टन का औसत मूल्य अमरीकी डालर में	दर्ज मात्रा का कुल मूल्य अमरीकी डालर में	आयात के मुख्य देश	आयात उद्योग
1	2	3	4	5	6
1983-84	35.000	102	35,70.000	कीनिया, रूमानिया, बल्गारियां, जर्मनी तथा सं० रा० अमरीका	ग्लास, डिटरजेंट, सिलीकेट आदि
1984-85	72.390	127	91,93,530	-वही-	-वही-
1985-86 (10 दिसम्बर, 1965 तक)	1,90,531	110	2,28,63,720	-वही-	-वही-

केरल में कन्नानौर जिले में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए आबंटित धनराशि

5043. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हाथरघा क्षेत्र के विकास के लिए किनती धनराशि आबंटित की है ;

(ख) केरल में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए कितने प्रतिशत धनराशि आबंटित की गई हैं ; और

(ग) क्या जिला-वार धनराशि के आवंटन के मामले में केरल में कन्नानौर जिले की ओर कोई विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि जिले की गरीब जनता का प्रमुख भाग हथकर्घा निर्माण व्यापार में लगा हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) अंर (ख) हथकरघा क्षेत्र को संघ सरकार की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 168 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। हथकरघा क्षेत्र के लिए संघ सरकार की योजना निधियों का कोई राज्य-वार या जिले वार आबंटन नहीं किया जाता। राज्यों को धन अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के अधार पर रिलीज किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठाता ।

वस्त्र निर्यात संबंधी बागची समिति

5044. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र निर्यात संबंधी बागची समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) समिति को ज्ञापन देने वाले वस्त्र घरानों और निर्यातकों का ब्यौरा क्या है ; सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मौखिक साक्ष्य के लिए बुलाए गए वस्त्र निर्यातकों आदि का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) अध्ययन समूह की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने सार्वजनिक सूचना सं० 28-ई०टी०सी० (पी० एन०)/85 दिनांक 4 सितम्बर, 1985 के द्वारा परिधानों और निटवियर के लिए निर्यात हकदारी वितरण नीति की घोषणा कर दी है जिसकी मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद और कुछ निर्यातक एसोसियेशनों ने अध्ययन समूह को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी जिन्हें नीति तैयार करते समय ध्यान में रखा गया था ।

(घ) मौखिक साक्ष्य लेने की कोई प्रथा नहीं है।

विवरण

सरकार द्वारा घोषित परिधानों तथा निटवियर संबंधी 1986 हेतु निर्यात हकदारी विवरण नीति के अनुसार, 1986 में चार आबंटन प्रणालियां होगी। प्रत्येक प्रणाली में आबंटित प्रणालियां तथा स्तर निम्नोक्त प्रकार हैं :—

प्रणाली	वार्षिक स्तर की प्रतिशतता
(क) पिछला निष्पादन (पी०पी०ई०)	65
(ख) एफ०सी०एफ० सम० छोटे आर्डर	25
(ग) विनियर्माता (एम०ई०ई०)	7
(घ) केन्द्रीय राज्य निगम	3

आबंटन-वर्ष वितरण और मात्रा वितरण :

2. पी०पी०ई० प्रणाली और एम०ई०ई० प्रणाली के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1986 से 30 सितम्बर, 1989 तक एक आबंटन अवधि होगी। पी०पी०ई० प्रणाली के अन्तर्गत 50 प्रतिशत आबंटन का उपयोग 30 अप्रैल, 1986 तक दिया जाना होगा। एफ०सी०एफ०एस० छोटे आदेश प्रणाली के अधीन बुनी हुई मदों के लिए तीन अवधियां होंगी। उपरोक्त मदों के लिए इन तीनों अवधियों में आबंटन पहली अवधि में कुछ वार्षिक स्तर का 15 प्रतिशत दुसरी अवधि में 7 प्रतिशत और तीसरी अवधि में 3 प्रतिशत होगा। एफ० सी० एफ० एस० प्रणाली के अन्तर्गत बुनी मदों के लिए दो अवधियां होंगी। पहली अवधि में निर्धारित स्तर के 85 प्र० श० की अनुमति है और दूसरी अवधि में 15 प्रतिशत की अनुमति होगी।

विगत निष्पादन प्रणाली :

3. विगत वर्षों की भांति विगत निष्पादन का हिसाब लगाने की 21/2 वर्ष अर्थात् 1983, 1984 तथा जनवरी, जून, 1985 होगी। इस प्रणाली के अन्तर्गत निर्यातक आबंटन हेतु भी पात्र होगा यदि उसका इन तीन वर्षों में से हिन्दी दो वर्षों के दौरान संगत देश/श्रेणी में निर्यातक निष्पादन हों।

पहले आओ, पहले पाओ छोटे आर्डर प्रणाली :

4. फर्मों द्वारा हकदारियों संबंधी हस्तक्षेप समाप्त करने के उद्देश्य से इस प्रणाली के अन्तर्गत आवेदन को निर्धारित प्रपत्र में एक ऐसा हलफनामा देना होगा कि उनका किसी भी संबंध फर्म ने इस प्रणाली के अन्तर्गत हकदारी हेतु आवेदन नहीं किया है। नकस्लों भूविंग मदों के आबंटन की पात्रता हेतु पंजीकरण की तारीख 31-12-1983 होगी।

विनिर्माता-निर्यातक प्रणाली :

5. इस प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन वस्त्र आयुक्त द्वारा किया जाता रहेगा। इस प्रणाली

के अन्तर्गत आबंटन हेतु उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा ।

स्लों मूविंग मदें :

6. स्लों मूविंग मदों की श्रेणी के अन्तर्गत और अधिक मदें जोड़ने के उद्देश्य से स्लों मूविंग मदों की परिभाषा उदार बना दी गई है ।

बैंक गारंटी प्रणाली का सरलीकरण :

7. बैंक गारंटी-प्रणाली आसान बना दी गई है ।

[हिन्दी]

उर्वरकों, डीजल ट्रैक्टरों, ट्रकों आदि पर आयात शुल्क

5045. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के माध्यम कुछ राज्यों में इटली की सहायता "फर्टोमोन्ट" परियोजनाएं प्रारम्भ की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस परियोजना के अंतर्गत प्राप्त उर्वरकों, डीजल ट्रेक्टरों, ट्रकों, हार्वेस्टरों, जीपों और अन्य उकरणों पर राज्यों के अनुरोध की परवाह न करके सरकार आयात शुल्क वसूल करती है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन सभी उपकरणों पर आयात शुल्क में छूट देने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जी, हां ।

(ख) "फर्टोमोन्ट" परियोजना हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के चुने हुए जिलों में चल रही है ।

(ग) से (घ) उर्वरकों पर साधारणतया सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है । कृषि मंत्रालय में प्राप्त एक प्रस्ताव पर कृषि सम्बन्धीक तिपय विशिष्ट मशीनरी तथा उपकरण को, जिनमें ट्रैक्टरों, हार्वेस्टरों और चल कार्य-शालाओं के उपकरण भी शामिल है, सम्पूर्ण सीमा शुल्क से छूट गई तथापि, उस परियोजना के लिए कारों और ट्रकों पर सीमा-शुल्क से छूट नहीं दी गई है । इस माल को सीमा-शुल्क से छूट दिए जाने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

इस्पात संयंत्रों के उत्पादन लक्ष्य

5046. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित इस्पात संयंत्रों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान इस्पात संयंत्रों का अनुमानित उत्पादन कितना होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के लिए "सेल" के इस्पात कारखानों के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य तथा अप्रैल से नवम्बर, 1985 तक उनके बिक्रेय इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख टन)

कारखाना	वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित लक्ष्य	अप्रैल से नवम्बर, 85 तक उत्पादन
भिलाई इस्पात कारखाना (मध्य प्रदेश)	20.4	12.3
दुर्गापुर इस्पात कारखाना (पश्चिम बंगाल)	7.2	4.2
राउरकेला इस्पात कारखाना (उड़ीसा)	10.0	6.2
बोकारो इस्पात कारखाना (बिहार)	17.2	10.5
इंडियन आयरन स्टील कम्पनी (पश्चिम बंगाल)	4.8	4.1
"सेल": ग्रुप	59.6	36.3

[अनुवाद]

सलाया, पोरबन्दर और कच्छ में तस्करी के माल का पकड़ा जाना

5047. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1985 से 30 नवम्बर, 1985 के दौरान गुजरात राज्य के सलाया, पोरबन्दर और कच्छ से तस्करी और विदेशी माल की कितनी मात्रा पकड़ी गई है ;

(ख) इस संबंध में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है अथवा हिरासत में लिया गया है ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों की जमानत हो गई है और छोड़ दिया गया है ;

(घ) उन्हें छोड़े जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस प्रकार की और गैर कानूनी धन्धे को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) नवम्बर, 85 के दौरान कच्छ और सलाया से सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 2.51 लाख रु० के मूल्य का निषिद्ध माल अभिगृहीत किया गया था। अभिगृहीत की गई मदों में कलाई घड़ियां, इलैक्ट्रानिकीय माल, फैब्रिक, सौन्दर्य प्रसाधन आदि शामिल हैं ? पोरबन्दर से कोई भी माल अभिगृहीत नहीं किया गया था।

(ख) से (घ) नवम्बर, 1985 के दौरान सीमा-शुल्क अधिनियम से तहत 16 व्यक्तियों को सलाया से गिरफ्तार किया गया था और 5-12-85 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था। ये व्यक्ति विदेश को जा रहे एक जलयान के कर्मी-दल के सदस्य थे जो अप्राधिकृत यात्रियों के साथ खाड़ी के देश से आया था। मामले के गणावगुणों पर विचार करते हुए माननीय मजिस्ट्रेट ने बाद में उन्हें जमानत पर इस शर्त पर रिहा कर दिया कि वे बिना अनुमति के जाननगर जिला की सीमा से बाहर नहीं जायेंगे। ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान कच्छ और पोरबन्दर से कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया था।

(ङ) इस क्षेत्र में तस्करी के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। क्षेत्र में स्थित सीमा शुल्क विभाग के निवारक और गुप्तचर्या तन्त्र, तस्करी की गतिविधियों के विरुद्ध सतर्क बना रहता है। क्षेत्र में तस्करी के तौर-तरीकों और पकड़े गए माल की सतत् समीक्षा की जाती है ताकि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके समुचित उपचारी उपाय किए जा सकें।

तस्करी की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ न्यायालय में मुकदमे चला कर भी सख्त कार्यवाही की जाती है। अन्तर्ग्रस्त माल जो जब्त किए जाने और सम्बन्धित व्यक्तियों पर वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाए जाने के अलावा-उचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजर बन्दी भी की जाती है।

महुआ टाऊन भावनगर के निकट तस्करी का माल पकड़ा जाना

5048. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के भावनगर जिले के महुआ टाऊन में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा 2 करोड़ रुपए मूल्य के तस्करी का सामान तथा अन्य वस्तुएं, पकड़ी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके अन्तर्गत व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) गुजरात के भावनगर जिले के विभिन्न भागों से 1-1-1981 से 30-11-1985 के दौरान कितनी तस्करी का सामान तथा विभिन्न वस्तुएं पाई गई और पकड़ी गई ; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का इशारा शायद भावनगर जिला के महुआ कस्बे में दिकांन 7-6-1985 को अभिगृहीत की गयी कलाई घड़ियों घड़ियों, के कल-पुर्जों/हिस्सों, टी०वी०/रेडियो के पुर्जों और विविध माल की ओर है जिनका कुल मूल्य 1.87 करोड़ रुपए है। इस मामले से सम्बधित तथ्य निम्नोक्त हैं :—

दिनांक 7-6-85 को महुआ कस्बे के पुलिस प्राधिकारियों ने ऐसे दो ट्रकों को रोका जिनमें कलाई घड़ियां, घगियों के कल-पुर्जे/हिस्से, टी०वी०/रेडियो के पुर्जे तथा अन्य विविध माला लदा हुआ था तथा जिनका कुल मूल्य 1,86,56,282 रुपए है। बाद में निषिद्ध माल सहित दोनों ट्रकों को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया था। इस संबंध में 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और बाद में इन सभी 8 व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबंद कर लिया गया था। इस मामले में न्यायनिर्णयन के लिए दिनांक 25-10-1985 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तथा न्याय-निर्णयन संबंधी कार्रवाई चल रही है।

(घ) और (ङ) दिनांक 1-1-1981 से दिनांक 30-11-1985 तक की अवधि के दौरान गुजरात के भावनगर जिला के विभिन्न भागों में तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में दर्ज किए मामलों की संख्या, जब्त किए गए माल का मूल्य, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे निम्नोक्त हैं :—

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त किए गए माल का मूल्य (लाख) रु० में	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत नजरबंद किए गए व्यक्तियों की संख्या
1981	3	56.46	11	6
1982	5	27.29	9	9
1983	38	5.25	—	—
1984	2	120.60	21	20
1985 (नवम्बर तक)	2	187.73	14	8

अभिगृहीत की गयी वस्तुओ में मुख्यतया कलाई घड़ियां, घड़ियों के कल-पुर्जे/हिस्से, इलैक्ट्रानिकीय वस्तुएं, फैब्रिक भारतीय मुद्रा आदि सम्मिलित हैं।,

तस्करी की गतिविधियों के सिलसिले में अन्तर्ग्रस्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ न्यायालयों में मुकदमें चला कर भी सख्त कारंवाई की जारी है। अन्तर्ग्रस्त माल के जब्त किए जाने और सम्बन्धित व्यक्तियों पर वैयक्तिक अर्थ-दण्ड लगाए जाने के अलावा उचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबंदी-कारंवाई भी की जाती है।

"जीरो बजटिंग" प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

5049. **श्री प्रकाश बी० पाटिल :**
श्री शरद दिघे :
श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार वर्ष 1987-88 से "जीरो बेस्ट बजट" प्रारंभ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो बजट प्रक्रिया में परिवर्तन करने की योजना के लिए क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है ;

(ग) इसे प्रारम्भ करने के क्या कारण हैं।

(घ) क्या यह सरकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र उद्यमों दोनों पर लागू होगा ;

(ङ) क्या सरकारी और लघु उद्योग क्षेत्र को भी इसमें शामिल दिया जाएगा ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) सातवीं पंचवर्षीय आयोजना के वित्तपोषण के लिए साधनों की तंगी के सन्दर्भ में, केन्द्रीय सरकार के विभागों के लिए शून्य-आधारित बजट-निर्माण की आवश्यकता सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके लिए उद्देश्यों के निर्धारण और सुस्पष्ट सुनिश्चयन, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के विभिन्न विकल्पों की जांच, लागत लाभ विश्लेषण और कम लागत सम्बन्धी विशलेषण के माध्यम से सर्वोत्तम विकल्प के चयन, बहुद्देश्यों और कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं के निर्धारण, साधनों का उपयोग निचली प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के स्थान पर उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए करने और जिन कार्यक्रमों की उपयोगिता समाप्त हो गई हो उनका निर्धारण करने और उन्हें बन्द करने की आवश्यकता है।

शून्य-आधारित बजट-निर्माण की प्रणाली के अन्तर्गत मौजूदा कार्यक्रमों को अपरिवर्तनीय नहीं माना जाएगा, बल्कि उनकी उपयोगिता और प्रभावकारिता की नए सिरे से जांच की जाएगी,

जिससे नए कार्यक्रमों के लिए साधन उपबब्ध हो सकेंगे। इससे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए साधनों का अधिक सार्थक आंबटन करने में सुविधा होगी।

केन्द्रीय सरकार के विभागों में 1987-88 के बजट से शून्य-आधारित बजट-निर्माण की प्रणाली अपनाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकारी के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी, जिसमें सहकारी क्षेत्र के उपक्रम भी शामिल हैं, इस प्रणाली को अपनाने की सलाह दी जाएगी।

रबड़ की खेती के प्रोत्साहन और विस्तार पर खर्च की गई राशि

5050. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए कितनी धनराशि प्रति वर्ष खर्च की गई, और उसका वर्ष वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान रबड़ की खेती को प्रोत्साहन देने और उसका विस्तार करने हेतु कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा कोई लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया है जिसके अन्दर रबड़ का उत्पादन करने और उसका आयात रोकने में आत्मनिभिरता प्राप्त की जाए ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क)और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आयातों तथा रबड़ की खेती के संवर्धन तथा विस्तार पर खर्च की गई राशि निम्नोक्त प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	आयात पर खर्च की गई राशि	सगर्धन तथा विस्तार पर खर्च की गई राशि
1982-83	2480.00	922.00
1983-84	3566.00	1040.00
1984-85	3529.00	1413.00

(ग) और (घ) खपत में वृद्धि की ऊंची दर और रबड़ बागानों के तैयार होने की लम्बी अवधि को देखते हुए निकट भविष्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना संभव नहीं समझा जाता।

रबड़ की खेती के लिए राजसहायता और ऋण

5051. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ की खेती पर दी जाने वली राजसहायता और ऋण की राशि को बढ़ाने

तथा ब्याज पर राज सहायता बरकरार रखने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि खेती की लागत कई गुणा बढ़ चुकी है ; और

(घ) यदि हां, तो अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ताकि रबड़ उत्पादकों को सदैव लाभकारी मूल्य मिल सके ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) गत कुछ वर्षों में रबड़ कीमतें बहुत ही लाभप्रद स्तरों पर रही हैं। कास्त की लागत में वृद्धि के कारण वित्तीय सहायता की दरों में वृद्धि के लिए सुझाव दिए गए हैं। तथापि, वर्तमान प्रोत्साहनों से भी रबड़ के रोपण में सन्तोषजनक प्रगति हुई है तथा उपदान/ऋण की दरों में और वृद्धि करने से उपलब्ध सीमित संसाधनों के भीतर (अपेक्षाकृत) कम क्षेत्र तथा कम संख्या में उपजकर्ताओं को कवर किया जासकेगा।

सांविधिक/स्वायत्तशासी निकायों में स्टाफ कारों के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु नियम

5052. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने सांविधिक/स्वायत्तशासी निकायों में स्टाफ कारों के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सांविधिक स्वायत्तशासी निकायों को केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना उक्त नियमों में संशोधन करने का अधिकार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सांविधिक/स्वायत्त निकाय अपनी स्टाफ कारों के उपयोग को नियमित करने के लिए अपने नियम बनाते हैं और इसीलिए एक सांविधिक/स्वायत्त निकाय के नियमों से दूसरे सांविधिक/स्वायत्त निकाय के इन नियमों में अन्तर होगा है।

इन नियमों में संशोधन भी सांविधिक/स्वायत्त निकायों द्वारा स्वयं ही किया जाता है।

घाटे वाले क्षेत्रों के लिए बैंकिंग-सुविधायें

5053. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक सर्वेक्षण के पश्चात् देश में घाटे वाले क्षेत्रों का पता लगाया है जिनके लिए तुरन्त बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों का पता लगाया गया है ; और

(ग) क्या सुविधाएं दिलाने की मांग की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) हाल ही में वर्ष 1985-90 की अवधि के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति को अंतिम रूप दिया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक विकास खण्ड के ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में 17 हजार की जनसंख्या के पीछे एक बैंक कार्यालय हो । भारतीय रिजर्व बैंक ने कम बैंक शाखाओं वाले ऐसे 1966 खण्डों का पता लगाया है जहां ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रति बैंक कार्यालय औसत आबादी 17 हजार से अधिक है । भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी लीड बैंकों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने जिलों में ऐसे खण्डों में खोली जाने वाली शाखाओं के उपयुक्त विकास केन्द्रों का पता लगाने के लिए कहा है । शाखाएं खोलने पर भारतीय रिजर्व बैंक को जब इस प्रकार पता लगाए गए केन्द्रों की सूची प्राप्त हो जाएगी, तब उसके बाद बैंक द्वारा नीति के अनुसार विचार किया जाएगा । ऐसी स्थिति में, अभी उन स्थानों के नाम बताना सम्भव नहीं है जहां पर इन खण्डों में शाखाएं खोली जायेंगी ।

इण्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी को पुनः सक्षम बनाना

5054. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को पुनः सक्षम बनाने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ग) इसका नवीकरण कौन सी तारीख को किया गया और इससे उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) क्या इस प्रकार की जापानी सहायता का अन्य परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर (इस्को) के इस्पात कारखानों की आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए "उत्पादन तथा तकनीकी परामर्शदाता" के रूप में कार्य करने हेतु, "सेल" ने जून 1985 में जापान के निप्पन कोकन के० के० के साथ मूल तकनीकी सहयोग का समझौता किया है ।

जापान के इस्पात उद्योग तथा भारत के बीच और सहयोग के लिए "सेल" ने जापान के इस्पात

उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ जांच-पड़ताल विषयक विचार-विमर्श किया था ताकि भारतीय इस्पात उद्योग के परिचालन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जा सके। जापान के इस्पात उद्योग के 'इस्को' के आधुनिकीकरण में सहायता करने की संभावना का भी उल्लेख किया गया था।

प्लास्टिक निर्माता संघ का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में अभ्यावेदन

5055. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें प्लास्टिक निर्माता संघ, नई दिल्ली से प्लास्टिक के जूते के हिस्सों को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में दिनांक 1 नवम्बर, 1985 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिनांक 24 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या सी० ई०-174/85 के द्वारा जूतों के हिस्सों अर्थात् सिंथेटिक रेजिन अथवा प्लास्टिक सामग्री से बने सोल और एड़ियों पर उपलब्ध उत्पाद-शुल्क से छूट वापस ले ली गई है ;

(घ) यदि हां, तो यह छूट वापस लेने के क्या कारण हैं जबकि जूतों के चमड़े, रबड़ और लकड़ी से बने सोल और एड़ियों पर यह छूट उपलब्ध है ; और

(ङ) प्लास्टि उद्योग के सुधार हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने, शुल्क-प्रदत्त रेसिन और प्लास्टिक सामग्री से निर्मित जूते और उनके हिस्सों के सम्बन्ध में उपलब्ध पूर्ववर्ती पूर्ण छूट को फिर से लागू किए जाने के लिए प्राप्त हुए अनुरोध को नहीं माना है।

(ग) जी, हां।

(घ) शुल्क-प्रदत्त रेसिन और प्लास्टिक-सामग्री से निर्मित जूते और उनके हिस्सों के सम्बन्ध में उपलब्ध उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट को इसलिए वापस ले लिया गया था क्योंकि यह नोटिस किया गया था कि इस रियायत का लाभ महंगे किस्म के जूतों को भी प्राप्त था। तथापि, जूतों के निर्माता अन्य रियायतों का लाभ अर्थात् प्रति जोड़ा 30 रु० से अनधिक की कीमत के जूतों के निर्माण के लिए किसी कारखाने में इस्तेमाल किए गए जूतों के हिस्सों पर पूर्ण छूट का लाभ उठाना जारी रखने के लिए स्वतन्त्र है।

(ङ) ऊपर उल्लिखित (ग) को देखते हुए जहां तक प्लास्टिक के जूतों और हिस्सों का सम्बन्ध है इस समय कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

केरल में अट्टाप्पाडी घाटी से काले पत्थर के लिए भूगर्भीय सर्वेक्षण

5056. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूगर्भ विभाग ने केरल में अट्टाप्पाडी घाटी में एक विशेष किस्म के काले पत्थर के लिए कोई सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त स्रोत की वाणिज्यिक उपयोग करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) खनिजों के लिए सर्वेक्षण लगातार चलने वाला कार्य है तथा केरल के अट्टापदी घाटी में सर्वेक्षण करते समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वहां डोलेराइट और गैब्बरो की सिल्लियां और पट्टियां होने का संकेत दिया । डोलोराइट पट्टिया बारीक दानेदार एवं समान बनावट की हैं, तथा इनकी लम्बाई कुछ मीटर से लेकर 4.5 कि० मीटर और चौड़ाई कुछ मीटर से लेकर 40 मीटर तक है ।

(ग) और (घ) केरल खनिज गवेषण और विकास प्रोजेक्ट, त्रिवेन्द्रम ने हाल ही में इन पट्टियों का विस्तृत गवेषण शुरू किया है ताकि अट्टापदी क्षेत्र में चमकदार दानेदार काले पत्थर (ब्लेक गेनाइट) की खुदाई के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण किया जा सके। काम जारी है ।

खाड़ी के देशों में धन भेजा जाना

5057. श्री के० कुन्जम्बु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाड़ी के देशों से कितना धन भेजा गया है ?

(ख) खाड़ी के देशों से अवैध तरीकों से वार्षिक कुल कितना धन भेजा जाता है, क्या इस संबंध में सरकार को कोई अनुमान है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार वैध तरीकों से धन भेजे जाने को आकर्षित करने के लिए कोई रियायती योजना प्रारम्भ करने और अवैध तरीकों से धन भेजे जाने को रोकने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विदेशों से प्राप्त प्रेषणाओं के संबंध में देशवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अनिवासी भारतीयों से भारत में धनराशियों की प्रेषणाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार ने समय-समय पर बहुत से उपाय/योजनाएं आरम्भ की हैं। इस प्रकार शुरू किए गए उपायों/योजनाओं की बराबर समीक्षा की जाती है।

कर संबंधी कानूनों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए वित्त मंत्रालय में पृथक सेल बनाने से संबंधित सुझाव

5058. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में कर संबंधी अनेक मामले अनिर्णीत पड़े हैं जिसके कारण देश के संसाधन प्रभावित हो रहे हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कर संबंधी कानूनों के कार्यकरण पर निगरानी रखने, न्यायालयों द्वारा की जाने वाली व्याख्याओं की विविधता को समाप्त करने और उनमें तेजी से परिवर्तन . जैसाकि 1 दिसम्बर, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में छपा है के लिए वित्त मंत्रालय में एक पृथक सेल या विभाग बनाने का सुझाव दिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा प्रतीत होता है कि जिस अभिमत की ओर संकेत किया गया है वह भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा कर-दाताओं के अन्तरराष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित करदाताओं के दूसरे द्वि-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते समय व्यक्त किया गया था। "टाइम्स आफ इंडिया" के 1 दिसम्बर, 1985 के अंक में इस आशय का समाचार देखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह सुझाव दिया है कि न्यायालयों द्वारा किए गए अर्थनिरुपणों में विविधता को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए प्रवृत्त कर कानूनों के संचालन पर निगरानी रखने के लिए वित्त मंत्रालय में अलग से एक कक्ष अथवा विभाग का सृजन किया जाए।

आयातित सिक्कों से उत्पन्न भ्रम

5059. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित नये सिक्कों का आकार भिन्न होने के कारण लोगों को उनके परिचालन में भ्रम हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 50 पैसे के सिक्के सार्वजनिक टेलीफोनों में उपयोग के लायक नहीं हैं और यदि हां, तो स्थिति से किस प्रकार निबटा जा रहा है ; और

(ग) क्या इस मामले में क्रयादेश देने से पूर्व दूर-संचार अधिकारियों से सलाह ली गयी अथवा उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयातित सिक्कों का आकार, परिमाण और बनावट हमारी अपनी टकसालों में ढाले गये सिक्कों के बिल्कुल समरूप हैं। इसलिए यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघा और खादी की वस्तुओं के भंडार जमा होना

5060. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हथकरघा और खादी की वस्तुओं के भंडार जमा हो जाने की जानकारी है ;

(ख) क्या यह स्थिति सरकारी विभागों द्वारा हथकरघा वस्तुएं न खरीदे जाने कारण पैदा हुई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अनुदेश जारी करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जहां तक हथकरघा माल का संबंध है, स्टाक का कुछ जमा होना सामान्य बात है क्योंकि उसकी मांग मौसमी है। जैसा कि उद्योग मंत्रालय ने बताया है, खादी का कोई स्टाक जमा नहीं किया गया है तथा खादी का उत्पादन व उसकी बिक्री बराबर चलते रहे हैं।

(ख) सरकारी विभागों द्वारा हथकरघा उत्पादों की कोई नियमित खरीद नहीं की गई है। हथकरघा एजेन्सियां सरकारी खरीदारी के लिए अन्यों के साथ-साथ टेंडर देता है।

(ग) सरकार द्वारा हथकरघा उत्पादों की खरीद की वर्तमान प्रणाली और स्टाक के जमा होने को देखते हुए सरकार इस काम के बारे में कार्यवाही कर रही है।

ताड़ का तेल, रबड़ आदि के आयात को कम करने के उपाय

5061. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताड़ का तेल, रबड़ आदि के आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ख) क्या ऐसी फसलों को उगाने के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है जिसमें आयात को कम किया जा सके ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) स्वदेशी उपलब्धता को बढ़ाते एवं उसके द्वारा ताड़ के तेल के आयात कम करने के लिए आयल पाम इंडिया लि०, कोट्टायम द्वारा केरल में ताड़ के तेल के वृक्षों के रोपण की एक प्रायोजिक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, भारत सरकार तथा केरल सरकार का संयुक्त उद्यम है। ताड़ के वृक्ष अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में भी लगाए जा रहे हैं।

जहां तक रबड़ का सवाल है, देश में रबड़ उत्पादन को बढ़ाने के लिए रबड़ बोर्ड उपजकर्ताओं को उपदान, विस्तार परामर्श सहायता, वर्षा से सुरक्षा करने वाली सामग्री, अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री आदि दे रहा है और रबड़ की खेती के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान भी कर रहा है सभी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम, उड़ीसा, अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, गोवा, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश में रबड़ की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में घाटे के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी

5062. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड में घाटा के बारे में 6 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2974 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अयस्क वर्गीकरण तथा संचालन कार्य और कतिपय अनुभागों इत्यादि में डिजाइन त्रुटियों का वास्तविक स्वरूप क्या है, और क्या ऐसे कार्यों के लिए कम्पनी के किसी व्यक्ति विशेष अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और खेतरी तथा मलान्जखंड में कार्यरत अधिकारी किस हद तक जिम्मेदार हैं ;

(ग) क्या सरकार को उपर्युक्त दो कापर कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के कुछ असमान्य कृत्यों के बारे में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या मलांजखन्ड से खेतरी को अयस्क की ढुलाई पर लगातार भारी व्यय किया जा रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) स्मेल्टरों तथा शोधकों के किए जा रहे आधुनिकीकरण का ब्यौरा क्या है और क्या इस कार्य में किस विदेशी एजेंसी को भी शामिल किया गया है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात राज्य खनिज विकास निगम को खनन कार्य का हस्तांतरण

5063. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को खनन कार्य गुजरात खनिज विकास निगम को हस्तांतरण करने के लिए गुजरात सरकार से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम

5064. श्री राधाकांत डिगाल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का मुख्यालय, नई दिल्ली के स्थान पर लखनऊ में स्थापित करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों की राजधानियों में इसकी शाखाएं खोलने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय हथकरघों विकास निगम के मुख्यालय को ऐसे राज्य में स्थापित करना वांछनीय समझा जिसमें हथकरघा की संख्या सबसे अधिक है तथा जिसे हथकरघा क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अवस्थापना संबंधी सहायता की जरूरत है। अतः यह विनिश्चिय किया गया कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का मुख्यालय लखनऊ में स्थापित किया जाए।

(ख) निगम ने बम्बई, कोइम्बटूर और गुवाहटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं। इसने गुवाहटी, बिहार शरीफ और भागलपुर में यार्न डिपो भी खोले हैं। अन्य स्थानों पर कार्यालय यार्न डिपुओं का खोला जाना कार्य की जरूरतों पर निर्भर होगा।

"एडवांस-फ्री" आयात लाइसेंसों के दुरुपयोग से सीमा शुल्क का अपवंचन

5065. श्री के० एस० राव :

श्री आनन्द पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पार्टियों द्वारा "एडवांस फ्री" आयात लाइसेंस के दुरुपयोग से 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के सीमा-शुल्क का अपवंचन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) यह सही है कि "शुल्क छूट योजना" के तहत अग्रिम लाइसेंसों के दुरुपयोग का मामला जानकारी में आया है। इन दुरुपयोगों में निर्यात सम्बन्धी दायित्वों को पूरा न किए जाने के अथवा आयातत निशुल्क सामग्री के गलत इस्तेमाल के मामले अन्तर्विष्ट हैं। अग्रिम लाइसेसों के दुरुपयोग के कारण सीमा शुल्क के अपवंचन की मात्रा के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, माननीय सदस्य द्वारा दिए गए आकलन अतिशोयोक्तिपूर्ण हैं।

(ग) अग्रिम लाइसेंस को जारी किए जाने से पहले प्रार्थना पत्रों की बारीकी से छानबीन करना, खासतौर पर प्रार्थियों की वास्तविकताओं की जांच करना, आयात और निर्यात के समय सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा खासतौर पर संवेदनशील मदों के लिए भलीभांति जांच करना और लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके शुल्क-प्रदायी सभी मामलों की सख्ती से निगरानी करना—ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो अग्रिम लाइसेंस सम्बन्धी लाभों के दुरुपयोग के प्रयासों को रोकने/उनका पता लगाने के बारे में किए गए हैं। अग्रिम लाइसेंसिंग संबंधी लाभों का दुरुपयोग करने के सिलसिले में पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लाइसेंसिंग प्राधिकारियों/सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा संगत कानून के उपबन्धों के तहत निवारक दाण्डिक कार्यवाही (जिसमें मुकदमेबाजी भी शामिल है) की जाती है।

सिक्कों की कमी

5066. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कई राज्यों में सूखे की स्थिति के कारण मक्का की मांग की भारी कमी के संबंध में जानकारी है ;

(ख) क्या स्टार्च उद्योग में मक्का की मांग को पूरा करने के लिए मक्का की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सूखे के कारण हुई कमी और मक्का की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मक्का का आयात करने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या वैकल्पिक उपाय किए जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) कोई कमी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

एल्यूमिनियम के मूल्यों में कमी

5067. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर पेड़ों के कटान को शीघ्र कम करने के लिए फर्नीचर/भवन निर्माण में प्रयुक्त एल्यूमिनियम/इस्पात के मूल्य कम करने का है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दक्षिण दिल्ली की पत्थर खदानों में घातक दुर्घटनाएं

5068. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1985 में दक्षिण दिल्ली की पत्थर खदानों में हुई घातक दुर्घटनाओं की ही तरह बदरपुर की खदानों में दुर्घटना हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 और 1985 में अब तक ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस क्षेत्र में उचित सुरक्षा उपायों के बिना गैर-कानूनी तौर पर खनन को प्रभावी तौर पर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) दक्षिण दिल्ली की बदरपुर खानों में वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान कोई घातक दुर्घटना नहीं हुई।

(ग) बदरपुर का खनन जून, 1983 में विभागीय आधार पर था। मई, 1985 में दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम के नाम से एक नई एजेंसी की स्थापना हुई और उसने दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम से खनन कार्य 1 जून, 1985 से अपने हाथ में ले लिया है। इसके अतिरिक्त, क्लेक्टर (खान और खदान) तथा दिल्ली पुलिस द्वारा अवैध खनन स्थलों पर छापे मारे जाते हैं। दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम द्वारा खनिजों की अनधिकृत ढुलाई में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। अवैध खनन की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष कक्ष खोलने का भी प्रस्ताव है।

चावल की भूसी का निर्यात

5069. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से विदेशों को चावल की भूसी का निर्यात किया जात है ; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों को इसका निर्यात किया जाता है तथा 1984-85 में प्रत्येक देश को इसकी कितनी मात्रा निर्यात की गई और उसकी प्रति टन कीमत क्या थी?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोडा ऐश का आयात

5070. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 में सोडा ऐश का आयात किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना और उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इसका आयात किया गया और उसकी प्रति टन कीमत कितनी है ; और

(ग) इसकी कमी कों पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) 1980-81 से 1982-83 के दौरान आयातित सोडा ऐश की मात्रा, मूल्य तथा इकाई मूल्य (तथा प्रमुख देश जहां से आयात किया गया) को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। फरवरी, 1983 के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सोडा ऐश के आयात की रियायती आयात शुल्क पर अनुमति दी गई थी। एम० एम० टी०सी० ने छोटे पैमाने के उद्योगों को सप्लाई करने के लिए 5000 मे० टन सोडा ऐश आयात करने का निर्णय लिया है।

विवरण

1980-81 से 1982-83 (फरवरी, 83 तक) के दौरान न्यूट्रल सोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश) के आयात को दर्शाने वाला विवरण

मात्रा मे० टनों में

मूल्य रुपयों में

क्रम सं०	मद का विवरण	1980-81 मात्रा	मूल्य	प्रति मे० टन मूल्य इकाई	1981-83 मात्रा	मूल्य	प्रति मे० टन मूल्य इकाई	1982-83 (फरवरी, 83 तक) मात्रा	मूल्य	प्रति मे० टन मूल्य इकाई	उन प्रमुख देशों के नाम जहां से आयात किया गया
1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12
	क० न्यूट्रल सोडियम कार्बोनेट (सोडा ऐश)										
1.	डैन्स	44510	88143056	1980	33958	49889137	1469	2081	3093613	1487	बल्गारिका, के रूमानिया, सं० रा० अमरीका, फ्रांस, बेल्जियम, सोवियत रूस।
2.	लाइट	73417	97743161	1331	108271	118960666	1099	29495	30547587	1035	बल्गारिया, रूमालिया सं० रा०, अमरीका, जर्मनी एफ०आर०पी० इटली, सोवियत, रूस।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	*12
3.	अन्य	2723	6376017	2341	5404	8687148	1607	46	281957	6129	बल्गारिया, बेल्जियम, फ्रांस, केन्या, जापान, जर्मनी, एफ०आर०पी०, ब्रिटेन

स्रोत 1 : 1980-81 तथा 1981-82 के लिए : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मन्थली स्टेटिक्स ऑफ फारेन ट्रेड आफ इंडिया बालयूम-2) (आयात) ।

स्रोत-2 : 7982-83 (फरवरी, 83 तक) : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता से आर्थिक सलाहकार के कार्यालय में प्राप्त अग्रिम आंकड़े ।

* आंकड़े सत्यापनाधीन हैं ।

आयात की जा रही वस्तुओ का देश में उत्पादन

5071. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1985 में भारत से निर्यात की गई कुल वस्तुओं के मूल्य की तुलना में भारत द्वारा अधिक मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया है तथा आयात की गई वस्तुओं का मूल्य कितना अधिक है ;

(ख) क्या सरकार ने उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए हैं, जो अब आयाउ की जाती हैं तथा जिन्हें देश में ही बनाया जा सकता है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आयात कम/नियंत्रित करने तथा निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम ठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार (जुलाई, 1985 तक अद्यतन) 1984-85 के दौरान भारत के कुल आयात निर्यातों से 5319.21 करोड़ रु० अधिक हुए ।

अपरिष्कृत तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, सीमेंट, संशिष्ट एवं रीजैनेरेटेड फाइबर, अखबारी कागज अलौह धातुओं, खाद्य तेलों तथा खाद्यानों जैसी आयात की बल्व मदों का स्वदेशी उत्पादत बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं ।

भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए नीति उपाय बराबर निकाले जा रहे हैं। इनके अंतर्गत उत्पादन बढ़ाने और विविधिकरण करने, हमारे निर्यातों को और अधिक प्रतियोगी बनाने, हमारे उत्पादकों के लिए नये बाजारों का पता लगाने, अधिक मूल्य प्राप्ति के लिए वस्तुओं का संसाधन करने के उपाय शामिल हैं वर्तमान आयात-निर्यात नीति, निर्यातकों को प्रमुख महत्व देने तथा साथ ही आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

विदेशी सहयोग से तैयार खाद्य सामग्री बनाने के बड़े कारखाने स्थापित करना

5072. **श्रीमती डी० के भंडारी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग से शीघ्र तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ बनाने वाले कारखानों की एक शृंखला स्थापित करने और तैयार खाद्य सामग्री बनाने के लिए बड़े भारतीय उद्योगपतियों में होड़ लगी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए करारों का और उन करारों का जिन पर बातचीत चल रही है ब्यौरा क्या क्या है ; और

(ग) क्या देश में विदेशी मुद्रा की कमी और खाद्य पदार्थ औद्योगिकी संबंधी जानकारी की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अमीर लोगों के लिए इस प्रकार के महंगे भोजन के लिए ऐसा विदेशी सहयोग वांछनीय है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय के सामने, जो इसके लिए नोडल मंत्रालय है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय तथा विदेशी फर्मों के नाम, उत्पादन की मदो तथा सहयोग के स्वरुप को दार्शाने वाले सभी अनुमोदित विदेशी सहयोगों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक यूजलेटर के परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को दी जाती हैं ।

तिलहन खली और लौह अयस्क के निर्यात पर रोक

5073. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिक निर्यात संभावना वाली कतिपय चुनिन्दा मदों की निर्यात-वर्धक मदों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो केत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन मदों में वे सुरक्षित खाद्य वस्तुएं भी शामिल हैं जिनकी देश में कम सप्लाई है और जो अब केवल धनी लोगों के लिए उपलब्ध हैं और इससे समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कच्चा माल जैसे तिलहन, खली और लौह अयस्क के निर्यात पर रोक है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद अलम खां) : (क) से (ग) निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया गया है जो मध्यम अवधि में हमारे निर्यातों में पर्याप्त अंशदान कर सकते हैं, चाय विशेषतः पैकेजबद्ध तथा मूल्य-वर्धित रूपों में अनाज, साधित खाद्यपदार्थ, फलों तथा रसों, मांस तथा मांस उत्पादों व ताजा फलों सब्जियों समुद्री उत्पाद, विशेषतः मूल्य-वर्धित रूपों में, लौह अयस्क, चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं पर जोर देते हुए, हस्तशिल्प की वस्तुएं तथा आभूषण, पूंजीगत माल तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, इलैक्ट्रानिक सामान तथा कम्प्यूटर सोफ्टवेयर, आधारभूत रसायन, फैब्रिक्स, पीसगुड्स तथा मेड अप्स, सिले सिलाए परिधान, ऊनी फैब्रिक्स, तथा निटवियर, और परियोजनाएं तथा सेवाएं ।

(घ) इस समय 1985 हेतु आयात तथा निर्यात नीति (वाल्यूम) के भाग "क" के क्र० सं० 21(1) के अन्तर्गत बिनौला एक्सपैलर खली के सिवाय सभी किस्मों की एक्सपैलर खली के निर्यात की अनुमति नहीं हैं । तथापि, बिनौला एक्सपैलरखली के निर्यात की अनुमति आल इंडिया

सीड्स क्रशर्स एसोसियेशन, बम्बई के यहां संविदाओं के पंजीकरण के आधार पर पहले आये, पहले पाये आधार पर 10,000 मे० टन की सीमित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत है। बिनौला खली (छिलका रहित व छिलका सहित) के निर्यात की अनुमति भी आल इंडिया सीड्स क्रशर्स एसोसियेशन बम्बई के यहां संविदाओं के पंजीकरण के आधार पर पहले आये, पहले पाये आधार पर छह लाख मे० टन की सीमित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत है। मूंगफली (एक्सपेलर किस्म) और 1 प्रतिशत से अधिक तेल वाली तेल-रहित मूंगफली की फली के निर्यात की अनुमति नहीं हैं। लोह अयस्क के संबंध में निर्यात नीति पुस्तक के पृष्ट 18 पर नीति विवरण के क्र० सं० 45 (11) के सामने उल्लिखित नीति के अनुसार एम०एम०टी०सी० तथा०आई०ओ०सी०एल० के माध्यम से मार्गीकृत है।

आय-कर निर्धारितियों की संख्या

5074. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर विभाग के रिकार्ड में 31 मार्च, 1984 को कुल कितने निर्धारिती थे ; और

(ख) उपरोक्त निर्धारितियों में कम्पनियों और न्यासों की संख्या कितनी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 मार्च, 1984 तक की स्थिति के अनुसार आय कर विभाग के रिकार्ड में कर-निर्धारितियों की कुल संख्या 49,29,559 है।

(ख) उपर्युक्त कर-निर्धारितियों में कम्पनियों और न्यासों की संख्या क्रमशः 52,951 तथा 51,534 है।

निर्यात नीति में परिवर्तनों के कारण चाय के निर्यात में गिरावट

5075. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1985-86 में चाय के निर्यात में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या चाय उद्योग के विचार के अनुसार निर्यात नीति में बारम्बार परिवर्तन और निर्यातों पर प्रतिबन्ध के कारण ऐसा होता है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी समालोचना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। अप्रैल से 13 दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान अनुमानतः 176-78 मिलियन किग्रा के निर्यात लाइसेंस

जारी किए गए जबकि अप्रैल से दिसम्बर 1984 की अवधि के लिए 178.63 मिलियन किग्रा निर्यात लाइसेंस जारी किए गए थे ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रिवालसर, हिमाचल प्रदेश में सुविधाएं

5076. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा हिमाचल प्रदेश में बौद्ध तीर्थ स्थान रिवालसर को कोई सुविधाएं दी गई हैं या देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं के स्वरूप का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस तीर्थ स्थान के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए इस पर ध्यान देने और शीघ्र ही आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :(क) से (घ) रिवालसर में 14.93 लाख रु० की अनुमानित लागत से आवास की व्यवस्था कराने संबंधी एक प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से पाप्त हुआ है । प्रस्ताव पर कुछ और विस्तृत सूचना मिल जाने के बाद विचार किया जाएगा, जो अभी राज्य सरकार से प्राप्त होनी है ।

परिष्कृत रंगीन मोती

5077. **श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने पहली बार रंगीन मोतियों को तैयार करने में सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मोतियों की निर्यात क्षमता कितनी है ;

(ग) इस समय कितनी मात्रा में रंगीन मोतियों का आयात किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इसके लिए उपयुक्त आधारभूत ढांचे का विकास करने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत में रंगीन मोतियों का सफलतापूर्वक संवर्धन किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बिना जड़े/बिना छिदे असली या तैयार किए गए मोतियों के आयात की अनुमति पालिश किए हुए/संसाधित मोतियों (असली या संवर्धन किए हुए) के निर्यात के आधार पर प्रति-पूर्ति के रूप में दी जाती है। संवर्धन किए गए रंगीन मोतियो के आयात के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत-रूस व्यापार समझौता

5078. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1985 में भारत-रूस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

व्यापार और संयुक्त कार्यों के लिए भारत-मिश्र पेनल

5079. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-मिश्र पेनल की नवम्बर, 1985 में, नई दिल्ली में व्यापार संयुक्त मामलों और दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत-मिश्र संयुक्त आयोग का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में 18 से 21 नवम्बर, 1985 तक हुआ। दोनों पक्षों ने व्यापार, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच वर्तमान सहयोग की समीक्षा की तथा वे इन क्षेत्रों में सहयोग को और तीव्र तथा व्यापक बनाने के लिए सहमत हुए।

टी० पी० ए० के आयात के लिए पूरक लाइसेंस देना

5080. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टी० पी० ए० के आयात के लिए पूरक लाइसेंस देने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त निर्णय रिलाएन्स इन्डस्ट्रीज के साथ बातचीत के बाद लिया था जैसाकि 27 नवम्बर, 1985 के बिजनेस स्टेन्डर्ड में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ग) क्या रिलाएन्स इन्डस्ट्रीज उसके द्वारा न्यायालय में दायर किया गया मामला वापस लेने पर सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (क) का क्या औचित्य है और ऐसा पहले किन कारणों से नहीं किया जा सका ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मैसर्स रिलाएंस इन्डस्ट्रीज लि० ने अपनी ओर से न्यायालय का मामला वापिस ले लिया है ।

(घ) टी० पी० ए० के अनुपूरक लाइसेंसों की मंजूरी के अन्य फर्मों के साथ-साथ मैसर्स मसर्स रिलाएंस लि० के आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया है और सभी संगत बातों को ध्यान में रखने के बाद गुणावगुण के आधार पर विनिश्चिय किया गया है ।

खनन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास सम्बन्धी योजना

5081. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े खनन कम्पलैक्सों में खनन गतिविधियों के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास की योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) खनन गतिविधियों के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास की योजना बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । लेकिन, खनन गतिविधियों के कारण विस्थापितहोने वाले आदिवासियों को रोजगार तथा पुनर्वास के मामले में वरीयता देने के लिए खान विभाग तथा कोयला विभाग ने अपने संबंधित उपक्रमोंको मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड का पुनर्गठन

5082. **श्री एस० के० चक्रसेकर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, जो कि सरकार का सबसे अधिक राजस्व एकत्र करने का स्कंध है, का पुनर्गठन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित पुनर्गठित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ; और

(घ) इससे सरकार को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फिलहाल केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बोर्ड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के पुनर्संगठन से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ताकि उन्हें राजस्व वसूली के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अधिक अनुकूल बनाया जा सके।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जपान से सहायता

5083. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जपान ने गैस पाइपलाइन उर्वरक, पनबिजली परियोजना तथा दूर संचार की पांच परियोजनाओं के लिए भारत को 39,25.9 करोड़ येन की सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार इस सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त ऋण के भुगतान के लिए क्या शर्तें हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। वर्ष 1985-86 के लिए जपान सरकार ने भारत को गैस पाइप लाइन, उर्वरक, पन-बिजली और दूर-संचार परियोजनाओं के लिए 392310 लाख येन की ऋण सहायता प्रदान की है।

(ख) सहायता का परियोजना-बार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन परियोजना: 158000 लाख येन या लगभग 80 करोड़ रुपए।

(2) आंवला उर्वरक संयंत्र परियोजना : 95000 लाख येन या लगभग 47.6 करोड़ रुपए।

(3) सरदार सरोबर पन-बिजली परियोजना : 28500 लाख येन या लगभग 14.3 करोड़ रुपए।

(4) उज्जैनी पन-बिजली परियोजना : 15000 लाख येन या लगभग 7.5 करोड़ रुपए।

(5) दूर-संचार परियोजना (viii) : 95810 लाख येन या लगभग 48 करोड़ रुपए ।

जोड़ : 392310 लाख येन या लगभग 197.4 करोड़ रुपए ।

(ग) इन ऋणों की वापसी अदायगी 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 30 वर्ष में की जाएगी और इन पर 3.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा ।

मध्य प्रदेश में शुष्क बन्दरगाह और एयर कार्गो कम्पलैक्स स्थापित करना

5084. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में शुष्क बन्दरगाह और एक ऐयर कार्गो कम्पलैक्स स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कब निर्णय किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में शुष्क बन्दरगाह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । एयर कार्गो काम्पलैक्सों की स्थापना के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों की सिफारिशों की सम्भावना के अनुसार विचार किया जाता है जो उनका प्रबन्ध करते हैं । इस संबंध में मध्य प्रदेश की सरकार से यातायात का औचित्य बताते हुए कोई विस्तृत प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

रूई का उत्पादन

5085. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1982-83, 1983-84, और 1984-85 के दौरान राज्य-वार, किस्म-वार रूई का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) उक्त वर्षों के दौरान किस दर पर, किस किस्म की और कितनी मात्रा में रूई का आयात और निर्यात किया गया ; और

(ग) वर्ष 1985-86 में कितनी मात्रा में आयात करने की संभावना है और देश में राज्य-वार किस किस्म की, कितने मूल्य की और कितनी रूई का उत्पादन होगा? तथा

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1982-83, 1983-84 1984-85 रूई मौसमों के दौरान देश में रूई के उत्पादन का अनुमान क्रमशः लगभग 84.77 लाख गांठें तथा 101.5 लाख गांठें लगाया गया है । राज्य-वार तथा किस्म-वार उत्पादन क संबंध में सही और प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) चालू रूई मौसम के दौरान रूई आयात करने का कोई प्रस्ताव नही है। चालू रूई मौसम के दौरान रूई का उत्पादन इस समय अनुमानतः लगभग 94.00 लाख गांठें है। राज्य-वार उत्पादन प्राक्कलन उपलब्ध नहों है।

विवरण

रूई की किस्म	निर्यात की गई मात्राएं (मात्रा लाख गांठों में) (मूल्य करोड़ रू० में)					
	1982-83		1983-84		1984-85	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
बंगाल देशी	0.31	7.61	0.33	8.99	—	—
स्टेपल रूई	6.36	141.44	2.88	81.56	1.68	58.97
यखैलो पिकिंग्स	0.10	1.66	0.13	2.56	—	—
असम कोमिलास	0.16	3.95	0.09	3.10	0.11	4.82
जोडास	0.04	0.50	0.11	2.15	—	—
योग	6.97	155.16	3.54	98.36	1.79	63.79

1982-83 तथा 1983-84 रूई मौसम के दौरान रूई का कोई आयात नहीं हुआ। 1984-85 के दौरान 41.90 पौंड अमरीकी सैंट प्रति पौंड एफ० ओ० बी० कराची की कीमत पर पाकिस्तान के लिए मध्यम स्टेपल रूई की 75,000 गांठों की मात्रा की संविदा की गई।

हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का बन्द होना

5086. प्रो० मधु दंडवते : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बन्द होने और इसके 23,000 कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह ध्यान में रखते हुए कि उपक्रम को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सकता है, सरकार बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बेरोजगारी के संकट से बचाने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) सरकार कम्पनी की भारी संचित हानि तथा फालतू श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक नीतियों पर विचार कर रही है ।

सरकार कर्मचारियों की समस्या को भी समझती है और इस बात को देखने के लिए कि क्या इस इकाई को आर्थिक-दृष्टि से सक्षम बनाया जा सकता है, विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा श्रम के वैज्ञानिक पुनर्गठन के लिए उपस्कर प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदन

5087. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान श्रम के वैज्ञानिक पुनर्गठन के लिए उपस्कर प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्य वित्तीय निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) : श्रम के वैज्ञानिक पुनर्गठन के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

उद्योगपतियों द्वारा किस्म में नियंत्रण में कमी से विदेशी मुद्रा की आमदनी में प्रभाव

5088. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के इंजनियरी सामान का निर्यात किस्म नियंत्रण की कमी और सप्लाई के लिए प्राप्त क्रयादेश से हटाकर फालतू सप्लाई के कारण पिछड़ गया है ;

(ख) उक्त स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगपतियों की मान्यता और अन्य सुविधाएं छीन ली हैं और उन्हें काली-सूची में रख दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो काली-सूची में रखे गए ऐसे उद्योगपतियों के नाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत के इंजीनियरिंग सामान के निर्यात भी घटिया क्वालिटी तथा अनुमोदित नमूनों से भिन्न के कारण कमी नहीं आई है। निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में इंजीनियरी उत्पाद अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण तथा पूर्वलदान निरीक्षण योजना के अन्तर्गत लिए गए हैं। इनमें से किसी भी उत्पाद के निर्यात की अनुमति नहीं है जब तक कि उसका निरीक्षण तथा परीक्षण उन कर लिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्टियों को पूरा करते हैं निर्यात निरीक्षण परिषद को निर्यात के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जिन इंजीनियरी उत्पादों को मान्यता दी गई है उनकी मौजूदा विशिष्टियों की समीक्षा करने और उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उनके स्तर में सुधार के लिए निदेश दिया गया है ताकि भारतीय इंजीनियरी उत्पादों की विदेशी बाजारों में बेहतर मांग का सृजन हो सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में परियोजनाओं में वित्त पोषण करने के लिए विश्व बैंक द्वारा कोयले के मूल्यों में भारी वृद्धि करने की पूर्व शर्त

5089. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में कतिपय परियोजनाओं में वित्त पोषण के लिए कोयले के मूल्यों में भारी वृद्धि की शर्त रखी है और इस बारे में उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने शर्तें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं को विश्व बैंक से अब सहायता मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विश्व बैंक ने गेवरा और सोनपुर बाजारी कोयला परियोजनाओं के लिए 14.5 करोड़ डालर के एक सम्भावित ऋण के वास्ते मूल्यांकन किया है। इस संबंध में ब्यौरों पर बैंक के साथ बात चीत चल रही है।

भारत में बहु-राष्ट्रिक निगमों द्वारा किया गया निवेश

5089-**क. श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में, वर्ष वार, भारत में विभिन्न बहु-राष्ट्रिक निगमों द्वारा किया गया वास्तविक पूंजी निवेश कितना-कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : बहुराष्ट्रिक निगमों की कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है। व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, 40 प्रतिशत से अधिक अनिवासी शेयरधारिता वाली कम्पनियों को (जो सामान्यतः "फेरा" कम्पनियों के नाम से जानी जाती हैं) बहुराष्ट्रिक कम्पनियां समझा जाता है। "फेरा" कम्पनियों द्वारा 31 अक्टूबर, 1985 तक भारत में किए गए पूंजी निवेश के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय लोक सभा पटल रख दिया जाएगा।

महानगरों में मादक औषधियों का सेवन

5089-**ख. श्री चिन्ता मणि पाणिग्रही :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बम्बई तथा दिल्ली जैसे महानगरों में मादक औषधियों के सेवन की प्रवृत्ति हाल ही में बहुत बढ़ी है और इससे इन औषधियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्रों में वृद्धि हुई है ;

(ख) उपरोक्त महानगरों में अनुमानतः कितने लोग मादक औषिधियों के सेवन के व्यसनी है और आम लोगों को ऐसे व्यसन से होने वाली हानि के बारे में बताने तथा उन्हें झूठे शान से दूर रखने कें लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि अफीम के परिष्करण का अधिकांश कार्य विभिन्न प्रकार की हेरोइन के बनाने लिए अब देश में ही होने लगा है ;

(घ) क्या इस अवैध व्यापार के मुख्य व्यवस्थापकों के साथ विदेशियों का सम्पर्क बढ़ता जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो मादक औषधियों का धन्धा करने वाले भारतीय लोगों और उनको प्रोत्साहित करने वाले लोगों को सफाया करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या के स्वरूप और मात्रा का पता लगाने के

प्रयोजनार्थ एक विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके वर्ष 1986 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है ।

सरकार, औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग के बारे में जन-संचार के माध्यमों से प्रचार करके तथा शिक्षाप्रद प्रचार हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदानों के माध्यम से प्रोत्साहित करके लोगों को समझाने-बुझाने के लगातार प्रयास भी कर रही है ।

औषध-द्रव्यों के दुरुपयोग के सिलसिले में संदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए "नया सवेरा" और "आखिर क्यों" शीर्षक जैसे प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ।

प्रचार को अपेक्षाकृत अधिक रोचक बनाने के लिए कल्याण मंत्रालय ने नौ क्षेत्रीय टी० वी० स्टेशनों से संबंधित विश्वविद्यालयों में टी० वी० नाटक प्रतियोगिताएं प्रायोजित की हैं । प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार जीतने वाली उच्च कोटि को तीन टीमों को 5000 रु०, 3000 रु०, और 2000 रु० के मूल्य के नकद पुरस्कार दिए जाने को पेशकश की गई हैं। इसके अलावा, प्रत्येक मेजबान विश्वविद्यालय को 5000 रु० का एक अनुदान भी दिए जाने की पेशकश की गई है ।

(ग) अफीम का प्रसंस्करण कर हेरोइन बनाने का प्रयास किए जाने संबंधी कुछेक छिट-पुट मामलों के बारे में सरकार को पता चला है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) क्षेत्रीय कार्यालय नारकोटिक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क रहते हैं । राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके उपयुक्त तस्करी-निवारण उपाय किए जाते हैं ।

भारत-पाक सीमा के आर-पार नारकोटिक द्रव्यों की तस्करी को रोकने संबंधी मामले पर दिनांक 2 से 4 जुलाई, 1985 को दिल्ली में आयोजित भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक में भी विचार-विमर्श किया गया था ।

औषध-द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए सम्बन्धित अन्तर राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ घनिष्ठ सहयोग भी रखा जाता है ।

दिनांक 14 नवम्बर, 1985 से "नारकोटिक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, 1985" नामक एक नया अधिनियम लागू किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ औषध-द्रव्यों का गैर-कानूनी धन्धा करने के अपराधों के सिलसिले में कठोर दण्ड दिए जाने की व्यवस्था है ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या सरकार भारतीय शिष्टमंडल द्वारा दक्षिण अफीका

का दौरा किए जाने के बारे में एक वक्तव्य देंगी ? उनका दक्षिण अफ्रीका में नागरिक अभिनंदन किया गया था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको उत्तर भेज दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम अगली दफा इस पर चर्चा कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : पिछले दिनों मंत्री जी ने कहा था कि वे सभा में स्पष्टीकरण देंगे। जो भारतीय दल दक्षिण अफ्रीका गया था उसका नागरिक अभिनंदन किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : हम बाद में इस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : श्री रेड्डी सही हैं। आप कार्यवाही वृत्तांत देखें। विदेश मंत्री ने सभा में कहा था कि वह स्पष्टीकरण देंगे। आप कृपया कार्यवाही वृत्तांत देखिए लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उत्तर भेज दिया है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने इसकी सूचना दी थी और मैंने उनको उत्तर भेज दिया है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह सभी सदस्यों के लिए चिन्ता का विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : विदेश मंत्री पहले ही सभा में उपस्थित हैं। उनकी टोपी के कारण आप शायद उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन वह सभा में उपस्थित हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : दक्षिण अफ्रीका में आर्य समाज के एक दल का नागरिक अभिनंदन किया गया था। भारत इस बात को कैसे सहन कर सकता है ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर अगली दफा चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मैंने एक उत्तर भेजा था, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सूचना दे सकते हैं। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : श्रीलंका समस्या का क्या हुआ ?

(**व्यवधान**)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की एक और किश्त देय हो गई है। इसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए। कृपया इस संबंध में आप अपने पत्र का सदुपयोग करें···(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) :-अध्यक्ष महोदय, हरयाणा वालों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, 25 आदमी गायब हैं, सरकार से इंसाफ मांगने आए थे, लेकिन कल टीयर-गैस छोड़ी गई, गोली चलाई गई···

(**व्यवधान**)**

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : श्रीमन् हमें सूचित किया गया है कि हमारा स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया गया है, पिछले तीन वर्षों से सात बड़ी सिंचाई परियोजनाएं विचाराधीन हैं और सरकार ने इनमें से एक को भी मंजूरी नहीं दी है...(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : आप कहो तो मैं फिर डिसकस करवा दूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, ऐसा है, आपने जिस सबजेक्ट पर भी कहा, हम उन सब पर डिसक्सशन कराते रहे हैं।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं।

(**व्यवधान**)

श्री सी० माधव रेड्डी : अध्यक्ष पीठ के खिलाफ हमें कोई शिकायत नहीं है। अध्यक्ष पीठ हमारे प्रति काफी दयालु हैं। जब कभी हमने कोई विषय उठाया, आपने उस पर किसी न किसी तरह चर्चा करने की अनुमति दी। लेकिन भारत सरकार के रवैये से हम काफी निराश हैं,

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जिसे मंजूरी देनी चाहिए थी क्योंकि इसके कारण राज्य के विकास पर प्रभाव पड़ रही है।···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो डिसक्सशन ही करवा सकता हूं।

[अनुवाद]

अगली दफा मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा। आप मुझे लिख कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : करीब दस परियोजनाएं हैं·· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले कहते तो पहले डिसक्सशन करवा देता। आज कहा है तो डिसक्सशन करवा दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, इस सत्र का आज अन्तिम दिन है। अध्यक्ष की हैसियत से आप सरकार को क्यों नहीं कहते कि स्थिति को स्पष्ट करते हुए, विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी न दिये जाने के बारे में एक वक्तव्य दे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पर चर्चा करवाऊंगा; मुझे कोई कठिनाई नहीं है। ऐसा करने में मुझे कोई हिचक नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि आज करवा दो, लेकिन आज आखिरी दिन है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : सभा की सर्वसम्मत राय को देखते हुए, आप मंत्री जी को निदेश क्यों नहीं देते कि वह एक वक्तव्य दें ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बात और। आज योजना पर चर्चा की अन्तिम दिन है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस विषय पर भी उत्तर देने की कृपा करेंगे

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं चर्चा करवाने के लिए तैयार हूं। आप कोई भी समय निश्चित कीजिए, मैं चर्चा करवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आज अन्तिम दिन है। समय कहां है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुन सिंह।

(व्यवधान)

इस समय श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

———

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय राज्य व्यापार निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्ष 1984-85 के और भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1959 की धारा 616क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम सीमित का वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम सीमित के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पिणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1761/85]

(ख) (एक) प्रोजेक्टस एण्ड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी-1762/85]

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय व्यापार प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1763/85]

(2) (एक) भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1764/85]

(3) एक) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1765/85]

(4) (एक) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1766/85

(5) (एक) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई, वर्ष 1985-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेतन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1767/85]

(6) (एक) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1768/85]

(7) कॉफी बोर्ड, (पूल फंड) के वर्ष 1982-83 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(8) उपर्युक्त (7) में में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1769/85]

(9) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1770/85

(10) (एक) बेसिक केमीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, बम्बई, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी क्था अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो बेसिक केमीकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कॉसमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल, बम्बई, के वर्ष 1985-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1771/85]

(1) (एक) इलायची बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) इलायची बोर्ड, कोचीन, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1772/85]

सैन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 और हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 616क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी, संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) सैंट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सैन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1773/85]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणी।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1774/85]

भारत पर्यटन विकास निगम सीमित के वर्ष 1984-85 और इंस्टीच्यूट ग्रांफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग न्यूट्रिशन नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी विवरण

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लीमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1775/85]

(2) (क) (एक) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग न्यूट्रिशन, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1776/85]

(दो) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेमेंट, केटरिंग टैक्नालोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बम्बई, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1777/85]

(तीन) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट, केटरिंग टैक्नालोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मद्रास, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1778/85]

(चार) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट, केटरिंग टैक्नालोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1779/85]

(पांच) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट. कैटरिंग टैक्नालोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1780/85]

(छ) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट केटरिंग एंड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

]ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1781/85]

(सात) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट, केटरिंग टैक्नालोजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, बंगलौर, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल० टी०-1782/85]

(आठ) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट, कैटरिंग एण्ड एप्लाइड न्यट्रिशन, हैदराबाद, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1783/85]

(नौ) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेमैंम, केटटिंग टैक्नालोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-1784/85]

(दस) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट, केटरिंग टैक्नालोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1785/85]

(ग्यारह) इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट, कैटरिंग टैक्नालोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोआ, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-1786/85]

(बारह) फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट, पटना, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी, संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-178/85]

(तेरह) फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट, नई दिल्ली, के वर्ष 1924-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1787/85]

(चौदह) फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट, तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजीं संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1789/85]

(ख) नई दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, श्रीनगर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ और गोवा स्थित इंस्टीच्यूट आफ होटल मैनेजमैंट, कैटरिंग टैक्नालोजी एण्ड एप्लाइड न्यूट्रिशन तथा पटना, दिल्ली और तिरुच्चिरापल्ली स्थित फूड क्राफ्ट इंस्टीच्यूट के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-17980/85]

मैटेलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1984-85, विजयनगर स्टील लिमिटेड का वर्ष 1984-85, स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1984-85 आदि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) मैंटेलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मैंटेलर्जिकल एण्ड इंजीयरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०-1790/85]

(ख) (एक) विजयनगर स्टील लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विजयनगर स्टील लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखपरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल०टी०-1791/82

(ग) (एक) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखपरिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1792/85]

(घ) (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण, सीमित का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-1793/85]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1794/85]

(च) (एक) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी०-1795/85]

(छ) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सीमित का वर्ष 1984-85 संबंध वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1796/85]

(ज) (एक) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1797/85]

(झ) (एक) धातु स्क्रैप व्यापार निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) धातु स्क्रैप व्यापार निगम सीमित का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1798/85]

(ञ) (एक) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1799/85]

(ट) (एक) "इस्को" उज्जैन पाइप एण्ड फाउन्डरी कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) "इस्को" उज्जैन पाइप एण्ड फाउन्डरी कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1800/85]

(ठ) (एक) विशाखापतनम स्टील प्रोजेक्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) विशाखापतनम स्टील प्रोगेकठ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-1801/85]

(ड) (एक) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-1802/85]

(2) (एक) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) खनिज विकास बोर्ड, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सँस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-1803/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, केन्द्रीय भारतीय कुटीर उद्योग निगम सीमित का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा(6) के अंतर्गत चाय (व्यापारिकों का पंजीयन तथा भंडार की घोषणा) संशोधन आदेश, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 4 नवम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 807 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०टी०-1084/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1566 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय भारतीय कुटीर उद्योग निगम सीमित के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) केन्द्रीय भारतीय कुटीर उद्योग निगम सीमित का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1805/85]

(4) (एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स किसर्च एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1806/85]

(5) (एक) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बम्बई, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संबंधी परिषद् बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1807/85]

(6) (क) (एक) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखें।

(दो) बम्बई वस्त्र अनुसंधान संघ, बम्बई, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1808/85]

(तीन) दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संघ, कोयम्बटूर, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1809/85]

(चार) उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान सघ, गाजियाबाद, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1810/85]

(ख) अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संघ, अहमदाबाद, बम्बई, वस्त्र अनुसंधान संघ, बम्बई दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान वस्त्र कोयम्बटूर, उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान वस्त्र संघ, गाजियाबाद के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कर) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-1810/85]

मार्डन फूड इंडस्ट्रीज (भारत) सीमित के वर्ष 1984-85, बिहार फल तथा वनस्पति विकास निगम सीमित पटना के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और इनके कार्यकरण की समीक्षा

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिहदेव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (भारत) सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (भारत) सीमित के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे उन पर नियंत्रक-महालेखा की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1811/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) बिहार फल तथा वनस्पति विकास निगम सीमित, पटना, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बिहार फल तथा वनस्पति विकास निगम सीमित, पटना का वर्ष 1982-83 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1812 85]

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1812/85]

(4) (एक) भण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (ii) के अन्तर्गत, केन्द्रीय भाण्डागार निगम के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1813/85]

आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया कानपुर के वर्ष 1984-85 इन्स्टीट्यूट फार दि फिजिकली हैण्डीकैप्ड के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण की समीक्षा

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : महोदय मैं डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति ।

(एक) आर्टिफिशिल लिम्बस् मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर, के वर्ष 1984-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) आर्टिफिशिल लिम्बस् मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1814/85]

(2) (एक) इन्स्टीट्यूट फार दि फिजिकली हैण्डीकैपड के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) इन्स्टीट्यूट पर दि फिजिकली हैण्डीकैपड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1815/85]

(3) (एक) अली यावर जग नेशनल इंस्टीट्यूट फार दि हेयरिंग हैण्डीकैपड, बम्बई के वर्ष 1984-85 संबधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) अली यावर जंग नेशगल इंस्टीट्यूट फार दि हेयरिंग हैण्डीकैपड, बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1816/85]

दूर संचार परामर्शी भारत सीमित का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकारण की समीक्षा

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, श्री राम निवास मिर्धा की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(1) दूर संचार परामर्शी भारत सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) दूर संचार परामर्शी भारत सीमित का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नितंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1817/85]

केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि और राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1818/85]

(3) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष, 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1919 85]

भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सीमित का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और इसके कार्यकरण की समीक्षा

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत विद्युत (संशोधन) नियम, 1985, जो 9 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1049 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1985, जो 9 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1050 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1985, जो 9 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1051 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय विद्युत (संशोधन) नियम, 1985 जो 16 नवम्बर 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1074 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1820 85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1), के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) ग्रामीण विद्युतकरण निगम सीमित का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1821 85]

(ख) (एक) एक राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम सीमित का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परिक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी 1822/85]

(3) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परिक्षित लेखे ।

(दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण का सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को एक प्रति ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1823/85)

———

12.09 म० प०

[अनुवाद]

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष ने आज सभा से बहिर्गमन का निर्णय लिया

था — जो कि उन्होंने पहले ही ले लिया था। महोदय, बहुत से विषयों पर चर्चा हो चुकी है। जिसे किसी विषय पर भी उन्होंने पूछा है उस पर आपकी अनुमति से चर्चा हो चुकी है। जिन मामलों पर भी उन्होंने मांग की हमने उन पर चर्चा की है। एक भी मामला छोड़ा नहीं गया है। उसकी उन्होंने कभी मांग नहीं की। आज वे सभा से बहिर्गमन करना चाहते थे। मैं सरकार की ओर से एक स्पष्ट वक्तव्य देना चाहता हूं कि किसी राज्य सरकार की किसी भी परियोजना में बिना कारण देरी नहीं की गई है। सरकार का रवैया न्यायपूर्ण तथा संगत रहा है। यह बहिर्गमन केवल नाटकीय है। फिर भी उन्होंने जो सहयोग हमें दिया है, मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं ओर हमने भी भी उनके साथ सहयोग किया है। बहिर्गमन के लिए भी मैं उन्हें सभा से बहिर्गमन करने के लिए भी धन्यवाद देता हूं।

12.10 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

राजघाट समाधि समिति के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसकी समीक्षा के बारे में एक विवरण

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) राजघाट समाधि समिति के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राजघाट समाधि समिति के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1824/85]

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम और उच्च न्यायालय सेवा शर्तें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री एच० आर० भारद्वाज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (5) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा-भत्ता) संशोधन नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति जो 28 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 899 में प्रकाशित हुए थे।

ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-1825/85]

(2) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1985, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या स० का० नि० 1007 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गयी। देखिए संख्या एल० टी०-1826/85]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अधीन अधिसूचना तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

वित्त मंत्री (श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह) : **श्री जनार्दन पुजारी** की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना सं० सा० का० नि० 902 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 13 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो फिलट, बटनों सहित रफ अफ्थल्मिक ग्लास ब्लैंकों को, उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1827/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्न-लिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1828/85

(3) निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गोड़ ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1829/85]

(दो) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भोजपुर रोहताश

ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1830/85]

(तीन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए फरुखाबाद ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1831/85]

(चार) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मारवाड ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखें गए। देखिए संख्या एल० टी०-1832/85]

(पांच) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शाहजहाँपुर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रयिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1833/85

(छ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1834/85]

(सात) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बनसकंठा, मेहसाना ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों काप्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1835/85

(आठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बालसाड़ डाग्स ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

ग्रंथालय में गखे गए। देखिए मंख्या एल० टी०-1836/85]

(नौ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लांगपी डंहगी ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1837/85

(दस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए देवसम शाजापुर ग्रामीण बैंक का प्रतिचेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1838/85]

(ग्यारह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंचमहल ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पन लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1839/85]

(बारह) 31 दिसम्बर, 1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रत्नगिरि सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1840/85]

(तेरह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बस्तर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1841/85]

(चौदह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिग डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक का प्र यिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1842/85]

(पन्द्रह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कपूरथला फिरोजपुर क्षेतीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1843/85]

(सोलह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मालाप्रभा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1844/85]

(सतह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कामराज ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1845 85]

(अठारह) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मेकाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखारीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1846/85]

(उन्नीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मेवाड़ सहयद्री ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1847/85]

(बीस) 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मगध ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०· टी०-1848/85]

(इक्कीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कृष्णा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1849/85]

(बाईस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बुन्देलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1850/85]

(तेईस) 31 दिसम्बर 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सउथ मालाबर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1851/85]

(चौबीस) 31 दिसम्बर, 1954 को समाप्त हुए वर्ष के लिए श्री अनन्त ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1852/25]

(पच्चीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नागार्जुन ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1853/85]

(छब्बीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पाण्डयान ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरिक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1854/85]

(सत्ताईस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चैतन्य ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1855/85]

(अट्ठाइस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1856/85]

(उनतीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1857/85]

(तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए साबरकंठा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1858/85]

(इकत्तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1859/85]

(बत्तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सुरेन्द्र नगर भावनगर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1860/85]

(तैंतीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एटा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1861/89]

(चोंतीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1862/85]

(पैंतीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वर्धमान ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1863/85]

(छत्तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1864/85]

(सैंतीस) 31 दिसम्बर 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जामनगर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1865/85]

(अड़तीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1866/85]

(उनतालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1867/85]

(चालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दुर्ग-राजनन्द गांव ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1868/85]

(इक्तालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1869/85]

(बयालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शारदा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1870/85]

(तेंतालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों बैंक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1871/85]

(चवालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जम्मू ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1872/85]

(पैंतालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पिनाकिनी ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन!

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1873/85]

(छयालीस) 31 दिसम्बर, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के लिए श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1874/85]

(सतालीस) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विन्ध्य वासिनी ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1875/85]

(अड़तालीस) 41 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बूंदी चितौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1876/85]

(उनचास) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मणिपुर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1877/85]

(पचास) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1878/85]

(इक्यावन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के नए गुरुदासपुर, अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1879/85]

(बावन) 31 दिसम्बर, 1984 जो समाप्त हुए वर्ष के लिए बीजापुर ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1880/85]

(तरेपन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए श्रीसतवाहन ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1881/85]

(चव्वन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए काबरी ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1882/85]

(पच्चपन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए चम्पारन क्षत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1883/85]

(छप्पन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बाराबंकी ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1884/85]

(सत्तावन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए कर्ष के लिए हिमाचल ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षकों ,का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी०-1885/85]

(अठ्ठावन) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुलसी ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1886/85]

(उन्सठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1887/85]

(साठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1888/85]

(इकसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेख तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1889/85]

(बासठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जमुना ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1890/85]

(तरेसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजगढ़ ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1891/85]

(चौंसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1892/85]

(पैंसठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीद्यकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1893/85]

(छ्यासठ) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1894/85]

(सतासठ) 31 दिसम्बर, 19?5 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गुडगांव ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1895/85]

(अठासठ) 31 दिसम्बर, 1964 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्रसाल ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1896/85]

(उन्सतर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए धेनकनाल ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1897/85]

(सत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नालन्दा ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेवन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०,1898/85]

(इक्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1899/85]

(बहत्तर) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पालामाऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1900/85]

नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजक समिति की समीक्षा के संबंध में वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और विवरण

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्रीमती मारग्रेट अल्वा की ओर से निम्नलिखित पर सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजक समिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) नौवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजक समिति, नई दिल्ली, के वर्ष, 1684-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी-1901/85]

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की और हैवी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 1984-85 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी विवरण

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हू :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1902/85]

(ख) (एक) हैवी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) हैवी इन्जिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1903/85]

(ग) (एक) भारत पम्प्स तथा कम्प्रैशर्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत पम्प्स तथा कम्प्रैशर्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1904/85]

(घ) (एक) चण्डीगढ़ स्ट्रियल एण्ड जनरल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) चण्डीगढ़ इंडस्ट्रियल एण्ड जनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के

वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1905/85]

(ङ) (एक) दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) की उपमद (ङ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1906/85]

(3) (क) (एक) टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1907/85]

(दो) सेंट्रल टूल रूम लुधियाना, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1908/85]

(तीन) सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1909/85]

(चार) सेंट्रल इंस्टीट्यू आफ टूल डिजाइन हैदराबाद के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1910/85]

(पांच) दि० इंस्टीच्यूट फार डिजाइन ले ऑफ इलेक्ट्रीकल मेजरिंग इंस्टरुमेंटस,

बंबई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे और नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1911/85]

(छः) सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ हैंड टूल्स, जालंधर, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे ।

(ख) टूल्स रूम एण्ड ट्रेनिंग सैंटर, दिल्ली, सेंट्रल रूम, लुधियाना सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सैंटर, कलकत्ता, सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद, इंस्टीच्यूट फार डिजाइन आफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इन्ट्रुमेंस, बम्बई, सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ टूल्स, जालंधर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1912/8<]

भोपाल जहरीली गैस के रिसाव से सम्बन्धित वैज्ञानिक अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन

रसायन और पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं भोपाल जहरीली गैस के रिसाव से संबंधित तथ्यों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1913/85]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की और भारत गोल्ड माइंज लिमिटेड वर्ष 1984-85 की समीक्षा संबंधी और वार्षिक प्रतिवेदन ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं श्रीमती राम दुलारी सिन्हा की ओर से कम्पनी अधिनियम 1656 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं —

(1) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1914/85]

(2) (एक) भारत गोल्ड माइंज लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीखित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1915/85]

भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की वर्ष 1984-85 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में एक विवरण

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री शिवराज वी० पाटिल की ओर से मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम सीमित का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1916/85]

राजा राम मोहन राय पुस्ताकालय प्रतिष्ठान के वर्ष 1984-85 के तथा राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान, पटियाला के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्रीमती सुशीला रोहतगी की ओर से निम्नलिखित पर सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के वर्ष 1984-85 सबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संरकरण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०-1917/85]

(2) (एक) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान समिति, पटियाला, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थान समिति, पटियाला, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1918/85]

(3) (एक) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1984-85 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1919/85]

(4) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली, के वर्ष 1984-85 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1920/85]

(5) एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1921/85]

(6) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-1922/85]

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागान विकास निगम सीमित पोर्टब्लेयर का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री जियाउर्रहमान की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागान विकास निगम सीमित पोर्टब्लेयर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह वन और बागान विकास निगम सीमित पोर्टब्लेयर का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1923/85]

नेशनल इंस्टीच्यूट फार दि विजुअली हैंडिकैप्ड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :—

(1) (एक) नेशनल इंस्टीच्यूट फार दि विजुअली हैंडिकैप्ड के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीच्यूट फार दि विजुअली हैंडिकैप्ड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-1924/85]

12.11 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति

(कार्यवाही-सारांश)

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : महोदय मैं चालू सभा के दौरान हुई गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की छठी से दसवीं तक बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.11 1/2 म० प०

लोक लेखा समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री राज मंगल पांडे (देवरिया) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संबंधी 141वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अन्तिम उत्तरों का विवरण।

(दो) सीमा-शुल्क प्राप्तियों संबंधी 56वें प्रतिवेदन (सातवी लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अन्तिम उत्तरों का विवरण।

(तीन) भारत संघ उत्पाद-शुल्क संबंधी 60वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों का विवरण।

(चार) तेल निकाले चावल के चोकर निर्यात के लिए नकद सहायता संबंधी 77वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों का विवरण।

(पाँच) मैसर्स इंटरनेशनल कम्प्यूटर्स लिमिटेड, ब्रिटेन, संबंधी 80वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पाँच के संबंध में अंतिम उत्तरों का विवरण।

(छः) एक नौसैनिक परियोजना का कार्यनिष्पादन तथा एक आयुध कारखाने द्वारा अल्यूमोनियम छीजन के निपटान संबंधी 89वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही और अध्याय पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों का विवरण।

(सात) एक कमान में मिलिटरी इंजीनियरी सेवा में वस्तु सूची प्रणाली की पुनरीक्षा संबंधी 95वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही और अध्याय पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तरों का विवरण।

(आठ) लवण भूमि पर अनधिकृत कब्जा—भारपुर कारखाने और शुष्क बुझा चूना और प्रोजोलाना मिट्टी कारखाने सम्बन्धी 110वें प्रतिवेदन(सातवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(नौ) गुम सम्पत्ति कार्यालय सम्बन्धी 128वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तरों का विवरण ।

(दस) मुगलसराय मार्शलिंग यार्ड के पुनर्निर्माण संबंधी 136वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों का विवरण।

(ग्यारह) भारत संघ उत्पाद-शुल्क कालातीत हो जाने के कारण राजस्व की हानि संबंधी 146वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों का विवरण ।

(बारह) लघु कृषक विकास एजेंसियों संबंधी 165वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतित उत्तरों का विवरण ।

(तेरह) भारतीय उच्चायोग, लंदन के आपूर्ति स्कंध के क्रय कार्य संबंधी 172वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों का विवरण ।

(चौदह) काम के बदले अनाज कार्यक्रम सम्बन्धी 173वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों का विवरण ।

(पन्द्रह) शस्त्र प्रशिक्षण की नई प्रणाली के आरंभ सम्बन्धी 182वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(सोलह) चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स—डीजल शंटरों के लिए सूरी ट्रांसमिशन और और रिवर्सिंग गियर बॉक्स सम्बन्धी 183वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक

सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अंतिम उत्तरों का विवरण।

(सत्रह) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की प्राप्तियां—बिक्री कर—एक व्यापारी द्वारा जाली दस्तावेज तैयार करने सम्बन्धी 184वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण।

(अठारह) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की प्राप्तियां—स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस—स्टाम्प शुल्क की उच्च दरों का अपवंचन/परिहार सम्बन्धी 185वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर का विवरण।

(उन्नीस) अन्तर्देशीय पत्र कार्डों का स्थानीय मुद्रण तथा अन्नानगर में स्टाफ क्वाटरों के निर्माण सम्बन्धी 218वें प्रतिवेदन (सातवी लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर का विवरण।

(बीस) भारत संघ उत्पाद शुल्क सम्लन्धी 225 वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय-पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण।

12.13 म० प०

याचिका समिति
कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्रीमती आबिदा अहमद (बरेली) : याचिका समिति की पहली से चौथी तक की बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

12.13-1/2 म०प०

प्राक्कलन समिति
21वां और 22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)—बैंकिंग—के संबंध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 84वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही सम्बन्धी 21वां प्रतिवेदन।

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के संबंध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 89वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही सम्बन्धी 22वां प्रतिवेदन।

12.14 म० प०

लोक लेखा समिति

24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राजमंगल पाण्डेय (देवरियां) : महोदय मैं एक विशिष्ट हैलिकाप्टर के लिए मरम्मत/ओवरहॉल करने की सुविधाओं की व्यवस्था करने में विलम्ब के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.14 1/2 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

पांचवा और आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : महोदय मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की-गई-कार्यवाही सम्बन्धी निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) वाणिज्य मंत्रालय (टैक्सटाइल विभाग)—नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड में और विशेषतः नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन (पं० बंगाल आसाम बिहार, और उड़ीसा) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण तथा रोजगार के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 56वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) मे अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 5वां प्रतिवेदन।

(दो) ऊर्जा मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग)— इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (मार्केटिंग डिवीजन और रिफाइनरीज तथा पाइप लाइन्स डिविजन) में अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 53वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 8वां प्रतिवेदन।

12.15 म० प०

भारतीय खाद्य निगम द्वारा पंजाब और हरियाणा के किसानों से खरीदे गए धान की राशि की बकाया राशियों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री के० पी० सिंह देव) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री बलवंत सिंह रामूवालिया ने 21 दिसम्बर, 1985 को नियम 377 के अन्तर्गत मामला उठाते समय, साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया था कि "पंजाब और हरियाणा के कि सानों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई धान की राशि उन्हें अदा नहीं की गई है । ये सभी धान कमीशन एजेन्टों के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदी गई थी । बहुत से मामलों में 25 दिनों से एक महीने की अवधि खत्म हो गई है । जिन किसानों की बकाया राशि अदा नहीं की गई है उनकी संख्या हजारों में है और धनराशि 150 करोड़ रुपए से भी अधिक बैठती है ।"

इस मामले की जांच की गई है । पंजाब में 274 करोड़ रुपए के मूल्य की कुल 18.69 लाख मीटरी टन धान खरीदी गई थी । इसमें से भारतीय खाद्य निगम द्वारा 265 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है । पंजाब के वर्तमान कानूनों के अनुसार ये सभी भुगतान आढ़तियों को किए जाते हैं । हरियाणा में भी यही प्रथा है । पंजाब के आढ़तियों की 9 करोड़ रुपए की राशि को इस कारण रोक लिया गया है क्योंकि धान की पैकिंग करने हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें बोरियां दी गई थीं और उनमें से कई एक ने उनके लेखे अभी भी प्रस्तुत नहीं किए हैं तथा इस वजह से उनके अन्तिम बिल निपटान हेतु लम्बित पड़े हुए हैं । सामान्य अनुदेशों के अधीन भारतीय खाद्य निगम आढ़तियों द्वारा बिल पेश करने के 2-3 दिनों के अन्दर-अन्दर उन्हें भुगतान कर देता है । इस प्रयोजन हेतु चैक तैयार करने के लिए 35 भुगतान कार्यालय और आढ़तियों को जारी किए गए चैकों का भुगतान करने के लिए बैंक की 140 शाखाएं कार्य कर रही हैं । ये भारतीय खाद्य निगम को अलाट की गई मंडियों अथवा क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध हैं ।

जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है, 4-79 करोड़ रुपए के मूल्य की कुल 33486 मीटरी टन धान खरीदी गई थी और अब तक 4.71 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है । केवल 8 लाख रुपए की शेष राशि का भुगतान किया जाना बाकी है और आशा है कि इस राशि का भी बहुत जल्दी भुगतान कर दिया जाएगा ।

बिचौलिया प्रणाली को समाप्त करने और आढ़तियों द्वारा किसानों के शोषण को खत्म करने और इसके फलस्वरूप होने वाले भ्रष्टाचार को समाप्त करने विषयक संसद सदस्य की इच्छा का आदर करते हुए दोनों खाद्य विभाग और भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों से अनुरोध किया है कि वे आढ़तिया प्रणाली को समाप्त कर दें ताकि किसानों को सीधा भुगतान किया जा सके । आढ़तिया प्रणाली केवल पंजाब और हरियाणा के राज्यों में विद्यमान है जबकि देश के शेष भाग में इसे समाप्त किया जा चुका है । तथापि, पंजाब और हरियाणा सरकारों से बार-बार अनुरोध

करने के बावजूद भी यह प्रणाली अभी भी जारी है। यह एक सामान्य अनुभव है कि भारतीय खाद्य निगम से धनराशि प्राप्त करने के बाद, आढ़ती यह धनराशि दो से तीन महीनों तक अपने पास रोक लेते हैं और इससे किसानों को भारी दिक्कत होती है।

अतः मैं पंजाब और हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सदन के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे आढ़तिया प्रणाली को समाप्त करने के लिए अपनी-अपनी राज्य सरकारों को मनाएं। मैं इस सदन में इस बात का पहले भी उल्लेख कर चुका हूं कि सरकार किसानों और भारतीय खाद्य निगम के मध्य कार्य कर रहे किन्हीं बिचौलियों के खिलाफ है और इस उद्देश्य को बेहतर तरीके से तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि किसानों को आढ़तियों की बजाय भारतीय खाद्य निगम अथवा उसकी एजेन्सियों के पास सीधे ही आने और उन्हें सीधे खाद्यान्न बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उस दशा में किसानों को विलम्ब से भुगतान करने जैसे कदाचारों को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है।

मैं अपने वक्तव्य को यह सूचित करते हुए समाप्त करना चाहूंगा कि बकाया धनराशि 150 करोड़ रुपए जितनी बड़ी नहीं है जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है। यह राशि केवल 9 करोड़ रुपए है और इसे किसानों को अदान की गई राशि नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह राशि आढ़तियों को दी गई बोरियों के लिए प्रतिभूति के रूप में रोकी जा रही है। आढ़तियों ने इन बोरियों का अभी लेखा-जोखा नहीं दिया है। जहां तक हरियाणा का संबंध है, इस संबंध में कोई खास समस्या नहीं है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे आढ़तियों पर जोर दें कि वे किसानों की बकाया राशि को अपने पास न रोके रखें। हमने दोनों राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, तत्काल उपचारी उपाय करें।

12.17 म० प०

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* दिनांक 29-12-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापितxx करता हूं ।

12.17 1/2 म० प०

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयकx

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापितxx करता हूं ।

12.18 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों को सूखा-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग

कुमार पुष्पा देवी (रामगढ़) : मध्य प्रदेश में 45 जिलों में से 27 जिलों में बहुत सूखा पड़ा है । पश्चिमी मध्य प्रदेश में जहां इंदौर, धार, झाबुआ, देवास, खंडवा, खारगोन, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर की स्थिति से राज्य प्रशासन को बहुत चिन्ता हो रही है । झाबुआ के मुख्यतः जनजाति क्षेत्र के इन 9 जिलों में खारगोन और रतलाम को भारी क्षति हुई है । यदि पूर्तिकाल में वर्षा नहीं होती तो 1986 के मध्य तक स्थिति और भी बिगड़ जाने की आशंका है ।

12.18 1/2 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पेय जल का अभाव बढ़ता जा रहा है, कुएं सूख रहे हैं और जल स्तर कम होता जा रहा

---

x दिनांक 20-12-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।
xx राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 27 क्षतिग्रस्त जिलों में 106 कसबों और 5,932 ग्रामों को शीघ्र ही पेयजल के अभाव का सामना करना होगा।

मध्य प्रदेश सरकार सूखे की स्थिति का सामना करने और अभाव वाले ग्रामों तथा कस्वों का पेय जल उपलब्ध करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। किन्तु केन्द्र की सहायता के बिना राहत कार्य तथा पेयजल की पूर्ति के कार्य क्रमों को तेज नहीं किया जा सकता है।

अतः मैं इस बात की मांग करता हूं कि भारत सरकार शीघ्र उन जिलों को सूखा-ग्रस्त जिले घोषित करे। राहत कार्य युद्ध स्तर पर आरम्भ किए जाएं। उन ग्रामों तथा कस्बों में पेय जल की आपूर्ति के कार्यक्रमों को तेज करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को अतिरिक्त राशि दी जानी चाहिए।

(दो) कृत्रिम धागे पर उत्पाद-शुल्क की दर घटाने की आवश्यकता

श्री एस०जी० घोलप(थाणे): नई कपड़ा नीति से इस बात की आशा की जाती थी कि सभी कृत्रिम धागों और सूती कपड़ों पर उत्पाद शुल्क घटाया जाएगा, किंतु सितंबर 1985 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सरकार ने पोलिएस्टर धागे पर शुल्क घटाया है जो अधिकतर संघटित कारखानों का कच्चा माल है और कृत्रिम धागे पर (जैसे नाइलन धागे, पोलिएस्टर धागे) जो अधिकतर विद्युतकरघा क्षेत्र का कच्चा माल है। शुल्क में ऐसी कमी नही की गई है।

यह भी सत्य है कि देश में कृत्रिम धागे की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है क्योंकि महत्वपूर्ण माल पर उत्पाद शुल्क बहुत अधिक है। अतः हमारे कृत्रिम कपड़ों का मूल्य बहुत ही अधिक है। यदि कृत्रिम धागे पर शुल्क को कम किया जाए जैसा कि विद्युत करघा क्षेत्र द्वारा मांग की गई है तो तस्करी स्वतः ही समाप्त होगी।

महाराष्ट्र में देश के विद्युत-करघों की संख्या सर्वाधिक संख्या है जहां 5 लाख जुलाहे कार्य कर रहे हैं। अवः यह मामला महाराष्ट्र राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः इस बात का अनुरोध है कि सरकार इस मामले की ओर ध्यान दे और विद्युत-करघा क्षेत्र की सहायता के लिए उपयुक्त कार्यवाही करे।

(तीन) राजस्थान के विशेषकर श्रीगंगानगर जिले के, हरिजनों को आवासीय प्लाट देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में हरिजनों के निमित बनाए गए स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं का अमलीकरण ग्रामीण विकास अधिकरण द्वारा सही ढंग से किया नहीं जा रहा है।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत बेरोजगार हरिजन स्नातक एवं उत्तर स्नातकों एवं अन्य शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार के निमित बैंकों से ऋण नहीं दिया जाता है, न ठीक ढ़ंग से अनुदान की व्यवस्था की जाती है। परिणामस्वरूप शिक्षित हरिजन बेरोजगारों में निराशा

व्याप्त है। निराशा से अन्य हरिजन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में उदासीनता उत्पन्न होती है। उदासीनता-जन्य वातावरण सभी हरिजनों के शिक्षा प्राप्त करने में बाधक हो जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हरिजनों को अवासीय भूखण्ड कतई नहीं मिल पाने से एक भयंकर आवासीय समस्या खड़ी हो गई है। शहरी क्षेत्रों के आवासीय भूखण्ड आवंटन में जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक होगा।

राजस्थान सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार भी गरीब को छप्पर की योजना है जिसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

अत: मैं भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम गरीब हरिजनों को ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आवासीय भूखण्ड दिलवाने की व्यवस्था करावें। साथ ही बेरोजगार हरिजन शिक्षितों को सरकारी रोजगार के अतिरिक्त स्व-नियोजन के लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में कराई जाए।

(चार) **राजस्थान और मध्य प्रदेश के जंगलों से लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग**

श्री जुझार सिंह (भालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के वर्षों के प्रचार प्रसार के बाद जनता में पर्यावरण के प्रति उत्साह उत्पन्न हुआ है और गांवों में भी ऐसा वर्ग दिखाई पड़ने लगा है जो भूमि कटाव रोकने व जंगल बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते रहना आवश्यक है।

राजस्थान व मध्य प्रदेश की सरहद पर, कोटा जिले की छावड़ा छीपाबड़ोद, किशनगंज, शाहबाद व झालवाड़ा जिले की मनोहर थाना तहसीलों में किसी समय अच्छा जंगल मौजूद था जिसे वन विभाग की लापरवाही व मिलीभगत के कारण तस्करों ने नष्ट कर दिया है। बचे हुए जंगल को भी गूगोर क्षेत्र में, अवैध रूप से सागवान की लकड़ी काटकर छीपाबड़ोद क्षेत्र में आरा मशीन पर तैयार करके बीनागंज (मध्य प्रदेश) के रास्ते बम्बई बेचने हेतु भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के वन विभाग से लकड़ी के झूठे बिल प्राप्त कर लिए जाते हैं जिससे राजस्थान से चोरी की गई लकड़ी आसानी से बम्बई पहुंच सके। इस प्रकार मध्य प्रदेश व राजस्थान के वन विभागों की जानकारी में सरहद पर लकड़ी की तस्करी बिना रोक टोक चल रही है।

अत: निवेदन है कि भारत सरकार को जंगल के बचाव हेतु व्यावहारिक कदम उठाकर राजस्थान-मध्य प्रदेश की सरहद पर हो रही जंगल की कटाई को रोकने का शीघ्र प्रबन्ध करवाना चाहिए।

[अनुवाद]

(पांच) **उड़ीसा के सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में अनधिकार शिकार रोकने की आवश्यकता**

***श्री हरिहर सोरन (क्योंझर)** : जिला मयूरभंज, उड़ीसा में सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान

* मूलत: उड़िया में दिए गए वक्तव्य से अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की पहाड़ियों में रहने वाले शिकार-चोरों ने श्रमिकों को अपने खेतों में काम करने के लिए मजदूरी के बदले दुलर्भ पशुओं का मांस देकर आकृष्ट करना आरम्भ किया।

शिकार चोर जंगली सांड और सांबर जैसे दुलर्भ तथा सुरक्षित पशुओं को गोली से मार-डालते हैं। जनजातीय श्रमिकों को ऐसा मांस अच्छा लगता है अतः जब उन्हें ऐसा मांस दिया जाता है तो वह शीघ्र शिकार-चोरी के फार्मों पर काम करना स्वीकार कर लेते हैं।

मयूरभंज जिले में पोडाडीहा, कुबांखाई, केन्दुचुआ और पुरतनगर क्षेत्र में शिकार चोर अधिकतर इन गतिविधियों में लगे हुए हैं। जब तक शिकार चोरी को रोकने के लिए शीघ्र उपाय नहीं किए जाते हैं, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले दुलर्भ पशुओं का विनाश हो जाएगा। अतः मैं इस बात पर बल देता हूं कि कि केन्द्रीय सरकार उड़ीसा की राज्य सरकार को इस संबंध में आदेश दे और उन दुलर्भ पशुओं को बचाये।

(छः) विदेशी सिगरेट निर्माता कम्पनियों द्वारा किए जाने वाले कर-अपवंचन को रोकने के लिए कार्यवाही की मांग

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : महोदय, विदेशी सिगरेट कम्पनियां भारतीय सिगरेट कम्पनियों की साठ-गांठ से बहुत बड़ा घोटाला कर रही हैं। उनके द्वारा अपनाया गया कार्य करने का ढंग यह है कि वे उपने ब्रांड के भारतीय सिगरेट उत्पादकों द्वारा तैयार करवाते हैं और इनको इन्हीं के द्वारा बेचते हैं और इस प्रकार विभिन्न करों के भुगताम से बच जाते हैं। विदेशी कम्पनियां विदेशों में अपना नाम देने के लिए भारतीय उत्पादकों से विदेशी मुद्रा में रायलटी लेती हैं। इस प्रकार राष्ट्र को विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है।

(सात) नये पदों के सृजन अथवा रिक्त पड़े वर्तमान स्थानों को भरने पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग

डा० ए० कलानिधि (मद्रास केन्द्रीय) : नये पद बनाने और नई भर्ती पर लगी रोक से न केवल बेरोजगारों को कठिनाई हो रही है बल्कि केन्द्रीय सरकार और अन्य अर्धसरकारी कई कार्यालयों के सामने भी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। उदाहरणतः मद्रास की एम०एम०डी०ए० कालोनी मद्रास-106, जो मेरा चुनाव-क्षेत्र है, वहां एक नया डाक-घर खोलने की मंजूरी दी गई थी, किन्तु इस रोक के कारण उसे खोला नहीं जा सका; मद्रास का डाक विभाग उच्च अधिकारियों से इसमें ढील के लिए गत आठ महीनों से प्रतीक्षा में हैं। नए पद बनाने अथवा वर्तमान रिक्त पदों को भरने पर हुए खर्च को गैर-योजना खर्च नहीं कहा जा सकता है। केवल योजना लक्ष्य पूरा करने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त जन-शक्ति की आवश्यकता है; और यह केवल नयी भर्ती से उपलब्ध होगी क्योंकि वर्तमान जन-शक्ति दूसरे कार्यों की देख-भाल करनी होगी जिसमें अन्य काम के साथ-साथ दैनिक काम और गत छः योजनाओं के दौरान कार्यान्वित की गई योजनाओं के रख-रखाव ओर देख-भाल करते होंगे। जो रिक्तियां सेवा निवृत्ति पर अथवा कर्मचारियों के निधन के कारण होती हैं उन्हें भी भरा जाना चाहिए वरना इस कारण से अन्य कर्मचारियों का कार्यभार बढ़ जाएगा और

अधिकारियों को वर्तमान कर्मचारियों से अतिरिक्त काम निकालने में कठिनाई होगी। मैं गम्भीरता पूर्वक केन्द्रीय सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और बेरोजगारों और अल्प-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) सिक्किम में 1975 से रह रहे लोगों को नागरिकता अधिकार देने की आवश्यकता

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : सिक्किम में हजारों लोग हैं जो पिछले कई सालों से वहां रह रहे है किन्तु उन्हें अभी तक नागरिकता प्रदान नही की गई है। सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बन गया और भारत के संविधान के उपबंधों और नागरिकता अधिनियम के अनुसार उन्हें यह अधिकार बहुत पहले दिया जाना चाहिए था। सिक्किम राज्य विधान सभा-वे एकमत से यह संकल्प पारित करके केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि उन वास्तविक व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार देने की मांग स्वीकार करें जो संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम 1975 के आरम्भ होने से पांच वर्ष पूर्व अर्थात 26 अप्रैल, 1975 से सिक्किम में रह रहे थे। सिक्किम सरकार ने भी इस मामले में भारत सरकार से कई बार अनुरोध किया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले की ओर ध्यान दिया जाए और कानून के अनुसार सिक्किम में रह रहे हजारों वास्तविक व्यक्तियों को नागरिकता अधिकार प्रदान करें।

12.29 म० प०

सातवीं पचवर्षीय योजना 1985-90 के बारे में प्रस्ताव--[जारी]

[अनुवाद]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : इस लोक सभा में सातवीं योजना पर 45 सदस्यों ने भाग लिया।

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप) : मंत्री उत्तर दे रहे हैं ? किन्तु सदस्यों के बारे में आपका क्या विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम ने कल निर्णय लिया था।

श्री पी०एम० सईद : मैं बोलना चाहता हूं। मैं बैठ नहीं रहा हूं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : 45 सदस्य हैं। ऐसे बहुत कठिन होगा।

श्री पी० एम० सईद : यह बहुत कठिन है। आप मेरा अधिकार नहीं छीन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप मंत्री से पूछ सकते हैं।

श्री पी०एम० सईद : सातवीं योजना के बारे में कौन स्पष्टीकरण देगा। मुझे दस मिनट चाहिएं। गत दो दिनों से मैं प्रतीक्षा में हूं। नहीं, मुझे अवसर मिलना चाहिए। यह बहुत बुरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री ए० के० पंजा : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि वह इन मुद्दों पर मुझ से बात करेंगे तो सचमुच मैं उनकी बातों की ओर ध्यान दूंगा क्योंकि उन्हें बोलने के लिए समय ही नहीं मिला। जैसा 4ने कहा कि पहले ही 45 सदस्यों ने चर्चा में भाग ले लिया है।

श्री गुलाम नबी आजाद : हमने शाम को बताया है कि यदि हम बैठना चाहते हैं, तो हम चर्चा जारी रख सकते हैं। शाम के समय इस बात का निश्चय किया गया था कि वे बहुत देर तक बैठेंगे। स्थगित होने से पहले, इसे सदन के सामने रखा गया कि क्या वे इसे बीच में ही रोक देंगे या जारी रखना चाहेंगे, क्योंकि मंत्री जी कल उत्तर देंगे। सदन ने बताया कि कल कोई भी नहीं बोलेगा। केवल उत्तर होंगे।

श्री पी० एम० सईद : यह सही स्थिति नहीं है। यह समझा जा रहा था कि वाद-विवाद आज भी बराबर चलता रहेगा और मंत्री जी अन्त में उत्तर देंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : उनके बोलने के बाद आप स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं।

श्री पी०एम० सईद : आप नहीं चाहते हैं कि हम वाद-विवाद में भाग लें ?

श्री गुलाम नबी आजाद : 45 सदस्यों ने पहले ही वाद-विवाद में भाग लिया है।

श्री पी०एम० सईन : आपने आश्वासन दिया था कि हम वाद-विवाद में भाग ले सकेंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : अभी 45 सदस्य बोलना चाहते हैं। उसमें दो दिन लगेंगे।

श्री ए०के० पंजा : महोदय, वाद-विवाद में 45 सदस्यों ने पहले ही भाग लिया है यह यह बहुत सहायक रहा है और सदन में की गई आलोचनाओं को सही तरीके से लिया गया है। जब कभी कोई चर्चा होती है तो समूचे उद्देश्य, प्रयोजन और लक्ष्यों को ध्यान में रखना होता है। मुझे बहुत दुःख है कि किसी अन्य मुद्दे पर किसी प्रक्रिया सम्बन्धित मुद्दे पर मुझे कहना चाहिए कि विरोधी पक्ष यहां नहीं है···

उपाध्यक्ष महोदय : दो या तीन सदस्य बैठे हुए हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं यहां हूं। मैं विरोधी पक्ष का हूं।

श्री ए० के० पंजा : मेरे कहने का मतलब पूरे विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्य जो इस प्रक्रियात्मक मुद्दे पर बोले थे, यहाँ नहीं हैं।

मुख्य बात यह है। जहां तक सातवीं योजना का संबंध है, जहां तक भारतीय आयोजना की प्रक्रिया का संबंध है, इस बारे में एक राष्ट्रीय सहमति है। एक राष्ट्रीय सहमतिली जाती है और इसे

एक ही रात में या अचानक नहीं लिया जाता है। वास्तव में, वर्ष 1984 के शुरू में कार्य शुरू कर किया गया और इसे बड़े आधार पर किया गया था ताकि जहां तक सम्भव हुआ अधिक से अधिक लोगों ने, जो आयोजना प्रक्रिया पर अपने विचारों को देने में दिलचस्पी रखते हैं, जो लोग अपने विचारों का लाभ हमें दे सकते हैं। अपने विचार व्यक्त किये हैं। इस पर खुले तौर पर विचार हुआ था इसे दृष्टिकोण योजना तैयार करने के साथ शुरू किया गया। दृष्टिकोण योजना पत्र तैयार करते समय छठी योजना की समूची पृष्ठ-भूमि का पूरी तरह से विश्लेषण किया गया। दृष्टिकोण योजना पत्र तैयार करने के बाद योजना आयोग की पूर्ण बैठक में इस पर विचार किया गया उसके बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। मैं नहीं जानता कि क्या ऐसा कोई देश है जहां मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद भी इसे लोगों और सदन के सदस्यों के सामने चर्चा के उद्देश्य के लिए रखा जाता हो। 1984 की जुलाई के मध्य में मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद सभी दलों से गणित एक सलाहकार समिति ने भी इस पर विचार किया। सलाहकार समिति ने सातवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र पर फिर चर्चा की। सलाहकार समिति की बैठक के बाद इसे सदन के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया था। राज्य सभा में दो दिन तक इस पर पूरी तरह से चर्चा की गई। लेकिन लोक सभा में इसे अन्तिम दिन लाया गया था और इस प्रकार इस पर चर्चा। नहीं की गई थी। परन्तु सदन के पटल पर रखी गयी इसकी प्रति-लिपि प्रत्येक के पास थी। इसके बाद फिर प्रक्रिया जारी रही। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुखों से विचार-विमर्श किया। इस बीच योजना के दस्तावेजों को पूरे देश में सम्बन्धित अर्थशास्त्रियों को दिखाया गया। विभिन्न टिप्पणियां, चर्चाएं और गोष्ठियां की गई तथा जहां कहीं मुद्दे उपलब्ध हुए उन सभी पर विचार किया गया।

इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने फिर रखा गया। जुलाई, 1984 में राष्ट्रीय विकास-परिषद के सामने इस पर चर्चा हुई। फिर इस वर्ष 8 और 9 नवम्बर को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई। इसमें सभी लोग उपस्थित थे। इस योजना पर पूरी तरह से चर्चा की गई थी और समूची योजना पर सहमति ली गयी। केवल दो व्यक्तियों पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मुख्य मंत्रियों की असहमति रही इसके उद्देश्यों पर नहीं बल्कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों पर अपने सिद्धांतों को भूलते हुए साधनों के औचित्य से सम्बन्धित कुछ संदेह उन्होंने व्यक्त किए। उद्देश्यों के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं कहा था। योजना को स्वीकार किया गया था और एक संकल्प पारित किया गया था। माननीय सदस्यों में से एक ने फिर एक अन्य मुद्दा उठाया कि मुख्य मंत्रियों और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों के इस पर विचार करने के लिए बहुत कम समय मिला था। इन तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने समाचार पत्रों में अक्सर देखा है कि कुछ सदस्य न कि इस सदन के सदस्य इस पर बुरा रूप से विचार-विमर्श करते हैं।

चौथी योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मसौदा दिया गया था और 14 दिन का समय दिया गया था। वास्तविक तारीख 6 अप्रैल थी। इसे भेजा गया था और राष्ट्रीय विकास परिषद ने 19 अप्रैल को बैठक शुरू की थी। पांचवीं योजना में राज्यों और संघ राज्य

क्षेत्रों को 12 दिन मिले थे। वास्तविक तारीख 13 सितम्बर थी। इसे भेजा गया था और 24 सितम्बर को बैठक शुरू हुई थी। छठी योजना में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 16 दिन दिए गए थे। वास्तविक तारीख 29 जनवरी थी। इसे भेजा गया था और बैठक 13 फरवरी को शुरू हुई थी सातवीं योजना के मामले में भी इसे 15 को भेजा गया था और हमने पता लगाया था ठीक मुख्य मंत्रियों ने भी इसे उसी दिन प्राप्त किया है तथा इस पर 8 और 9 नवम्बर को अर्थात् 24 दिनों के बाद चर्चा हुई।

इसलिए,यह सही नहीं है कि पहले भी किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया और इसे गुप्त रखा गया था तथा उसे इतना अधिक छिपया गया जैसे कि कुछ गुप्त बात होने जा रही है। पूरे एक वर्ष चर्चा करने के बाद हम कब तक चर्चा करते रहेंगे? कार्यवाही अपेक्षित है। जब दस्तावेज को कुछ मान्यता मिल गई तो राय ली गई। विभिन्न लोगों ने बहस की इस पर वाद-विवाद हुआ। इस पर चर्चा हुई। इसे सीधे समर्थन की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रीय विकास परिषद की उच्च स्तर समिति में चर्चा करने से पहले यह बात कहीं बाहर खुल न जाए। समूचे तथ्य ये हैं।

इसलिए कुछ सदस्यों द्वारा कही गई यह बात कि मुख्य मंत्रियों को बहुत कम समय मिला सही नहीं है और चर्चा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। वास्तव में, राष्ट्रीय विकासपरिषद में एक या दो मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को जोरदारढंग से नहीं उठाया था लेकिन इस पर और दबाव नहीं डाला गया था। इसलिए आपने देखा होगा कि दस्तावेजों के इन दो राज्यों में जो वाद-विवाद, चर्चा, विचार-विमर्श हुआ है, उनके आधार पर यह वाद-विवाद, आदि हुआ है।

दूसरी बात जिस पर बहस हुई थी और अधिकांशतः सभी सदस्यों ने विचार व्यक्त किए वह गरीबी के बारे में है। यदि हम उस बात पर जायें कि कितनी राशि खर्चकी गई है। यदि हम इसमें हुई वृद्धि के प्रतिशत पर जायें तो निश्चित रूप से मैं बता सकता हूं कि छठी योजना में कितनी राशि खर्च की गई और सातवीं योजना में कितनी धनराशि खर्च की जाने वाली है। लेकिन मुख्य विषय केवल धन सम्बन्धी आंकड़ों का नहीं है। छठी योजना में परिव्यय 3640.60 करोड़ रुपए था। कुल वास्तविक व्यय 3885.10 रुपए था जो कि परिव्यय से अधिक था। सातवीं योजना में परिव्यय लगभग दुगना 7705.24 करोड़ रुपए है।

यदि हम कहें कि हमने इसे दुगना कर दिया है तो वह सही दृष्टिकोण नहीं है। जैसा अपेक्षित हैं। परन्तु जिस दृष्टिकोणसे गरीबी मिटाने के लिए कदम उठा रहा है उस पर ध्यान देना होगा और मैं माननीय सदस्यों से इनकी सराहना करने के लिए अनुरोध करता हूं। हमने गरीब लोगों को बाजार की दया पर नहीं छोड़ा है। हमने उन्हें इस प्रकार से नहीं छोड़ा है कि जो कुछ होता है वह परिस्रवण सिद्धांत के अनुसार होता है कि जो कुछ धन ऊपर होता है तो बाद में धीरे-धीरे नीचे आता है। नहीं, भारत उस तरह से गरीबी, से नहीं निपट रहा हैं। भारत ने इसे सीधे गरीबी पर सीधा प्रहार करने का दृष्टिकोण अपनाया और इसलिए हम योजना के लिए योजना नहीं बना रहे हैं। हम गरीबी दूर करने केप्रयोजन के लिए विशेष योजना बना रहे हैं। हम बड़े लोगों की अपेक्षा छोटे लोगों के लिए योजना बना रहे हैं ताकि सीधे आम लोगों को लाभ मिल सके।

कम से कम मैंने किसी देश के आर्थिक इतिहास में ऐसा नहीं पाया है जिसने गरीबी पर सीधा प्रहार किया हो अर्थात जिसने गरीबी दूर करने के लिए ठोस योजना बनायी हो और इसके लिए विशेष परिव्यय की व्यवस्था की हो। इस ढंग से गरीबी की परिभाषा करने के बाद जैसा कि विशेषज्ञों ने किया है और पूरे विश्व ने स्वीकार किया है तथा ऐसा करने के बाद एक के बाद एक गरीबी पर प्रहार करते हुए तथा कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हुए कार्य निष्पादन पर नजर रखी जाती है। इसलिए, गरीब लोगों को बाजार में किसी की दया पर नहीं छोड़ा जाता है। गरीबी पर यह सीधा प्रहार है। विभिन्न वित्तीय उपायों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया जाता है जिस पर विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति व्यक्त की कि इस पर उचित रूप से कार्यवाही नहीं की जाती है या अनुचित रूप से समाधान किया जा रहा है। जब हम पाते हैं कि एक तरफ तो करोड़ों रुपया लाखों पीड़ित वर्गों की आखों से बाहर रखा जा रहा है। जब हम सभी इसके संसाधनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जबकि हम चर्चा कर रहे हैं कि हम अपनी सातवीं योजना में किस प्रकार से धन प्राप्त कर रहे हैं जब इन गरीब लोगों ने हमारी यह ड्यूटी लगाई है कि हम अपनी आखें खोलें तब हम अपनी आँखे कैसे बन्द कर सकते हैं? चूंकि कुछ लोग प्रभावशाली होते हैं और देश की कीमत पर गैर कानूनी ढंग से अमीर बन जाते हैं, उस समय हम आप लोगों को सुविधाएं देना बन्द नहीं कर सकते है।

यह बताया गया है कि भारत में आय का स्तर बहुत कम है। पूरे भारत में हममें से प्रत्येक ईमानदारी से यह प्रकट करे कि हमारी आय कितनी है ? यदि इसे किया जाता है तो मैं कह सकता हूं कि हम विश्व के सबसे अधिक विकसित किसी देशी के साथ इस बारे में प्रतियोगिता कर सकते है कि प्रति व्यक्ति औसतन कितनी आय है। आज हमें व्यय का अध्ययन करना होगा क्योंकि आय के आधार पर गरीबों के स्तर का अध्ययन करना सम्भव नहीं है।

जहां तक गरीबी दूर करने की समस्या का संबंध है हमें यह महसूस करना होगा कि एक विचारधारा होनी चाहिए लेकिन वास्तविक विश्व केवल सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं रह सकता है। उद्देश्य होना ही चाहिए। हमारा लक्ष्य 25 प्रतिशत है। हमें उसके लिए विस्तृत में जाना होगा। इस उद्देश्य से हमें यह देखना होगा कि इन बातों को सही ढंग से किया गया है और सही तरीके से किया जा रहा है। माननीय सदस्य द्वारा एक आपत्ति की गई थी कि हम जादूगर की तरह गरीबी की रेखा नीचे ला रहे हैं मैं साफ-साफ कहता हूं कि इस आपत्ति का कोई आधार नहीं है। माननीय सदस्य ने दांडेकर और रथ के बारे में उल्लेख किया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने वह श्रम किया है जो योजना आयोग ने गरीबी को परिभाषित करने में किया है ? दांडेकर और रथ के अध्ययन के अनुसार क्या है ? ग्रामीण लोगों के लिए क्या संगत है और शहरी लोगों के लिए क्या संगत है यह बताए बिना केवल 2250 केलोरी की आवश्यकता ही बतायी गई है। उसने यह उल्लेख नहीं किया है उचित खपत कितनी होनी चाहिए जिसमें कि समुचित कैलोरी हो। योजना आयोग के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के विशेषज्ञों, बुद्धिमान लोगों ने विचार किया और उस मानदण्ड का पता लगाया जो कि पूरे भारत में मान्य है। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी तत्व का सम्बन्ध है यह 2400 कैलोरी है और नगरीय क्षेत्रों के

लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता है। यह आंकड़े कभी भी नहीं बदलते। चिकित्सा विशेषज्ञ भी यह कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यक्ति के लिए 2400 कैलोरी की आवश्यकता है क्योंकि वह बहुत मेहनत करता है। जनसंख्या में वृद्धि तथा मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुए हमें यह देखना होगा कि इस प्रकार कैलोरी प्राप्त करने के लिए धन का मूल्य कितना होना चाहिए छठी योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी तक के लिए 76 रुपए और नगरीय क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्राप्त करने के लिए 88 रुपए था। सातवीं योजना में हमें इसे बढ़ाना था और ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में यह 107 रुपए और नगरीय क्षेत्रों के लिए 122 रुपए हो गए। गरीबी रेखा को पार करने के लिए कैलोरी की न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित करने हेतु प्रति व्यक्ति प्रति माह खपत का वास्तविक मूल्य यह है।

इसलिए, महोदय, यह आरोप कि हम केवल गरीबी रेखा को नीचे ला रहे हैं, सही नहीं है। वह सही नहीं है। महोदय, विरोधी पक्ष को जानकारी है कि हमने गरीबी को दूर करने के लिए उपाय किए हैं। मान लीजिए यह ऊपर से शुरू होता है। यह राजधानी दिल्ली से शुरू होता है, बाद में यह आस-पास जाता है और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है। हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। परिवहन और संचार सुविधा भी उपलब्ध है। वहां गरीबी रेखा के केलोरिफिक के पास कुछ लोग हैं। इसलिए, गरीबी को दूर करने वाले कार्यक्रम के माध्यम से यह निश्चित रूप से यह एक चोट है। यह चोट आधार पर है। यदि यह चोट ऊपर से है और नीचे से भी चोट की जाती है तो हम सफल होंगे। हम सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में निश्चित रूप से 25 प्रतिशत के आकड़े पर पहुंच सकते हैं।

दूसरा मुद्दा जिस पर वरिष्ठ माननीय सदस्यों से मैं एक सदस्य ने सभा में चर्चा की थी वह यह थी कि आधार रेखा में इतना परिवर्तन कर दिया गया है कि यह 1985-86 के मूल्यों तक आ जाए इसलिए हम इस योजना को इस प्रकार बना रहे हैं जैसे कि कोई रहस्य हो नहीं। यह गलत है। माननीय सदस्य ने योजना का अध्ययन ठीक ढंग से नहीं किया है। महोदय यह मेरा विनम्र निवेदन है। योजना में विशेष रूप से यह उल्लेख है कि 1984-85 आधार वर्ष है जो कि पारम्परिक और सामान्य आधार रेखा है जिसे प्रत्येक योजना के लिए आधार वर्ष लिया जाता है। इसलिए 1984-85 आधार है न कि 1985-86 को लिया गया है। वहां से यह छलांग शुरू होती है और यह आधार रेखा है जिसे हर स्थान से पारम्परिक रूप से लिया जाता है। इसलिए, एक वरिष्ठ माननीय सदस्य का यह आरोप कि आधार रेखा में परिवर्तन किया गया है, सही नहीं है।

महोदय, दूसरी बात अन्य वरिष्ठ माननीय सदस्य प्रो० रंगा ने उठाई है। हम इस तरह की बात के लिए बहुत सचेत हैं। उन्होंने यहां कल कहा था कि शिक्षा बहुत जरूरी है और प्रारंभिक तथा प्राथमिक शिक्षा देनी होगी। हम सुन्दर ढांचे. सुसज्जित स्कूलों और अन्य चीजों के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। ये उनके शब्द थे और मैं निवेदन करता हूं कि हमने अपनी योजना में इसी दृष्टि को अपनाया है। क्योंकि हमने निश्चय किया है कि निरक्षरता को पूरी तरह से

समाप्त किया जाना चाहिए और जब तक इसे नहीं किया जाता, है जैसा कि विशेषज्ञ हमें सलाह दे रहे हैं, तब तक हम जनसंख्या को इस स्तर तक नहीं ला सकते जहाँ तक विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित "2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य" के लिए लाई जानी चाहिए । जनसंख्या, अस्वस्थता, बीमारी के नियंत्रित करने के लिए शिक्षा और साक्षरता प्रतिशत जैसे मुख्य पहलुओं पर विचार किया जाना जरूरी है । ये राष्ट्र की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं इसलिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि निरक्षरता मुख्य पहलू है और शिक्षा जिसे अब मानव संसाधन के वर्ग में रखा गया है और जिसे मानव के पूर्ण विकास के लिए, जिसकी श्री अरविन्दों ने कल्पना की थी, बहुत जरूरी है । अब, इसे कैसे विकसित किया जाना चाहिए ? इसे मन, शरीर आत्मा और भौतिक रूप से विकसित करना होगा । मानव का पूरा विकास को, हांलाकि उसका आर्थिक रूप से विकास हो रहा है, केवल भौतिक लाभों से नहीं जोड़ना चाहिए । मानवसंसाधन विकास के माध्यम से भारतीय दर्शन को व्यक्त करना होगा । अब मूल पेपर पर बांद-विवाद हो रहा है और अब शिक्षा नीति पर चर्चा की जा रही है तथा विचार गोष्ठी की जा रही है । कुछ लोग इसके समर्थन में बोल रहे है, कुछ इसके विरोध में बोल रहे हैं और कुछ बीच में हैं लेकिन मुद्दा होश के साथ इसे आरम्भ करने का है और यही हमारी लोकतंत्र धारण का मूल प्रश्न है । यदि बोध प्राप्त होता है यदि महसूस कराया जाता है तो पूरे मानव संसाधन विकास में निश्चय ही सफलता मिलेगी और एक नए किस्म का विकास होगा । न केवल भौतिक लाभ होगा न केवल फैक्ट्री या पुल या सड़क या विद्यालय बनेंगे बल्कि पूर्ण मानव विकास होगा जैसा कि श्री अरविन्दो ने कल्पना की थी । इसलिए प्रो० रंगा द्वारा शिक्षा के बारे में बताई गई बात का हमने ध्यान रखा है तथा उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं ।

कृषि मूल्यों के बारे में एक अन्य बात है । कभी-कभी माननीय सदस्य आलोचना के उद्देश्य से आलोचना करते हैं, कभी-कभी केवल इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वह विरोधीपक्ष, में हैं । हरित क्रान्ति जिसे देश के कुछ भागों में उद्देश्यपूर्वक ढंग से पूरा किया गया है । उस हरित क्रान्ति को और हरित उत्पादन को देश के अन्य भागों में भी ले जाना होगा । इससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा और लवणता भी समाप्त हो जाएगी जो उपजाऊ भूमि में अधिक काम के कारण कुछ क्षेत्रों में आ सकती है और इससे बचना चाहिए । इसलिए पूर्ण क्षेत्रों में कृषि पर अब ध्यान दिया जा रहा है।

इस विषय पर बिहार और पश्चिम बंगाल के माननीय सदस्यों ने चर्चा की है । मैं बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के साथ असम सहित 7 अन्य राज्यों में भी कृषि पर अधिक जोर दिया जा रहा है । यदि हम इस लिहाज से देखें कि कृषि पर कितना पैसा लगाया गया है और कितनी उपज हुई है तो हमें पता चलेगा कि वहां पर सही जोर नहीं दिया गया है । क्या हमने किसानों को खाद्यान्न पैदा करने के उद्देश्य से अपेक्षित सही औजार दिए हैं ? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने तीन महत्वपूर्ण काम किए हैं । उचित और वरीयता के आधार पर पानी उपलब्ध कराया है । कीटनाशी दवाईयां उपलब्ध कराई हैं और किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराये हैं । कड़ी मेहनत करने के बाद

किसान को क्या अपनी उपज के लिए बाजार मिले हैं ? जी हां, गारटी दी जाती है। मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और सरकार माननीय सदस्यों द्वारा यहां और बाहर की जाने वाली विभिन्न आलोचनाओं पर तथा दिये जाने वाने वाले सुझावों, उदाहरण के लिए यदि सरकार के ध्यान में लाया जाता है कि पश्चिम बंगाल में पटसन उत्पादकों को हानि हो रही है, तो हम उपचारात्मक कार्रवाई करते हैं। हमने समर्थन मूल्य निर्धारित किये हैं। इस प्रकार सतर्कता बरती जाती है। देश के सभी भागों में हरित क्रांति के ले जाना होगा भागों में देखा गया है कुछ दक्षिण राज्यों के साथ पूर्वी क्षेत्र में भी हमें उपयुक्त ढ़ंग से समस्या का समाधान करना होगा। इस बारे में कई बार इस सदन में भी प्रश्न पूछे गए हैं और हमने आवश्यक जानकारी दी है। हम गरीबी का समाधान गरीबी दूर करो कार्मक्रमों के द्वारा कर रहे हैं और इस संबंध में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जहां इसकी आवश्यकता है, अधिक जोर दिया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों का उदाहरण लें। इन क्षेत्रों में फिर विभाजन किया जाता है ताकि सही क्षेत्रों और योग्य लोगों को लाभ दिया जा सके।

योजना का पूरा उद्देश्य यह है कि आम लोगों की खपत के मूल्य में वृद्धि की जाए। हम हमेशा इस सभा की सलाह पर चलते हैं परन्तु हमें वित्तीय विवशता के भीतर काम करना होता है। हम छठी योजना के दौरान वित्तीय कठिनाईयों के होते हुए भी काफी हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुए हैं। वे गैंजिट क्या हैं जिसने छठी योजना के दौरान सुरक्षित रखा और ऊर्जा में दूसरी बार जबरदस्त वृद्धि को सहन करने के लिए समर्थ बनाया ? वे कौन से गैंजिट हैं जिसने हमें बचाया और क्या पर्याप्त अवसर क्या हैं ? छठी योजना के दौरान दो बार सूखा पड़ा जिसने भारत के एक बड़े भाग को प्रभावित किया लेकिन फिर भी हमने अपनी उत्पादन की दर को बढाए रखा। इस अवधि के दौरान जब कि सब जगह अन्तराष्ट्रीय व्यापार में मंदी थी लेकिन भारतीय मुद्रा प्रणाली इस से प्रभावित नहीं हुई। वह आघात अवशोषक क्या है ? यह आघात अवशोषक यह था कि योजनाकर्ताओं ने सही स्थानों पर सही बल दिया।

माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि भारत में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि कुछ नहीं थी। माननीय सदस्यों ने विश्व बैंक की किसी पुस्तकें का उदाहरण दिया और अन्यों का उदाहरण नहीं दिया। बहुत अच्छा, संयुक्त राज्य अमरीका में वृद्धि की क्या दर है ? यह दो प्रतिशत थी। जब लोग उस देश का दौरा करते हैं और वापस आते हैं तो वे कहते हैं कि उन्होंने बहुत सुधार किया है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा इस अवधि के दौरान उनकी वृद्धि की दर केवल 2 प्रतिशत थी। तो यू० के० के बारे में क्या स्थिति है ? यह लगभग 1 प्रतिशत है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप पूंजीवादी देशों की बात कर रहे हो।

श्री ए० के० पंजा : मैं पूंजीवादी और समाजवादी देशों के बीच कोई अन्तर नहीं कर रहा हूं। यदि माननीय सदस्य मुझे अन्तर करने की कोशिश करने के लिए कहें। तो मैं आकड़े दूंगा। इसी अवधि के दौरान सोवियत संघ में 2.6 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत है। मेरी इन आकड़ों को देने की इच्छा नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे कहा और इसलिए मैंने इसे दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। जी नहीं। लेकिन पूरे विश्व में जो

तीन मुख्य आघात हुए हैं उसकी तुलना में भारत ने अच्छा काम किया है और इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए।

डा० वत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : हीरोशिमा कांड के बाद भी जापान की वृद्धि दर 11 प्रतिशत थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल पिछले 5 वर्षों के संदर्भ में बोल रहे हैं।

श्री ए० के० पंजा : महोदय, यदि जापान की दर 11 प्रतिशत है तो महोदय कौन सा भौगोलिक क्षेत्र तथा क्या जनसंख्या है। फिर भी मैं इन सब पर नहीं जा रहा हूं। यहां मुद्दा यह है कि सभी विकासशील देशों के प्रतिशत को लेना है। यदि आप सभी विकासशील देशों की औसत को लेते हैं तो फिर भी उल्लेखित अवधि के दौरान भारत की सबसे अधिक वृद्धि की दर 5.2 प्रतिशत है। (**व्यवधान**)

मैंने यहां तथ्य जो रखे हैं और मैं जानता हूं कि यह विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को उत्तेजित करेंगे। और अब हमारे नेता के निर्देश पर हमें इन कार्यक्रमों को वैज्ञानिक आधार पर लाना होगा। क्या उच्च तकनीक देने का मतलब यहां और वहां कुछ कम्पयूटर उपलब्ध कराना है, जी नहीं। ऐसा नहीं है। मुख्य बात विज्ञान को प्रयोगशाला से खेत तक लाना है। हमारा नारा है कि 'प्रयोगशाला खेत तक अर्थात् जो कुछ किया जा रहा है, जो भी विशेषज्ञता उपलब्ध है, जो भी अनुसंधान तथा विकास कार्य चल रहे हैं, उनका सबका लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए जो भारत के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। योजना का हमारा उद्देश्य जैसा कि हमारे नेता ने निदेश दिया यही है। थोड़ी रकम खर्च करने से उच्च किस्म की कीट-नाशी दवाएं और भूमि उपयोग को सुधरे हुए तरीके आदि किसानों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं तो हम निश्चित रूप से उन क्षेत्रों में धन लगाएंगे जिसके द्वारा किसान स्वयं इस बात का निर्णय कर सकेंगे कि उनकी भूमि को सुधारने के लिए उवर्रक की कौन सी किस्म अच्छी होगी। उदाहरण के लिए हम देखें कि मिट्टी के परीक्षण में अब क्या होता है। किसी विशेष समय में किसान को मिट्टी के नमूने बी० डी० ओं के कार्यालय में ले जाना होता है। बी० डी० ओं के कार्यालय में इस परीक्षण के लिए कई लोग प्रतीक्षा में खड़े होते हैं तथा जब तक उसकी बारी आती है तब तक गीली मिट्टी सूख जाती है और इसका महत्व खतम हो जाता है तथा खेत में जो वास्तविक मिट्टी मौजूद होती है उसका वह सही नमूना नहीं रह जाता। पूरी प्रक्रिया का परिणाम विफलता होता है क्योंकि वास्तविक नमूने का परिक्षण नहीं किया जाता है और किसानों को हानि होती है अतः हमें कुछ छोटे गेजेटों की व्यवस्था क्यों नहीं करनी चाहिए जो वैज्ञानिक आधार पर काम करेंगे? स्वच्छता निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, ट्यूब वेलों आदि के निरीक्षण करने के लिए गांवों में दौरे पर जाते हैं। कुछ अन्य गांव के फील्ड वर्कर, महिला स्वास्थ्य निरीक्षक आदि भी होते हैं। इन लोगों की सहायता से हमें ये छोटे गेजेट मिट्टी के परीक्षण के लिए उन्हें सही स्थान व सही समय पर देने चाहिए। इस तरह हमारे लोगों को मिलने वाली विज्ञान का मतलब यह नहीं है कि हम भारत के पूरे दर्शन के बाहर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि आप

जानते हैं। 30 नवम्बर, 1958 को पंडित जी ने कलकत्ता का दौरा किया वहां वह विज्ञान गोष्ठी में बोले। मैं पंडित जी के शब्दों के उद्धत करता हूं।

> वैज्ञानिक प्रगति का उद्देश्य आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित प्राचीन भारतीय विचारों का, सच्चाई की खोज में किए जा रहे प्रयोगों पर आधारित आधुनिक वैज्ञानिक प्रयास से मिलन होना चाहिए।"

पंडित ज्वाहरलाल नेहरू ने 1958 में यह दर्शन प्रस्तुत किया था और हमारे 1985 की योजना दस्तावेज में इसी का अनुसरण किया जा रहा है। इस योजना दस्तवेज में हम गाँधी जी के दर्शन और विचारधारा को अपना रहे हैं। कुछ सदस्यों ने शंका व्यक्त की कि हथकरघा तथा खादी क्षेत्र का क्या बनेगा। आत्म निर्भरता का क्या होगा। स्वदेशी की क्या स्थिति है? समूचा योजना दस्तावेज गांधी जी के दर्शन, पंडित जी की द्रुत दृष्टि तथा इन्दिराजी की कार्यक्रम तथा श्री राजीव गांधी की कार्य-कुशलता तथा दूर गति से कार्य करने की मंशा पर आधारित है। इन चार आधारों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।

1.00 म०प०

महोदय, इस ओर के माननीय मित्र शोर मचा रहे हैं। परन्तु साथियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कोई पुस्तक नहीं है। इसका संबन्ध मानव से है। इस पूरे दस्तावेज का उद्देश्य तथा आधार यही है। आज 20 दिसम्बर, 1985 है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस बात पर विचार करें। पिछले वर्ष इसी दिन हम खेतों में झोपड़ियों में, गांवों के लोगों के पास आदिम जातीय लोग के पास, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के किनारों पर जनता के पास वोट मांगने गये थे। वह यही दिन था और चुनाव के लिए कुछ दिन ही शेष मह गये थे मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि उसी भावना को उसी प्रयास और उसी उत्साह, उसी गति तथा कार्यकुशलता के साथ योजना दस्तावेज को लेकर खेतों में जो का लोगों को सातवीं योजना दस्तावेज से अवगत करायें।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हमें एक और विधेयक पारित करना है। अतः हम आज मध्याह्न भोजन के लिए नहीं उठेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप वास्तव में हमें भोजन दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके लिए आपको खेतों में जाना होगा।

श्री ए० के० पंजा : मैं आपको विचार के लिए मसला दे रहा हूं। अतः महोदय, योजना दस्तावेज के पीछे जो दृष्टिकोण तथा उद्देश्य है वह 'अनाज, कार्य तथा उत्पादिकता, हैं। उस आधार पर योजना का अध्ययन किया जाना चाहिए और माननीय सदस्य ठीक एक वर्ष पूर्व जो

स्थिति थी उस पर विचार करना चाहिए इस दस्तावेज से जनता को अवगत कराने के लिए वही उत्साह पर्दशित करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए ताकि सरकारी विभागों द्वारा कोई हेरा-फेरी न की जा सके । भारत में 431 जिलों में 5092 खण्डों में 75 करोड़ व्यक्ति रहते हैं । हमें राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 75 करोड़ के पास पहुंचना है । इन 413 जिलों के 5092 खण्डों में जाकर हमें 75 करोड़ लोगों को यह बताना है कि योजना दस्तावेज कोई पुस्तक नहीं है, यह उनकी गीता है । यही जनादेश है जोकि आपने हमें दिया है, । इसके आधार यह ही, हम सभी को कार्य करना है । आप की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब है । मुझे विश्वास है कि हम केवल लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे अपितु लक्ष्यों से भी आगे बढ़ जायेंगे । हमने देखा है कि कुछ राज्यों में कार्यक्रम तथा योजनाएं गाडगिल सूत्र के अनुसार पास की जाती है, परन्तु दुर्भाग्य से राज्यों के आंतरिक संसाधनों पर ध्यान नहीं दिया जाता । मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेता चाहता । परन्तु कुछ राज्यों में वास्तविक योजना परिव्यय संसाधनों से 350 करोड़ तक यह अधिक होता है । कुछ राज्यों में 1206 करोड़ रुपए अधिक है । एक संघ-राज्य क्षेत्र में संसाधन परिव्यय से 6 करोड़ रुपए कम है । मैं किसी को दोष नहीं देता । जब तक राज्य की मशीनरी में तेजी नहीं लाई जाती और संसाधनों को जुटाया नहीं जाता, जैसा कि तमिलनाडु, केरल अथवा कर्नाटक में किया गया है, तो क्या स्थिति होगी ? मैं इसे राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता । कुछ राज्य आंतरिक ससाधन जुटाने में विफल रहे हैं हालांकि उन्होने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से आश्वासन दिया था ।

पश्चिम बंगाल के हमारे एक मित्र ने प्रश्न उठाया है । आंतरिक संसाधन जुटाने के मामले में पश्चिम बंगाल 1206 करोड़ रुपए से पीछे पड़ गया है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : 7वीं योजना के दौरान भी राज्यों द्वारा अधिक संसाधन जुटाये जायेंगे और केन्द्र द्वारा कम ।

श्री ए० के० पंजा : मैं उसकी बात नही कर रहा हूं । मैं छठी योजना की बात कर रपा हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उस के बारे में भी मेरा कहना है कि राज्य सरकार जहां से अतिरिक्त संसाधन जुटा सकती थी, वे भी केन्द्र द्वारा हथिया लिए गए हैं । राज्य सरकार विवश है । उनके पास संसाधन नहीं हैं । उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं ?

श्री ए० के० पंजा : जहां तक पश्चिम बंगाल द्वारा संसाधन जुटाये जाने का प्रश्न है इसमें अब सुधार हो रहा है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो रहा है । मैं केवल यही कह रहा हूं : 'इस पर राजनीति से ऊपर उठकर विचार करें ।' इसके लिए कौन दोषी है ? राज्य का कुल योजना परिव्यय 3500 करोड़ रुपए था ? छठी योजना के अंत में 1206 करोड़ रुपए की कमी रही । क्यों ? इसका कारण यह है कि आंतरिक संसाधन जुटाने सम्बन्धी तंत्र को मजबूत नहीं बनाया गया । हम देखते हैं कि बिक्री कर की भारी राशि बकाया पड़ी है । कृपया राजनीति से ऊपर उठकर इस पर विचार करें । बिहार में 235.23 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश

में 6.24 करोड़ की कमी है। परन्तु तमिलनाडु में जुटाए गए संसाधन 344 करोड़ और कर्नाटक में 443 करोड़ रुपए अधिक हैं। मैं राजनीति को कतई नहीं ला रहा हूं। मेरा कहना है कि हम शुरूआत करने वाले हैं। वार्षिक योजना पर चर्चा चल रही है। आज सभा के स्थगन होने पर माननीय सदस्यों को समय मिल जाएगा। यही समय है कि भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की जाए। हम लद्दाख में1 या 2 क्षेत्रों को छोड़कर इस समय देश के किसी भी भाग में जा सकते हैं। मेरा अनुरोध है। माननीय सदस्यों को वहां जाना चाहिए और जब बजट सत्र में भाग लेने आएं उनके आंकड़ होने चाहियें और मुझे बताएं : "मेरे अपने निर्वाचित क्षेत्र में फलां स्थान पर कमी है। कृपया इसकी जांच कीजिए। यह योजना है और इतना धन दिया गया है। पिछले वर्ष 100 प्रतिशत कार्य हुआ है। यह धन इतना कम क्यों है? इसे बढ़ाया जाना चाहिये। अगले वर्ष योजना में हम इन जानकारियों के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

यह बातचीत का विषय है। यह एक दूसरे को समझने का प्रश्न है। यह योजना राष्ट्रीय मतैक्य का परिणाम है तथा इसे समूची 75 करोड़ जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जब तक हम जनता में जागृति पैदा करने की चेष्ठा नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। धन देकर हम गरीबी से निपट सकते हैं। भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा इस सिद्धांत को हमें छोड़ना होगा। हमें आशावादी बनकर उन्हें बताना होगा कि आम आदमी जो अपना पसीना बहाता है और मेहनत करता है यह मांग करने का अधिकार रखता है कि उसे फलां चीजें मिलनी चाहिएं। इन तरह से उनमें जागृति आज जाएगी। मेरी राय में माननीय सदस्यों पर जो जनता द्वारा चुने गए है निर्भर करता है। जनता हमारे कार्य पर नजर रखे हुए है। आलोचना करके प्रशंसा प्राप्त करना सरल है। परन्तु रचनात्मक कार्य करना कठिन बात है। हमें इस कठिन कार्य को हाथ में लेना चाहिए और गति तथा कार्यकुशलता के साथ भोजन, काम तथा उत्पादिकता की दिशा में भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं आज सभा के स्थगित होने के बाद माननीय सदस्यों को अपने निर्वाचित क्षेत्रों में उसी गति तथा कार्यकुशलता से जाना चाहिए जैसे कि पिछले वर्ष जनता से मत प्राप्त करने के लिए गए थे। हमें वहां जाकर लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर दिया है और हमें वहाँ जाकर अपना कर्त्तव्य पूरा करना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए।

श्रीनेन्तु विष्ये अमृतस्य पुत्रः

अजे-धामानि दिव्यानी तस्थु

वेद्यामेतंग पुरुषम्

महन्तम, आदित्य वर्णः

तमंसः परस्तात्।

अमर भास्कर—सुनिए कि सूर्य उदय होने वाला है तथा अंधकार समाप्त होगा और श्री राजीव गांधी में नेतृत्व में भारत में सूर्य उदय होगा।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : कर्नाटक के इस्पात संयंत्र के बारे में क्या स्थिति है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही है । अब हम मद संख्या 34 को लेंगे ।

डा० वी० वेंकटेश : बहुत विसंगतियों हैं ।

श्री ए० के० पंजा : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपका निर्वाचित आपके निर्वाचन क्षेत्र से तथा राज्य होता है और चुने जाने के बाद आप संसद के सदस्य बन जाते हैं ।

डा० वी० वेंकटेश : यह विसंगति क्यों है ? कर्नाटक के इस्पात संयंत्र के बारे में स्थिति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह समाप्त हुआ है । अब हम बन्धुआ श्रमिक विधेयक को लेते हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपका अभिप्राय है कि वे सभी बंधुआ मजदूर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, हम बंधुआ श्रम पद्धति को समाप्त कर रहे हैं ।

डा० वी० वेंकटेश : कर्नाटक के इस्पात संयंत्र के बारे में क्या स्थिति है ? मंत्री महोदय ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्वीकार किया है कि कर्नाटक सरकार अच्छा कार्य कर रही है।

अब हम बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) संशोधन विधेयक पर चर्चा करेंगे।

1.13 म०प०

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक [—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधित विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : इस विधेयक द्वारा बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खण्ड (छ) में इस आशय का एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है कि ऐसे ठेका श्रमिक तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले श्रमिक जो बंधित श्रम पद्धति की शर्तें अर्थात् कर्जदार-कर्जदाता सम्बन्ध आने-जाने पर प्रतिबंध कम मजूरी आदि पूरी करते हैं वे बंधित श्रम पद्धति के अन्तर्गत आते है ।

स्वाधीनता के 38 वर्ष बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें न केवल कानून अपितु इस कानून में जो 9 वर्ष पूर्व पारित किया गया था संशोधन करने की आवश्यकता है। इससे प्रकट होता है कि जहां तक बंधित श्रमिकों के उत्थान का सम्बन्ध है, प्रशासन कितना ढीला रहा है। यह वास्तव में भूतकाल में कांग्रेस सरकार की विफलता है।

बंधित श्रम एक संस्था है जो कि एक मुख्य संस्था अर्थात सामन्तवादी पद्धति की देन है यदि आप देश से बंधित श्रम पद्धति को समाप्त करना चाहते है। तो हमें श्रमिकों को इस बंधन से मुक्त करने के लिए न केवल बन्धित श्रम पद्धतिकोसमाप्तकरना चाहिए अपितु सामन्तवादी पद्धति को जड़ से समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा सतकार बंधित श्रम व्यवस्था का प्रभावी रूप से उन्मूलन नहीं कर सकती।

सामन्तवादी प्रणाली एक सामाजिक आर्थिक संस्था है जिसने भारत में जो कुरीतियां विद्यमान हैं उनको जन्म दिया है। सामन्तवादी प्रणाली भू-स्वामियों की प्रणाली है। इस देश की कुल खेती योग्य भूमि का लगभग 8% भाग चन्द लोगों के हाथ में है। उसमें से भी कुल भूमि का 50% से अधिक भाग अभी भी देश के 20% लोगों के पास है।

यही लोग वास्तव में बंधित श्रम पद्धति पर नियंत्रण तथा प्रभुत्व बनाए हुए है।

यदि आप बंधित श्रम प्रणाली को इस शताब्दी के अन्त तक समाप्त करना चाहते है तो आपको इस सामन्तवादी प्रणाली को समाप्त करना होगा। आज यह प्रणाली एक अभिशाप है। यहसर्वाधिकारवादी प्रणाली है जो कि लोकतंत्र के विरुद्ध है।

आज जमींदार सबसे बड़ा दोषी है, भारत में जमींदारी ही बंधुआ मजदूरी के लिए जिम्मेदार है, जो इस देश के अधिकांश लोगों के भाग्य का निर्णय कर रही है। इस सामंतवादी प्रथा के कारण अधिकांश लोग पूरी तरह से गरीबी की हालत में रहते हैं और दास बने रहते हैं।

अत: सरकार को इस देश में इस सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने के लिए सही कानूनी उपाय करने चाहिए।

वर्तमान बंधुआ मजदूर प्रथा मध्यकाल के सामंतवादी समाज में विद्यमान दास प्रथा का ही एक परिवर्तित रूप है। मध्यकाल से ही बंधुआ मजदूर प्रणाली हमारे समाज में विभिन्न रूपों में प्रचलित रही है। दास प्रथा समाप्त होने पर, अब यहां खेतिहर मजदूरों और अन्य मजदूरों के रूप में दास काम कर रहे हैं। वास्तविक किसान भूमिहीन हो गए हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई दास प्रणाली शुरू हुई है। इसका प्रमाण यह है कि 61 प्रतिशत बंधुआ मजदूरों में अनुसूचित जातियों और 17 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं। अन्य पिछड़े समुदाय हैं।

यह विधान केवल तभी प्रभावी होगा जई भूमि सुधार लागू किया जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किया जाएंगे।

1.15 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बंधुआ मजदूर प्रथा के बारे में दो बार निर्णय लिया है। यह निर्णय आई० एल० ओ० की 1930 की कन्वेन्शन संख्या 28 और 1957 की कन्वेन्शन संख्या 105 में उल्लिखत है। भारत सरकार ने आई० एल० ओ० के इन समझौतों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन वर्तमान संशोधनकारी विधेयक आई० एल० ओ० के स्वीकार किए गए उन कन्वेन्शन के आधार पर नहीं बनाया गया है।

उच्चतम न्यायालय पहले ही यह फैसला दे चुका है कि वे श्रमिक जिन्हें न्यूनतम वेतन और न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त नहीं है, उन्हें बंधुआ मजदूर माना जाना चाहिए।

विधान में किए गए संसाधनों से, यद्यपि ये अच्छे भी हों, यदि लोगों को वास्तव में लाभ नहीं मिलता तो वे बेकार हैं। मैं मंत्री महोदय को यही बताना चाहता हूं।

भारत के संबिधान के अनुच्छेद 23 में बंधुआ श्रमिक प्रणाली पर रोक है। इसके अतिरिक्त बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976 भी है।

लेकिन इन लोगों को, जो लोगों को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाने के जिम्मेदार हैं, कानूनी रूप से कठोर दंड नहीं दिया जा रहा है।

वास्तविक समस्या बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास की है।

इसलिए इस देश में उनका पता लगाने और पुनर्वास करने का सही तंत्र बनाए जाने की आवश्यकता है।

मूल कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या है। पिछले पांच वर्षों में बेरोजगारी में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जब तक दृढ़ संकल्प से इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता। हमें वांछित परिणाम नहीं मिलेगा।

जो लोग बंधुआ मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं वे मनुष्यों की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं अपितु उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। वे हमेशा अपने नियोजकों की दया पर जीते हैं चाहे उनकी आवास की समस्या हो या भोजन की या फिर कपड़े की। वे पूर्ण रूप से दासता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि यह केवल एक ही राजनैतिक दल की चिंता नहीं है अपितु पूरा देश इससे चिंतित है। इसी कारण इस प्रणाली को शीघ्र समाप्त किए जाने की आवश्यकता है।

एक राज्य से दूसरे राज्यों में आने वाले मजदूरों की स्थिति पिछली शताब्दी के दासों से

भी खराब है । तमिलनाडु, बिहार, केरल, उड़ीसा आदि राज्यों से बड़ी संख्या में मजदूर अन्य विभिन्न राज्यों में मजदूरी के लिए जाते हैं । वहां उन्हें खनन कार्य, पत्थर तोड़ने, सड़कें बनाने, बांध बनाने, आदि के काम में लगाया जाता है । उनकी कार्यदशाएं यहां तक कि पिछली शताब्दी के दासों के जीवन से भी खराब हैं । कुपोषण के अलावा वे सिलिकोसिस, तपेदिक, फेफड़े और चमड़े के कैंसर जैसे जीर्ण व्यवसायिक खतरनाक रोगों से पीड़ित हैं । वे प्रतिदिन असामायिक मौत मर रहे हैं । वे ही इस देश के वास्तविक निर्माता हैं ।

मात्र यह व्याख्यात्मक खंड जोड़ देने से अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर और ठेके के मजदूरों को अपेक्षित संरक्षण नहीं मिल जाएगा । जब तक सेवा रिकार्ड में उनके रोजगार का रिकार्ड रखने और उस रिकार्ड की एक-एक प्रति श्रम विभाग और संबंधित मजदूरों को देने के लिए समुचित उपाय नहीं किए जाते, तब तक यह अधिनियम कारगर ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उन्हें दासता से मुक्त करना ही पर्याप्त नहीं है । अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू उनके पुनर्वास का है । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पुनः दास बनाने के लिए बाध्य किया जा सकता है ।

इस विधेयक में न्यूनतम मजदूरी का भी जिक्र किया गया है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कुछ कमियां हैं । अतः मैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कुछ समुचित संशोधन किए जाने के लिए सुझाव देना चाहता हूं । इस समय उनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं है । मेरा सुझाव है कि यदि कोई नियोजक इस नियम का उल्लंघन करता है तो राज्य अधिकारियों या समाज सेवियों अथवा श्रमिक संघों को उनके विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहिए । बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने और उन्हें पुनः बसाने के लिए प्रभावी निगरानी समिति बनाई जानी चाहिए । इस बात की देख-रेख की जानी चाहिए कि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं । बंधुआ मजदूर की समस्या के उन्मूलन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । सरकार को यह देखने के लिए एक निगरानी कक्ष बनाना चाहिए कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संगठन ठीक तरह से काम कर रहे हैं और अपने कर्त्तव्यों का पालन तथा अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहे हैं ।

जहा तक कर्नाटक का संबंध है, हम इस दिशा में पहले ही कार्यवाही शुरू कर चुके हैं । जिन व्यक्तियों को मुक्त किया गया है उनके लिए पुनर्वास उपाय किए गए हैं । हम गर्भवती महिलाओं के पुनर्वास का भी प्रबंध कर रहे हैं । हम उन्हें समुचित राहत दे रहे हैं । हम उन्हें यह भी बताते हैं कि वे महिलाएं काम पर न जाएं । पूरे देश में इस प्रणाली में काफी लोग कठिनाई का सामना कर रहे हैं । सरकार उन्हें इस तरह से पुनर्वास किए जाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाती है ताकि उन्हें बंधुआ मजदूर प्रणाली के अन्तर्गत आने के लिए बाध्य न किया जाए ? धन्यवाद ।

श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़): सभापति महोदय, मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का

अवसर मिला है और मैं इस विधान, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक 1985 का स्वागत करता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं, यह बहुत साधारण विधेयक है और इसे कार्यान्वित करने वाले तंत्र के मन में पैदा होने वाले संदेह को दूर करने के लिए इसमें केवल एक व्याख्या और जोड़ी गई है अर्थात ठेके पर काम करने वाले मजदूरों और अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को इस अधिनियम के अन्तर्गत कैसे लाया जाएगा और किन परिस्थितियों में बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के उपबन्ध उन पर लागू नहीं होंगे।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कहूंगा कि इस अधिनियम को उतनी तेजी से लागू नहीं किया गया है जितनी आशा थी। अपितु इसे बहुत धीरे-धीरे लागू किया गया। इसका पता इससे चलता है कि हमने मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति वचनबद्धता को पूरा करते हुए हमने उस बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त किया है जो अपने आप में एक सामाजिक बुराई है और इस देश से यह प्रथा जितनी जल्दी समाप्त हो हम सबके लिए उतना ही अच्छा है। इस प्रथा से हमारे देश, जहां की संस्कृतिक संपदा समृद्ध है का नाम बदनाम होता है। यद्यपि यह विधेयक 1976 में पारित किया गया था और बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उनके पुनर्वास का काम भी शुरू हो गया है लेकिन कुछ राज्यों में तेजी से कार्यवाही की गयी है, गंभीरता पूर्वक कार्यान्वित किया गया है जबकि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यह पता लगाने में ही 10 वर्ष लग गए कि इस अधिनियम के बारे में कुछ संदेह है और इसलिए उन्होंने यह विधेयक हमारे सामने अब प्रस्तुत किया है। खैर, देर आयद, दुरुस्त आयद। लेकिन साथ ही विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा लगाया गया यह आरोप कि सरकार इस संबंध में गंभीर नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, बंधुआ मजदूरों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिए हैं मैं उन्हें उद्धृत करना चाहता हूं। 28 फरवरी 1985 अर्थात फरवरी 1985 के अंत में दिए गए उत्तर में उन्होंने कहा कि कुल 1,77,062 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया है जिनमें से 1,34,802 मजदूरों का पुनर्वास किया जा चुका है। 28 फरवरी, 1985 को यह आंकड़े बताए गए थे। लेकिन 4 महीने बाद ही, 30 जून, 1985 पता लगाए गए मजदूरों की संख्या 1,77,000 से बढ़कर 1,82,000 तक पहुंच गई। इसमें लगभग 5000 मजदूर और बढ़ा दिए गए। और उनके पुनर्वास की संख्या 1,34,000 से बढ़कर 1,39,335 तक पहुंच गई 4 महीनों में करीब 5 हजार नए लोगों का पता लगाया गया किंतु करीब 7000 बंधुओं मजदूरों का पुनर्वास किया गया। अतः यह कार्य प्रगति पर है लेकिन ठेका मजदूरों और एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूरों के सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों के मन में एक संदेह पैदा हो रहा था और इसका जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह स्वागत योग्य है।

जहां भी ऋणी-ऋणदाता का सम्बन्ध हो और स्वतंत्रता न हो आर इस तरह के मजदूरों को कम मजदूरी दी गई हो, वहां उन पर बंधित श्रम अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे। उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया है कि उन लोगों को, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी और न्यूनतम

सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती है, बन्धुआ मजदूर माना जाना चाहिए। इस संशोधन में भी यह पूर्णतया स्पष्ट किया गया है कि इन परिस्थितियों में इन श्रमिकों को बन्धुआ मजदूर कहा जाएगा और इस अधिनियम के उपबन्ध उन पर लागू होंगे और उन्हें राहत दी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि कुछ मजदूर बन्धुआ क्यों बन जाते हैं? इसका कारण यह है कि वे अत्यधिक निर्धन होते हैं उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसका वे सहारा ले सकें और यहां तक कि कई मजदूरों के पास रहने की जगह भी रहीं होती है। ऐसे लोगों को ठेकेदार और कई तरह के प्रलोभन देते हैं और वे उन्हें विभिन्न जगहों पर ले जाते हैं। वे पूर्णतया बेसहारा होते हैं और यहां तक कि उनमें अपने बारे में भी सोचने की शक्ति नहीं होती। जब तक उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता अथवा उनमें आत्मविश्वास की भावना पैदा नहीं की जाती, वे अपने आप उन्हें नहीं मिल पाएगी। वे अपने आप इससे मुक्त नहीं हो सकते अथवा संबंधित अधिकारियों को यह आवेदन नहीं कर सकते कि वे बन्धुओं मजदूर हैं और उन्हें मुक्त किया जाना चाहिए। कई मामलों में तो उनके लिए और भी कठिन होता है क्योंकि ठेकेदारों के पास उनकी सेवा का समुचित रिकार्ड नहीं होता है और ऐसी स्थिति में यदि उन पर कोई आरोप लगाया जाता है, तब ठेकेदार या नियोजक इस बात से इंकार कर देता है कि अमुक व्यक्ति उसके अधीन काम कर रहा है। अतः मेरा सुझाव यह है कि ठेकेदार जिन मजदूरों से काम कराते हैं उनके काम का रिकार्ड और सेवा-शर्तों का लिखा जाना आवश्यक होना चाहिए ताकि इसकी नियमित रूप से जांच की जा सके और दोषी नियोजकों को बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले बताया है जो बन्धुआ मजदूर इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ पाने का दावा करते हैं उनमें इतना साहस नहीं है और जब कभी वे संबंधित अधिकारियों के समक्ष जाकर राहत दिए जाने की मांग करते हैं उन लोगों की तुरन्त छंटनी कर दी जाती है अथवा नियोजक उन्हें काम पर नहीं लेते। अंतः उनकी नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग राहत प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष सही बात कहते हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

महोदय, इन टिप्पणियों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं और मंत्री जी से यह अनुरोध करते हुए विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं कि उनके मंत्रालय में निगरानी एकक बनाया जाए। महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह गुलामी का एक और रूप है और हमारा हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी वैभवशाली संस्कृति तथा सांस्कृतिक परम्परा है। यह इस देश पर एक कलंक है और हमारे शीश झुक रहे हैं अतः जितनी जल्दी पूर्णरूप से और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए और इस प्रणाली को पूर्णरूप से उखाड़ फेंका जाए उतना ही हम सबों के लिए अच्छा होगा। अतः एक निगरानी एकक होना चाहिए और विभिन्न राज्यों में मंत्री जी स्वयं इस कार्य की देख-रेख करें। पता लगाने आदि की मुख्य जिम्मेदारी राज्यों की है। मैं सरकार को इस बात की बधाई देता हूं क्योंकि वह वित्तीय सहायता देकर और गरीबी हटाने की देश में विभिन्न योजनाओं को चलाकर राज्य सरकार के प्रयासों में अपना योगदान भी कर रही हैं। पुनर्वास

योजना को उचित रूप में उक्त साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि उन बंधुआ मजदूरों को बेहतर लाभ प्राप्त हों। एक बार जब इनका पता लगा लिया जाए तो उन्हें सुव्यवस्थित किया जा सकता है ताकि वे एक बार गुलामी से मुक्त हो जाने पर वे किसी भी प्रकार से पुनः गुलामी की ओर नहीं जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, अभी हमारे एक मित्र विपक्ष की ओर से कह रहे थे कि सरकार बौन्डेड लेबर सिस्टम को समाप्त करने के लिए गम्भीरता से कार्य नहीं कर रही है, मगर वे शायद यह भूल गए कि इस सिस्टम के ऊपर यदि किसी ने सबसे पहले राजनैतिक रूप से हमला किया था तो वह कांग्रेस पार्टी ही थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। एक से अधिक बार इस विषय में कांग्रेस पार्टी के स्तर पर प्रस्ताव पास हुए और सरकार ने दृढ़-निश्चय दिखाकर, इस सिस्टम को समाप्त करने के जो भी व्यावहारिक उपाय हो सकते थे, उन उपायों को किया। आज यदि कहीं यदा-कदा कोई मामला प्रकाश में आता है तो वह हमारे लोगों में जो अवेयरनैस पैदा हुई है, लोगों में जो जागृति पैदा हो रही है, वह उसी का परिणाम है कि इस प्रकार के मामलात प्रकाश में आते हैं।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उत्तर काशी जिले में बौन्डेड लेबर के संदर्भ में एक निर्णय दिया। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे यहां जितनी माइग्रैंट लेबर है, जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से देश के अन्य भागों में जाते हैं, काम करने के लिए, उनकी दशा आज बहुत खराब है। वे जहां काम करते हैं, सिर्फ वहीं देखने की जरूरत नहीं है बल्कि वे जहां से आते हैं, वहां भी देखने की जरूरत है। होता यह है कि उन लोगों के एम्पलायर, जो सब-कान्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन लोगों के परिवारों की कई प्रकार से सहायता करते हैं और उस सहायता के बदले में एक प्रकार का प्लेज उनसे करवा लेते हैं कि वे लोग उनके साथ सालभर के लिए नहीं, बल्कि जीवन-पर्यन्त काम करेंगे। इसलिए केवल कानून बनाकर ही इस समस्या पर हमला नहीं किया जा सकता। इस प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि जहां भी सहायता से बौन्डेड लेबर प्राप्त हो जाते हैं, हम उसका समाधान वहीं पर खोजें, उनको वहीं पर कोई-न-कोई वैकल्पिक रोजगार देने के विषय में सरकार विचार करे। जब तक हम उन लोगों को वहीं पर रोजगार उपलब्ध नहीं करायेंगे, तब तक वे लोग वहां से देश के दूसरे इलाकों में, पंजाब या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, काम करने के लिए जाते रहेंगे और जहां भी वे काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वह डैम-साइट हो अथवा कोई दूसरी जगह, बड़े ,बड़े ठेकेदार उनको हमेशा एक्सप्लौइट करते रहेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी कांट्रैक्ट लेबर जहां से भी आती है, उनके निवास-स्थान पर ही उनको वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में सरकार को विचार करना चाहिए।

दूसरे आपने कानून के जरिए तो प्रावधान कर दिया, मगर उसको लागू करने के लिए जो आपकी मशीनरी है, उसके बारे में जिस प्रकार का संदेह हमारे कई मित्रों ने यहां जाहिर किया, मैं भी उनके संदेह के साथ अपनी सहमति जाहिर करना चाहूंगा

और मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे राज्य सरकारों को कान्फिडेंस में लेकर, उनके जरिये से इन कानूनों को शख्ती से लागू करवाएं। जब तक इन कानूनों को सख्ती से लागू नहीं करवाया जाएगा तब तक कोई फायदा इन कानूनों को यहां पर पास करने से नहीं होगा और इस तरह से कोई काम नहीं चलेगा।

महोदय, बहुधा यह देखने में आया है कि जो लोग इस प्रकार से बांडेड लेबर्स रखते हैं, वे सोचते हैं कि हमारे इस कृत्य की जानकारी दूसरों को मिल जाती है, इसलिए वे नकली रजिस्टर रखते हैं जिनमें हाजिरी वगैरह दिखाई होती है, और जो असली रजिस्टर होते हैं, उनको वे डिस्ट्राय कर देते हैं, ताकि उनके इस कृत्य की किसी को जानकारी न मिल सके। इसलिए सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि इसकी जांच के लिए कोई रेगुलर मानिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसके तहत रेगुलर जांच और मॉनिटरिंग हो सके।

सभापति महोदय, मंत्री जी की इच्छा और शक्ति की जहां तक बात है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं क्योंकि वे एक से अधिक बार कई श्रम कानून लेकर संसद के सम्मुख आए हैं। आपका उत्साह सराहनीय है। मगर इतने उत्साह के साथ ही अगर दूसरे सम्बन्धित पक्ष, सरकारी मशीनरी से इन कानूनों का पालन नहीं करवाएंगे, तो कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन कानूनों का सख्ती से इम्पलीमेंटेशन करवाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

*श्री बी० एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : सभापति महोदय, यह बंधुआ मजदूर प्रणाली पहले भी अपने प्राचीन रूप में विद्यमान थी। श्री टी० अंजैया जो मेरे राज्य से हैं वह भी इस तथ्य को अच्छी तरह जानते हैं। चालीस वर्ष पूर्व मेरे राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी के प्राचीन रूप के विरुद्ध आन्दोलन चला था। कड़ी मजदूरी के विरुद्ध यह आन्दोलन निजाम सरकार तथा इसकी सामन्तवादी प्रणाली के विरुद्ध विरोध का एक अंग था। श्री अंजैया को यह तथ्य अच्छी तरह मालूम है। इस आन्दोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्य कार्य किया। अन्य राजनीतिक दलों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया था और मेरा विचार है कि श्री अंजैया ने भी इसमें भाग लिया था। बंधुआ मजदूरी की यह प्रणाली जो प्राचीन रूप में विद्यमान थी आज किसी और रूप में विद्यमान है। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते हैं कि दासता [अथवा प्राचीन रूप में बंधुआ मजदूर की प्रणाली को कांग्रेस दल के सामंतवादी तथा पूंजीवादी शासन में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है। कांग्रेस दल के पूंजीवादी शासन में प्राप्त प्रोत्साहन के कारण अब यह एक नये रूप में चल रही है। यह नग्न सत्य है। बहुत से गरीब लोग विशेषकर श्रमिक इस बुरी प्रथा के शिकार हुए हैं। वर्ष 1976 में बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम लागू होने

*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के पश्चात भी यह प्रथा चल रही है। यह एक विवाद रहित तथ्य है कि उसके बाद भी इस प्रणाली का उन्मूलन नहीं किया जा सका है। सरकार यह कानून लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन करने का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकी है।

महोदय, किंतु मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं। इसका समर्थन किया जाना चाहिए यद्यपि सरकार ने इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने में काफी समय लिया। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मूल अधिकार दिए हैं और इनमें से एक काम करने का अधिकार है। भारत का संविधान वर्ष 1950 में लागू हुआ जबकि बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन करने वाला अधिनियम 1976 में बनाया गया। उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय 1982 में दिया कि चाहे किसी भी रूप में हो, ठेके की श्रम प्रणाली को बंधुआ श्रम प्रणाली माना जाए। फिर भी यह संशोधन विधेयक 1985 में प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह निर्णय ले सकते हैं कि इस संशोधन विधेयक के लाने में असाधारण विलम्ब हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार बहुत देर से गहरी नींद से जाती है।

महोदय, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं आई हैं। इस विधेयकें में कुछ मूलभूत मदों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इनमें से एक "काम करने का अधिकार" है जो संविधान में शामिल है। दूसरा मुद्दा यह कि इस विधेयक में आठ घंटे के काम के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह घोषणा की है कि कार्य करने का समय केवल 8 घंटे होना चाहिए। इस संशोधन विधेयक में काम के समय के संबंध में इस निर्णय को शामिल नहीं किया गया है। इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों की इस विधेयक में उपेक्षा की गई है।

जहां तक इस अधिनियम द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन करने का संबंध है, मैं यह कहूंगा कि यह इस बुरी प्रथा का उन्मूलन करने में बुरी तरह असफल हुआ है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री उस तथ्य को समझें। यह एक नग्न सत्य है कि यह प्रणाली पूरे देश में इस समय भी चल रही है। यह लाखों करोड़ों लोगों विशेषकर ग्रामीण गरीब लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों से सम्बन्धित है। हाल ही में अग्निवेश ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार आयोग के समक्ष साक्ष्य देते हुए कहा था कि इस देश में अभी 10 करोड़ बंधुआ मजदूर हैं। "द इण्डियन एक्सप्रेस" में सरकारी सूत्रों के उद्धरण से 8 फरवरी, 1985 को यह समाचार छपा था कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न निर्माणकारी उद्योगों में विशेषकर राज्य में ताले, वेल्डिंग और हार्डवेयर इकाइयों में 20 हजार बंधुआ मजदूर हैं। यह सरकारी सूचना है। उत्तर प्रदेश सरकार के तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है और यह रिपोर्ट दी गई कि उस राज्य में अभी भी 30 हजार बंधुआ मजदूर विद्यमान हैं जिनमें अधिकांश बच्चे हैं। "इकनॉमिक टाइम्स" में 10 मई, 1984 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 5 करोड़ 40 लाख कृषि मजदूर और 3 करोड़

सीमांत किसान हैं। इन 8 करोड़ 40 लाख व्यक्तियों में से 10 प्रतिशत बंधुआ मजदूर हैं। यह तथ्य "इकनॉमिक टाइम्स" में दिया गया है।

मैं यह सभी आंकड़े यह दिखाने के लिए दे रहा हूं कि आज भी देश में भारी संख्या में बंधुआ मजदूर विद्यमान हैं। यद्यपि सरकार दावा करती है कि उसने 20 लाख बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया है परन्तु सरकार यह बताने को तैयार नहीं है कि उनमें से कितनों का पुनर्वास किया गया है। कुछ समय पूर्व सरकार ने इस बात का दावा किया कि उनमें से 10 लाख लोगों का पुनर्वास किया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार फिर एक बार आंकड़ों की छानबीन करे। अतः जो मैं कहना चातता हूं वह यह है कि सरकार के जो भी दावे हों लेकिन फिर भी लाखों बंधुआ मजधूर एसे हैं जो, सामंतों, भूमि-स्वामियों, पूंजीवादियों तथा समाज के अन्य धनी वर्गों के पैर तले रौंधे जा रहे हैं। हम वर्ष 1985 में हैं। फिर भी लोग बंधुआ मजदूरों के रूप में लाखों दुखी तथा अमानवीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अधिक कानूनों से उद्देश्य पूरा नहीं होगा। गत अनुभव से पता चलता है कि बंधुआ मजदूरों की स्थिति में विधेयक पारित करने से भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इस सदन के आदरणीय सदस्य इस बात को समझ लें। इस कानून से बंधुआ मजदूरी की प्रणाली समाप्त नहीं होगी।

बंधुआ मजदूरी प्रणाली के उन्मूलन के लिए इन कानूनों की सफलता के लिए मैं भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इस माननीय सदन और सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वे यह हैं : (1) काम करने का अधिकार। यह हमारे वे संविधान में एक मूल अधिकार है। किंतु यह केवल एक मार्गनिदर्शक सिद्धांत हैं किन्तु अनिवार्य नहीं है। काम करने का अधिकार अनिवार्य कर दिया जाए। (2)आई०एल०ओ०द्वारा निर्धारित 8-घंटे काम इस संशोधन विधेयक के एक अंग के रूप में स्वीकार किया जाए। (3) आमूल चूल भूमि सुधार के संबंध में नियमों को लागू किया जाए। भूमि गरीब लोगों के बीच वितरित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। इन उपायों से प्रत्येक व्यक्ति को अपने पैरों पर खडा रहने में सहायता मिलेगी। केवल तब ही इस विधेयक का बंधुआ मजदूरी उन्मूलन करने का उद्देश्य पूरा होगा। (4) सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय समिति बनाई जाए। इस समिति को इस अधिनियम के कार्यान्वयन की देख-भाल करने के कार्यकारी अधिकार और कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को परामर्श देने का अधिकार प्राप्त होते चाहिएं। इस उद्देश्य के लिए सरकारी मशीनरी को तेज किया जाना चाहिए। इस अधिनियम को लागू करने के लिए एक सम्पूर्ण कार्य-प्रणाली होनी चाहिए। उचित कार्य-प्रणाली के अभाव से यह अधिनियम कभी सफल नहीं होगा। पुराने अनुभव से यह तथ्य स्पष्ट होता है। [चूंकि बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन पर्याप्त कार्य-प्रणाली नहीं है; अतः इस उद्देश्य से प्रभावशाली कार्य-प्रणाली की रचना के लिए के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। केवल तब ही इस अधिनियम का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।

मैं आशा करता हूं कि माननीयमंत्री जी इन सुझाओं की ओर ध्यान देंगे। मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : मैं पूरे मन से बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के संशोधन का पूरे मन से स्वागत करता हूं। यह लज्जा की बात है कि हमारे देश के कुछ भागों में अभी भी बंधुआ मजदूरी है यद्यपि इसके उन्मूलन के लिए कानून लगभग एक दशक पुराना है। हाल में चर्चा का उत्तर देते हुए राज्य सभा में माननीय श्रम मंत्री ने इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट किया कि बहुत सी राज्य सरकारें बंधुआ मजदूरी की बुराई का उन्मूलन करने में पीछे हैं। मुझे याद है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारे देश में अभी भी 40 हजार से 50 हजार बंधुआ मजदूर हैं। मंत्री ने भी यह स्पष्ट किया है कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में यह कलंक अभी भी विद्यमान है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यद्यपि उन्मूलन का यह अधिनियम वर्ष 1976 में लागू हुआ फिर भी क्यों यह कलंक जारी है। गैर-सरकारी सूचना सदा भिन्न होती है। सरकारी सूचना के अनुसार 40 हजार से 50 हजार लोग अभी भी बंधुआ हैं। किन्तु एक स्वैच्छिक संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हमारे देश में 30 लाख से अधिक लोग बंधुआ मजदूर हैं। मेरा निजी अनुभव भी बताता है कि केरल जैसे प्रगतिशील राज्य में किसी न किसी प्रकार बंधुआ मजदूरी चल रही है। मेरे राज्य केरल में यह अभी भी है।

कुछ सरकारों द्वारा निर्दयता तथा लापरवाही का रुख अपनाये जाने के कारण यह मामला और भी बिगड़ गया है और बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित राशि से यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है। छठी योजना में बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए जो 25 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित गई है, क्या आप जानते हैं कि उन राज्य सरकारों द्वारा कितनी राशि खर्च की गई है? देखा गया है कि इन सरकारों द्वारा 10 करोड़ रुपए अभी भी प्रयोग करने बाकी हैं। यह अत्यन्त लज्जा की बात है।

निस्सन्देह, संशोधन और कानून से ही यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बंधुआ मजदूरों के मान में भय है। सब से पहले भय को समाप्त किया जाना चाहिए। वह भय की छाया में रह रहे हैं।

ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहां भूमि-स्वामी अभी भी पूरे देश के कमजोर लोगों और असुरक्षित वर्गों को परेशान कर रहे हैं। मेरा नम्रतापूर्वक अनुरोध यह है कि सरकार सामने आए और दुष्ट भूमि-स्वामियों को तीव्रता से दण्ड दिया जाए।

एक बात स्पष्ट है कि या तो डर अथवा अज्ञान की वजह से ये बंधुआ मजदूर अधिकारियों को अपनी मुश्किलें नहीं बता पा रहे हैं। अतः राजनैतिक दलों और देश के सारे सामाजिक संगठनों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि गरीब लोगों को बंधुआ मजदूरी के दोषों के बारे में शिक्षित करें और लोगों के मन में इस बुराई के प्रति जागरूकता और सचेतना पैदा की जानी चाहिए।

श्रीमन्, मैं महसूस करता हू कि बंधुआ मजदूरों का लगातार बने रहने का मुख्य कारण, सारे देश में राज्य सरकारों द्वारा शीघ्रता से भूमि सुधारों को,कार्यान्वित न करना है। हांलाकि, कुछ राज्यों ने भूमि सुधार कार्यक्रम सही ढंग से लागू किए हैं। लेकिन कई राज्य भूमि सुधार के मामलों में पीछे रह गए हैं। मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि सरकार को उन राज्यों को निदेश जारी करने चाहिए जो भूमि सुधारों को लागू करने में असमर्थ रहे हैं,। ताकि वे उन्हें सही व उपयुक्त तरीके से लागू कर सकें।

मेरा ख्याल है कि बंधुआ मजदूरों को बंधुआपन से छुटकारा दिलाना ही मात्र हमारी समस्या नहीं है। उनके पुनर्वास की ओर भी हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए। इस सन्दर्भ में, मैं अपने राज्य का ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात्, मेरे राज्य के वायनाड जिले के सुगन्दागिरी इलायची परियोजना के अन्तर्गत लगभग 750 आदिवासी बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित किया गया है। श्रीमन्, क्या आप जानते हैं कि इलायची उगाने के लिए नवीनतम कितना बजट रखा गया है ? उन्हें रोजगार देने के लिए और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए करीब सात करोड़ रु० खर्च किए गए हैं। लेकिन सरकार द्वारा किए गए वास्तविक उपायों के बावजूद, 100 हैक्टर में रह रहे, ये गरीब आदिवासी अभी भी गरीबी की दशा में रह रहे हैं।

इस हालात का कारण क्या है ? इस परियोजना के अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना और कठोर रवैये के कारण ऐसा हो रहा है। पिछले सात वर्षों में इन सात सौ आदिवासी परिवारों पर जो साथ करोड़ रु० खर्च किए गए, उसका अधिकांश भाग इन गैर-जिम्मेदार अधिकारियों ने ऐंठ लिए हैं। आप इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि सामाजिक वातावरण में परिवर्तन लाए बिना, बंध्रुआ मजदूरों की दशा में प्रगति नहीं लाई जा सकती।

श्रीमन्, मैं अपने भाषण को लम्बा नहीं खींचना चाहता। समाप्त करने से पहले, मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि सरकार इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे और राज्य सरकारों से कहे कि बंधुआ प्रणाली को तत्काल समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, अभी जो बांडेड लेबर पर चर्चा चल रही है उसके सम्बन्ध में मुझे एक कहानी याद आ गई। रोम में एक राजा के महल के सामने उसकी प्रजा ने हाहाकार मचाया तो उसने अपने मन्त्री से पूछा ये लोग क्या चाहते हैं तो मन्त्री ने कहा ये लोग डबल-रोटी चाहते हैं। राजा ने कहा ये कैसे मूर्ख हैं, यदि डबलरोटी नहीं मिलती है तो केक खाए। तो बांडेड लेबर की बात भी कुछ उसी तरह की है। आप उनकी स्थिति में सुधार करना चाहते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि बांडेड लेबर जो होते हैं उनको एक समय खाने के लिए रोटी चाहिए। मरता क्या न करता ? यदि आप उनके लिए रोटी का प्रबन्ध कर दें और उन्हें बांडेड ही रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है।

मैंने बांडेड लेबर की समस्या पर बहुत डिटेल में अध्ययन किया है और अपनी नजर से देखा है कि कैसे बान्डेड लेबर बनते हैं। आप मेरे साथ चलिए, हम उत्तरी बिहार चलते हैं जो हिमालय की तराई में है, वहां पर दिसम्बर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है लेकिन उनके तन पर एक वस्त्र नहीं है और उनके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। इस दशा में उनके पास दलाल आते हैं, दिल्ली से, हरियाणा और पंजाब से और वे उन लोगों से कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हें तीस रुपए रोज की मजदूरी दिलायेंगे, पूरा गर्म कपड़ा देंगे और तुम्हारी आराम की जिन्दगी बीतेगी। यह सुनकर वे सोचते हैं कि यदि स्वर्ग है तो यहीं है, और कहां हैं। वह दलाल उन्हें रेल किराया भी देता है जाने के लिए और वे लोग उसके साथ में चले आते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और टिहरी-गढ़वाल। वहां पहुंचने पर उन लोगों को 20 रुपए के बदले में 3 रुपए ही दिए जाते हैं। उनको अफीम खिलाई जाती है और उनके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता है। पिछले दिनों आपने अखबार में देखा होगा कि टिहरी-गढ़वाल में बिहार के मजदूरों को वैसे ही रखा गया था जैसे कि जानवरों को रखा जाता है। अखबार में उनका सारा फोटो आया था, आपने भी देखा होगा। हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। 21वीं शताब्दी में बहुत देर है पहले हमारे कहां लोगों को जो जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करना होता है उससे उनको मुक्ति दिलानी होगी। बांडेड लेबर क्यों होता है—मैंने बहुत डिटेल में इसका अध्ययन किया है। वहां पर लैंडलार्ड उनके साथ अत्याचार करते हैं। वे मूर्ख होते हैं, पढ़े-लिखे नहीं होते हैं, किसी कागज पर उनके अंगूठे का ठप्पा ले लिया जाता है और जब उनका बाप मर जाता है तब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे बाप ने 50 हजार रुपया लिया था, तुम्हें सारी जिन्दगी गुलामी करनी पड़ेगी। वह उनके लिए भी तैयार होता है लेकिन जब उनकी औरतों के साथ अत्याचार किया जाता है तो मजबूर होकर वे दलालों के चक्कर में पड़ते हैं और यहां पर चले आते हैं। तो यह बांडेड लेबर की जो समस्या है वह मुख्यतः आर्थिक है। आप कोई भी कानून बना दीजिए उसका कभी पालन नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को आल्टरनेटिव्ज दे नहीं सकेंगे। आप उन्हें रोजी दीजिए, रोटी दीजिए, रहने के लिए जगह दीजिए तभी आप बांडेड लेबर की समस्या का समाधान कर सकेंगे।

बांडेड लेबर की समस्या पर, जैसा कि अन्य भाइयों ने कहा है, सबसे पहले इन्दिरा जी का ध्यान गया था। 1976 में उन्होंने कहा था इस समस्या का उन्मूलन होना चाहिए। उसके बाद यह हुआ कि बांडेड लेबर को रिहैबिलिटेट करने के लिए आधा खर्चा राज्य सरकार देगी और आधा खर्चा सेन्टर देगा तथा राज्य सरकारों से कहा गया कि आप अपने यहां बांडेड लेबर को आइडेंटिफाई कीजिए तो मुझे यह कहने में तकलीफ होती है कि बिहार यू० पी० तथा अन्य सरकारों के लोगों ने सहयोग नहीं दिया क्योंकि उन्हें यह सूट करता था, इतना सस्ता लेबर कहां मिलेगा? और वह लेबर भी बेचारा क्या करेगा, गांव जायेगा लौटकर तो उन्हीं के चंगुल में चला जाएगा वरना भूखों मरेगा। वहां कम से कम एक वक्त की रोटी तो मिलती है।

2.00 म० प०

यह समस्या कानून से हल होने वाली नहीं है। यह आर्थिक समस्या है इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करना होगा। लोगों को रिहैबिलिटेट करने के उपाय सोचने होंगे। यह भी देखना होगा कि मजबूर होकर कहीं वे बाण्डेड लेबर तो नहीं बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह समस्या आज की नहीं है। मैंने बाण्डेड लेबर के बारे में स्टडी किया है। इस देश में जब अंग्रेज आए थे, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूरों को जानवरों की तरह मारीशिस ले जाया गया। ब्रिटिश गैना और फिजी कौन गए, बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर और वही बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर आज भी जानवरों की जिन्दगी जी रहे हैं। इसी देश में जी रहे हैं। आप बेशक इस बात का माखौल उड़ायें, लेकिन मैं कहता हूं कि यह स्थिति बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों ने एक बाल्कैनी खड़ा कर दिया है। यदि समय रहते इस का समाधान नहीं सोचा, तो देश के लिए एक खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप दिल पर हाथ रखकर सोचिए। कई बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली माइन्स में बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर दबकर मर गए हैं, लेकिन कोई पता नहीं चला। फरीदाबाद में बिहार और उत्तर प्रदेश के मजदूर दबकर मर गए हैं, कोई खबर नही है। आज हम बाण्डेड लेबर के वैलफेयर की बात करते हैं। ये बाण्डेड लेबर, गरीब से गरीब, जानवरों से भी बदत्तर की जिन्दगी जीते हैं। यह समस्या इतनी गम्भीर समस्या है कि इसका आसानी से नहीं टाला जा सकता है। आज क्यों बिहार में अलग-अलग सेनायें बनी हुई हैं। जैसे लोरिक सेना, कुंवर सिंह सेना—पता नहीं कौन-कौन सी सेनायें बनी हुई हैं, अखबारों में पढ़ते हैं तो बहुत दुःख होता है। बिहार में कैसी-कैसी सेनायें बनी हैं, ये सेनायें क्यों बनी हैं ? क्या आपने कभी सोशियो-लाजिकल रिजन और इकोनोमिक रिजन पता करने की कोशिश की है। लोगों में लाचारी है, तबाही है और वे अपना प्रोटैक्शन करने के लिए इन सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो वहां से निकल सकते हैं, निकल रहे हैं और जो नहीं निकल सकते हैं, वहीं मिट रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। इस देश में आज भी बारबरिक जीवन जी रहे हैं।

बिहार का दूसरा पर्याय है, बाण्डेड लेबर—आपको इस समस्या के बारे में गम्भीरता से सोचना है। यह स्थिनि बहुत भयावह स्थिति है। इस भयावह समस्या को छोटे-मोटे कानूनों के द्वारा परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि इस देश में दो तरह के तबके हैं। एक—जिसका नाम है इंडिया, जो कान्सपिक्युअस जम्पशन में विश्वास करते हैं। गशोआराम की जिन्दगी बिताते हैं, दो-दो गाड़ियां रखते हैं और नम्बर-दो की कमाई करते हैं, जिन का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और दूसरा भारत है, जो बन्धुवा मजदूरी के रूप में बिहार में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। दिल्ली में आकर मरते हैं, हरियाणा में आकर करते हैं, पंजाब में आकर मरते हैं। वक्त आ गया है कि हम इस समस्या पर गम्भीरता से सोचें कि इसका समाधान क्या होगा।

श्री सी० जंगारेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति जी, आज हम बाण्डेड लेबर के बारे में चर्चा

कर रहे हैं, लेकिन इसकी परिभाषा मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तेलगु में इसका "कट्टुबड़ी" कहते हैं। वैसे तो ज्यादातर बंधुआ मजदूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और बिहार में हैं। इसके कारण ही यह बिल लाया गया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो आन्ध्र प्रदेश में ऐसे मजदूर बहुतकम हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इसको किसानों के ऊपर लागू किया जाता है। किसान अपने यहां बघेल रखता है, तो साल की तन्ख्वाह एक बार इन एडवांस दे देता है। 3 हजार रुपया वह दे देता है और मिनीमम वेजेज एक्ट से बढ़ कर वह देता है। मगर एक नया आई० ए० एस० और सब-कलक्टर आता है, तो बोंडेड लेबर के केसेज बढ़ाने के लिए किसानों को पकड़ कर ले जाते हैं और उनके ऊपर केस कर देते हैं। गांव के जितने भी बघेल होते हैं, वे अगर एक एप्लीकेशन दे देते हैं, तो किसान को पकड़ कर ले जाते हैं।

मैं अन्जैया साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बोंडेड लेबर है। आन्ध्र के अन्दर आप देखिए कि इस तरह के कितने केसेज अफसरों ने बुक किए हैं। केन्द्रीय सरकार से जो पैसा मिलता है, उस पैसे को केवल खर्च करने के लिए वे सोचते हैं लेकिन वहां पर बोंडेड लेबर नहीं होता है। केसेज की संख्या बढ़ाने के लिए किसानों के ऊपर वे केस बना देते हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण आप को दे सकता हूं। 5 एकड़ वाला या 10 एकड़ वाला किसान अगर अपने यहां किसी को नौकर रखता है, तो उसको 3 हजार रुपया एडवान्स में देता है और साथ में बोनस भी देता है। बोनस वह किस शक्ल में देता है? अगर मिर्च पैदा होती है, तो मिर्चा के दो थैले उस को दे देता है, अगर मक्का होती है, तो मक्का दे देता है और अगर धान होता है, तो धान दे देता है और गेहूं दे देता है। तेलगु में इसको मैट्टूबड़ी कहते हैं और अंग्रेजी में बोनस कहते हैं। अगर कोई एक कम्पलेंट कर देता है, तो गांव के जितने भी किसान होते हैं, उनके ऊपर केस लगा देते हैं। बोंडेड लेबर को रिहैबीलीटेट करने के लिए जितना पैसा चाहिए, वह नहीं देते हैं। अब अगर कोई किसान किसी को नौकर रख लेता है, तो क्या उस को बोंडेड लेबर कहेंगे? इस तरह से तो आज मंत्री जी के घर में पानी पिलाने वाला भी बोंडेड लेबर है। वह मंत्री के घर पर रहता है और पानी देता है।...(व्यवधान) मेरे घर में कोई नहीं है और मैं खुद पानी पिलाता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि अगर किसी ने 5 हजार रुपए कर्ज ले लिया और सूद के लिए वह किसी को काम पर रख लेता है, तो वह बोंडेड लेबर हुआ। आप के उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह के बहुत से केसेज हैं लेकिन जहां तक आन्ध्र का सवाल है, वहां पर पत्थर फोड़ने वाला मद्रास से लेता है, वहां पर कंकर फोड़ने वाला केरल से आता है और होटल में खाना पकाने वाला और इडली बनाने के लिए केरल से आता है। अगर कोई शिकायत कर देता है तो बोंडेड लेबर के नाम पर होटल मालिक और कान्ट्रेक्टर के खिलाफ केस बुक हो जाता है। क्या इसको बोंडेड लेबर कहेंगे। कान्ट्रेक्टर क्यूबिक फीट और क्यूबिक मीटर के हिसाब से पत्थर फोड़ने वाले और मिट्टी खोदने वाले को पैसा देता है। जो रेट तय हो जाता है, उस हिसाब से पैसा दे दिया जाता है।

मैं आप को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे

हैं, वहां पर महबूब नगर जिले के मजदूर जा कर काम कर रहे हैं। मंत्री जी को मालूम है मध्य प्रदेश में जा कर देखिए कि वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आन्ध्र प्रदेश के कान्ट्रैक्टर्स हैं। वे क्यूबिक फीट और क्यूबिक मीटर के हिसाब से पैसा देते हैं। 100 क्यूबिक मीटर का एक यूनिट होता है और उस हिसाब से वे पैसा देते हैं। उसको बोंडेड लेबर कैसे कह सकते हैं। अगर किसी ने कन्ट्रैक्टर से शिकायत कर दी, तो कान्ट्रैक्टर के ऊपर केस कर देते हैं कि इन्होंने बोंडेड लेबर रखा हुआ है। बोंडेड लेबर तो उसको कहते हैं, जो चार-दीवारी के अन्दर रख कर किसी से काम लेते हैं और बाहर जाने की इच्छा होते हुए भी अगर वह बाहर न जा सके, तो उस को बोंडेड लेबर कहेंगे। कुसेरी वर्कर या पत्थर फोड़ने वाला अपने दिल से काम करता है, तो उस को बोंडेड लेबर नहीं कहेंगे। अगर कोई कान्ट्रैक्टर किसी राजनीतिक दल वाले को पैसा देने से इन्कार कर दें, तो वह जा कर कम्पलेंट कर देता है कि इस ने बोंडेड लेबर रखा हुआ है। मैं आप को हैदराबाद की बात बताऊं। वहां पर पत्थर फोड़ने वाला मद्रास से आता है और पालामोरू से आते हैं और आकर काम करते हैं। हमें ऐसे केसेज के संबंध में जानकारी है। आन्ध्र प्रदेश में जितने भी लोगों ने बोन्डेड लेबर का दुरुपयोग किया है, उसकी जांच करने की कृपा करें। बान्डेड लैबर एक्ट का मैं समर्थन करता हूं। बिहार के माननीय सदस्य ने जो कुछ बताया है, उसे सुनकर बहुत दुख हुआ है। स्वतन्त्र भारत में चार डिकेड के बाद भी ऐसी हालत है। इक्कीसवीं सदी में हम प्रवेश करने जा रहे हैं लेकिन एक रोटी का इंतजाम करने के लिए कांग्रेस सरकार असफल हो गई है, यह इससे साबित होता है।...(व्यवधान) लोगों को बहकाने के लिए यह एक्ट लाया गया है। आप लोग चुनाव कैसे जीतते हैं, वह भी हम जानते हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपने विषय पर बोलिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मरीज किस बीमारी से परेशान है, वह जानते हुए भी आप लोग उनकी चिकित्सा करना नहीं चाहते हैं। उसकी बीमारी ठीक हो गई तो वह खुद ही हास्पिटल से बाहर चला जाता है। इसलिए कांग्रेस सरकार गरीबों को अपने हाथ में रखना चाहती है। बाहर आएगा तो वह आपको मतदान नहीं देगा इसलिए उसको परमानेंट वहीं पर रख देते हैं जिससे वह आपको मत दे सकें और आपकी बात सुन सके। बिहार के मित्र जो बोले हैं, उन्होंने सब बातें स्पष्ट कर दी हैं। मैं चाहता हूं कि डिवीजनल लेवल पर एक कमेटी बनायी जाए। कांग्रेस में बड़े-बड़े लोग ऐसे हैं जो पुलिस स्टेशन पर अपना इन्फलुऐंस रखते हैं इसलिए कोई केस नहीं होता है। आइ० ए० एस० आफिसर्स के ऊपर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हैदराबाद के आस-पास पत्थर तोड़ने वालों की स्थिति मैं जानता हूं। मुझे पता है, जिन लोगों ने चन्दा देने से इन्कार कर दिया, उनको बान्डेड लेबर बना दिया। मैं चाहता हूं कि बान्डेड लेबर की खुले रूप से और ठीक तरीके से परिभाषा की जाए। (व्यवधान) सौ मुर्गी रखने के लिए कर्जा दिया जाता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मुर्गो रखो और अन्डे खाओ।

(व्यवधान)

श्री सी० जंगा रेड्डी : मुर्गी के लिए दाना कौन देगा ।

(व्यवधान)

2.14 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय-पीठासीन हुए)

बान्डेड को अगर मुक्ती देनी है तो दस-बीस हजार रुपए आपको देने पड़ेंगे। दो-तीन हजार रुपए देने से काम नहीं बनता है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि डिवीजनल लेवल पर एक नॉन आफिशियल कमेटी बनायी जाए । उनको आइडेन्टीफाई करें। केवल आइ० ए० एस० आफिसर्स के ऊपर निर्भर करना ठीक नहीं है। बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ कोई केस बुक नहीं होता है क्योंकि उनका इन्फलुऐंस बहुत रहता है। गरीब आदमी के खिलाफ ही केस दर्ज किया जाता है। मैं चाहूंगा कि ऐसे तमा केसेज की आप जांच करवाईये। उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप तो जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में कितनी बौन्डेड लेबर है इसलिए एक बार जांच का कार्य कीजिए और उसके बाद जो भी परिणाम सामने आए, उसके आधार पर आप परिभाषा को बदलिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का तो समर्थन करता हूं लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इससे अनपढ़ किसानों को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, इसके लिए कोई संशोधन लाने की बहुत आवश्यकता है।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, बोन्डेड लेबर सिस्टम (अबोलिशन) अमेंडमैंट बिल, 1985 का मैं स्वागत करता हूं जो 1976 के अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया हैं। इसके साथ मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान कुछ प्वाइंटस की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश में टोटल आबादी में से 30 करोड़ 30 लाख व्यक्ति अभी भी गरीब रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब यह है कि जिनको दो जून की रोटी न मिलती हो, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना न हो, अपना घर न हो, यदि उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए दवा आदि की कोई व्यवस्था न हो। पढ़ाई-लिखाई के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। जिन व्यक्तियों के जीवन में तीन चीजों का अभाव हो, उन्हीं को हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो 30 करोड़ 30 लाख व्यक्ति हिन्दुस्तान में गरीबी रेखा से नीचे अभी भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वास्तव में वे ही बौन्डेड लेबर हैं।

वैसे 1980 में गांधी शान्ति प्रतिष्ठान के माध्यम से आप लोगों ने एक सैंन्सस करवाया था जिसमें 26 लाख लोगों को देश भर में बौन्डेड लेबर के रूप में ट्रेस-आउट किया गया लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी व्यक्ति आज गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वह आज नहीं तो कल बौन्डेड लेबर बन जाएगा । बौन्डेड लेबर के बारे में आज से 10 साल पहले तक कभी इस सदन में चर्चा नहीं हुई और अभी भी हमारे विरोध-पक्ष के लोग यह नहीं सोच सके कि बौन्डेड लेबर वह शोषित मानव है, जो गांवों में पशुओं की तरह, ईंट भट्टों में, चाय बगानों में और खेतों में खेतिहर मजदूर की तरह काम करता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम स्वरूप, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दूसरों को भी संक्षेप में भाषण करने देने के लिए मेरी सहायता करें, क्योंकि मंत्री महोदय 3 बजे उत्तर देंगे। साठ सदस्यों ने बोलने के लिए अपने नामों की सूचना दी है। उन्हें भी बोलना है। आपको पांच मिनट का समय दिया जाएगा। कृपया अति संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : सब को 15 मिनट दिए गए, मुझे 5 मिनट क्यों, मैं अपनी बात 10 मिनट में खत्म करने का प्रयास करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी सूचना मिली हैं। पांच मिनट पश्चात् मैं घंटी बजाऊंगा तब आप अपना भाषण समाप्त कर देना।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : ठीक है, सर ! मैं यह कह रहा था कि आज तक हमारे विरोधी दल के लोगों का ध्यान बौन्डेड लेबर की ओर नहीं गया जो ईंट के भट्टों में, चाय बगानों में, खेतों में खेतिहर मजदूर के रूप में और बड़े-बड़े निर्माण-कार्यों में काम कर रहे हैं। हमारी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का ध्यान सबसे पहले इन 26 लाख शोषित, पीड़ित और गांवों में पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की ओर गया और उन्होंने कहा कि जब तक हम इनका कल्याण नहीं करेंगे, तब तक सही मायनों में समाजवादी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने एक बड़ा स्ट्रांग लेजिस्लेशन लाया और बीस-सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से भी इन लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद स्थिति में काफी सुधार आया और जैसा आप सब लोग जानते होंगे कि 17 लाख लोगों को अब तक बौन्डेड लेबर में पुनर्वसित किया जा चुका है। सरकार की ओर से किसी बौन्डेड लेबर को पुनर्वास के समय 2 हजार रुपया दिया जाता है लेकिन मैं समझता हूं कि दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है। यदि आज आप उसको दो हजार रुपए देंगे तो आज से दो साल बाद वह पुनः बौन्डेड लेबर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसको असैटस के रूप में कुछ सहायता दें, चाहे वह किसी भी तरह के असैटस बनाकर सहायता दें ताकि उसको कुछ इन्कम मिले। ताकि उससे उसको कुछ काम मिले और भविष्य में वह बौंडेड लेबर नहीं बने, इस पर ख्याल करने की जरूरत है।

बौंडेड लेबर बनाने में दो प्रथाएं मुख्य हैं—एक तो पमारी सामंतवादी प्रथा और दूसरी बेरोजगारी है। इसके कारण हमारे गांवों में बौंडेड लेकर बनते जा रहे हैं। सामंतवादी प्रथा में बड़े-बड़े लोग अगर किसी गरीब को सौ रुपया भी कर्जा दे देते हैं, तो उस कर्जे के बदले उस व्यक्ति की पुश्त-दर-पुश्त उस मालिक के घर में काम करती हैं।

आपने राज्य सरकार के जिम्मे यह काम छोड़ा है। आपने छटी पंचवर्षीय योजना में 6 करोड़ रुपए की एलोकेशन की है बौंडेड लेबर्स को पुनर्वासित करने के लिए, लेकिन 5 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। आपके पास 20 करोड़ रुपया धरा का धरा रह गया है। आपकी मंशा है कि आप बौंडेड लेबर को पुनर्वासित करना चाहते हैं, लेकिन इसमें राज्य सरकारों की भूमिका अहम हो जाती है।

महोदय, मैं आपका ध्यान 16 दिसम्बर, 1983 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर दिलाना चाहता हूं, इसमें लिखा है—"

"(2) 16 दिसम्बर, 1983 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक, जिन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है, उन्हें बंधुआ मजदूर माना जाए।"

तो महोदय, क्या आपने ऐसे लोगों को बंधुआ मजदूर माना है। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में 43 प्रतिशत मजदूर ऐसे हैं। जिनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती इसी फैसले में आगे कहा गया है—

"बंधुआ मजदूर रखने वाले मालिक की तरह जमानत न होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही जमानत हो।

(3) बंधुआ मजदूरों की मुक्ति में अवरोध पैदा करने तथा खेतिहार मजदूरों के न्यायपूर्ण आन्दोलन को कुचलने के लिए जहां-जहां भी भू-सामन्तों द्वारा भुमिसेना, ब्रह्मर्षि सेना आदि बनाई गई हैं, उन पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाए जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में आज भी जातीय आधार पर सेनाएं बन गई हैं और गरीब व्यक्ति अगर अपनी न्यूननतम मजदूरी की बात करता है, अपने हक की बात करता है, जमीन के पर्चे की बात करता है, तो ये जातीय आधार पर बनी सेनाएं, जिनको बिना वैरिफिकेशन किए बंदूकें और अन्य अग्नेयास्त्र दे दिए गए हैं, आक्रमण करती हैं और उनको दबाती हैं तथा उनको एक सेर कच्ची पर काम करने के लिए बाध्य करते हैं इस प्रकार की कितनी ही सेनाएं मान्यवर वहां पर बन गई हैं और इन सेनाओं की ताकत का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आए दिन बिहार में हरिजनों के गांवों में, अगर वे अपने हक की मांग करते हैं, तो उन्हें गोली मिलती है। आज भी बिहार में हरिजनों के गांवों में आपको रोजाना दंगे-फिसादों की खबर सुनने को मिल जाएगी। इसी से आप इन सेनाओं की ताकत का पता लगा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान फिर सर्वोच्च न्यायालय के उसी निर्णय की तरफ ले जाना चाहता हूं, उसमें कहा गया है—

"(4) भूमि सुधार कानूनों पर सख्ती से अमल किया जाए।

(5) आकाशवाणी और दूरदर्शन ही ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिन से दूरदराज के देहाती इलाके में बे पढ़े-लिखे लोगों के बीच कानूनी अधिकारों की चेतना पैदा की जा सकती है।"

चेतना विकसित हो गई है। उसको मालूम हो गया है कि हमें मिनिमम वेज कितनी मिलनी चाहिएं और जब वह यह मांग करता है, तो उसे गोली मिलती है। कभी-कभी तो महोदय उस बेचारे गरीब को नक्सलाइट ठहराराकर उसकी हत्या कर दीजाती है।

महोदय, अभी जैसा हमारे साथी श्री जी० एस० राजहंस ने कहा कि कानून का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यह बिल्कुल ठीक बात कही गई है। मनोविज्ञान है उपाध्यक्ष महोदय कि कानून और क्रोध हमेशा कमजोर पर लागू होते हैं। जब भी क्रोध किया जाएगा तो कमजोर पर किया जाएगा और कानून को लागू किया जाएगा तो महोदय वह भी गरीब पर ही लागू किया जाएगा यही कारण है कि आज एक गरीब व्यक्ति यदि 107 के तहत भी पकड़ा जाए तो भी उसे पुलिस जेल में भेज देती है और यदि कोई बड़ा आदमी 307 में भी पकड़ा जाएगा, तो उस को जेल में नहीं भेजा जाएगा।

बिहार के मुतल्लिक मैं कहना चाहता हूं। बिहार में आज भी दास प्रथा जिन्दा है और बिहार में दास-दासियों तथा सेवकियों का लेन-देन भूमिहारों के बीच अभी भी जारी है। उत्तर बिहार में मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भू-सामन्त अपनी लड़कियों के विवाह में बंधुआ मजदूर के परिवार की किसी लड़की को भी उसके ससुराल भेजते हैं जहां घरेलू काम के बहाने उसे यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। उत्तर बिहार में 'इसे विध प्रथा' कहते हैं। कहीं-कहीं इसे 'लौंडी-बादी प्रथा' कहा जाता है।

अरुणाचल में तो पूरा का पूरा सोलूग कबीला ही जाति का गुलाम है और गुलाम की तरह मर जाता है। यह न तो कभी किसी चीज के मालिक बन सकते हैं और न ही कोई अपना रोजगार कर सकते हैं सोलंग नौजवानों की शादी करने के लिए मालिक दूसरी सोलंग लड़की खरीद कर लाता है।

इस तरह की व्यवस्था आज भी स्वतंत्र भारत में जिन्दा रख रहे हैं, यह हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। मैं इसे किसी राजनीतिक दांव-पेंच में नहीं लेना चाहता हूं, हमें इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर सोचना चाहिए कि आखिर 30 करोड़ 30 लाख यहां पर जो आज या कल बौंडेड लेबर होंगे, यदि उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सड़ा-गला अंग ही इस देश में अछूता रह जाएगा और इस देश का विकास नहीं हो सकेगा।

जो लैजिस्लेशन, कानून आप लाए हैं, यह बहुत खुशी की बात है, लेकिन सवाल यह है कि इस पर कितना अमल आप करते हैं? मैं आपसे मांग करता हूं कि एक ट्रिब्यूनल बनाइए। ट्रिब्यूनल दिल्ली में बैठकर बनाने से या जिले में बनाने से काम नहीं होगा, आप तहसील लेवल पर ट्रिब्यूनल बनाइए और ट्रेस आऊट कीजिए कि हर महीने में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जवाब देही कीजिए कि वह एक तारीख को रिपोर्ट दे कि उसने कितने बौंडेड लेबरर्स को ऊपर उठाया है, उनका पुनर्वास किया है। उसका पुनर्वास हो भी जाए तो भविष्य में वह बौंडेड लेबर न

बने, इसलिए कम-से कम 10 हजार की अस्थायी सम्पत्ति उसको देनी चाहिए ताकि वह अपना रोजगार करे और आगे बढ़ सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

[अनुवाद]

***श्री सोडे रमेया(भद्राचलम)** : उपाध्यक्ष, मैं और मेरा दल इस संशोधक विधेयक का समर्थन करते हैं । लेकिन मैं नहीं समझता कि आप बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने में सफल होंगे और न ही मैं समझता हूँ कि कोई माननीय भी सदस्य ही ऐसा समझता है । लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इस अधिनियम को लागू करके, हम कम से कम कुछ हद तक इस समस्या को सुलझा पायेंगे ।

देश में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए पहले भी कई कानून बनाए गए। 5-सूत्री कार्यक्रम था । फिर 20-सूत्री कार्यक्रम भी है । इन सभी कार्यक्रमों में इस समस्या को उच्चतम प्राथमिकता दी गई । बंधुआ मजदूरों की रिहाई के दावों की प्रतिदिन, राज्य सरकारों में होड़ लग गई । लेकिन वास्तव में इन दावों के 1 प्रतिशत भी बंधुआ मजदूरों की रिपोर्ट नहीं की गई । ऐसे लाखों मजदूर दयनीय स्थिति में रह रहे हैं । इस संदर्भ में मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं । देश में 99 प्रतिशत बंधुआ मजदूर, हरिजन, गिरिजन और अन्य पिछड़ी जाति के हैं । उन्हें मुक्त कराने के लिए उनकी सहायता करने के लिए, पहले भी कई कानून बनाए गए । लेकिन ये सभी कागजों पर ही रह गए । लेकिन इन लोगों की दशा में शायद ही कोई परिवर्तन आया हो । अगर वे 10 बंधुआ मजदूर को मुक्त कराते हैं तो 20 और इस स्थिति में आ जाते हैं । अतः यह एक पग आगे और दो पग पीछे चलने वाली बात है । देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं ? जब तक इस कारण कि जांच नहीं की जाती कई कानून बनाने से कोई लाभ नहीं । हरिजनों, गिरिजनो कों मजबूरन बंधुआ मजदूर बनने के क्या कारण हैं ? मुख्य कारण है, उनके पास रोजगार नहीं है, जोतने के लिए उनके पास अपनी जमीन नहीं है । सारी जमीन कुछ एक अमीर जमींदारों के हाथों में है । यह सत्य है कि सरकार ने हदबंदी का कानून बनाया है ताकि फालतू जमीन को भूमिहीनों में बांटा जा सके । लेकिन क्या देश में कहीं भी इन अधिनियमों को लागू किया गया है ? इन भूमि सुधारों को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? अतः इस फालतू भूमि को जब तक इन गरीब लोगों में नहीं बांटा जाता और इन गरीब लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने में सहायता नहीं दी जाती, यह समस्या हल नहीं हो सकती ।

यह क्या हो रहा है कि मुक्त हुए बंधुआ मजदूर पुनः पुरानी प्रथा में जा रहे हैं । क्योंकि आजीविक का उनके पास कोई साधन नहीं है, अतः वे पुनः बंधुआ मजदूर बनने पर मजबूर हो रहे हैं । उनके पास भूमि का एक इंच भी टुकड़ा नहीं है । उनके पास कार्य (रोजगार) नहीं है । अतः पुनः बंधुआ मजदूर बनने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है ।

*मूलतः तेलगू में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

सरकार मात्र उन्हें मुक्त कराने में ही दिलचस्पी रखती है, लेकिन कोई वैकल्पिक रोजगार नहीं दे पा रही है। सरकार दावा करती है कि वे मजदूरों को क्त कराने के समय प्रत्येक मजदूर को 4,000 रु० ईती है। लेकिन हमें अच्छी प्रकार जानकारी है कि उन तक इसका कुछ ही अंश मिल पाता है। यह धनराशि विभिन्न भ्रष्ट लोगों के हाथों से होती हुई, जब गरीब मजदूर को मिलती है तो यह मूल की कुछ भाग ही रह जाती है। अगर यह मान भी लिया जाए कि उन्हें 4,000 रु० ही अदा किए जाते हैं तो क्या इस नाममात्र राशि से नया जीवन आरम्भ कर पाना संभव है? योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि इस राशि को बढ़ाकर 10 से 15 हजार रु० कर दिया जाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सुझाव को मानकर इसे लागू किया जाए।

ठेके पर काम करने वाले तथा अन्य राज्यों से आए हुए मजदूर भी बंधुआ मजदूरों की तरह हैं। इस अधिनियम से उन्हें भी यह मान्यता मिल रही है। अन्य बंधुआ मजदूरों की तरह ये लोग भी दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके कल्याण के लिए कई कानून बनाए गए। लेकिन उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है।

हाल ही में एक घटना सामने आई है। 100 मजदूरों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। ये सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कार्यकर रहे हैं, इस घटना से हम सबका सिर शर्म से नीचा हो जाना चाहिए। हम देश को 21वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। दिल्ली के आसपास और फरीदाबाद में खानो में हजारों बंधुआ मजदूर कार्य कर रहे हैं। वे दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यह हैरानी की बात है कि सरकार उनकी सहायता नहीं कर रही है।

मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि मात्र कानून बनाना ही काफी नहीं है इनसे बंधुआ मजदूर प्रथा समाप्त नहीं होगी। इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिए इन कानूनों को ईमानदारी से अमल में लाना होगा।

श्रीमन् मुझे बोलने का अवसर देने के लिए में आपका आभारी हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ब्रिटिश राज्य में यह बंधुआ मजदूर प्रथा प्रचलित थी। केवल कांग्रेस सरकार ने ही इस मामले को सही दिशा दी और ईमानदारी से कार्य करते हुए कई लोगों को बंधुआ मजदूरी से मुक्त करवाया। इस अधिनियम की मंशा मात्र उन्हें मुक्त कराने की ही नहीं है, बल्कि उनका पुर्नवास कराने के लिए भारी आर्थिक सहायता दी जाती है। जिस व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया जाता है उसे 4,000 रु० की फौरन आर्थिक सहायता दी जाती है लेकिन समस्या यह है कि

विभिन्न राज्य सरकारों को इस बारे में जो राशि आबंटित की गई है, उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। कई दफा तो यह खर्च ही नहीं किया जाता है। मैं मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि विभिन्न राज्यों को आबंटित राशि का सही उपयोग हो। अगर नहीं होता है, तो, क्यों नहीं ? कई राज्यों में, इस उद्देश्यार्थ दी गई राशि किसी अन्य प्रयोजनार्थ खर्च कर दी गई है। यह मामले की कठिनाई है। हमें इस बात में बुराई नहीं देखनी चाहिए। जब कभी भी सभा में कोई विधेयक पेश किया जाता है, चाहे वे कितना ही कल्यणाकारी क्यों न हो; विपक्ष के मेरे सहयोगी विधेयक में कोई न कोई दोष निकाल ही लेते हैं। यह रवैया नहीं होना चाहिए। अगर कोई कमी हो तो उसे बताया जाना चाहिए, ताकि उसे दूर किया जा सके। केवल आलोचना के लिए ही हमें सभी बातों की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। अधिनियम के कार्यान्वयन की आलोचना करने का हमें अधिकार है। हमें हमेशा ही बिना वजह आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैं जानता हूं कि कब कभी मजदूरों पर अत्याचार किया जाता है या उन्हें तंग किया जाता है और इसकी सूचना श्रम मंत्री या उनके मन्त्रालय को दी जाती है तो उनके द्वारा इस पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली में कई निगम और सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कम्पनियां हैं, जिनमें निजी ठेकेदारों को उप-ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया जाता है और वहां पर मजदूरों को तंग किया जाता है। पिछले 30 नवम्बर को ऐसे ही एक उदाहरण की सूचना माननीय मन्त्री को दी थी। मन्त्रालय ने सख्त कार्यवाही करके और ठेकेदार को जोकि होटल के एक कमरे में रह रहा था के पास से 147 पासपोर्ट और बड़ी मात्रा में धनराशि जब्त की और इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। लेकिन जांच पड़ताल में क्या हो रहा है, कोई नहीं जानता। अत: केवल श्रम विभाग की ही मजदूरों के लाभ संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी नहीं है, अन्य विभागों, विशेष रूप से पुलिस विभाग को भी इस सम्बन्ध में सहयोग देना चाहिए। अगर अपराधी, जिसने प्रवसन अधिनियम या श्रम नियमों के अधीन अपराध किया है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती, और उसे स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है, तब श्रम विभाग द्वारा जो भी ईमानदारीपूर्वक उपाय किए जायें, उनका कोई लाभ नहीं निकलेगा। विपक्ष के मेरे सहयोगी ने तमिलनाडु के शिवकाशी का जिक्र किया था। शिवकाशी में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी भी है। दिल्ली की एक निर्माण कम्पनी कान्टीनेटंल स्ट्रेक्चरल कारपोरेशन है जिसमें हिमाचल प्रदेश से कुछ मजदूर भर्ती किये हैं। ये मजदूर सहायता के लिए चिल्ला रहे हैं।

उड़ीसा से सैंकड़ों श्रमिकों को इस कान्टीनेंटल स्ट्रकचरल कारपोरेशन द्वारा संजय विद्युत परियोजना, भाभा यूनिट, गांव कफुन, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ले जाया गया। अनुबंध के अनुसार इन्हें एक घनमीटर गोलाश्म के लिए 30 रुपए और आने-जाने के लिए किराया-भाड़ा दिया जाना चाहिए था। लेकिन दिया नहीं गया। आधा भुगतान ही किया गया। निर्माण करने वाली इस कम्पनी से उन्हें अभी भी दो लाख से अधिक रुपए लेने हैं। उन्हें वहां से जाने की भी अनुमति नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे द्वारा यह बात माननीय मन्त्री के ध्यान में लाने पर,

वे कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। इसी तरह अगर हमें यह पता चलता है कि किसी श्रमिक को परेशान किया जा रहा है तो यह बात श्रम मन्त्रालय के ध्यान में लाना हमारा काम है ताकि कार्यवाही की जी सके। ग्रामीणों, खासकर उड़ीसा के ग्रामीणों को गांव छोड़ने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं। उन्हें इस आश्वासन के साथ यहां लाया जाता है कि उन्हें विदेश भेजा जाएगा। उन से पैसा लेकर उनके पार-पत्र तैयार किए जाते हैं। विदेश भेजने के लिए कानूनन उनसे 2000 रुपए लेने चाहिए लेकिन 10,000 से 15,000 रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। यह धोखाधड़ी 1981 से जारी है। मैंने माननीय मन्त्री को कुछ कागजात दिखाए हैं और उन्हें इसकी एक प्रति भी दी है। उनसे 10,000 से 15,000 रु० का इकट्ठे किए जा रहे हैं पर अभी तक उन्हें बाहर नहीं भेजा गया है। ये कम्पनियां उनसे यहीं काम करवा रही हैं। मेरी मांग है कि बाहर भेज नेकी आशा बंधा कर श्रमिकों का शोषण करने की इस धोखाधड़ी की सी० बी० आई० द्वारा जाँच कराई जाए। काफी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और इस धोखाधड़ी में अनेक महत्व पूर्ण व्यक्ति शामिल हैं। प्रबंध निर्देशक ही नहीं बल्कि उनके रिस्तेदार भी इसमें शामिल हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता पर उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं और श्रमिकों से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि श्रम मन्त्रालय इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही करे।

***श्री ए० सी० षण्मुखम (बेल्लोर)**: उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। इस विधेयक को पूरा समर्थन देते हुए भी मुझे यह कहते हुए खेद है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 35 वर्षों के बाद भी इस तरह के विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इस तरह के विधेयक को लाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। बहुत समय पहले ही बंधुआ मजदूरी की प्रथा देश से समाप्त हो जानी चाहिए थी। सरकार को देश में बंधुआ मजदूरी समाप्त करने के लिए बहुत पहले ही सक्रिय उपाय कर लेने चाहिए थे। मैं नहीं जानता कि यहां बंधुआ मजदूरी अभी तक इसलिए है क्योंकि जिन बंधुआ मजदूरों को स्वतन्त्र कराया गया था उन्हें बसाने के लिए कारगर उपाय नहीं किए गए। संभवतया ये दोबारा से दासता की ओर लौट गए। अगर हमने उन्हें रोजगार के अवसर या जीवन की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं कराईं तो स्वभाविक है कि वे दासता की ओर लौटना ही पसन्द करेंगे। मुझे ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में आबंटित 25 करोड़ रुपए की रकम खर्च नहीं कर पाई। ऐसा माननीय श्रम मन्त्री श्री अंजैया ने बताया है। 25 करोड़ रुपए की आबंटित राशि में से 10 करोड़ रुपए इस काम पर व्यय नहीं किए जा सके। 25 करोड़ की इस राशि को बढ़ाकर अगर 50 या 100 करोड़ कर दिया गया होता तो मुझे खुशी होती। लेकिन 25 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए हम व्यय नहीं कर सके। इससे पता चलता है कि बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा ठीक से काम नहीं किया जा रहा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के प्रति अधिक जागरुकता तथा समझदारी दिखाए तथा इसे समाप्त करने के लिए धैर्य और व्यवहार कुशलता से काम करे।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

माननीय मन्त्री ने बताया है कि राज्य सरकारों को जिला स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करने की सलाह दी गई है। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है वहां सभी जिलों में ऐसी सतर्कता समितियां गठित कर दी गई हैं। मैं जानता हूं कि कई राज्यों में ये समितियां अभी तक गठित नहीं की गई हैं। माननीय मंत्री को इसकी जांच करानी चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने के मामले में महाराष्ट्र के साथ तमिलनाडु को सर्वोत्तम माना गया है। यहां यह कहना उल्लेखनीय है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र बंधुआ मजदूरी समाप्त के बारे में है। तमिलनाडु के हमारे मुख्य मन्त्री डा० एम० जी० आर० के प्रेरक नेतृत्व में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां रोजमर्रा की बात हो गई है।

जैसा कि मैंने शुरू में कहा था बेरोजगारी की समस्या को हल किया जाना चाहिए। इसे करने के लिए जनसंख्या नियन्त्रण की ओर ठीक से ध्यान दिया जाना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण उपायों के मामले में तमिलनाडु प्रकाशस्तंभ का काम दे रहा है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए उसे एक करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला। बड़े खेद की बात है कि इस दौरान तमिलनाडु की ओर से एक संसद सदस्य कम हो गया है। जनसंख्या वृद्धि में कमी से एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खाली हो गया। ऐसे राज्यों को एक करोड़ रुपए का पुरस्कार देना ही काफी नहीं है। जो राज्य परिवार कल्याण योजनाओं को कुशलता से चला रहे हैं, उन्हें विशेष सहायता दी जानी चाहिए। प्रोत्साहन मिलने पर ही जनसंख्या नियन्त्रण की दिशा में अनथक और निरन्तर प्रयास किए जाएंगे।

देश में लगभग 22 करोड़ खेतिहार मजदूर हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि देश के कुछ भागों में आज भी उन्हें 1-2 रुपए मजदूरी मिलती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बावजूद खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू कराने के लिए कारगार ढंग से कोई निगरानी नहीं रखी जाती। 1000-5000 एकड़ भूमि के उन मालिकों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए जो खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देते। उक्त अधिनियम को लागू न करने पर उन्हें कारावास की सजा दी जानी चाहिए। इसके लिए संबंधित कानूनों में संशोधन करना चाहिए।

महोदय, बंधुआ मजदूरी प्रथा तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक भूमिहीनों को भूमि नहीं दी जाती। 1982-83 में तमिलनाडु सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम पारित करके उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा था। दुर्भाग्य से इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली। इसे यहां-वहां भेजा जाता रहा। राज्य सरकार अतिरिक्त भूमि को अर्जित करके उसे भूमिहीनों को कैसे वितरित कर सकती है? केन्द्र को राज्यों के भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधेयकों के प्रति विलंब करने के इस रवैये को छोड़ देना चाहिए।

मालिक अगर बुनकरों को 4000-5000 रुपए ऋण दे देते हैं तो वे बुनकर बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। उनके पास ऐसे ऋणों को चुकाने के कोई साधन नहीं हैं। तमिलनाडु

सरकार ने अनेक बुनकर सहकारी समितियों का गठन किया है ताकि बुनकर मालिकों के चंगुल से बाहर आ सके। छठी योजना में इस मामले में तमिलनाडु के लिए लक्ष्य को बढ़ाया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार सुनिश्चित करे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इन बुनकरों को ऋण मिलें। इसी तरह हमें ऐसे आरोपों का पता चला है कि बैंकों द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋण उन तक नहीं पहुंचते। कुछ चुने हुए लोग बीच में ही इन ऋणों को दबा लेते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को जब तक इस रेखा से ऊपर नहीं लाया जाता तब तक देश में बंधुआ श्रम प्रथा को खत्म नहीं किया जा सकता।

निर्माण कार्य के क्षेत्र बंधुआ में मजदूरी प्रथा काफी प्रचलित है ठेकेदार इस मजदूर प्रथा को बरकरार रखे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को ठेकदारों के चंगुल से छुड़ाया जाए। उन्हें पुनः बसाने का दायित्व सरकार का होना चाहिए। महोदय एक बात और है केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान अपने विदेशी ठेकों को पूरा कराने के लिए मजदूरों को ईरान, ईराक, लीबिया आदि ले जाते हैं। मैं जानता हूं कि वहां इन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। अन्जान और अपरिचित जगह पर उनकी हालत बंधुआ मजदूरों से भी बदत्तर है। आप जानते ही होंगे कि लीबिया में लगभग 100 भारतीय श्रमिकों ने अपने रहने की दशाओं में सुधार करने के लिए हड़ताल कर दी। महोदय, यह जरूरी है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान अपने श्रमिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। श्रमिकों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चत की जाए। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों को ऊपर लाने के लिए प्रयास किए जाएं। रचनात्मक उपाय किए बिना देश से बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त करना संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि हमारे निष्ठावान श्रम मंत्री भविष्य में देश से सदा के लिए इस प्रथा को समाप्त करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, इस संशोधन का समर्थन करते हुए मैं निम्नलिखित टिप्पणियां करना चाहता हूं। बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम की धारा 2 बंधुआ मजदूरी की व्याख्या करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम में अर्थात् 1976 के मूल अधिनियम में, ठेके पर रखे जाने वाले मजदूरों या एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने वाले मजदूरों पर वह लागू नहीं होता। इस संशोधन में अतिरिक्त व्याख्या मूल अधिनियम में की इस कमी को पूरा कर दिया है। यह मामले की व्याख्या या स्पष्टीकरण मात्र है। बड़े शर्म की बात है कि स्वतंत्रता के 38 वर्ष बाद भी यह सामाजिक बुराई हमारे देश से समाप्त नहीं हुई है। इसे यथासंभव शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। गरीब, अशिक्षित, अज्ञान, भूमिहीन, बेरोजगार होने तथा अन्य सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये लोग नियोक्ता की सभी शर्तों को मान लेते हैं भले ही वे कितनी कठोर और गैर-कानूनी क्यों न हों। ऐसा महसूस

किया जाता है कि जिन शर्तों पर वे काम करना स्वीकार करते हैं उनसे वे नैतिक रूप से बंधे रहते हैं। इस बुराई का मूल कारण बेरोजगारी है। अधिक मजदूरी मांगने पर रोजगार की सुरक्षा नहीं रहती। उसे नौकरी से निकाला भी जा सकता है इसलिए नौकरी की सुरक्षा न रहने पर उसे नियोक्ता की शर्तों के आगे झुकना ही पड़ता है। तो उन्हें थोड़ी सी मजदूरी के लिए घंटों काम करना पड़ता है। उन्हें मूल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जातीं। उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हालतों में रहना पड़ता है। काम के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। मालिक द्वारा भोजन कपड़ा देने पर ही उन्हें भोजन-कपड़ा मिलता है? मकान बनाने के लिए उनके पास जमीन नहीं होती। इनके शिकार मुख्यतः गरीब, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं।

इसी तरह ठेके पर काम करने वाले और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम करने वाले मजदूर बहुत बदत्तर दशा में रह रहे हैं। उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह संशोधन तभी उपयोगी सिद्ध हो सकता है जब अधिनियम के उपबंधों का कड़ाई से पालन किया जाए। अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के साथ कड़ाई से व्यवहार किया जाए। तभी संसोधन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

अधिनियम को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है: बंधुआ मजदूरों का पता लगा कर उन्हें मुक्त किया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। मुक्त किए जाने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उन्हें रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। अन्यथा वे फिर बन्धुआ मजदूर बनाना पसंद करेंगे। इसलिए उनकी सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मूल रूप से राज्य सरकार उत्तरदायी होती है। केन्द्र सरकार 50:50 के अधार पर वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकार को बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास में सहायता देती है।

इस प्रकार की योजनाओं की समीक्षाएं कड़ाई और प्रभावी ढ़ंग से की जानी चाहिए। कम से कम सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बुराई को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। स्थाई पुनर्वास कार्यक्रम होने चाहिए। इन बंधुआ मजदूरों के लिए रोजगार की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बारे में राज्य सरकार के कार्यक्रमों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा जनजातीय उप-योजना में विशेष अंगभूत योजना के साथ समाकलित करना चाहिए। इस पुनर्वास कार्यक्रम में स्वैच्छिक एजेंसियों तथा समाजिक दलों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांडेड लेबर सिस्टम अमेंडमेंड बिल 1985 जो माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। एक नहीं अनेकों माननीय सदस्यों ने ये भावनाएं प्रस्तुत की कि बन्धुआ मजदूरी की समस्याएं सिर्फ इस हिन्दुस्तान में ही नहीं हैं, बल्कि और देशों में भी हैं। हिन्दुस्तान में तो जो बन्धुआ मजदूर निवास करते हैं वे अपनी फरियाद यहां पेश कर सकते हैं, लेकिन जो हिन्दुस्तान के बच्चे विदेशियों द्वारा गोद लेने के नाम पर विदेशों में ले जाए जाते हैं और उनसे बन्धुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता है, उनके लिए आप कौन-सा मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं?

इस सदन में बन्धुआ मजदूरों के बारे में निश्चित रूप से अनेकों बिल लाए गए हैं और हम सभी माननीय सदस्यों को आशा है कि आप निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करेंगे। जो अनेकों बार बिल पेश किए गए उससे यहां के बन्धुआ मजदूरों ने सोचा कि उनकी समस्या हल हो जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीस सूत्रीय कार्यक्रम में यह भी एक कार्यक्रम था कि बन्धुआ मजदूरों को मुक्ति दिलाई जाएगी, लेकिन आप गांव में जाकर देखें जहां हिन्दुस्तान की 75 प्रतिशत आबाद मजदूरी है। वह अपनी मांगों के लिए नारा नहीं लगा सकती और पैसों के अभाव में किसी नेता के पास फरियाद नहीं कर सकती। आज इस आजाद मुल्क में हिन्दुस्तान की लेबर मालिकों के यहां गुलामी के रूप में बन्द बैठी है। आप कैसे उनकी मुक्ति करेंगे। आप स्वयं देहात में जाकर देख सकते हैं। कोई भी मालिक अगर किसी मजदूर को चार-छह कट्टा जमीन दे देता है तो मजदूर चाहता है कि वह किसी न किसी तरह इससे मुक्ति पा जाए। स्थिति यह है कि वह अपने बाल-बच्चों के साथ कहां जाए। रुपए की सीमा जब तक आप नहीं बढ़ायेंगे बंधुआ मजदूरों की समस्या इस हिन्दुस्तान में बनी रहेगी। आप एक नहीं हजारों कानून बना लीजिए, यह समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर और लेबर मिनिस्टर हैं इसलिए दिल्ली की हालत यह है कि चिराग तले अंधेरा। यह कहावत यहां पर चिरतार्थ होती है। कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो मजदूरों को विदेश भेजने का प्रलोभन देते हैं। दो-चार कट्टा जमीन बेचकर वह दिल्ली में आता है, लेकिन यहां पर तो नटवरलाल बहुत हैं। दिल्ली में एक नहीं हजारों नटवरलाल ऐसे कुकर्म कर रहे हैं जिसकी मिसाल देने में मेरी जबान भी मेरा साथ नहीं दे रही है। विदेशों में ले जाने के बहाने मजदूरों को बनारस या पटना ले जाकर छोड़ दिया जाता है। फरीदाबाद में या दिल्ली के आस-पास देख सकते हैं कि मजदूरो की किस तरह से पीसा जाता है। एक रोज कोई मजदूर किसी के यहां काम करने के लिए जाता है तो उसे पांच से दस रुपए दिए जाते हैं। दूसरे दिन जब भूख की आग उसे सताती है और वह काम मांगने के लिए जाता है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। मालिक कहता है कि पांच रुपए की बजाय चार या तीन रुपए दूंगा। देहात का कौन सा मजदूर यह जानता है कि सरकार उसके लिए कौन सा कानून बना रही है। जब तक उन लोगों के अंदर यह भावना जागृत नहीं करेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं तब तक कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है। पलामू में आपने देखा होगा कि सौ बच्चों को गोद लेने के नाम पर पकड़ा गया था। निश्चित रूप से सरकार ने उस मामले में मदद की जिसकी वजह से वे मुक्त हुए। आप एक नहीं हजारों कानून बना लीजिए लेकिन जब तक मजदूरों को इसका पता ही नहीं चलेगा तब तक आप उन्हें मुक्ति नहीं दिला सकते हैं।

श्री दामोदर पाण्डे (हजारीबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी लाली जी ने ठीक ही कहा कि जितने भी कानून यहां पास कीजिए जब तक अमल में नहीं आते तब तक वे धरे के धरे रह जायेंगे। एक चीज वह भूल गए। सिर्फ सरकार द्वारा कानून पास करने से ही अमल में नहीं आते। जनता के जो प्रतिनिधि हैं वे सिर्फ यहां भाषण दे दें, इससे कानून अमल हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। हमारा और उनका भी एक कर्त्तव्य है जो कुछ भी कानून बनते हैं उनको अमल में लाने की कोशिश करें। सरकार की जो निष्ठा है समाज को शोषण से मुक्त करने की, वह निष्ठा इस कानून के माध्यम से व्यक्त की है।

जो कानून पहले पास हुआ उसमें थोड़ी कमी रही गई थी जिसे आज हम दुरूस्त कर रहे हैं और जब भी आवश्यकता होगी इससे बड़ा कानून बनायेंगे ।

3.00 म० प०

क्योंकि बहुत से कड़े कानून बने, उन कानूनों का यही इसी तरह से अंजाम होता रहा, जिस तरह से इसका अंजाम होता है तो हम कानून पास करके निराशा के गर्त में गिरेंगे और कोई हमको उससे सुधार की आशा नजर नहीं आयेगी । मेरा व्यक्तिगत सुझाव यह है कि बंधुआ मजदूरों का समाज में शोषण होता है, उसको आप माइग्रेंट लेबर कह लीजिए, कैजुअल लेबर कह लीजिए या ठेकेदारी मजदूर कह लीजिए, वे सब एक ही कड़ी में आते हैं और सब का अंजाम एक ही है : व्यक्ति से व्यक्ति का शोषण होता है । हमारी सरकार उनको शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कटिबद्ध है । वैसे शोषण और भी कई प्रकार से होता है जैसे बड़े-बड़े उद्योग-धंधों में बड़े-बड़े ठेकेदार होते हैं, यहां तक कि सरकार की तरफ से मान्यता-प्राप्त कुछ आर्गेनाइज्ड जमायतें भी हमारी तरफ़ बनी हुई थीं, जैसे गोरखपुर लेबर आर्गेनाइजेशन, आदि, जिनका, उपाध्यक्ष महोदय, आपने शायद नाम सुना हो और हमारी यू० पी० में गरीब लोगों को पकड़ कर जबर्दस्ती कोयला खदानों में ले जाया जाता था और वहां उनसे 11 महीने तक जिस कदर बुरी तरह काम लिया जाता था, उनकी पिटाई की जाती थी, उनका जिस तरह से शोषण होता था, उसको याद करके आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । एक झटके में वे सब लोग भी मुक्त हुए और आज वे लोग एक स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से, आराम की जिन्दगी तो नहीं कहा जा सकता, हां, कम से कम एक इंसान की जिन्दगी गुजर कर रहे हैं और मुक्त मजदूर हैं । वह बहुत बड़ा काम हमारे यहां हुआ ।

इसी तरह से पब्लिक सैक्टर में जितने भी आर्गेनाइज्ड ठेकेदारी थी वैसे तो ज्यादातर बन्द हो गई है लेकिन अभी भी कुछ है । आज कुछ को तो आइडैन्टीफाई किया हुआ है । जहां भी बंधुआ मजदूरों के नाम से जाने जाने वाले लोग हैं और जैसा आपने हंगामा यहां दिल्ली में भी देखा : भाटी पत्थर खदान के लोगों ने यहां किया, उस तरह से जितनी भी पत्थर खदानें हैं, जो चिप्स बनाने का कार्य करती हैं और जो कश्मीर से लेकर कन्या-कुमारी तक और द्वारिका से लेकर पुरी तक फैली हुई हैं, सब जगह उनकी वैसी ही दुर्दशा है । छोटी-छोटी खदान हैं और उनके मालिक उन खदानों को बंद करके भाग जाते हैं । नतीजा यह होता है कि उनके शोषण का अंत नहीं होता । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि सब जगह पर किसी प्रकार से इनको संगठित किया जाए और संगठित करके इन्हें शोषण से मुक्ति दिलाई जाए । इनमें जजबात पैदा किए जाएं, इनमें संगठन की भावना पैदा की जाए और इस काम में जन-प्रतिनिधियों का भी कुछ कर्त्तव्य बन जाता है और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि इसका कहीं भी दुरुपयोग न होने पाये ।

आज इसका दुरुपयोग भी कई स्थानों पर होने लगा है । कई किसान सोचते हैं कि चलो अच्छा है, उसका मजदूर तो उसके यहां काम करता है । वे अपने ही एजेन्ट के माध्यम से

सरकार के यहां रिपोर्ट डलवाते हैं कि देखो हमारे यहां बंधुआ मजदूर है और दूसरी तरफ अपने मजदूर को कहते हैं कि तुम जाकर डिक्लेअर कर दो कि तुम बंधुआ मजदूर हो। उसके बाद जब सरकार से उसे दो हजार रु० मिलता है तो उसमें से एक हजार रुपया तो वह किसान ले लेता है और एक हजार रुपया उस मजदूर को मिल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से इस कानून का दुरुपयोग भी हो रहा है। इसको कौन बंद करेगा। हम समझते हैं कि हम सब का यह कर्त्तव्य है और हम सब को मिल-जुल कर इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। यदि हम निश्चय करके आगे बढ़ेंगे तो यह बदनामी की जगह, यह शोषण का काम हम समाप्त करवा पायेंगे और इससे समाज को और निरीह लोगों को मुक्ति दिला सकेंगे जो बहुत आशा लगाए हुए हमारी तरफ देख रहे हैं। धन्यवाद।

श्री मुल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान यह अधिकार प्रदान करता है कि हर एक आदमी स्वाभीमान से जिन्दगी जीए। उसके साथ-साथ अगर सरकार काम की गारन्टी देती है, सरकार को एक कानून बनाकर काम की गारन्टी देनी चाहिए, तभी इस समस्या को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अन्यथा जब तक आदमी के शोषण की यह प्रथा कायम है, वह देश के लिए कलंक है। भारत के संविधान में यह असूल है कि हर आदमी को ईमानदारी से जीने का अधिकार है, इज्जत से जीने का अधिकार है और हर आदमी को अपनी गरिमा बनाए रखने का अधिकार है। दूसरी तरफ जब हम राजस्थान के सम्बन्ध में हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हैं, जो फैसला 16 दिसम्बर, 1984 को हुआ, और फैसले के बाद कुछ लोग मुक्त हुए, उस कैद से छूटकर जब वे लोग बाहर आए तो उन्हें किसी ने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया, किसी ने उन्हें भोजन नहीं दिया और न उनको सिर ढकने के लिए छत मिली। न उनको कोई काम मिला। जमुना नाम की स्त्री तो उसी समय मर गई और बाद में, जब एक अन्य औरत लौट कर आई, तो उसका लड़का भी मर गया। यह हालत हमारे राजस्थान में हुई। इसलिए जिसको आप बंधुआ मजदूर कहते हैं, उसके पीछे गरीबी अभिशाप है जो उस आदमी को ऐसा काम करने के लिए बाध्य करती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जिन महापुरुषों ने कुछ बातें कहीं, हमारी राज्य सरकारें उनको दो हजार रुपए की आर्थिक सहायता नहीं देतीं, केन्द्रीय सरकार ने कह दिया हम अपनी तरफ से दो हजार रुपए देंगे और दो हजार रुपया स्टेट गवर्नमैंटस देंगी, मुझे मालूम नहीं तामिनाडु में क्या होता है...तमिलनाडु में क्या होता है, 198^-83 के अंदर सरकार ने टारगेट बनाया था 35.822 करोड़ का उन्होंने 36.091 करोड़ खर्च किया, लेकिन 1983-84 में 28.8 करोड़ का टारगेट था और 17 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसी प्रकार 1984-85 में 31.326 करोड़ टारगेट था और वहां पर 18 करोड़ खर्च हुआ। इसीलिए अंजैया साहब ने अपने स्टेट में दिया है—

[अनुवाद]

पिछली योजना में बंधुआ मजदूरों को आजाद कराने और उनके के लिए 25 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें से 10 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए थे।

[हिन्दी]

यह हाल है राज्य सरकारों का और आज राज्य सरकारें यहां आकर कहती हैं कि हालत खराब है, जब कि वे खुद काम नहीं करती हैं। श्रीमन्, यह दुर्दशा है। आप तो रोज इंडिया टूडे पढ़ते हैं, अगर आप इस अंक को देखें —"लेबर" नवंबर, 30—1985 तो उसमें पाएंगे—

[अनुवाद]

गंगा परमार जिसकी आयु 70 वर्ष की है इसने अपने पीछे 30 वर्ष की मजदूरी का ठेका किया है।

[हिन्दी]

मान्यवर, मैं यही कहना चाहता हूं कि काम की गारंटी सरकार को देनी होगी तभी लेबर शोषण से वंचित हो सकते हैं अन्यथा नहीं।

[अनुवाद]

x**श्री जी० एस० बसवराजू (टुमकुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम पद्धति (उत्सादन) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक बंधित मजदूरों के सुधारने के लिए है। इसलिए, मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं और इस पर अपने विचारों को व्यक्त करता हूं।

बंधित मजदूर प्रथा हमारे समाज में एक कलंक है। दुर्भाग्य वश आजादी के 39 वर्षों के बाद भी हमारे देश में यह प्रथा प्रचलित है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मानवीय दृष्टिकोण के साथ इस समस्या से निपटना चाहिए।

बंधित मजदूर गुलामों की तरह दिन और रात काम करते हैं। लेकिन उच्च वर्ग के लोग जिनके लिए ये गरीब लोग काम करते हैं, धन इक्ट्ठा करते हैं। ये उच्च वर्ग के लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। उनसे अधिक से अधिक काम लेते हैं और उनके साथ जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं वे उन्हें न्यूनतम वेतन भी देने की परवाह नहीं करते हैं। हमारे देश में गरीब बंधित मजदूरों का यह दुखद भाग्य है। हमारे देश में इस अमानुषिक प्रथा को समाप्त करने की बहुत समस्या हो गई है। यह प्रद्धति लगातार एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक चल रही है।

हमारे दिवगंत नेता श्रीमति इन्दिरा गांधी ने बंधित मजदूरों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए थे। वास्तव में हमारे समाज से बन्धित मजदूर प्रथा के उन्मूलन को 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अगंभूत भाग बनाया गया है।

कर्नाटक में हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री देवराज अर्स ने दलित लोगों के सुधार के लिए प्रशंसनीय सेवा की थी। उनके समय के दौरान बन्धित मजदूर की समस्या को कुछ सीमा तक हल

xमूलतः कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कर दिया था। परन्तु बदकिस्मती से कर्नाटक की वर्तमान सरकार इस समस्या को हल करने में खास दिलचस्पी नहीं ले रही है। बन्धित मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नाटक सरकार के सामने कोई कार्यक्रम नहीं है। अमीर लोग बैंकों से गरीब लोगों के नाम पर ऋण ले रहे और एश्वर्य की जिन्दगी बिता रहे हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा आंबटित राशि भी इन गरीब लोगों के लिए उपयोग में नहीं लाई जा रही है। राज्य सरकार उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करके चुप बैठी है, जो गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं।

यदि एक मजदूर अपनी शादी के लिए एक अमीर व्यक्ति से ऋण लेता है तो उस ऋण को चुकाने के लिए उसके लड़के को गुलाम के रूप में कार्य करना होगा। कभी-कभी उसके पौत्र को भी उस ऋण को चुकाने के लिए काम करना होगा। अधिकतर मामलों में बन्धित मजदूर लिए गए ऋण का ब्याज देने के लिए काम करते हैं और वास्तविक राशि दो या तीन पीढ़ियों तक वैसी ही रहती है।

यदि हमारे समाज में से इस बुराई को समाप्त करने के लिए ठीक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो मुझे डर है कि यह प्रथा अगले 100 या 200 वर्षों तक बराबर बनी रहेगी।

बांध के निर्माण में लाखों मजदूर लगे हुए हैं लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। लेकिन गरीब मजदूरों को एक एकड़ भूमि भी नहीं दी गई हैं। मजदूर ईंट के भट्टे पर और कई अन्य स्थानों पर काम करते हैं। वे खुली खान के मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत करते हैं। वे दिन और रात पसीना बहाते हैं। इसलिए, राज्यों और केन्द्र का वह नैतिक कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस तरह के गरीब लोगों का पुनर्वास करें। उन्हें अन्य मानवों की तरह जीने का अवसर दिया जाना चाहिए। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी बन्धित मजदूरों के दासता के शिकंजे से मुक्त कराने के लिए अपना बहुत प्रयास करेंगे। मुझे बोलने के लिए दिए अवसर का मैं धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रशाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बौंडेड मजदूर बिल पर बहस चल रही है, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि इस तरफ हम कम्प्यूटर युग में जा रहे हैं, 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं और जब बहस चलाते हैं तो हम बौंडेड लेबर की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम ऊपर जाने की बात सोच रहे हैं और दूसरी तरफ नीचे की बात कर रहे हैं।

बौंडेड लेबर का जहां तक सवाल है, हमारे यहां दो तरह के मजदूर हैं —एक संगठित मजदूर हैं और दूसरे असंगठित मजदूर हैं। जो असंगठित मजदूर हैं, वही बौंडेड लेबर में आते हैं जो क्रशर मशीन चलती हैं पत्थर तोड़ने की उसमें लाखों-लाखों लोग काम करते हैं। उनका बहुत बड़ा शोषण होता है उनकी जान भी चली जाती है तो मालिक की तरफ से उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। कोई उसका मुंह देखने वाला नहीं है।

जितने भी आज चिमनी भट्टे चल रहे हैं, उसमें भी बाहर से मजदूर लाये जाते हैं। उनको भी बौंडेड लेबर बनाकर रखा जाता है और उनके साथ भी मानवता का व्यवहार नहीं किया जाता है। इस तरह की हालत आज हमारे देश में हैं। इस बारे में जो कानून आप बनाने की बात कर रहे हैं तो कानून व्यवहारिक होना चाहिये। जो कानून आप बना रहे हैं, यह व्यवहार में नहीं आता है। जब तक आप इन लोगों की दशा में आर्थिक सुधार नहीं करते हैं और गांव से सामन्ती प्रथा समाप्त नहीं करते हैं तब तक आप कानून बनाते रह जायेंगे, लेकिन इन कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं कर सकते हैं और बंधुआ मजदूर समाप्त नहीं कर सकते हैं।

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : उपाध्यक्ष महोदय, बौंडेड लेबर की बड़ी गंभीर समस्या है। ऐसा नहीं है कि इसके अन्दर कोई कंसिलियेशन को या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हो जाये। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल वर्कर्स को आज प्रिविलेजेज हैं, वह बौंडेड लेबर को नहीं हैं। बौंडेड लेबर में बहुत से ट्रेड-यूनियन काम नहीं करते हैं। ये ट्रेड-यूनियन्स चाहे किसी पार्टी की हों वह उसी जगह काम करते हैं जहां इंडस्ट्रियल वर्कर हैं जो प्रिविलेज्ड क्लास है, वहीं ऐसे ट्रेड-यूनियन मूवमैंट चलता है।

सरकार ने 800 आनरेरी वर्कर्स को एप्वाइन्टमैंट दिया है ताकि वह बौंडेड लेबर का कुछ पता लगायें। मेरे पास अभी फिगर्स नहीं हैं, लेकिन हर स्टेट में उनको रखा है। उनको 250 रुपये एलाउन्स मिलता है, ताकि वह इन लोगों के अन्दर काम कर सकें। हम चाहते थे कि ट्रेड-यूनियन वाले भी इसमें हिस्सा लें और उस वक्त भी मैंने यही सोचा था कि इन लोगों के काम करने में गवर्नमैंट पूरी तरह से मदद करेगी। मुझे अफसोस है कि आज तक उतना काम नहीं हो सका है। हमारे जो ट्रेड यूनियन है, चाहे वह किसी पार्टी के हों, किसी से एफिलेयेटेड हों, सारे ऐसे ही हैं।

मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं ज्यादा फिगर्स नहीं बनाना चाहता हूं। 6 महीने का फिगर्स बताना चाहता हूं। कर्नाटक में टार्गेट दिया गया है 9250 का जिसमें उन्होंने एचीवमैंट किया है 1234 का। मतलब यह है कि इतना काम सुस्त है वहां। मध्यप्रदेश में तो निल ही है। मध्यप्रदेश में कोई बौंडेड लेबर का काम हुआ ही नहीं। मैं 6 महीने की बात बता रहा हूं, 5, 10 साल की बात नहीं बता रहा हूं। महाराष्ट्र में जो कुछ भी टार्गेट दिया गया उसमें 36 को ही उन्होंने रिहैबिलिटेट किया। उड़ीसा में 7500 का टार्गेट किया गया और 2500 को रिहैबिलिटेट किया। राजस्थान में 2580 का टार्गेट दिया गया और उन्होंने 260 या 261 ही किया। तमिलनाडु में 2194 का टार्गेट दिया गया। वहां उन्होंने सिर्फ 11 को रिहैबिलिटेट किया। उत्तर प्रदेश में 4 हजार का टार्गेट दिया गया वहां 320 उन लोगों ने किया। बिहार में ठीक है, इस वक्त 501 का जो टार्गेट दिया है उसमें 250 को रिहैबिलिटेट किया है। अब हमने जो टार्गेट दिया है उस टार्गेट को ही राज्य सरकारें पूरा न करें यो हम क्या करें? हरियाणा में तो बिलकुल निल है। वहां तो बिलकुल ही काम नहीं हुआ है। गुजरात में भी वैसा ही हुआ है। आन्ध्र में अच्छा हुआ जहां 2 हजार का टार्गेट था वहां 2050 उन्होंने किया है। तो जब तक स्टेट गवर्नमैंट इन्टरेस्ट नहीं लेंगी उस वक्त तक बौंडेड लेबर को रिहैबिलिटेट करना नामुमकिन है।

यह बौंडेड लेबर वहां है जहां लैंड रिफार्मर्स नहीं होते हैं वहां स्टेट जहां इर्रीगेशन की फैसि-

लिटी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, किसी किस्म का कल्टीवेशन नहीं होता है वहां पर ज्यादातर बांडेड लेबर है। वे स्टेट जो एलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं करते, उसकी वजह से वहां के किसान खेतों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि किसान को एलेक्ट्रिसिटी और इर्रीगेशन नहीं मिलता है तो वह कुछ पैदा नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से आन्ध्र प्रदेश में और पंजाब में वहां के लोग कल्टीवेशन करते हैं वहां के ऐग्रीकल्चरल लेबर की तनख्वाह देखेंगे तो वह सब से ज्यादा है क्योंकि वहां इर्रीगेशन, एलेक्ट्रिसिटी और लैंड रिफार्म ये तमाम चीजें हुई हैं और इनके होने पर ही यह सिस्टम खत्म हो सकता है।

अब जहां तक मदद करने की बात है, हम लोग 2 हजार रुपये की मदद सेंटर से दे रहे हैं और दो हजार स्टेट वालों को देना है। इस तरह से 4 हजार रुपया उस को दिया जाता है। यह सफिश्येंट है, यह मैं नहीं कहता। लेकिन यह भी पैसा पिछले सालों में 25 करोड़ में से 15 करोड़ ही खर्च कर सके हैं। दस करोड़ रुपया खर्च नहीं कर सके हैं। हो सकता है इसमें कुछ मिसयूज भी चल रहा हो। मैं आन्ध्र प्रदेश गया तो लोगों ने कहा कि यहां किसी न किसी को पकड़ कर ला रहे हैं और बांडेड लेबर कह कर उसको पैसे दिलवा रहे हों। तो हमने कहा कि अच्छे काम में थोड़ा बहुत मिसूयज भी होता है। क्योंकि जहां भगवान है वहां शैतान भी हैं (**व्यवधान**) जहां राम है वहां रावण भी है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि यह सिस्टम ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि जहां तक यह सिस्टम हैं, इस सिस्टम से कुछ फायदा नहीं हुआ। यह सही नहीं है। इंदिरा गांधी जी के वक्त में 20प्वाइंट प्रोग्राम में बहुत कुछ हुआ। यह बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो बांडेड लेबर को रिहैबिलिटेट करने की बात रखी गई तो उससे उस वक्त लोगों के मन में यह डर पैदा हुआ कि अगर हमने बांडेड लेबर रखा और किसी ने एप्लीकेशन दे दिया तो हमको अरेस्ट कर लिया जायेगा। उस समय काफी बांडेड लेबर की मुक्ति हुई है, यह बात सही है।

दूसरी बात यह है, जैसा कि अभी रथ साहब ने बताया जि जो लोग देश के बाहर जाते हैं उनकी स्थिति भी बड़ी खराब है धोखेबाजी करके उन लोगों को इस देश से ले जाया जाता है और वहां पर उनको नौककरी मिलती है या नहीं मिलती है, हमें कुछ मालूम नहीं। वहां चले जाने के बाद वे लोग सड़क पर रहते हैं —ऐसी शिकायतें भी आई हैं इसलिए इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से ऐक्शन लेना चाहिए। बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज हैं जो इसका मिसयूज कर रही हैं इसलिए हम बहुत जल्दी कानून में लेबर अटैची रखने की बात सोच रहे हैं। वहां पर उनको नौकरी मिली या नहीं मिली, वे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं—इसकी जानकारी देने के लिए अगर हमें लेबर अटैची मिल गया तो वह इस बारे में हमें जानकारी दे सकेगा।

अभी हमने मदारास से मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक क्वैरी में श्रीमती मर्गदम चन्द्रशेखर के साथ सरप्राइज विजिट की थी तो हमने देखा वहां पर कोआपरेटिव सोसायटी में एक वर्कर को 15 रुपए दिए जा रहे हैं लेकिन कन्ट्रैक्टर उनको 5 रुपए ही दे रहा है। हमने यह भी देखा कि उस खान की बुरी दशा थी-पानी, लेट्रिन्स और शेल्टर की कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमने कहा कि इसको बन्द करो। इनका लाइसेन्स कैंसिल करना चाहिए। तब उन्होंने

लिखकर दिया कि जो कोआपरेटिव सोसायटी देती है हम भी वही देने के लिए तैयार हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जबतक स्टेट गवर्नमेन्ट्स इसन इन्ट्रेस्ट नहीं लेगी तबतक इस स्कीम को इंप्ली-मेन्ट करना मुश्किल है। कानून तो बनाते हैं लेकिन उनका इंप्लीमेन्टशन नहीं होता है। कानून बहुत से बने हुए हैं लेकिन उनको इंप्लीमेन्ट करने के लिए जो एजीक्यूटिव एथारिटी है उस पर सारी जिम्मेदारी है और उनसे पूछने वाला कोई भी नहीं है। माननीय सदस्यगण भी अपनी-अपनी कांस्टीटुएन्सी के बारे में हमको बतायें कि कहां पर क्या हो रहा है तो हम यहां से कलक्टर और मुख्य मंत्री को बोलकर कुछ ऐक्शन ले सकते हैं। रथ साहब ने एक रिपोर्ट की थी और किसी भी एस०पी० याएल०एम०ए० ने आजतक कुछ नहीं कहा कि हमारे यहाँ बांडेड लेबर है। उनसे हमदर्दी तो सभी जताते हैं लेकिन प्रैक्टिकल बात सरकार के सामने कोई नहीं आती है। आप जिस दिन बतायेंगे उसी दिन हम उस पर ऐक्शन भी ले लेंगे। स्टेट गवर्नमेन्ट से हम कहेंगे कि हमने आपको इंस्ट्रक्शन्स दिए हैं उसपर आपने काम नहीं किया है। अभी परसों ही हमने लेबर मिनिस्टर्स से कहा है कि आपकी यह जिम्मेदारी है, आपको करना चाहिए। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एक-एक गांव में जाकर स्वयं तो नहीं देख सकती है। आप जानते हैं कि जो आफिसर्स है, स्टेट्स को जो राइट्स दिए गए हैं उनक अनुसार वे इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। कई मर्तबा कहा जाता है कि हमको पैसा नहीं मिला और हम तमाम चीजें कर रहे हैं। मगर वैलफेयर की जो स्कीम्स हैं, उसमें आपने देखा है कि काफी पैसा दिया गया है। वीकर सेक्शन के मुलाकात बनाना, बाण्डेड लेबर को रिहैबिलिटेट करना और एम्पलायेड करना—ये सब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा काम करने की बात है। बाण्डेड लेवर के लिए सेफ्टी का जहां तक सवाल है, यहां से बैटकर फैक्ट्री में सेफ्टी के लिए ड्रीम आने वाला नहीं है। इसलिए मैं दो-तीन चीजों के बारे में कह रहा हूं। चाइल्ड लेबर की बात है, चाइल्ड लेबर भी बन्धुवा मजदूरी की तरह से काम करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : पोलिटिकल पार्टी में भी बाण्डेड लेबर है, उनका क्या करें ?

श्री टी० अंजैया : यह आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर यहां रह कर काम नहीं करते हैं, तो अपोजीशन का क्या रोल है। अगर इतना भी काम नहीं करेंगे कहां काम करेंगे। काशी में या गंगा में।

श्री ओवेसी (हैदराबाद) : अपोजीशन में नहीं है।

श्री टी० अंजैया : अपोजीशन में है या नहीं है, मैं यह नहीं कह सकता हूं। रूलिंग में नहीं है, क्योंकि हम डैमोक्रेसी यानी जम्हूरियत में विश्वास करते हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा है बंगाल वालों ने किया नहीं है, या कांग्रेस वालों ने नहीं किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर राज्य में इस तरह की बात है। इस स्थिति को राजनीतिक मसला न बनाते हुए सीरि-यसली इस बारे में विचार करना चाहिए। हम लोग अपनी तरफ वालन्ट्री आर्गेनाईजेशन्स को मदद कर रहे हैं। इस मामले में और ज्यादा मदद कर सकते हैं। कम से कम रिपोर्ट्स मिलती रहे। जिस दिन आप इस चीज को अपनी कान्स्टीचूयेंसी में करेंगे, तो आप का वोटर खुश हो जाएगा। इसे आप एक पार्टी का मसला मत बनाइए। इस वक्त देश में जो स्थिति है, उसका बनाइए।

श्री ओवेसी : आन्ध्र में बहुत ज्यादा है ।

श्री टी० अंजैया : लेटैस्ट रिपोर्ट जो है, वह ठीक है । जो रिपोर्ट दिया गया है, उन्होंने काफी पैसा खर्च किया है ।

श्री ओवेसी : आन्ध्र में बहुत जुल्म-सितम हो रहा है, इसके बारे में आप कदम उठाइए ।

श्री टी० अंजैया : वह बात अलग है, पोलिटिकल बात है । जो मैं कह रहा हूं, वह दूसरी बात है । जिस तरह से जो रिपोर्ट हमको मिले हैं, वह आपके सामने रख दिए हैं । बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि कमेटी बना दीजिए ।

प्रो० मधुदंडवते : माननीय मंत्री जी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बन्धुवा मजदूरों के मामले में, उस पर अमल नहीं हुआ । ट्रेड यूनियनों की मीटिंग में आपने मान लिया है । इसके बारे में कुछ दबाव डाल कर कुछकर दीजिए ।

श्री टी० अंजैया : ट्रेड यूनियम लीडर भी आप जानते हैं । मगर जो आर्डर देते हैं, उसको इम्पलीमेंट कराने के लिए पब्लिक में आवाज उठानी चाहिए । सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से फैसले मजदूरों के बारे में दिए हैं । काफी अच्छे फैसले दिए हैं । उनका हमने स्वागत किया है, वे लोग जब भी ऐसे फैसले देते रहे हैं । उन गरीब लोगों की मदद करने के लिए कोई लीडरशिप नहीं है । मदद मिलना मुश्किल है । यह जो बाण्डेड लेबर का मसला है, मैं समझता हूं कि ताल्लुका लेबल पर कोई कमेटी बनायें । प्रोसीक्यूशन करें ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : मंत्री जी 25 करोड़ रुपया जो राज्य सरकारों को नहीं दिया है, वह तो दिला दीजिए ।

श्री टी० अंजैया : लेने के लिए तैयार नहीं है, तो देने का क्या सवाल है । वे लोग न लेते हैं और न काम करते हैं । दस करोड़ रुपया बच गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने खर्चा नहीं किया है । जब तक काम नहीं होता है, तो पैसा कौन देगा । आप भी क्या बगैर का के पैसा दे देते हैं ।

इतना कह कर मैं निवेदन करता हूं कि बिल पास कर दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 का संशोधन वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री टी० अंजैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

3.30 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा-संकल्पों सम्बन्धी समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नन्दलाल चौधरी (सागर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 18 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकंल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि यह सभा 18 दिसम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक)

3.31 म०प०

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक×

(धारा 5 में संशोधन)

अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दर जाए ।

×दिनांक 20-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

3.32 म०प०

(दो) असैनिक कर्मचारियों द्वारा आस्तियों की घोषणा विधेयकx

[अनुवाद]

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि असैनिक कर्मचारियों की आस्तियों की घोषणा और सार्वजनिक संवीक्षा के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि असैनिक कर्मचारियों की आस्तियों की घोषणा सार्वजनिक और संवीक्षा के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक प्ररःस्थापित करता हूं।

3.32 1/2 म०प०

(तीन) चिकित्सा सुरक्षा बल विधेयकx

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सा एककों, औषधालयों, रक्त बैंकों और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा हेतु चिकित्सा सुरक्षा बल नामक एक बल के गठन और उसके विनियमन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

xदिनांक 20-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

"कि अस्पतालों स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सा एककों औषधालयों, रक्त बैंकों और चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा हेतु चिकित्सा सुरक्षा बल नामक एक बल के गठन और उसके विनियमन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.33 1/2 म०प०

(चार) सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयकx

(धारा 100 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० एम० सईद : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.34 म०प०

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयकx

(अनुच्छेद 16 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

---

x दिनांक 20-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

3.34 1/2 म०प०

(छः) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयकx
(धारा 12 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35 म०प०

(सात) सीमा आयोग विधेयकx

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों के बीच तथा संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों का समाधान करने हेतु एक स्थायी सीमा आयोग के गठन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यों के बीच तथा संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों के बीच अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों का समाधान करने हेतु एक स्थायी सीमा आयोग के गठन के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35 1/2 म०प०

(आठ) एकरूप स्कूली शिक्षा पद्धति विधेयकx

[अनुवाद]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में एक रूप

---

x दिनांक 20-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

स्कूली शिक्षा पद्धति के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत में एक रूप स्कूली शिक्षा पद्धति के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 11 ; श्री मूलचन्द डागा यहां नहीं हैं। अब अगला विधेयक—श्री प्रियरंजन दास मुंशी ।

3.36 म०प०

(नौ) आय-कर (संशोधन) विधेयकx
(धारा 10 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं विधेयक पुरस्थापितxx करता हूं ।

3.36 1/2 म०प०

(दस) राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों का उपयोग करने का प्रतिषेध विधेयकx

[अनुवाद]

श्री आनन्द सिंह (गोण्डा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों का उपयोग करने का प्रतिषेध करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

---

x दिनांक 20-12-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

xx राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजनीतिक दलों के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, प्रादेशिक और क्षेत्रीय नामों का उपयोग करने का प्रतिषेध करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आनन्द सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.37 म०प०

श्री जी० एम० बनातवाला का
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 125 और 127 में संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 14 लेते है अर्थात् श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 10 मई, 1985 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार, अर्थात्

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

केवल 20 मिनट का समय ही शेष है। यदि माननीय सदस्य समय को बढ़ाना चाहें तो हमें कितना समय और बढ़ाना होगा ?

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : समय कम से कम आठ घण्टे और बढ़ा दिया जाय।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : ऐसी आम राय है कि इस विधेयक पर सभा भंग होने तक बहस की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : फिलहाल हम इसको 3 घण्टे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है···

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : जनाब-ए-आला··· । (व्यवधान)

अरे भाई अभी बन्दुआ मजदूर वाला कानून पास किया है, अब तो हमको आजाद छोड़ दीजिए, छुट्टा छोड़ दीजिए। जंगा रेड्डी जी को हमी से दुश्मनी नहीं है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : हमें किसी से दुश्मनी नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं खड़ा हुआ हूं और इन्होंने एतराज करना शुरू कर दिया। आपको भी मौका मिलेगा पूरा, कहिए तो आपकी बात मैं ही कह दूं ?

श्री मधु दण्डवते : अंसारी साहब 5 साल तक बोलते रहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी के भतीजे के बारे में कहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : भतीजे को पेता बनने तक बोलिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : सदन के भंग होने तक बोलिए।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जनाब-ए-आला, पिछली मरतबा जनाब बनातवाला साहब के बिल पर बहस करते हुए मैंने कुरान के मुख्तलिफ प्रावीजन्स को जो तलाक, निकाह और मेंटीनेंस के मुत्तलिक हैं, उनके ऊपर कुछ रोशनी डाली थी और ये बात कुरान की आयात से उन लोगों के लिए जो खुली आंखों से कुरान के सारे प्रोवीजन्स को देखना चाहते हैं, ये बात पूरी तरह साबित की थी कि कुरान में जो प्रोविजंस हैं मेंटीनेंस के मुत्तलिक औरत के लिए, जिसका तलाक हो गया हो, वह इद्दत के पीरियड तक है। मैं इस मसले के दूसरे पहलू पर बहस कर रहा था कि आखिर इसमें क्या है। कुरान में प्रावीजन न होते हुए भी अगर एक औरत को जो बिल्कुल बेसहारा हो, उसके लिए मेंटीनेंस का कुछ प्रावीजन कर दिया जाए तो इसमें हर्ज क्या है और उस सिलसिले में मैंने दो-तीन बातें की थीं। गालिबन मैं इस नुक्ते पर था कि मिंजुमला और वजहों के जो मैंने बयान कीं, ऐसा प्रावीजन करना इस्लाम के नजदीक, इस्लाम के कानून के एतबार से जुल्म है। जुल्म लफ्ज आमतौर पर हमारे मुल्क में भी बोला जाता है और एक आम लफ्ज हो गया है। जुल्म खालिस्तन अरबी का लफ्ज है और अरबी में उसके मायने हैं— किसी चीज को उसको मौके और महल के खिलाफ इस्तेमाल करना। हर शख्स की जायदाद या उसकी आमदनी के ऊपर उसके कुछ लोगों के हकूक होते हैं। वह तनहा अपने लिए नहीं कमाता है। उन लोगों के उसके ऊपर हकूक होते हैं तो उससे मुत्तालिक हैं या जो उसके लिए कोई सर्विस करते हैं। उस आमदनी को जो आमदनी इसलिए मखसूस हो, उसमें किसी ऐसे का शेयर लगा देना जिससे कोई ताल्लुक नहीं रहा और जो गैर से भी बढ़कर गैर हो गई, उसको वाजिब करार देना, फर्ज करार देना, इसके लिए कोई दूसरा लफ्ज अरबी जबान में नहीं है सिवाय इसके कि इसको 'जुल्म' कहा जाए। मैं एक नुक्ते तरफ की ओर इशारा करना चाहता हूं। इन बातों से अलैदा हटकर खालीस दीनी एतबार से, मजहबी एतबार से कि जो प्रोविजन्स शरियत ने बहुत सफाई के साथ कुरान और हदीस में ब्यान कर दिए हैं और वे मोहकमात का हुक्म रखते हैं, उनमें किसी किस्म की तबदीली या कोई इजाफा करना गोया शरियत के हुक्म के ऊपर शरियत पर एक हुक्म लगाना है कि शरियत अभी नाकिस है और शरियत के इस नक्स को हम दूर कर रहे हैं। कुरान की एक आयत है :

"अलयोमा अकमलत लकुम दीनकम व अतममत निआमती अलैकुम"

कुरान जब मुकम्मल हो गया और दीन के सारे अहकामात पूरे तौर पर आ गए तो कुरान की आयत नाजिल हुई, हज्जतुल विदा के वक्त मोहम्मद साहब के ऊपर, और उनसे यह कहा गया कि "अल योमा अकमलतु लकुम दीनूकुम" हमने आज तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया।

"व अतममतु निआमती अलैकुम" और हमने अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर तमाम कर दीं। अगर आज हम उन फराईज और वाजिबात में से जिनको फराईज व वाजिबात का दर्जा दिया गया है, कुरान हदीस में जो आबलीगेटरी हैं, उन आबलीगेटरी चीजों में कोई इजाफा करते हैं, उसे आबलीगेटरी मानते हैं तो गोया हम सरीहन कुरान की इस आयत की खिलाफवर्जी करते हैं। कहते हैं दीन उस रोज मुकम्मल नहीं हुआ था और नेमतें उस रोज तमाम नहीं हुई थी। नेमतों के तमाम होने का दिन आज है, नेमतों के मुकम्मल होने का दिन आज है। इससे ज्यादा कबाहत की बात किसी मुसलमान के लिए कोई और नहीं हो सकती। वह अपनी कुरान पर, अपने खुदा पर, अपने रसूल पर यह इलजाम लगाए, तुमने जो मोहकम उसूल बनाए थे, उन फण्डामेंटल्स को ठीक से नहीं देखा, कुछ तुमसे कमी रह गई थी, कमजोरी रह गई थी और आज हम अकल के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं कि हम तुम्हारी उन कमजोरियों को दूर कर रहे हैं। उनको हम मुकम्मल कर रहे हैं।

नऊद बिल्ला मैं आपसे निहायत और अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यही वजह है कि जो सबसे ज्यादा पिंच करती है, एक मुसलमान को। सबसे ज्यादा जिसका असर लेता है, मुसलमान। एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम गोया शरियत साजी करते हैं। नयी शरियत बना रहे हैं। इसी चीज का नाम बिद्दत है, जो हराम है, नाजायज है—शरियत साजी है। इन अहकामात के बाद एक सवाल रह जाता है जिसमें लोगों का दिमाग वाकई उलझ जाता है और अगर उसकी सफाई न हो तो बात अपनी जगह पर यह मालूम होती है कि कुछ कमी रह गई है और वह सवाल यह है कि आखिर यह बेचारी औरत जिसका तलाक हो गई, अपने शौहर से उसका नाता टूट गया, अब कोई उसका गुजारा देने वाला नहीं, उसको रहने के लिए मकान नहीं, उसके खाने-पीने और पहनने का कोई इंतजाम नहीं तो आखिर वह जाए कहां और यह सवाल मैं दूसरों के मुत्तालिक नहीं कहता। मैं आपसे सच कहता हूं कि हर उस शख्स को जिसमें दयानतदारी है, हर शख्स को यह सवाल परेशान करता है। इसमें किसी मजहब का सवाल नहीं है। हमारे उन भाइयों के दिमाग में जो इस शरीयत से ताल्लुक नहीं रखते, इस दीन से ताल्लुक नहीं रखते, यह उलझन ही है और मैं आपसे बिलकुल दयानतदारी के साथ कहता हूं कि जिनके सामने कुरान के सारे प्रोवीजन्स नहीं हैं, अगर उनके सामने यह मसला इस तरह से रख दिया जाए कि एक औरत तलाक होने के बाद कहाँ जाए और उनको मालूम न हो कि इस्लाम धर्म में या कुरान में इसके लिए क्या प्रोवीजन्स हैं तो वह यकीनन कहेगा कि हां, यह गलत बात है, जुल्म है उस बेचारी औरत के साथ, उसकी मेन्टेनैंस के लिए कोई प्रोवीजन्स होना चाहिए। जनाबे-वाला, मैं इस मसले के ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं।

मैंने शुरू ही में कहा था, इस आनरेबल हाउस में, कि हमें इस्लाम को या किसी भी स्कीम को पूरे के पूरे तौर पर देखना चाहिए तभी हमें उसकी अच्छाई या बुराई का अन्दाजा किया जा

सकता है। अगर कोई मसलन बिल्कुल ही पर्दानशीं मोहतरमा न हों और उनका हाथ ही महज बाहर साफ-सुथरा दिखाई दे तो उससे यह अन्दाजा लगा लेना कि वे बहुत हसीन और जमील होंगी, ऐसा कभी-कभी बड़ा धोखा हो जाता है···(व्यवधान)···अब तो मेरी उम्र ही निकल गई है, अब आप के साथ हो सकता (व्यवधान)

मैं अर्ज कर रहा था कि हमें इन प्रोवीजन्स को पूरे के पूरे तौर पर देखना चाहिए। यह एक मामला है जिस मसले से हमारे दिमाग में एक उलझन है और उलझन वजा तौर पर है कि इस्लाम में समाजी जिन्दगी की जो स्कीम रखी है, उस स्कीम के तहत औरत का क्या दर्जा है, इस बात को समझ लेना चाहिए। दूसरे मजाहिब की तरह, इस्लाम में औरत का ताल्लुक शादी के बाद भी, अपने फितरी खान्दान से, नेचुरल फैमली से कट नहीं जाता। फातिमा बिन्ते मुहम्मद ही रहेंगी चाहे उनका निकाह अली के साथ क्यों न हो जाए। आयशा बिन्ते अबूबक्र ही रहेंगी चाहे उनका निकाह मुहम्मद के साथ क्यों न हो जाए। लड़की का अपने फितरी खान्दान से, नेचुरल खान्दान से, मां-बाप के खान्दान से ताल्लुक मुन्कता नहीं होता, उसका गोत्र बदल नहीं जाता।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम में शादी के बाद भी लड़की का ताल्लुक अपने मां-बाप के खान्दान से मुन्कता नहीं हो जाता और वह शादी के बाद भी मां-बाप की जायदाद में, विरासत की हकदार है और तलाक के बाद फिर वह अपने खान्दान की तरफ रिवर्ट हो जाती है। अगर कोई शख्स इस बात को समझना चाहे तो वह ऐसे समझ सकता है कि जिस तरह शादी के पहले लड़की का नाम और नफका, उसकी मेन्टेनैंस, उसकी गुजर-औकात का सामान करना, मां-बाप का फर्ज था, उसी तरह से तलाक के बाद भी उस लड़की की मेन्टेनैंस और गुजारा, यह भी मां-बाप का फर्ज है और यह उनके ऊपर औब्लीगेटरी है : 'वन कैन नॉट एस्केप इट'। यही नहीं, बल्कि मैं आपको इसके आगे के प्रोवीजन्स भी बताना चाहूंगा। अगर लड़की शादी के बाद किसी ऐसी बीमारी में मुबतला है और उस बीमारी की वजह से उसका शौहर इंकार कर देता है, उसकी दवा-इलाज नहीं करता तो भी मां-बाप का फर्ज है कि उस लड़की की दवा-इलाज का इंतजाम करे, शादी के बाद भी यह फर्ज उसके मां-बाप का है। उसके बाद यह प्रौवीजन भी है कि मान लीजिए मां-बाप इस लायक नहीं हैं तो फिर उसके भाई, चाचा, दादा और दूसरे लोगों का फर्ज बन जाता है और एक जनरल कानून यह है...कि जिन लोगों को उस लड़की की जायदाद में विरासत का हक है और जिस प्रोर्शन में हक है, उसी प्रपोर्शन में उस लड़की का मेंटनेंस उन लोगों पर वाजिद है।

जनाबेवाला, मसला क्या है, मसला यह है और यही रोना है, आप समझ सकते हैं, असली मसला यह नहीं है कि प्रोविजन्स नहीं हैं। असल मसला यह है कि हमने बदबख्ती से इन मसलों पर पूरी दिलजोई के साथ अमल नहीं किया और हमने उस तरह के कानून नहीं बनाए जिसके ऊपर ऐसे हालात में उन लोगों पर मेंटनेंस वाजिद किया है, उनको पाबंद करें, यह हमने नहीं किया। उसकी इम्पलीमेंटेशन (अमल दरामद) की मशीनरी हमने इवॉल्व नहीं की। यह नुक्स है। वरन उस नुक्स को दूर कर दीजिए तो लड़की की मेंटनेंस का कोई मसला नही है। अगर मान

लीजिए ऐसी भी कोई बात है, तो सोसायटी है, समाज है, आखिर जो औरत बेवा हो जाती है, जिसकी कोई मेंटनेंस नहीं करता ; तो उसको समाज मेंटेन करता है। ये सारे के सारे प्रोवीजन्स हैं शामी में। शामी एक मुश्तनक किताब है। उसमें उसी तफसील के साथ एक-एक चीज को दिया गया है। अब इन प्रोविजन्स के बाद अगर कोई मसले को समझना चाहे, और अगर उसकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं लग गया है, तो यह मसला बहुत साफ है। ये प्रोविजन्स हैं, ये स्कीम है, इस शरीयत का पूरा का पूरा एक इथॉस है, उस इथॉस के अंदर उसको ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और अगर उसमें से किसी एक जुश्त को अलहदा कर देंगे, तो सारा ढांचा गिर जाएगा, बुनियादें हिल जाएंगी और जो सारा स्ट्रक्चर खड़ा हैं चंद शुतूनों के ऊपर, उन शुतूनों में से अगर एक शुतून भी निकाल दी, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। जैसे डाट में एक ईंट लगी होती है, अगर उसको निकाल दिया, तो पूरी डाट गिर जाएगी। यह मेरी अर्ज है।

जनाबे आला, अब मैं एक और बात की तरफ आता हूं, एक बात आम तौर पर कही गई है कि मुस्लिम मुमालिक में बहुत सी तब्दीलियां शरीयतों में हुई हैं। मैं कहता हूं हां हुई हैं। सवाल यह है कि उन कानूनों में तब्दीली की हैसियत क्या है नंबर एक और नंबर दो यह कि हम इस्लामी कानून को परख रहे हैं या हम मुसलमान हुकूमतों को और मुसलमान हुक्मरानों के रवैये को परख रहे हैं। हम इस्लामी कानून को परख रहे हैं हम मुस्लिम हुकूमतों और मुस्लिम हुक्मरानों के रवैये को नहीं परख रहे हैं। दुनिया में महज नाम से कोई मुस्लिम हुकूमत हो जाए, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम हुकूमत है, लेकिन इस्लामी कानूनों की निफाज किस हद तक होती है, यह नहीं कहा जा सकता है। लीबिया, टर्की, ट्यूनिशिया, इन जगहों में इस्लामी कानूनों की निफाज नहीं है और यह मनमानी इस वजह से है और यह मरूबियत का नतीजा है और यह मरूबियत सारे मौकों पर आई है। इस्लाम की हिस्ट्री इस बात की गवाह है, जब इस्लाम यूनान के फलसफे से दो-चार हुआ और यूनान के फलसफे से उसका आगाह हुआ, तो कुछ हमारे पढ़े-लिखे लोग यूनानियों के फलसफे से मुल्तासिब हो गए। और उससे महूंन हो गए, और महूंन होकर यूनानी फलसफे के अन्दाज में कुरान को इंटरप्रेंट करने लगे। मैण्तजिला का पूरा एक गिरोह। खुद हमारे हिन्दुस्तान में सर सैयद अहमद खां ने, हिन्दुस्तान में नया-नया अंग्रेजी राज्य बरतानिया का कायम हुआ था, उन्हों अंग्रेजी तहजीब से मुत्तासिर होकर कुरान को उसी अंदाज में इंटरप्रेंट करना शुरू कर दिया जो नई रोशनी का है। और वह नैचुरी होकर इस्लाम की दुनिया ने उनको रद्द कर दिया और आज उनकी कोई भी बात कोई मुसलमान सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मान लिया गया कि वह मरूहबियत का शिकार थे। और आज हमारे सो-काल्ड प्रोग्रेसिव क्या चला रहे हैं ? जो आज के दौर में मार्क्स की हां में हां मिलाकर कुरान को इंटरपेंट न करे, वह फंडामैंटलिस्ट है और औब्सक्योरेंटिस्ट है तो यह यह मरूहबियत का शिकार है। लोग जिसकी वजह से कुरान को असरेहाजिर के फलसफे का चश्मा लगाकर कुरान को इंटरप्रेंट करते हैं। कुरान का इंटरप्रेंटेशन बड़े-से बड़े फिलासफी के मुतासिर होकर अगर किया गया हो तो वह काबिले-कबूल नहीं हो सकता। कुरान का इंटरप्रेंटेशन कुरान की जबान में समझा जा सकता है।

हां, यह सही है, मैंने शुरू में भी कहा कि कुरान की चलती-फिरती तफसीर मुहम्मद रसूल अल्लाह की जिन्दगी है।

मैंने आपसे पहले भी कहा, सेठ साहब आप तशरीफ नहीं रखते थे। आप बीमार थे, दिल ज्यादा धड़क गया था। बनातवाला साहब तशरीफ रखते थे, मुझे गलतफहमी भी हो गई थी, मैंने माफी मांग ली थी।

मैं अर्ज यह कर रहा था कि कुरान का इंटरप्रैटेशन कुरान और कुरान का जिसे फहम हासिल किया है उनकी मफहूम में करना चाहिए, एक बात कही है—

अफलाय ततदब्बस्न अफलाय तत्फकरन और गौरोखौज करो कुरान में। हर शख्स जिसने भी ढाई जुज पढ़ लिए और जिसने भी दो आयतें पढ़ लीं वह बस अब मुफक्किर बन गये—अरे बाबा ठीक है, ये आम तकाजा है कि कुरान ऐसी चीज नहीं है कि जिसके लिए कोई खास तबका मखसूस कर दिया हो कि पंडित जी महाराज ही इसको पढ़ेंगे और कोई इसे पढ़ नहीं सकता। कोई खास तबका इस्लाम ने नहीं बनाया है। आम लोगों के लिए खुली हुई किताब रख दी है और कहा है कि पढ़ो, लेकिन समझने की अलग-अलग इस्तेदाद होती है, सलाइयतें होती हैं। एक शख्स हमारे जैसा जिसने दो जुज पढ़े हों, जाहिर है कि वह कुरान को कैसे समझ सकता है? एक शख्स जिसकी पूरी की पूरी जिंदगी इसमें गुजरी हो जिसने हदीसों को पढ़ा हो, जिसने मसायल का इस्तमबाद किया हो, इस्तमबाद करने के मायने हैं जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है, उसी तरह से मसायल को खोज-कर निकाला हो, रसूलउलाह, सललाहुअल्लाह की जिन्दगी को उसने देखा हो। उन लोगों के फहम होंगे, उन लोगों के अदराक में और उनको तफक्कुर है। हमारे जैसे हेचमंदा के लोगों के तफक्कुर में जमीन आसमान का फर्क है।

यह एक अजीब तमाशा खड़ा किया था अल्लामा मौजूदी ने जमायते इस्लामी के। उन्होंने सब को मुजतहिद बना दिया।

3.59 म०प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए।)

एक माननीय सदस्य : बंगला में इसका मतलब बता दीजिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : बंगला में मुश्किल हो जाएगी। हम बंगला कभी तुम से पढ़ लेंगे। अगर हम बंगला में बता भी दें तो तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तुम्हें समझायेंगे तो हम अपना ही सिर फोड़ेंगे। तुम्हारी समझ में नहीं आयेगा। तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ एक भूत सवार है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आपने मान लिया है कि भूत सवार है?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैंने एक को कहा, यह दूसरे और निकल आये। एक ढूंढों, हजार मिलते हैं। (व्यवधान)

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : खफा न होइये। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, ये हमसे छोटे थे, इसलिये कह दिया।

4.00 म०प०

खुदा का शुक्र है कि मोहतरिमा के बाद आप नहीं आए। मैं अर्ज यह कर रहा था कि अब एक सवाल है कि क्या कुरान जिस किस्म का समाज बनाना चाहता है क्या वह स्टेटिक मुन्जमिद समाज और जमा हुआ समाज है जिस में तब्दीली की कोई गुंजाइश ही नहीं है? फंसे हुए पड़े हैं बंधुवा मजदूरों की तरह ? नहीं। कुरान से ज्यादा है, लोच है, डाइनेमिज्म है वह शायद ही कहीं आप को मिले। जहां तक मैंने देखा है, मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस में यह लचक है कि मुख्तलिफ वक्तों में, दीन में मुख्तलिफ वक्तों में इजतिहाद हुआ है। इजतिहाद की मंशा क्या है ? इजतिहाद कयास, इजमाएउम्मत। वक्त के तकाते के मुताबिक यह सारे तरीके हैं, अपने कानूनों को ढालने के। कौन सा कानून ? वह कानून नहीं जो सरीहन नसेकुरानी से साबितहो, जो कुरान में किसी तरह से साफ-साफ दर्ज है, उसमें कोई तबदीली मुमकिन नहीं, हदी से सही से जो मसला मुश्तकिल तौर से साबित है, उसमें किसी तबदीली की गुंजाइश नहीं। सिर्फ उन मसायल में तबदीली की गुंजाइश है, जो नए मसले हमारे सामने उठ खड़े हों और सोसायटी का तकाजा हो कि इन नए मसायल में नजरेसानी करनी चाहिए और देखाना है कि हम कहीं पर इसमें थोड़ी सी तबदीली करके अपने कवानीन को सोसायटी के मुताबिक बना सकते हैं। इसकी गुंजाइश है और इसके ऊपर इजमाएउम्मत है, मुख्तलिफ वक्तों में। अब अगर इस्लामी मुमालिग के कानूनों में तवदीली किसी इसी की है तो मैं तो खुद कहता हूं कि उसकी गुंजाइश है, लेकिन अगर वह तबदीली उस दर्जे की है, कि उन्होंने खुद इस्लाम की जड़ों की बेखकुनी कर दी है, उन सुतूनों को गिरा दिया है, जिन सुतूनों के ऊपर पूरा समाजी ढांचा खड़ा हुआ है, तो सिरे से यह कह दिया जाएगा कि गैर इस्लामी कानून है और मुस्लिम हकूमतें होने के बावजूद भी उनको इस्लाम से जर्रा बराबर भी ताल्लुक नहीं है। यह मैं कह रहा हूं कि गुंजाइश है, लेकिन गुंजाइश के बावजूद यह एक उसूल रखा गया है।

अब यही एक जगह है, यही एक मुकाम है, जिस मुकाम पर उलमा और फकहा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मैं बहुत दर्दमंदी से इस बात को कहना चाहता हूं, इस आनरेबिल हाउस के जरिए से यह बात उन तक पहुंचा देना चाहता हूं कि तुमने भी अपने फरीजे को पहचाना नहीं। काश, तुम अपने फरीजे को पहचानते और यह वक्त आने से पहले तुमने अपने आप को संभाल लिया होता, वक्त की तेज रफ्तार के मुताबिक अपने आपको ढाल लिया होता और कवानीन में ऐसी तबदीली कर दी होती, इजतिहाद के जरिए से कि आज वह कवानीन आज के जमाने का साथ दे सकते। तुम इस गलतफहमी में मुबतिला रहे कि जमाने की रफ्तार तुम्हारी इस सुस्त रफ्तारी की वजह से रुक जाएगी। जमाने की रफ्तार रुकने वाली नहीं है। इसलिए जनाबेवाला मैं आपके जरिए से बहुत अदब के साथ उन लोगों को जो दीन और शरीयत की महफूजियत का दावा करते हैं, उन लोगों से निहायत अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि अब भी वक्त नहीं गया है और सोसायटी के वक्त के तकाजों को पूरा करने के लिए अपने कवानीन पर नजर करके उसमें ऐसी बुनियादी तबदीली लावें कि हमारे कवानीन वयत का साथ दे सकें। उस वक्त जब एक राय-आम्मा बन जाए मुसलमान फुकहा की, मुसलामान उलमा की, तो हकूमत भी यह फरीजा है कि हकूमत उनसे राब्ता कायम करके उनसे सलाह मश्विरा करके, अगर कोई ऐसी

तसवीर सामने रखी जा रही है जो तसवीर मुसलमानों के पर्सनल ला को एक डायनेमिक शक्ल देने वाली है, एक नयी तसवीर देने वाली है मसलन ये प्राविजन्स हैं, मेंटिनेन्स के प्राविजन्स हैं, लेकिन अमल तो कहीं नहीं है। यह सही बात है कि बेचारी मारी-मारी फिरती हैं तलाक के बाद और इसमें कोई शक नहीं है कि अक्सर उसकी हालत को देखकर यह शख्स को तरस आता है और बजातौर पर तरस आना भी चाहिए और यह सवाल दिमाग में आना चाहिए कि वह कहां जाए? तो उन्हीं कवानीन के मुताल्लिक कोई एक मजबूत राय कायम करके हुकूमत के सामने रखा जाए और हुकूमत उस पर एक दाम करे, उसके मुताबिक इस कानून को ढाले ताकि वह मसला हल हो जाए।

अब बिल्कुल अखिरी सवाल है। मैंने शुरू में यह कहा था कि इस बहस के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि शरियत के क्या अहकामात हैं और क्या शरियत में गुंजाइशें हैं, मेंटिनेन्स के क्या प्राविजंस हैं, तलाक के क्या मायने हैं, तलाक की क्या शर्तें हैं, निकाह का क्या दर्जा है—इन सारी चीजों पर मैं बहस कर चुका। अब एक मसला है जिस पर मैंने कहा था मैं बाद में रोशनी डालूंगा और वह है सुप्रीमकोर्ट का शाहबानो का जजमेन्ट। श्री चन्द्रचूड़ ने इस जजमेन्ट को तय करके जो डेजायर्ड एफेक्ट क्रिएट करना चाहा उसके बारे में आपने अपने स्टेटमेंट में फर्माया है कि वह डेजायर्ड एफेक्ट उन्होंने क्रिएट कर दिया। "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 28 नवम्बर, 1985 को उनका स्टेटमेन्ट निकला है यानी रिटायर होने के बाद। मैं आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस न रहने के बाद, रिटायर होने के बाद भी वे कभी-कभी डायरेक्शन देने से किसी तरह से बाज नहीं आते हैं। यह होता भी है कि जब एक अर्से तक एक कुर्सी पर कोई बैठा रहता है तो उसकी जहनियत बदलते-बदलते ही बदलती है। (व्यवधान) वह बड़ी मुश्किल से बदलेगी।

थमते थमते थमेंगे ये आंसू
रोना है, यह कुछ हंसी नहीं है।

(व्यवधान)

हमको रुला कर कहा है।

एक माननीय सदस्य : क्यों?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अभी बताता हूं क्यों। लेकिन बहुत सी बातें यहां बताने वाली हैं और बहुत सी बाहर बताने वाली हैं। हिज लार्डशिप बता रहे हैं···

श्री रणवीर सिंह (केसरगंज) : जब उन्होंने यह बात कही तब वे लार्डशिप नहीं थे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : ठीक है, एक्स लार्डशिप यानी एक प्रेस कांफ्रेन्स में कह रहे हैं:

[अनुवाद]

"भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि हालांकि उच्चतम न्यायालय के पास अपने निर्णय पर पुनर्विचार की शक्तियां हैं, लेकिन इस मामले में पुनर्विचार विशेष तौर

से असंगत था, क्योंकि यह निर्णय सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना है।"

[हिन्दी]

चीफ जस्टिस कुर्सी से हटने के बाद रिफार्मर हो गए।

[अनुवाद]

"उन्होंने आगे कहा, इस निर्णय से सामाजिक हलचल पैदा हो गई है; जिससे इस पर पुनर्विचार करने का कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। अगर समाज का एक अंग इस निर्णय को पसन्द नहीं करता है तो बाकी के समाज का क्या होगा।"

[हिन्दी]

मंशा उनकी यह थी कि सोशियल टर्मायल हो जाए। लेकिन आ गया जलजला। आपको थामने के लिए, रोकने के लिए कुछ रिव्यू करने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

यह भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश किस अन्य आधे समाज की बात कर रहे हैं? यह मुस्लिम स्वीय विधि का मामला है। इससे अन्य का वास्ता नहीं है, और अगर उनका इस अन्य आधे से अर्थ महिला समाज से है, तो शायद उन्हें इस फैसले के संबंध में मुस्लिम महिलाओं के रवैये का पता नहीं है। उन्हें इसका पता नहीं हैं। वह नहीं जानते हैं। उन्हें बिल्कुल पता नहीं है, और मैं···

[हिन्दी]

श्री रणबीर सिंह : उनका इशारा भतीजे की तरफ है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं अर्ज कर रहा था कि वे आगे क्या फर्माते हैं।

[अनुवाद]

"इस आरोप पर कि यह निर्णय मुस्लिम स्वीय में हस्तक्षेप है, श्री चन्द्रचूड़ ने कहा, कानून की पवित्र कुरान के आदेश के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए।"

और वह व्याख्या वे देंगे। अब इन सभी अलेमां, मुक्ति और मुस्ताहिदों को अपने-अपने दफ्तर बन्द करने होंगे। अपने समय के सबसे बड़े मुस्ताहिद के रूप में श्री चन्द्रचूड़ यहां विराजमान हैं। एक सुधारक के रूप में कुरान की व्याख्या करने के लिए अन्य कौन सामने आ सकता है?

[हिन्दी]

इस फैसले की जुबान है। इस फैसले का तर्ज है। इस फैसले का अन्दाज है। ये सारी चीजें इस बात को जाहिर कर रही हैं कि दरहकीकत कोई फैसला ही नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि किसी बड़े लर्नेड आदमी ने एक सेमीनार का पेपर तैयार किया है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : एन्टी इस्लाम पेपर है ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मकाला जो उन्होंने पढ़ दिया ।

[अनुवाद]

यह कोई फैसला नहीं है ।

अब, इस विशेष मामले में, दो पार्टियां हैं । एक पुरुष और एक महिला ।

[हिन्दी]

एक औरत और एक मर्द के बीच में नजा है । कम से कम अदलिया जो अदल करन चाहती है, उसने जाहिरी तौर पर गैर जानिबदारी का रवैया अख्तियार करना चाहिए । अगर वह गैर जानिबदारी का रवैया अख्तियार नहीं करती है तो कहा जाता है कि फैसला एकप्रैजूडिस फैसला है और उसकी कोई हैसियत नहीं है । मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं ।

[अनुवाद]

फैसले के आरम्भ में कहा गया है :

"कुछ प्रश्न जोकि सामान्य सिविल और अपराधिक कानूनों से पैदा होते हैं उनका समाज के बहुत बड़े भाग पर, जिस पर काफी समय से बुरा व्यवहार होता रहा है, दूर-गामी प्रभाव पड़ेगा । ऐसा एक भाग महिला वर्ग है ।"

अब वह पुनः उस क्षेत्र को छू रहे हैं जिसमें उन्हें...।xx

उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया है ।

[हिन्दी]xx

न स्त्री स्वतन्त्रय अर्हति

[अनुवाद]

विधि बनाने वाले मनु ने कहा था ।

[हिन्दी]

मैं इसका मतलब नहीं समझा लेकिन उसके आगे जहां पर उन्होंने इस्लाम पर रफीक हमला किया है, मैं आपसे बहुत सफाई से कहना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

मैं गहराई से यह बात कह रहा हूं और जो कुछ मैं कह रहा हूं, वही मेरा अर्थ भी है । यानि महिला स्वतन्त्रता की हकदार नहीं ।

xx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

[हिन्दी]

यह मनु ने बताया है ।

[अनुवाद]

"और यह आरोप लगाया गया है कि इस्लाम अनिवार्य अंग महिला की अधोगति है ।"—'स्लेक्शन फ्राम कुरान'

[हिन्दी]

यह सलेक्शन आफ़ कुरान किसकी किताब है, जिसको वे रेफर कर रहे हैं । जस्टिस अमीर अली की नहीं है और बहुत अच्छे जूरिस्ट्स हुए हैं, उनकी नहीं है । यह एक ऐसे बदनाम शख्स की है, जो इस्लाम की दुश्मनी के लिए दुनिया में बदनाम है । उसको ये रेफर कर रहे हैं । और वह है—

[अनुवाद]

एडवर्ड विलियम लेन । प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सारे इस्लाम विश्व में, उसे इस्लाम विरोधी विचारधारा के लिए जाना जाता है । उन्होंने उसका हवाला दिया है, न कि न्यायाधीश अमीर अली, या तैयबजी का और नहीं किसी अन्य विद्वान् न्यायाधीशों का । केवल एडवर्ड विलियम लेन का ही हवाला दिया है ।

अब वे हदीस में आ गये हैं । कुरान तक ही माालला नहीं है, दूसरों की कोटेशन्स तक ही मामला नहीं है, हब वे हदीस में आ गये हैं । आज देखिये कि कितने डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं :

[अनुवाद]

निम्नलिखित कथन पैगम्बर द्वारा कहा गया बताया गया है :

> "...शायद औरत को गलती से मुड़ी हुई पसलियों से बनाया गया है, और अगर आप उसे सीधा करें तो वे टूट जाएंगी । इसलिए अपनी औरतों (पत्नियों) के साथ प्यार का बर्ताव करना चाहिए ।"

[हिन्दी]

इस पोर्शन को उन्होंने गोया यह समझकर कोट किया कि इस्लाम में औरतों के दर्जे को गिराने के लिए और हिकारत के लिए यह हदीस है । जनाबेआला, यह हदीश है और हदीश की सबसे मौहतबिर किताबें हैं 'बुखारी' और 'मुस्लिम' । यह हदीस का है और इसका दर्जा मुतबाति का है । मुतबातिर हदीस का मतलब यह है कि एक से ज्याना राबियों से मुख्तलिफ हदीसों की किताबों में आई । अब यह 'बुखारी' है और यह 'मुस्लिम' है, इन दोनों को मैं खोल रहा हूं । आप को कोई जल्दी तो नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : आप बोलिये ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : आज मामला ड्राई सा हो गया है भतीजे की अदम मौजूदगी में । श्री भागवा झा आजाद साहब भी खुष्क से बैठे हुए हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : भतीजे को बुलवा लीजिए, मजा नहीं आ रहा है ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : तुम ही उनका रोल अदा करो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं कैसे कर सकता हूं, मैं तो आपको सिंसियरली चचा मानता हूं, अपने भतीजे को बुलाइए। **(व्यवधान)**

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : कहीं आप मुझे तो भतीजा नहीं मान रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नहीं आपको चचा मानता हूं—चचा मोहतरम।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जनाब-ए-आला, बुखारी, ये बुखारी की हदीस है जिनका उनवान है, हैडिंग क्या है --"बाबुल वसीअत बिन निसा" "औरतों के मुत्तलिक वसीयत, दी बिल ऑफ प्राफिट रिगार्डिंग दी विमन" उस बाव के तहत यह हदीस है। ये बाब इस बात को जाहिर करती है औरतों के मुत्तलिक हुजूर नबीं करीम-ए-सलल्लाहु अलीही बसल्लम कुछ बात की वसीयल करना चाहते हैं और उसके अलफाज ये हैं। हजरत अबू हुरेरा जो बहुत ही जलीलोकद्र सहाबी थे, उनसे रवायत है, कि नबी-ए-करीम सलेरसुल्लम ने फर्माया कि जो अल्लाह ताला और कयापत पर ईमान रखता है, वो अपने हमसाया को तकलीफ न दे, नेबर, अपने नेबर को तकलीफ न दे, हमसाया को तकलीफ न दे और औरतों के साथ नेकी करने के बारे में मेरी वसीयत कुबूल कर लो और ये अल्फाज हैं। मैं अरबी का मितिन नहीं पढ़ रहा हूं सिर्फ उर्दू का तरजुमक पढ़ रहा हूं। औरतों के बारे में मेरी वसीयत कुबूल कर लो और सबसे ऊपर वाली पसली सबसे टेढ़ी होती है। एक मिसाल दी है महज मिसाल दी है, और मिसाल दी है पसली से, मैं पहले पढ़ दूं फिर उसके बाद बताऊंगा—सबसे ऊपर वाली पसली सबसे ज्यादा टेढ़ी होती है, अगर तुम उसे सीधा करोगे तो तोड़ डालोगे और अगर उसी हाल पर छोड़ दोगे तो हमेशा टेढ़ी रहेगी, पस औरतों के साथ भलाई करने के बारे में हमारी वसीयत कुबूल कर लो, इसको कहा है "होपफुली रांगली।" जनाब-ए-आला, अगर टेढ़ापन औरत की फितरत की नीज कजी की तरफ इशार करने वाला और उसकी तहकीक करने के लिए होता तो दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती हैं, चाहे सौ वर्ष गाड़ दीजिए। इन्सानी पसली से मुशाबिहत दी है, कुत्ते की दुम से मुशाबिहत दे देते, मिसाल हमारे-आपके यहां मशहूर है कि कुत्ते की दुम को सौ बरस गाड़े रहो, तब भी टेढ़ी की टेढ़ी। सयाक-ओ-सबाक, उसका रेफरेंस टू कां ये बतला रहा है कि औरतों के मुत्तलिक वसीयत करने के लिए है, उसका सयाक-ओ-सबाक यह बता रहा है जैसा पहले कहा कि अपने पड़ौसियों के साथ हुस्ने सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, ये महज मिसाल है और ये कुरान में भी और अहादीस हदीस में भी ऐसी मुनासिब मिसालें तय करके चीजों को समझाया गया है। ये इशारा सिर्फ नजाकत की तरफ है कि बड़ी नाजुक होती हैं और उनकी नजाकते तबा का ख्याल रखना, कहीं ऐसा न हो कि उनकी नजाकत तुम्हारे, दंडवते साहब आपके लिए खासतौर से कह रहा हूं, आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये नाजूक मिजाजी तुम्हारी नजरों से ओलझ हो जाए और तुम जबरदस्ती उस पर प्रेशर डालकर उनको सीधा करना चाहो तो वे टूट सकती हैं, लेकिन सुधार नहीं हो सकता, इसको कह रहे हैं "होपफुली रांगली" ये तो मैंने आपको बुखारी का सुनाया और मही हदीस मुस्लिम में है, अबू हुरेरानिअल्लाहुताला, ये हदीस जो है मुस्लिम में जो बाब

कायम किया है इस हदीस के लिए वह भी है "बाबुल वसीयत बिन निसा" औरतों के लिए वसीयत का बाब है, औरतों के लिए बिल का बाब है और उसके नीचे औरतों के साथ खुशखुल्की करने का हुक्म, ये उसका हैडिंग है, उनवान है।

अबु हुरेरा रज़ी अल्लाहु तआला अनहु ने कहा और नबी-ए-अकरम सल्लाहु अलेही वसल्लम ने फरमाया जो ईमान रखते हो अल्लाह पर पिछले दीन पर, उसे जरूरी है कि जब कोई अम्र पेश आए तो अच्छी बात करो नहीं तो चुप रहो। अगर कोई मामला पेश आए तो अच्छी बात कहो नहीं तो खामोश रहो। "कहियों मह्नु ठकुर सुहाती नाहीं तो चुप दिन-राती" साफ-साफ अच्छी बात कहो नहीं तो चुप रहो। औरतों से खैरखाही करो इसलिए कि वह पसली से बनी है और पसली में ऊंची पसली सबसे ज्यादा टेढ़ी है। उसे सीधा करने लगे तो उसे तोड़ दिया और फिर छोड़ दिया तो टेढ़ी रही इसलिए औरतों की खैरखाही करो। ये दो हदीस हैं, इन हदीस पर क्या मामला है। हमारे यहाँ एक मिसाल कही जाती है। तेली का काम जब तम्बोली करने लगता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बढ़ई को आप किसी पुल का डिजाइन करने के लिए इंजीनियर का दर्जा दे दें तो ज़ाहिर है कि वह कैसे पुल का डिजाइन करेगा। इल्म से वाकिफ नहीं और इथोस नहीं जानता। इस्लामी कल्चर का इथोस पता नहीं है और रेफर कर रहे हैं कुरान को भी, हदीस को भी और कह रहे हैं "होपफुल्ली-रौंगफुल्ली"। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह बात इस बात की शहादत देगी कि यह प्रिजुडिशियल डिसीजन है। पहले से जहन में इस बात को ठान लिया कि औरतों के साथ हमेशा ज्यादती होती ही रही है और जब ज्यादती होती रही तो इसमें भी यकीनन ज्यादती हो गई है। ऐसे जजमेंट की तवक्को कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े इदारे से जो अदालत-औलिया कहलाती है हमारे मुल्क की, नहीं की जा सकती। आज भी लाबिंग हो रही है, स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। यह क्या हो रहा है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के विकार को नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट का एक मोहतरम महकाम है जिससे उम्मीद की जाती है कि उसके सामने सब बराबर होंगे और हर किसी इन्साफ के मामले में उनका तराजू अदल का तराजू होगा। वह न इधर होगा और न उधर होगा। डिस्क्रीमिनेशन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ रहे हैं, उसमें डिस्क्रीमिनेशन की एक मिसाल देना चाहता हूं। मैं अभी तलाश करके आपको बताता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इतमिनान से तलाश कीजिए हमको जल्दी नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं आपकी इनायत की बड़ी कद्र करता हूं। कृष्णा सिंह वर्सेस कौम अहीर का एक जजमेंट हुआ था। यह सन् 80 में हुआ था। उसमें सवाल यह था कि एक शख्स जो जात का आहीर था, वह एक बाबा का चेला हो गया। बाबा की कुटीया का जो मकान था उसमें वह रहता था। जब बाबा सिधार गए इस दुनिया से तो उसके वारिश पैदा हो गए।···**(व्यवधान)** जब सिधार गए इस दुनिया से तो उनके साहबजादों ने कहा कि यह कैसे यहां काबिज है। हम नेचुरल हेयर हैं। उसने कहा हम बाबा के चेले हैं और यह जायदाद है और हम इस पर काबिज हैं। इस पर मुंसिफ के यहां किस्सा चला, उसके बाद एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहां और फिर इलाहाबाद के हाई कोर्ट में, जहां जस्टिस कीर्ति ने एक जजमेंट दिया

जिसमें कहा गया कि चूंकि ये शूद्राज है इसलिए यह तो सन्यासी हो नहीं सकता । यह आपके बनारस के गढ़वा-घाट का किस्सा है (व्यवधान) यह गलत बात है और आज की दुनिया में, आज के दौर में, शूद्राज और दूसरे लोगों के बीच में डिस्क्रीमिनेशन करना बिल्कुल गलत बात है । हाई कोर्ट ने उस अहीर के हक में, चेले के हक में, फैसला दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फरमाया, उस जजमैंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर पास किया, वह मैं आपको बताना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"आरम्भ में अधिक सुविधाजनक यह होगा कि उच्च न्यायालय ने जो विचार व्यक्त किए, उन्हें बताया जाए। उच्च न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था स्मृति' में दिए गए अधिकारों से यह कठोर नियम निकलता है कि शूद्रों को जाति या सन्यासी की व्यवस्था में असमर्थ समझा जाए ; लेकिन यह नियम अब संविधान के भाग III में गारन्टी दिए गए मौलिक अधिकारों के कारण वैध नहीं रहा है ।"

"हमारी राय में विद्वान न्यायाधीश यह समझने में असमर्थ रहे कि संविधान के भाग III परिधि में स्वीय कानून नही आते और पक्षकारों के स्वीय कानूनों को लागू करनेमें वह आधुनिक युग के बारे में अपने विचारों का समावेश नहीं कर सकते बल्कि उसे हिन्दू-विधि का मान्यता प्राप्त और प्रमाणिक स्रोत मानकर लागू करना चाहिए ।"

विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में स्मृति के बारे में और उसकी व्याख्या के बारे में ऐसा ही उल्लेख है ।

[हिन्दी]

एक तरफ यह एटीट्यूड है और दूसरी तरफ यह जजमैंट नहीं हैं ···(व्यवधान)··· मैं तो उस ट्रिक्चर की तरफ अपना ध्यान ले जा रहा हूं, वह स्ट्रिक्चर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ है, या नहीं । हाई कोर्ट का फैसला तो आपके हक में था । उसमें एक तरफ तो यह है कि खबरदार, स्मृतियों को टच नहीं कर सकते हो—

[अनुवाद]

इसकी पुनर्व्याख्या करने का आपको कोई हक नहीं है ।

[हिन्दी]

दूसरी तरफ, आप चाहें तो कुरान को मिस-इन्टरप्रीट कर दें, चाहें तो हदीस को मिस-इण्टरप्रीट कर दें । फिर आपको बनारस वाला वह मामला भी याद होगा, इन्दिरा जी के जमाने में, जब चीफ जस्टिस साहब का हुक्म हो गया कि कब्रों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर दो । वह किस्सा भी आपके बनारस शहर का है । दूसरा मामला, हमारे मुंशी जो कहां गए, उनके यहां का है, जहां कुरान को प्रैस्काइब करने के लिए एक रिट ही एडमिट हो गई। इस मुल्क में यह क्या मजाक हो रहा है :

[अनुवाद]

और वह उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं या उसे कम कर रहे हैं ? हम इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की प्रतिष्ठा कम नहीं होने देंगे । इस न्यायालय का हमारे समाज की राजनीति में उच्चतम स्थान है । यही आपत्ति है ।

[हिन्दी]

आप गौर फरमाईये कि यह सब क्या हो रहा है । इसलिए मैं आपसे अर्ज करता हूं कि यह जजमैंट प्रिज्यूडिस्ड है, डिस्क्रीमिनेटरी हैं और उसे क्या कहते हैं···(**व्यवधान**)···

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह सैक्रिलिजस जजमैंट है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : ठीक है । उस तरह का है । अब आप उस जजमैंट की और खूबिया सुनिये ···(**व्यवधान**)···अब आप उस जजमैंट के अन्दर जो कन्ट्राडिक्शन्स हैं, उनको सुनिये । एक जगह कहते हैं कि :

[अनुवाद]

"जब कभी वैयक्तिक कानून और किसी अधिनियम के कानून के उपबंधों में विवाद होगा, तो अधिनियम के उपबंधों को ही मान्य माना जाएगा ।"

[हिन्दी]

और दूसरी जगह कुरान की तशरीहात कर रहें हैं और कहते हैं कि बिल्कुल कुरान के मुताबिक फैसला करेंगे ।

सैक्शन 125 पेज 949, ए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट, 1985

[अनुवाद]

इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर धारा 125 और स्वीय विधि में विवाद पैदा होता है तो धारा 125 ही मान्य होगी ।"

[हिन्दी]

मामला अगर यहीं पर रोक देते, अगर हुजूरे आली का कलम यहीं पर रुक गया होता, तब भी मामला कुछ नहीं था। आपके नजदीक एक सब्सटेंटिव ला है, वह ओवर राइड करता है दूसरे पर्सनल लाज को, आगे चलकर इसी में क्या कहते हैं :

[अनुवाद]

"क्या धारा 125 में दिया गया अधिकार पक्षकारों के वैपल्यिक कानून से ऊपर हैं ? इस पर हुई सारी चर्चा इस धारणा को लेकर हुई है कि उक्त धारा के उपबन्धों और वैयक्तिक कानून की तत्सम्बन्धी व्यवस्था में कोई विरोध है ।"

[हिन्दी]

अब यह कहते हैं कि यह सारी बहस जो हुई है वह इसी पर हुई है, दोनों के बीच में

कोई कंफ्लिक्ट है। अब हिज लॉर्डशिप ने बिलकुल दूसरा रुख अख्तियार किया मुजतहिद का, दोनों को खींच तानकर दोनों में मुताबिकत पैदा कर दो।

अब मैं कुरान-शरीफ की आयतों को फरमाना शुरू करता हूं।

वे सारी आयतें जिन पर लोगों ने बहुत तप्सरा किया है, सूरए बकरा है, जो कुरान की दूसरी आयत है।

4.38 म०प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

उसकी तीन-चार आयतों से ज्यादा कोई पढ़ ही नहीं पाता है। कुरान में 30 पारे हैं, ऊनघूमकर जो शख्स पढ़ता है, वह दूसरे पारे पर जाकर अटक जाता है। लाख कहिए, लाख आप महमेज लगाइए, लेकिन अड़ियल टट्टू जो है, वह अपनी जगह पर है, आगे बढ़ता ही नहीं है। सूराए-तलाक के प्राविजन्स पर अगर वह दयानतदारी के साथ कोट करना चाहता है, तो उनको कोट करने के साथ-साथ कुरान से पूरी वाकफियत हासिल करनी चाहिए थी। दरहकीकत जनाबे आला मैं यहां पर उनको मायूब समझता हूं। उन्होंने एक ऐसी चीज को छू लिया जिसके ये अहल नहीं हैं।

"तू तो चकवे से खेल बरखुरदार
हाथ कट जाएगा न छू तलवार"

इन्होंने एक ऐसी चीज को छू लिया है जिसके ये अहल नहीं हैं, इंटरप्रिटेशन यें नहीं कर सकते। बोल देते, कह देते कि भाई हमको इससे ताल्लुक नहीं। एक वकील डेनियल लतीफी साहब हैं, जिन्होंने इनको पढ़ा दिया है और उन्होंने वही पढ़ लिया है और उसको उन्होंने कुरान की हदीस कहा। गोया यह अच्छा ही हुआ, इनके लिए जैसे डेनियल लतीफी साहब न हुए, खुदा हो गए, जो आसमान से उतर आया है, जब वे उसकी जुबान से कुरान सुन रहे हैं, तो फिर उसमें कोई सवाल ही नहीं है। डैनियल लतीफी ने जो प्रावीजन उनको बता दिये, और वह प्रावीजन वही है कि बली मुताल्लिा मताउन बिल मारूफ। मैंने बहस की है, इसके मायने ही मेंटिनेन्स के नहीं हैं। अगर बाज मुफस्लीन ने कहीं पर कह भी दिया है और मताऊ बिल मारूफ मान भी लें तो कोई पीरियड तो है नहीं। अगर यह कह दिया कि तुम मेंटिनेन्स दो, तो इसके मायने यह नहीं कि जिन्दगीभर देते रहो। यह स्पैसीफाई किया है सूरयेतलाक में उसकी छठी आयत में साफ-साफ कह दिया है कि इद्दत के पीरियड तक सिर्फ मैंटिनेन्स पाने के हकदार हैं मुताल्लिका। लेकिन मताऊन बिल मारूफ उनके हत्थे चढ़ गया, उसी पर उनकी बहस खत्म हो गई।

मैंने यह अर्ज किया है कि यह दो कांट्रेडिक्टरी बातें हैं। अगर तुम मानते हो और इस बात से कंविन्स हो कि सैक्शन 125 आफ सी०आर०पी०सी के प्रावीजन पर्सनल ला को ओवरराइड करते हैं तो मामला खत्म। जब तुम्हारा यह कंविक्शन है तो पर्सनल ला जहां जी चाहे जाये, तुमको साफ-साफ उसके मुताबिक करना चाहिये था। अगर यह कंविक्शन है कि सैक्शन

125 प्रीवेल करेगा, वह ओवर राइड करता है पर्सनल ला को तो तुमको कह देना चाहिये था—

[अनुवाद]

"हमारा स्वीय विधि से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम केवल सी०आर०पी०सी० में दिलचस्पी रखते हैं और धारा 125 ही पर्याप्त है। यह स्वीय विधि की अन्य सभी धाराओं से ऊपर है।"

[हिन्दी]

ज्यादा मुसीबत इसी ने पैदा की है। जब हमारे सामने दूसरा रास्ता होता, हम जाते और कहते, लेकिन अब तो मसला ही दूसरा हो गया—आये थे हरि भजन को ओटन लगे कपास।

मामला यह हो गया कि पहले कुरान को इनके दस्तबुर्द से बचाओ। मेंटिनेन्स गया चूल्हे भाड़ में। मेंटिनेन्स दिया जाये या नहीं दिया जाये, पहले कुरान को तो बचाओ, यह मसला है।

मैं हिज लार्डशिप के बारे में क्या कहूं। बहरहाल मसला यह है कि मेंटिनेन्स का मामला तो पीछे पड़ गया है। अगली मसला यह आ गया कि अखर हिज लार्डशिप वहां बैठकर कुरान का इंटरप्रैटेशन करने लगेंगे तो कल वह यह कह देंगे कि कुरान में खतना कराना कहीं नहीं है, परसों यह कह देंगे कि कुरान में कहा गया है कि मुर्दे को दफन न किया जाये, इसको जलाते क्यों नहीं? नमाज के लिये कह सकते हैं कि बार-बार अल्लाहोअकबर, अल्लाहोअकबर क्यों पुकारा करते हो, जाओ। कुरान को इंटरप्रैंट करने का इख्तियार और किसी दूसरे को हासिल नहीं है जो उससे पूरी तरह वाफिक न हो नहीं दिया जा सकता।

मैं खाली कुरान की ही बात नहीं करता हूं। कल ये धर्म-शास्त्रों को इंटरप्रैट करेंगे कि चलो-चलो, धर्मशास्त्र में कहा है। तुम गंगा को पौल्यूट कर रहे हो, मुर्दे जलाकर उसमें डालते हो। छोड़ो उसे खत्म करो। अब सारा मामला ही लार्डशिप पर आ जायेगा तो मुसीबत हो जायेगी। धर्मशास्त्रों, बाइबल, गुरुग्रन्थ साहब और भागवत गीता का वह इंटरप्रैटेशन करने लगेंगे। इसलिए यह बात कही थी कि वह चीजें बहुत आला दर्जे की हैं और

[अनुवाद]

माननीय न्यायधीश ने, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के बावजूद, कुरान या अन्य धार्मिक पुस्तक या धर्मग्रन्थ की व्याख्या करने में xx···।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि सारा मसला यह है। अब उसी पर अखबार चल खड़े हुए, कैटर्स आ रहे हैं औब्सक्योरेंटिस्ट या फंडमैंटलिस्ट कह रहे हैं।

कोई मजनू कहे या मुझे जंजीर करे
मुझसे यह मुमकिन नहीं है
कि लैला को मैं लैला न कहूँ।

जो तुम्हारा जी चाहे कहो, जो जी चाहे समझो।

xxअध्यक्षपीठ से आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

लेकिन यह मुझसे मुमकिन नहीं है कि जिस चीज पर मैंने इल्म हासिल किया है और जो चीज चालीस बरस से मेरे मुताले में रही है, उसके मुताल्लिक मैं उनकी राय मान लूं, जिन्होंने इस जजमेंट के सिलसिले में डेनियल लतीफी साहब से सुना होगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं सुना होगा। और दरहकीकत उन्होंने डेनियल लतीफी के आर्गूमेंट को ही अपने जजमेंट के कोट कर दिया।

अब एक मसला और है। मामला यह है, मैंने पहले जैसे कहा कि यह जजमेंट नहीं लिखा है। रिफार्मर की हैसियत से सारे अख्तियारात पार्लियामेंट के वे खुद ले लेना चाहते हैं, कान्स्टीचुयेंट एसेम्बली के भी सारे अख्तियारात खुद ले लेना चाहते हैं और हकूमत के भी अख्तियारात खुद ले लेना चाहते हैं। जरा, गौर फरमाइए··· (व्यवधान)

अब आ गए कॉमन सिविल कोड पर। जरा गौर फरमाइए और देखिए कि इसमें क्या गुल खिलाते हैं। मैंने जिस वक्त यह जजमेंट देखा तो मुझे बहुत रोना आया। (व्यवधान) नींद तो आ जाती है। नींद की तो गोलियां हैं, लेकिन रोते को तो रोकना बहुत मुश्किल है। वह फरमाते हैं देखिए, ए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट पेज संख्या 754—

[अनुवाद]

समान सिविल कोड : ए० आई० आर० उच्चतम न्यायालय, पृष्ठ 954

"खेद का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 निष्प्रभावी बना रहा है, इत्यादि, इत्यादि। यह विश्वास दृढ़ हो गया प्रतीत होता है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी स्वीय विधि में सुधारों के मामले में स्वयं ही पहले करनी चाहिए। परस्पर-विरोधी विचारधाराओं के वाले कानूनों के प्रति इन घोर निष्ठाओं को हटाकर एक समान सिविल संहिता बनाने से राष्ट्रीय एकता के हित को आघात पहुंचेगा।"

[हिन्दी]

सारा नेशनल इन्टिग्रेशन पर्सनल ला को बदल देने से हो जाएगा। बस यह उनकी थ्योरी है और यह उनकी फिलोसोफी है। हालांकि उनको यह नहीं मालूम कि इन्सानी फितरत यकसानियत से घिन करती है। जरूरत से ज्यादा यकसानियत।

इन्सानी फितरत के तकाजों के खिलाफ हैं। लोग कहते हैं कि सारा नेशनल इन्टिग्रेशन इसी से हो जाने वाला है। आप आगे देखिए, स्टेट के ऊपर हमला है—

[अनुवाद]

"जिस राज्य पर अपने देश के नागरिकों के लिए समान सिविल कोड बनाने का उत्तरदायित्व है और जिसको इस प्रकार की संहिता बनाने की कानूनी क्षमता प्राप्त है।" एक अधिवक्ता ने कुछ धीमी परन्तु श्रव्य आवाज में यह बात कही कि कानूनी क्षमता अलग बात है परन्तु उस कानूनी क्षमता का उपयोग करने के लिए राजनीतिक साहस होना अलग बात है। यह न्यायाधीश किसके राजनीतिक साहस को चुनौती दे रहा है? इस सम्मानित सभा के राजनीतिक साहस को, कांग्रेस के राजनीतिक साहस को, हमारे प्रधान मन्त्री का राजनीतिक साहस को, अथवा हमारी

कार्यकारिणी के राजनीतिक साहस को, किसके साहस को चुनौती दी जा रही है ? इस सम्मानित सभा, कार्यकारिणी अथवा प्रधान मन्त्री तथा कांग्रेस पार्टी जिसका कि लम्बा इतिहास है के विरुद्ध ऐसी बात कहना बेहूदा है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह केवल कानाफूसी करना है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : इस कानाफूसी को वह कैसे सुन सके। बहुत बातों पर कानाफूसी होती है। न्यायाधीश गण उन सबको नहीं सुन पाते।

श्री जी० एम० बनातवाला : पहली बार किसी कानाफूसी को न्याय-निर्णय में स्थान दिया गया है। कितनी उपहासास्पद बात है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

हम लोगों पर उनका थोड़ा-सा रहम, थोड़ा-सा तरस आ गया। कहते हैं

[अनुवाद]

"हम समझते हैं कि विभिन्न विश्वासों तथा धर्मों के लोगों को एक प्लेटफार्म पर लाना कितना कठिन है।"

प्रो० एन० जी० रंगा० : यह बुद्धिमानी है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : आगे कहा गया है :

परन्तु यदि संविधान का कोई अर्थ है तो इस दिशा में कार्य शुरू करना होगा।

[हिन्दी]

आर्टिकल (44) में जब तक यूनिफार्म सिविल कोड नहीं बन जायेगा तब तक कांस्टीट्यूशन के कोई मायने नहीं हैं। लेकिन आर्टिकल (44) में सिर्फ इतना ही कहा है :

[अनुवाद]

कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा, राज्य पर यह कोई दायित्व नहीं है, यह एक प्रयास मात्र है, एक संकेत है कि यदि संभव हो, यदि सभी लोग मिल जायें तथा कोड के लिए सहमत हों तो राज्य इस दिशा में कदम उठायेगा। राज्य पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इस प्रकार का दायित्व विधान सभा राज्य अथवा कार्यकारिणी पर डाला गया है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजरी) : यह अनिवार्य नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : आगे कहा गया है :

"न्यायालय को सुधारक का दायित्व निभाना होगा...."

[हिन्दी]

जसे कि महात्मा गांधी बल्कि उनसे भी ज्यादा—राजाराम मोहन राय या महात्मा गौतम बुद्ध ।

[अनुवाद]

आइये आगे देखें :

"अनिवार्यतः न्यायालयों को सुधारक का दायित्व निभाना होगा, क्योंकि संवेदनशील हृदय के लिए यह असहनीय है कि अन्याय जारी रहे, विशेषरूप तब जबकि वह इतना स्पृश्य हो ।"

क्या यह न्याय निर्णय है अथवा धर्मोपदेश है । यह क्या है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अज्ञान का प्रदर्शन ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : यह न केवल गलत रूप से उद्धृत किया गया है । अपितु कुरान तथा हैदीयत की गलत व्याख्या की गई है । उन्होंने दिल्ली के न्यायविद डा० ताहिर महमूद को भी गलत रूप से पेश किया है । उन्होंने उनकी पुस्तकों का उल्लेख किया है । उन्होंने उनके एक लेख का उल्लेख किया है । मैं एक हलक्रे से शब्द को पढ़ता हूं जिसे उन्होंने गलत रूप में उद्धृत किया है । यह है न्यायिक अकर्मण्यता । उससे कम नहीं है xx

उन्होंने डा० ताहिर महमूद को उद्धृत किया है । डा० ताहिर महमूद ने "मुस्लिम स्वीय विधि"—1979 संस्करण, पृष्ठ 201—202—भारत के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कोड होना चाहिए । इसे उन्होंने उद्धृत किया है ।

फिर महोदय माननीय न्यायाधीश द्वारा उद्धृत पुस्तक 1947 में प्रकाशित हुई तथा उसका दूसरा संस्करण 1983 में आया । यह दूसरा संस्करण ए० आई० आर०, नागपुर द्वारा प्रकाशित हुआ । काफी समय से विज्ञापन दिए गए कि डा० ताहिर महमूद की पुस्तक का संस्करण आ रहा है । उन्होंने उस पुस्तक के नए संस्करण को उद्धृत नहीं किया अपितु 1971 के प्रथम संस्करण को उद्धृत कियाxx बेशक बाद के संस्करण में डा० ताहिर महमूद ने उस भाग को हटा लिया है और अपने विचारों को बदल लिया है । उन्होंने अभी-अभी एक लेख लिखा है—जिससे मैं उद्धृत करना चाहता हूं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या हो रहा है ? वह कितना समय लेंगे । मैं इसे नहीं समझ पाया । मैं इसे गम्भीरता से लेता हूं ।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : आप किस बात को गम्भीरता से ले रहे हैं ? आप मामले समझना नहीं चाहते । आप क्या चाहते हैं ?

---

xxअध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वाद-विवाद का उत्तर कौन दे रहा है? क्या वह उत्तर दे रहे हैं?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं मार्क्स के दर्शन को उद्धृत नहीं कर रहा हूं। मैं मार्क्स अथवा लेनिन के दर्शन पर भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं आपको इस देश की संस्कृति के बारे में बता रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : जनाबेयाली, मैं अर्ज करना चाहता हूं। मेरा यह जो मुखातिबा है, वह खुदा दुश्मनों से नहीं है। "नै खुदाबीन नै जहांबीन, यह शैतान है तेरे हुनर का" इनसे मेरा मुखातिब नहीं है। मेरा मुखातिब उन लोगों से है, तो धर्म में यकीन रखते हैं, जो दीन में यकीन रखते हैं, जो इस मुल्क के इथौस को पहचानते हैं। हमारी को परम्परायें हैं, हमारा जो कल्चर है, उसमें हम एक-एक चीज को पहचानते हैं। हम उन लोगों को रिप्रजेंट कर रहे हैं, मार्कसिज्म को रिप्रजेंट नहीं कर रहे हैं। डैम मार्कसिज्म, डैम मार्कसिज्म···

[अनुवाद]

जाइए यह दर्शन पश्चिन बंगाल में बताइए। यहां मत बताइए। आपको इस सभा में मेरी बात सुननी होगी।

महोदय मैं कह रहा था (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वह उत्तेजित हो गए हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : नहीं-नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूं।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपके पीछे दो भतीजे हैं।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : ये भतीजे से ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : मैं अभी मामले को ले रहा हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अंसारी जी मार्क्स सभा के बाहर है। उनका उल्लेख न करें।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : परन्तु उनकी प्रतिनिधि सभा में मौजूद हैं।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : खुदा को इसलिए रैफर कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु सर्व-व्यापक है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : आपको नहीं मालूम है। शैतान के नुमाइन्दे हर जगह मौजूद हैं। (व्यवधान)

5.00 म०प०

जब मैं शैतान कह रहा हूं, तो यह अनपार्लियामेन्टरी नहीं है क्योंकि शैतान एक बहुत बड़ा पार्लियामेन्टेरियन था। उस ने अल्लाह-मियां के साथ बहस की थी। उस से बड़ा पार्लियामेन्टेरियन कौन हो सकता है। इनकी समझ में यह नहीं आएगा। आप जरा कान में आला लगाओ। जोश मलिहाबादी ने शैतान के मुत्ताल्लिक कहा है। 'बगावत' उनकी एक नज्म है, जिस का एक स्टेन्जा मैं पढ़ रहा हूं।

जब अजल में...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप शैतान पर बोल रहे हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं कह रहा था :

जब अजल में सजदाए-आदम का उठाया सवाल
था उसी हलचत से मौके पर यह था वक्ते जलाल
खुद खुदाए बरतरो कहार से अबला पर
की थी मैं ने गुफ्तगू आंखों में आखें डाल कर
रोगे-सुल्तानी से यह चेहरा उत्तर सकता नहीं
और जो खुदाई से डरे वह शाही से डर सकता नहीं ॥

(व्यवधान) ये शैतान की औलादें हैं, जिनका दिल मुर्दा है। (व्यवधान)

श्री सैयद मसुदल हुसेन (मुर्शिदाबाद) : माफ करना अगर आप को बुरा लगे।

जनाबे आला, डा० ताहिर महमूद ने सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज को कन्ट्राडिक्ट किया है और उस पर अपना एक आर्टीकिल भेजा है, जिसको मैं कोट कर रहा हूं...(व्यवधान)

या रब वे न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात
कि दिल ही उन्हें और, जो न दे मुझको जबां और ॥

(व्यवधान)...अब मैंने बंगला में शुरू कर दिया तो आप भाग जाएंगे।

5.02 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वह बहुत अच्छा होगा।

प्रो० मधु दंडवते : अगर बंगला में शुरू कर देंगे, तो हम भाग जाएंगे। (**व्यवधान**)

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अब तुम्हारी मदद करने के लिए इन को और बुला लिया है (**व्यवधान**) तलाकें दो हैं, असमलाम और बररकान। इसलिए नतीजे भी दो होने चाहिए। (**व्यवधान**) डा० ताहिर महमूद ने जिस किताब को रेफर किया है, उसके बारे में डा० महमूद ने कहा और उनका जो आर्टीकिल है, उसमें से कोट करना चाहता हूं :

[**अनुवाद**]

"न्याय निर्णय 31 पृष्ठों में है। मुस्लिम विधि पर मेरी पुस्तक का पृष्ठ 20 उसमें उद्धृत किया गया है। दूसरा तलाकशुदा को निर्वाह राशि देने के बारे में सेमीनार में दिए गए मेरे भाषण को जोकि इस्लामिक एण्ड कम्पेरेटिवला मैं मास की खण्ड एक, 1981 में प्रकाशित हुआ था उद्धृत किया गया है। मैंने उच्चतम न्यायालय के बी ताहिरा के मामले पर टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया था कि मुसलमानों के लिए इस प्रकार के मामलों को देखते हुए मुसलमानों के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि वे अपने आचार से तथा इस्लामी विवाह विधि के पालन से यह दिखाएं कि"...

"अन्य उद्धरण जो उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए। पहला है मेरी पुस्तक मुस्लिम स्वीय विधि—भारतीय उप महाद्वीप में राज्य की भूमिका प्रथम संस्करण, दिल्ली, 1977 तथा दूसरा संस्करण नागपुर, 1983 का अंतिम अध्याय। उस अध्याय में मैंने व्यक्त किया था कि प्रत्येक समुदाय की स्वीय विधि का कार्यान्वयन उनकी धार्मिक अदालत द्वारा किया जाना चाहिए, राज्य द्वारा नहीं। यदि भारत में किसी सामान सिविल संहिता की कोई आवश्यकता है, तो यह सही रूप में लेते हुए इस्लामी विधि ही हो सकती है, जिसे ऐसी न्यायपालिका स्वीकार कर सकती है। इससे किसी व्यक्ति द्वारा यह निष्कर्ष निकालत कि मैं मुस्लिम विधि को समाप्त करके समान सिविल संहिता को तैयार करने के पक्ष में हूं, बेहूदा है।"

अगे उन्होंने बताया है :

"यह वास्तव में दुर्भाग्य पूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय ने मेरी पुस्तक के पहले संस्करण से उद्धृत करना उपयुक्त समझा। इस बात की उपेक्षा करते हुए कि इसका दूसरा संस्करण सुप्रसिद्ध प्रकाश मैसर्स आल इंडिया रिपोर्टर, नागपुर द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह नहीं माना जा सकता उच्चतम न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों को दूसरे संस्करण की जानकारी नहीं है। सभी सन्देहों का निवारण करते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह समान सिविल संहिता, का समर्थन नहीं करता और यह भी नहीं चाहता कि मुझे कोई इसका समर्थक समझे।"

[**हिन्दी**]

यह डा० ताहिर महमूद का सब हो गया, उनका सारा किस्सा इसमें आ गया। अब मैं

एक बात जरा सा परसनल ला और कामन ला के बारे में कहना चाहता हूं। व्हाट इज दी परपज आफ आर्टिकल 44 ? आर्टिकल 44 में कहीं पर कामन सिविल कोड की बात नहीं कही गई है, यूनिफार्म सिविल कोड की बात कही है, हमारे कांस्टीट्यूशन के फ्रेमर्स ने जानबूझ कर यूनिफार्म सिविल कोड किया है, कामन सिविल कोड नहीं किया। कामन मीन्स वन फार आल और यूनिफार्म के मायने यह है कि अंडर सिमिलर कंडीशंस देयर शुड बी० यूनिफार्मेटी और यही व्यू रहा है बराबर, हमेशा से और मैं आपको जनाब-ए-ए-आली एक बात और अर्ज करना चाहता हूं और वह आसाम के बारे में है। जब आसाम स्टेट टूटी और नागालैण्ड वजूद में आया तो नागालैण्ड के सिलसिले में थर्टीन्थ अमेंडमेंट आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ...।(व्यवधान)

मैं अर्ज करता हूं कि थर्टीन्थ अमेंडमेंट में नागालैंड के खसूसी हालात, वहां के इथॉस, वहां का कल्चर, वहां की एक मुखासिस जिंदगी के पेशेनजर, उनके कल्चर, उनके कस्टमरी ला, उनके कस्टम्स सब को प्रोटेक्शन थर्टीन्थ अमेंडमेंट में सिर्फ उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यह कानून लाया गया और यह कहा गया कि ये एक स्पेशल टाइप का ग्रुप है, जनाव-ए-आला, एक छोटा सा हिस्सा, इस मुल्क की छोटी सी आबादी के लिए तो हमारी दरियादिली का यह हाल है कि कांस्टीट्यूशन को अमेंड करके उनके कल्चर, उनके कस्टम्स, उनके कस्टमरी ला, इन सब को प्रोटक्शन दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों से यह तकाजा कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीम से निकल जाओगे और बिल्कुल कामन बन जाओ।

मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है। एक पर्सनल लॉ के सिलसिले में कांग्रेस का क्या मौफि मौकिफ रहा है, उसे हिस्टोरीकल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मुझे तो कभी-कभी बोलने का मौका मिलता है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : हम लोगों को भी आपको सुनने का मौका मिल रहा है।

(व्यवधान)

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : ऐसे-ऐसे कदरदान मौजूद हों तो मेरी हिम्मत क्यों नहीं पढ़ेगी। मेरे हाथ में इस वक्त एक किताब है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस किताब का क्या नाम है। (व्यवधान)

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : यह वह किताब है जो आपकी समझ में नहीं आयेगी।

"न समझा, उम्र गुजरी बुते खुदसर को समझाते"
पिघलकर मोम हो जाता, अगर पत्थर को समझाते"

[अनुवाद]

"कांग्रेस एण्ड माइनोरिटीज पुस्तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशित की गई जिसमें 1920 से लेकर वर्तमान समय तक कांग्रेस द्वारा पारित किए गए सभी संकल्प दिए गए हैं।"

यह अक्तूबर, 3, 4, 5, को 1921 में बम्बई में हुए कार्यकारिणी समिति का संकल्प संख्या 23 है। इसमें कहा गया है :

"समिति मुसलमान राज्यों को यह आश्वासन देती है कि जब भारत स्वाधीन होगा तब उसकी विदेशी नीति स्वभावतः इस्लाम द्वारा मुसलमानों को सौंपे गए धार्मिक दायित्वों से मार्ग-दर्शन प्राप्त करती रहेगी।"

इस पुस्तक के पृष्ठ 94 पर कराची सत्र के संकल्प संख्या 15 में कहा गया है :—

उस संकल्प का शीर्षक है स्वराज्य का अर्थ और मौलिक अधिकार इसमें कहा गया है :

"आत्मा की आवाज की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, व्यवसाय की स्वतन्त्रता और धर्म की स्वतन्त्रता बशर्ते सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता बनी रहे तथा अल्प संख्यकों की संस्कृति भाषा तथा लिपि का संरक्षण हो।"

फिर पृष्ठ 96 पर, दिसम्बर, 1931 में कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित संकल्प में कहा गया है :

"मौलिक अधिकारों संबंधी अनुच्छेदों में संबद्ध समुदायों के लिए उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, व्यवसाय, धर्म तथा धार्मिक व्यवहारों के निर्वहन संबंधी गारन्टी निहित होगी।"

"(ख) विधियों को संविधान में विशिष्ट उपबन्धों द्वारा संरक्षण दिया जाएगा।"

"फिर पृष्ठ 103 में अल्प संख्यकों के अधिकार संबंधी एक और संकल्प में मौलिक अधिकारों संबंधी संकल्पों में स्पष्ट किया गया है धर्म या संस्कृति के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और अल्पसंख्यकों को अपनी स्वीय विधि बहुसंख्यकों द्वारा थोपे गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन के बिना बनाए रखने का अधिकार होगा।"

प्रो० मधु दंडवते : 1968 से कांग्रेस (इ) ही रही है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : और फिर कार्यकारी समिति संकल्प का वह प्रस्ताव भी है जब इसकी बैठक कलकत्ते में 26 अक्तूबर से 1 नवंबर, 1937 तक हुई।

(व्यवधान)

श्री जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : पहले के लिए आपने क्या तिथि बताई।

श्री जियाउर्रमान अंसारी : मैंने आप को पहले ही कहा है।

[हिन्दी]

मैं आपको किताब ही दे दूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जाफर शरीफ : प्रो० मधु दंडवते कह रहे थे कि यह कांग्रेस (आई०)। आप की बात रिकार्ड हो रही है (कार्यवाही वृत्तांत में शामिल हो रही है), मैं नहीं चाहता कि कोई विवरण गलत हो और न ही कोई इसकी गलत व्याख्या करे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं तो यहां तक तैयार हूं कि आपकी खिदमत में यह किताब ही हाजिर कर दूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : मैंने गलत नहीं समझा है, केवल आपके सदस्य ने गलत समझा है।

श्री जाफर शरीफ : क्योंकि उस समय कांग्रेस (इ) नहीं था।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : कार्यकारी समिति संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में एक संकल्प पारित किया। सुभाष बाबू ने 1937 में इसकी अध्यक्षता की। इसमें कहा गया है :

> "कांग्रेस अक्तूबर 1937 में कलकत्ता में पारित अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कार्यकारी समिति के संकल्पों की स्वीकृति देती है और पुष्टि करती है और फिर से इस बात की घोषणा करती है और यह भारत के अल्प संख्यकों के धार्मिक, भाषा संबंधी सांस्कृतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा को प्राथमिक कर्तव्य तथा मूलभूत नीति समझती है ताकि इसे सरकार की योजना में शामिल किया जाए जिसका कांग्रेस दल··· आदि।"

कार्यकारी समिति जिसकी बैठक 7 से 11 दिसम्बर, 1945 को कलकत्ता में हुई, में कहा गया :

> "सरकार को सभी धर्मों के संबंध में मध्यस्तता अपनानी चाहिए।"

[हिन्दी]

श्री रणबीर सिंह (केसरगंज) : मंत्री जी, आपकी तकरीर का असर देखिए कि ये वहां से उठकर यहां आ गए··· **(व्यवधान)**···

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : आ जाओ भाई, ईमान ले आइए, अब भी आजाओ··· **(व्यवधान)**···वरना तुम्हारा मामला वह हो जाएगा कि :

> "न खुदा ही मिला, न विसाले सनम,
> न इधर के हुए, न उधर के हुए, ।"

मैं तुमको आसली मार्क्ससिस्ट नहीं मान सकता...

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मैं इनका शुद्धीकरण कर रहा हूं ।

श्री जियाउर्रहमान संसारी : वरना तुम दोनों जगह से चले जाओगे···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने अपने विचार बदल दिए ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, यह है भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, कांग्रेस के प्रमुख नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 जनवरी, 1938 का दिया गया प्रेस वक्तव्य ।

प्रो० मधु दंडवते : आप यह बताइए कि इस कि इस नेहरु को क्या कहना है ।

श्री जिया उर्रहमान अंसारी : वक्तव्य में कहा गया है :

> "कांग्रेस भारत के लिए किसी ऐसी स्वतन्त्रता की कल्पना भी नहीं कर सकती है जो भारत में रहने वाले विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए समान स्वतन्त्रता नहीं है और जिसमें सभी लोगों के लिए विकास तथा प्रगति के समान तथा पर्याप्त अवसर उपलब्ध न हों । जहां तक धार्मिक तथा सांस्कृतिक मामलों का संबंध है, इसमें यथासंभव पूरे आश्वासन दिए गए हैं और घोषणा की गई है कि इसको मूल अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए । कुछ राजनैतिक अधिकारों के संबंध में निजी कानून के संबंध में अतिरिक्त आश्वासन दिया गया है । साम्प्रदायिक निर्णय वर्तमान के लिए है और हमने कई बार कहा कि हम सभी संबंधित लोगों की सहमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं चाहते ।"

महोदय, यह पत्र पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने 6 अप्रैल 1938 को मुहम्मद अली जिन्ना को लिखा था । मैं इससे उद्धत कर रहा हूं :

> "संरक्षण के सम्बन्ध में······"

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वह 1934 से 1938 की बात कर रहे हैं ।
(व्यवधान)

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : चूंकि मेरे वरिष्ठ साथी ने मुझे बात जारी रखने को कहा, मैं भाषण जारी रखूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया 40 मिनट में पूरा कीजिए । आपको 40 मिनट तक उद्धरण देना है ।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अगर आप कहते हैं, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आप इकनौमिस्ट हैं ।

[अनुवाद]

यह मुहम्मद अली जिन्ना के नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र है । यह इस पुस्त के पृष्ठ 161 पर है :

"जहां तक संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न है, कांग्रेस ने इसे संविधान के मूल सिद्धांतों में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की है। उसने यह भी घोषणा की है कि वह किसी समुदाय के निजी कानूनों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।"

इन उद्धरणों से मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि आरम्भ से ही हमारी यह नीति रही है। यह कांग्रेस की नीति है, जो इस देश की स्वतन्त्रता के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों एक मात्र संगठन है।

जहां तक कांग्रेस के चुनाव घोषण-पत्र का सम्बन्ध है (**व्यवधान**)। मैं बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। वे हमारे निजी कानूनों के संरक्षक नहीं हैं। निजी कानूनों की रक्षा करना हमारा इतिहास रहा है। मैं 1980 के चुनाव घोषणा पत्र को उद्धृत कर रहा हूं। यह इस पुस्तक के पृष्ठ 269 पर दिया है।

"हम अल्पसंख्यकों के वैयक्तिक कानून में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। (यह स्पष्ट शब्दों में दिया हुआ है)। जहां कहीं भी आवश्यक होगा वर्तमान कानून में संशोधन करके वक्फ सम्पत्ति के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करने के लिए तुरन्त उपाय किए जाएंगे।"

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : घोषनाएं तो हैं किंतु···

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इन पर अमल किया गया है। कृपया भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। दिल्ली में वक्फ सम्पत्ति को बहाल किसने किया है। आपने या इन्दिरा गांधी जी ने ? आप कहीं भी जाईये और विभिन्न लोगों-द्वारा हड़प की गई वक्फसम्पत्ति की सूची देखिए। अल्पसंख्याकों को लौटा दिया। गया है

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है।

[हिन्दी]

श्री ओवेसी (हैदराबाद) : मस्जिदों में नमाजपढ़ने की इजाजत नहीं है साहब ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किसी प्रकार का व्यवधान मत डालिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अब मैं 1977 के कांग्रेस चुनाव घोषणा-पत्र में श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रारम्भिक टिप्पणी से अन्तिम उद्धरण देता हूं।

उन्होंने घोषणा की है :

"धर्म-निरपेक्षता का अर्थ धर्म-हीनता नहीं है अपितु सभी धर्मों की रक्षा और आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना है।"

यह, मार्क्स तथा लेनिन द्वारा स्थापित की गई परम्पराएं नहीं हैं अपितु ये इस देश के नेताओं तथा धार्मिक नेताओं द्वारा स्थापित की गई परम्पराएं हैं।

[हिन्दी]

मैंने आपसे कांग्रेस का जो परपीचुइटी में रैजुलूशन है, वह कहा है। मैंने इस बात से यह एस्टैब्लिश करना चाहा कि हमारी थिंकिंग मुस्तकिल तौर पर यह रही है कि हम कोई इंटरफीयर नहीं करना चाहते। (**व्यवधान**)

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इससे सिर्फ एक बात एस्टैब्लिश करना था कि कांग्रेस का परपीचुइटी में यह स्टैंड रहा है (व्यवधान) अगर इस तरह करोगे तो बोलने नहीं दूंगा, जब तुम बोलोगे। तम नये-नये आये हो, समझ लेना। (व्यवधान) मैं तुम्हें पानी-पी पीकर कोसूंगा।

इस बात में मैं एक चीज और एड करना चाहता हूं। हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई महज गैर-मुल्की हुक्मरान से यहां के लोगों को आजाद कराने के लिए ही नहीं लड़ाई लड़ी गई थी, अंग्रेजों की मुखालिफत महज इसलिए नहीं की थी कि कुछ गैर-मुलकी हुकमरान यहां आकर काबिज हो गए थे, वह हुकूमत कर रहे थे। उसमें बहुत सी चीजें शामिल थीं। मैं इस हाउस को याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में यह बात भी शामिल थी कि अंग्रेज हमारी कल्चर को मेटना चाहता था, धर्म को मिटाना चाहता था, दीन में इंथकबेयर करना चाहता था। तो यह मुद्दे भी उस लड़ाई के थे।

उस वक्त हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मुद्दत के लिए जो कांग्रेस के प्रेजीडेंट रहे मौलाना अबुल क्लाम आजाद, उनको कोट करना चाहता हूं। एक वक्त जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का अटी-ट्यूड यह था, मौलाना आजाद को बहुत से लोगों ने कोट किया है, मैं भी कोट करना चाहता हूं।

जब ब्रिटिश गवर्नमैंट मुसलमानों के दीन मसायल के खिलाफ मुखालफत कर रही थी,

(व्यवधान)

हमारा जी चाहे तो मैं आपको सिर आंखों पर बिठा लूं।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : एक तरफ यह बात कहते हैं और दूसरी तरफ नौक-रानी बनाकर रखते हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हाय, हाय, यही बात अगर समझ लेतीं। मुश्किल हो गया।

न समझा उमर गुजरी, उस बूते खुदसर को समझा के,
पिघलकर मोम हो जाता, अगर पत्थर को समझाते।

जनाबेवाला, मसला दूसरा खड़ा हो गया है। डेढ़ घंटे उस रोज और दो घंटे आज बोला उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आया। अब रामायण पूरी खत्म हो गई और यह समझ में नहीं आया कि सीता कौन थी और राम कौन थे।

मुसलमानों का मतालबा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय का 1918-19 का है। इसके बारे में यह है —"इस्लाम के अहकाम कोई राज नहीं हैं, जिन पर हकुमत की रसाई न हो। छपी हुई किताबों में मुरत्तब हैं और मदर्सों के अन्दर शबोरोज जेरेदर्सोतदरीज हैं।" सुप्रीम कोर्ट के नहीं मदर्सों के हैं। "बस, गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ इस बात की जांच करें कि वाकई इस्लाम के शरे अहकाम ऐसे ही हैं या नहीं। अगर साबित हो जाए कि ऐसे ही हैं, तो फिर सिर्फ दो ही राहें गवर्नमेंट के सामने होनी चाहिए।" यह बर्तानिया गवर्नमेंट के लिए कहा है। "या मुसलमानों के लिए उनके मजहब को छोड़ दें और ऐसी कोई बात न करें जिससे उन के मजहब में मदाख्लत

हो और वह अपने मजहबी अहकाम की बिना पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाने पर मजबूर हो जाएं या फिर एलान कर दें कि उनको मुसलमानों के महजबी अहकाम की कोई परवाह नहीं है, न वह उस पॉलिसी पर कायम है कि उनके महजब में मदाखलत नहीं होगी। इसके बाद मुसलमानों के लिए भी निहायत आसान हो जाएगा कि अपना वक्त बेसूद शोराफुगा में न सर्फ करें और ब्रिटिश गवर्नमेंट और इस्लाम इन दोनों में से कोई एक बात अपने लिए पसंद करें।"

जनाबेवाला, इस एक्सट्रैक्ट में इस इक्तिबास में सिर्फ इतनी ही तरमीम कर दी जाए कि जहां-जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश हकूमत का लफ्ज आया है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट रख दिया जाए, तो उस वक्त का इक्तिबास आज के लिए मुकम्मिल हो जाएगा।

जनाबेवाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और बिलाशुबाह आप की पेशेंस की तारिफ करता हूं। आनरेबिल हाउस का भी और आनरेबिल मैम्बर्स का और आनरेबिल लेडी मैम्बर्स का भी, इनके बगैर तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। आखिर क्या खाना-कपड़ा हमें यही देती हैं। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपके इस आगस्ट हाउस में एक बात यह कहना चाहता हूं, बेहतर बात यह है कि बनातवाला साहब, हो चुका काफी। हां, मैंने जिक्र किया इन्दिरा जी के बाद राजीव गांधी जी के जो स्टेटमेंट हुए हैं, वे वाकई वाजेह और खुले हुए हैं। मैं यह कहता हूं कि आज तक जितने बयानात हुए हैं, उनमें एक इजाफा है। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि हम मुस्लिम पर्सनल ला में मदाखलत नहीं करेंगे, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर कहा कि हम कोशिश करते हैं यह देखने की कि किसी का पर्सनल ला उससे एफैक्टेड न हो और यह कहा कि इस मुल्क का बड़प्पन सारी कल्चर को महफूज रखना है। सारी कल्चर्स से प्यार करना है। अगर हमारी ये कल्चर्स चली गई तो हमारे पास रह क्या गया? फिर यह कहा, उससे एक कदम आगे बढ़कर कि अगर हम यह देखेंगे कि किसी कानून से मुस्लिम पर्सनल ला में मदाखलत हो रही है तो उसको भी हम गौर से सोचेंगे। इस बात के ऊपर भी हम सोचेंगे। इस एशोरेंस और इस बात के बाद अब बहुत ज्यादा इसके लिए गुंजाइश नहीं रही है कि बनातवाला साहब का यह बिल ज्यादा चले। मेरा ख्याल है कि हकूमत इस तरफ मुतवज्जह हो रही है कि वाकयी मुस्लिम पर्सनल ला के सही खदोखाल क्या हैं, उलका के, फुकहा के, जो इस बात से पूरी तरफ से वाकिफ हैं, उनसे मालूमात करके मेरा ख्याल है कि यह जाहिर है कि…

एक माननीय सदस्य : आपसे पूछ लेना काफी है।

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : आपकी इनायत मेहरबानी। मन्तुराहाजी बेगायम तुमरा हाजी बिगो—किसी वक्त हम भी आपको बदला दें देंगे।

तो मैं आपसे कह रहा था इसके बाद कोई बहुत गुंजाइश नहीं रह गई है और मैं उम्मीद रखता हूं यह मसला जो इतने दिनों से बेचैनी का सबब बना हुआ है, हल होगा। मालूम नहीं आज हो जाए या नहीं लेकिन मैं एक अपील तो कर ही दूं जनाब बनातवाला साहब से कि इस बिल को, वे वापस ले लें और हकूमत को इस बात पर गौर करने दें ताकि वह गौर-खोज करके मुनासिब राय जो सभी के लिए, सभी माइनारिटीज के लिए हो उसको निकाल सके।

आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

پیریاوران اور وَن منترالے میں راجیہ منتری (شری ضیاء الرحمٰن انصاری
جناب اعلیٰ .... (ویرد ھان ......

سے بھائی ابھی بشد حوامز دورو الاتعالون پاس کیا ہے اب تو ہم کو آزاد
چھوڑ دیجئے۔ چھوٹا چھوڑ دیجئے۔ چنار یڈی جی کو ہمیں سے دشمنی ہے۔

شری سی۔ جنگار یڈی :۔ (ہم کونڈل) کسی سے دشمنی نہیں ہے۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :۔ میں کھڑا ہوا ہوں اور انہوں نے
اعتراف کیا شروع کر دیا۔ آپ کو بھی موقع ملے گا پورا۔ کیسے تو آپ کی بات میں ہی کہہ دوں

شری مدھو ڈنڈوتے : انصاری صاحب ۵ سال تک بولتے رہ

Mr Deputy Speaker : What about the Minister's bhadia ?

شری سی۔ جنگا ریڈی : بھتیجے کو پوتا بننے تک بولیے۔

Prof Madhu Dandavate : Speak till this House is dissolved.

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :۔ جناب والا پچھلی مرتبہ جناب بنات والا
کے بل پر بحث کرتے ہوئے میں نے قرآن کی مختلف پراویزنس کو جو طلاق نکاح اور
مینٹیننس کے متعلق ہیں ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالی تھی اور یہ بات قرآن کی آیات
سے ان لوگوں کے لیے جو کھلی آنکھوں سے قرآن کے سارے پراویزنس کو دیکھنا
چاہتے ہیں یہ بات پوری طرح ثابت کی تھی کہ قرآن میں جو پراویزنس ہیں مینٹیننس
کے متعلق عورت کے لیے جس کا طلاق ہو گیا ہو وہ عدت کے پیریڈ تک ہے۔ میں اس
مسئلے کے دوسرے پہلو پر بحث کر رہا تھا کہ آخر اس میں حرج کیا ہے۔ قرآنی پر
پراویزن نہ ہوتے ہوئے بھی اگر ایک عورت کو جو بالکل بے سہارا ہو اس کے لیے
مینٹیننس کا کچھ پراویزن کو دیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے اور اس سلسلے میں
میں نے دو تین باتیں کی تھیں۔ غالباً میں اس نکتے پر تھا کہ منجملہ اور وجہوں کے ج

ہم نے بیان کیا۔ کہ ایہ بیرادرن کرنا اسلام کے نزدیک اسلام کے دونوں کے اعتبار سے ظلم ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ظلم لفظ عام طور پر ہمارے ملک میں بھی بولا جاتا ہے اور یہ عام لفظ ہوگیا ہے۔ ظلم خالصتاً عربی کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے مرتبہ اور محل کے خلاف استعمال کرنا۔ ہر شخص کی جائیداد یا اس کی آمدنی کے اوپر اس کے کچھ لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ وہ تنہا اپنے لئے نہیں کماتا ہے ان لوگوں کے اس کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔ یا جو اس کے لئے کوئی سروس کرتے ہیں۔ اس آمدنی کو جو آمدنی اس لئے مخصوص ہو اس میں کسی ایسے کا شیئر لگا دینا جس سے کوئی تعلق نہیں رہا اور جو غیر سے بھی بڑھ کر غیر ہو گئی اس کو واجب قرار دینا، فرض قرار دینا۔ اس کے لئے کوئی دوسرا لفظ عربی زبان میں نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو ظلم کہا جائے۔ میں ایک نکتہ کی طرف اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں ان باتوں سے علیحدہ ہٹ کر خالص دینی اعتبار سے۔ مذہبی اعتبار سے کہ جو پراویژنس شریعت نے بہت صفائی کے ساتھ قرآن اور حدیث میں بیان کر دئے ہیں اور وہ محکمات کا حکم رکھتے ہیں ان میں کسی قسم کی تبدیلی یا کوئی اضافہ کرنا شریعت پر ایک حکم لگانا ہے کہ شریعت ابھی ناقص ہے اور شریعت کے اس نقص کو ہم دور کر رہے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے۔

الیوم اکملت دینکم

قرآن جب مکمل ہوگیا اور دین کے سارے احکامات پورے طور پر آ گئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حجۃ الوداع کے وقت محمد صاحب کے اوپر۔ اور ان سے یہ کہا گیا کہ "الیوم اکملت لکم دینکم" ہم نے آج تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔

"واتممت نعمتی علیکم" اور ہم نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دیں۔ اگر آج ہم ان فرائض اور واجبات میں سے جن کو فرائض و واجبات

کا درجہ دیا گیا ہے۔ قرآن حدیث میں جو گئیں، ان چیزوں میں کوئی اضافہ کرتے ہیں اسے مانتے ہیں تو گویا ہم صریحاً قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں۔ دین اس روز مکمل نہیں ہوا تھا اور نعمتیں اس روز تمام نہیں ہوئی تھیں۔ نعمتوں کے تمام ہونے کا دن آج ہے۔ نعمتوں کے مکمل ہونے کا دن آج ہے۔ اس سے زیادہ قباحت کی بات کسی مسلمان کے لئے کوئی اور نہیں ہو سکتی وہ اپنے قرآن پر، اپنے خدا پر، اپنے رسولؐ پر یہ الزام لگائے تم نے جو محکم اصول بنائے تھے ان کو ٹھیک سے نہیں دیکھا کہ تم سے کمی رہ گئی تھی، کمزوری رہ گئی تھی اور آج ہم عقل کے اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم تمہاری ان کمزوریوں کو دور کر رہے ہیں۔ اس کو ہم مکمل کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔

میں آپ سے نہایت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جو سب سے زیادہ کرتی ہے ایک مسلمان کو سب سے زیادہ جس کا اثر لیتا ہے مسلمان۔ ایک طرح سے اس کو کہا سکتا ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم گویا شریعت سازی کرتے ہیں۔ نئی شریعت بنا رہے ہیں۔ اس چیز کا نام بدعت ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت سازی کا ہے۔ ان احکامات کے بعد ایک سوال رہ جاتا ہے جس میں لوگوں کا دماغ الجھ جاتا ہے اور اگر اسکی صفائی نہ ہو تو بات اپنی جگہ پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ بیچاری عورت جس کو طلاق ہو گئی اپنے شوہر سے اس کا ناتو لوٹ گیا۔ اب کوئی اس کا گذارہ دینے والا نہیں۔ اس کو رہنے کے لئے مکان نہیں۔ اس کے کھانے پینے اور پہننے کا کوئی انتظام نہیں تو آخر وہ جائے کہاں۔ اور یہ سوال میں دوسرے تعلق نہیں کہتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس شخص کو جس میں دیانتداری ہے ہر شخص کو یہ سوال پریشان کرتا ہے۔ اس میں کسی مذہب کا سوال نہیں ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کے دماغ میں جو اس شریعت سے تعلق نہیں رکھتے۔ اس دین سے تعلق نہیں

دیکھتے یہ الجھن ہی ہے اور یہی آپ سے بات ۔ بتدا ہی کے ساتھ تو کہتا ہوں کہ جس کے سامنے قرآن کے سارے پرادیژنس نہیں اگر یہی انکے سامنے یہ مسئلہ اس طرح سے رکھ دیا جائے کہ ایک عورت طلاق ہونے کے بعد کہاں جائے اور ان کو معلوم نہو کہ اسلام میں یا قرآن میں اس کے لئے کیا پرادیژنس ہیں تو وہ یقیناً کہیگا کہ ہاں یہ غلط بات ہے۔ ظلم ہے اس بیچاری عورت کے ساتھ ۔ اس کی کے لئے کوئی پرادیژنس ہونا چاہیئے۔ جناب والا میں اس مسئلے کے اوپر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں

میں نے شروع میں کہا تھا اور گزشتہ ہاؤس میں کہ اسلام کو یا کسی بھی اسکیم کو پورے کے پورے طور پر دیکھنا چاہیئے تب ہی اس کی اچھائی یا برائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

اگر کوئی مثلاً بالکل ہی پردہ نشین محترمہ ہوں اور ان کا ہاتھ ہی محض باہر صاف ستھرا دکھائی دے تو اس سے یہ اندازہ لگا لینا کہ وہ بہت حسین اور جمیل ہونگی۔ ایسا کبھی کبھی بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے اب تو میری عمر ہی نکل گئی ہے اب آپکے ساتھ ہو سکتا ہے۔

میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ان پرادیژنس کو پورے کے پورے طور پر دیکھنا چاہیئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ جن سے ہمارے دماغ میں ایک الجھن ہے۔ اور الجھن بجا طور پر ہے کہ اسلام میں سماجی زندگی کی جو اسکیم رکھی ہے اس اسکیم کے تحت عورت کا کیا درجہ ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیئے۔ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام میں عورت کا تعلق شادی کے بعد بھی اپنے فطری خاندان سے نیچورل فیملی سے کٹ نہیں جاتا۔ فاطمہ بنت محمد ہی رہیں گی۔ چاہے ان کا نکاح علی کے ساتھ کیوں نہ ہو جائے۔ عائشہ بنت ابوبکر رہیں گی۔ چاہے ان کا نکاح محمد کے ساتھ کیوں نہ ہو جائے۔ لڑکی کا اپنے فطری خاندان سے نیچورل خاندان سے۔ ماں باپ کے خاندان سے تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ اس کا بدل نہیں جاتا

میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں شادی کے بعد بھی لڑکی کا تعلق اپنے ماں

باپ کے خاندان سے منقطع نہیں ہو جاتا اور وہ شادی کے بعد بھی ماں باپ کی
جائیداد میں وراثت کی حقدار ہے۔ اور طلاق کے بعد پھر وہ اپنے خاندان
کی طرف ریورٹ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھنا چاہئے تو وہ ایسے سمجھ
سکتا ہے کہ جس طرح شادی کے پہلے لڑکی کا نان اور نفقہ اس کی مینٹیننس اس کی
گزر اوقات کا سامان کرنا ماں باپ کا فرض تھا۔ اس طرح سے طلاق کے بعد بھی اس
لڑکی کا مینٹیننس اور گزارا یہ بھی ماں باپ کا فرض ہے۔ اور یہ انکے اوپر
ہے یہی نہیں بلکہ میں آپ کو اس کے آگے کے
پراویژنس بھی بتانا چاہوں گا۔ اگر لڑکی شادی کے بعد کسی ایسی بیماری میں مبتلا
ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کا شوہر انکار کر دیتا ہے۔ اس کی دوا علاج
نہیں کرتا تو بھی ماں باپ کا فرض ہے کہ اس لڑکی کی دوا علاج کا انتظام کریں
شادی کے بعد بھی یہ فرض اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی
ہے کہ مان لیجئے ماں، باپ اس لائق نہیں ہیں تو پھر اس کے بھائی، چاچا، دادا اور
دوسرے لوگوں کا فرض بن جاتا ہے۔ اور ایک معقول سالوشن یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس
لڑکی کی جائیداد میں وراثت کا حق ہے اور جب پراپورشن میں ہے اس پراپورشن
میں اس لڑکی کا مینٹیننس ان لوگوں پر واجب ہے۔

جناب والا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے اور کیا رونا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں
اصلی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پراویژنس نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے بختی سے
ان مسئلوں پر پوری دلجمعی کے ساتھ عمل نہیں کیا۔ اور اس طرح کے ہم نے قانون
نہیں بنائے۔ جیسا کے اوپر ایسے حالات میں ان لوگوں پر مینٹیننس واجب کیا ہے
ان کو پابند کریں۔ یہ ہم نے نہیں کیا۔ اس کی عمل درآمد کی
مشینری ہم نے نہیں لی۔ یہ نقص ہے۔ اگر اس نقص کو دور کر دیجئے
تو لڑکی کی مینٹیننس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔

اگر مان لیجئے ایسی بھی کوئی بات ہے تو سوسائٹی ہے، سماج ہے۔ اکثر

جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے۔ جس کی کوئی مینٹیننس نہیں کرتا تو اس کو سماج مینٹین کرتا ہے۔

یہ سارے کے سارے پراویژنس ہیں شامی میں۔ شامی ایک مستند کتاب ہے۔ اس میں اسی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو دیا گیا ہے۔

اب ان پراویژنس کے بعد اگر کوئی مسئلے کو سمجھنا چاہے۔ اور اگر کوئی اس کی آنکھوں پہ چشمہ نہیں لگ گیا ہے۔ تو یہ مسئلہ بہت صاف ہے۔ یہ پراویژنس ہیں، یہ اسکیم ہے۔ اس شریعت کا پورا کا پورا ایک ایتھاس ہے اس ایتھاس کے اندر اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ دیکھنا پڑے گا۔ اور اگر اس میں سے کسی ایک جزو کو علیحدہ کر دیں گے تو سارا ڈھانچہ گر جائے گا۔ بنیادیں ہل جائیں گی۔ اور جو سارا اسٹرکچر کھڑا ہے چند ستونوں کے اوپر ان ستونوں میں سے ایک ستون بھی نکال دیا تو پورا کا پورا اسٹرکچر گر جائیگا جیسے ڈاٹ میں ایک ڈیٹ لگی ہوتی ہے اگر اس کو نکال دیا تو پوری کی ڈاٹ گر جائے گی۔ یہ میری عرض ہے۔

جناب والا! اس میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں۔ ایک بات عام طور پر کہی گئی ہے۔ کہ مسلم ممالک میں بہت سی تبدیلیاں شریعت میں ہو گئی ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں ہو گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان قانونوں میں تبدیلی کی حیثیت کیا ہے۔ پھر ایک اور نمبر دو یہ کہ ہم اسلامی قانون کو پرکھ رہے ہیں یا ہم مسلمان حکمران کو اور مسلمان حکمرانوں کے رد عمل کو پرکھ رہے ہیں۔ ہم اسلامی قانون کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم مسلم حکومتوں اور مسلم حکمرانوں کے رد عمل کو نہیں پرکھ رہے ہیں دنیا میں محض نام سے کوئی مسلم حکومت ہو جائے جیسے پاکستانی حکومت ہو جائے۔ جیسے پاکستان میں مسلم حکومت ہے لیکن اسلام نفاذ کس درجہ تک ہوتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔

لیبیا، ترکی، انڈونیشیا۔ ان ملکوں میں اسلامی قانونوں کو

اپلائیمن مالی اس وجہ سے ہے۔ اور یہ مرعوبیت کا ہے۔ اور یہ مرعوبیت سارے دقتوں پر آئی ہے۔ اسلام کی ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ جب اسلام یونان کے فلسفے سے دوچار ہوا اور یونان کے فلسفے سے وہ آگاہ ہوا تو کچھ ہمارے پڑھے لکھے لوگ یونانیوں کے فلسفے سے متاثر ہو گئے۔ اور اس سے مرعوب ہو گئے۔ اور مرعوب ہو کر یونانی فلسفے کے انداز میں قرآن کو انٹرپریٹ کرنے لگے۔

معتزلہ کا پورا ایک گروہ خود ہمارے ہندوستان میں سرسید احمد خان نے ہندوستان میں نیا نیا انگریزی برطانیہ کا قائم ہوا تھا۔ انھوں نے انگریزی تہذیب سے متاثر ہو کر قرآن کو اس انداز میں انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا جو نئی روشنی کا ہے۔ اور وہ نیچوری ہو کر اسلام کی دنیا نے ان کو رد کر دیا۔ اور آج ان کی کوئی بھی بات کوئی مسلمان سننے کو تیار نہیں ہے۔

اس لئے مان لیا گیا کہ وہ مرعوبیت کا شکار تھے۔ اور آج ہمارے سو کالڈ پروگریسیو کیا جلا رہے ہیں۔ جو آج کے دور میں مارکس کی ہاں میں ہاں ملاکر قرآن کو انٹرپریٹ نہ کریں۔

وہ فنڈامینٹلسٹ ہے اور آبسکیورینٹسٹ ہے۔ تو یہ یا مرعوبیت کا شکار ہیں۔ لوگ جس کی وجہ سے قرآن کو عصر حاضر کے فلسفے کا چشمہ لگا کر قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ قرآن کا انٹرپریٹیشن بڑے سے بڑے فلسفے سے متاثر ہو کر اگر کیا گیا ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا انٹرپریٹیشن قرآن کی زبان میں سمجھا جا سکتا ہے۔

ہاں یہ صحیح ہے میں نے شروع میں بھی کہا کہ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔

میں نے آپ سے پہلے بھی کہا۔ سیٹھ صاحب آپ تشریف نہیں لا کہتے

تھے آپ بیمار تھے دل زیادہ دھڑک گیا تھا۔ بات والا صاحب تشریف رکھتے تھے مجھے غلط فہمی بھی ہو گئی تھی میں نے معافی مانگ لی تھی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا انٹرپریٹیشن قرآن اور قرآن کا جسے فہم حاصل کیا تھا انکی مفہوم کرنا چاہیئے ایک بات کہی ہے۔ افلا تتدبرون افلا تتفکرون۔ اور غور و خوض کرو قرآن میں ہر شخص جس نے بھی ڈھائی جزو پڑھ لئے اور میں نے بھی دو آیتیں پڑھ لیں وہ بس اب مفکر بن گئے۔ ارے بابا ٹھیک ہے یہ عام تقاضہ ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لئے کوئی خاص طبقہ مخصوص کر دیا ہو کہ پنڈت جی مہاراج ہی اس کو پڑھیں گے اور کوئی اسکو نہیں پڑھ سکتا۔ کوئی خاص طبقہ اسلام نے نہیں بنایا ہے۔ عام لوگوں کے لئے کھلی کتاب رکھدی ہے اور کہا ہے کہ پڑھو۔ لیکن سمجھنے کی الگ الگ استعداد ہوتی ہے۔ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہمارے جیسا جسنے دو جزو پڑھے ہوں ظاہر ہے وہ قرآن کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ ایک شخص جسکی پوری کی پوری زندگی اسمیں گزری ہو جس نے حدیثوں کو پڑھا ہو۔ جس نے مسائل کا استنباط کیا ہو استنباط کرنیکے معنی ہیں جیسے کنوئیں سے پانی نکالا جاتا ہے اسی طرح مسائل کو کھوج کر نکالا ہو۔ رسول کی زندگی کو اس نے دیکھا ہو ان لوگوں کے فہم ہونگے ان لوگوں کے ادراک ہیں اور انکے تفکر ہیں۔ ہمارے بچے ان کے لوگوں کے تفکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک عجیب تماشہ کھڑا کیا تھا علامہ مودودی نے جماعت اسلامی کے انہوں نے سب کو مجتہد بنا دیا۔

شری ذین البشر بیٹھا سلین ہوئے: ایک مالیہ سن سئے :۔ بنگلہ میں اس کا مطلب بتا دیجئے۔ شری ضیاء الرحمٰن انصاری: بنگلہ میں مشکل ہو جائیگی ہم بنگلہ کبھی تم سے پڑھ لینگے اگر ہم بنگلہ میں بتا بھی دیں تو تمہاری کچھ سمجھ میں آئیگا نہیں ہے تمہیں سمجھائینگے تو ہم اپنا ہی سر پھوڑینگے تمہاری سمجھ میں نہیں آئیگا۔ تمہارے دماغ میں تو دوسرا بھوت سوار ہے۔

شری سی جنگا ریڈی: آپ نے مان لیا ہے کہ بھوت سوار ہے

شری ضیاء الرحمان انصاری: میں نے ایک کو کہا یہ دوسرے اور نکل آئے ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں ...... (انٹرپشنز) شری ضیاء الرحمٰن انصاری: خفا نہ ہوئیے پیار محبت کی باتیں ہیں۔ زیادہ ہم سے چھوٹے تھے اس لئے کہدیا۔

خدا کا شکر ہے کہ محترم کے بعد آپ نہیں آئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ایک سوال ہے کہ کیا قرآن جس قسم کا سماج بنانا چاہتا ہے کیا وہ اسٹیٹک منجمد سماج ہے اور تھما ہوا سماج ہے جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھندے سے ہوتے پڑے ہاتھ بندھے ہوئے مزدوروں کی طرح۔ نہیں۔ قرآن سے زیادہ لوچ ڈائنامزم ہے وہ شاید ہی کہیں آپ کو ملے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اس میں یہ لچک ہے کہ مختلف وقتوں میں دین میں اجتہاد ہوا ہے۔ اجتہاد کی منشا کیا ہے، اجتہاد، قیاس، اجماع امت۔ وقت کے تقاضے کے مطابق یہ سارے طریقے ہیں اپنے قانونوں کو ڈھالنے کے۔ کون سا قانون۔ وہ قانون نہیں جو مرتکافنس قرآنی سے ثابت ہو جو قرآن میں کسی طرح سے صاف صاف درج ہے اس طور سے ثابت ہے اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں حدیث صحیح سے جو مسئلہ مستقل طور سے ثابت ہے اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ صرف ان مسائل میں تبدیلی کی گنجائش ہے جو نئے مسئلے ہمارے سامنے اٹھ کھڑے ہوں اور سوسائٹی کا تقاضہ ہو کہ ان سے مسائل میں نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنے قوانین کو سوسائٹی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔ اس کی گنجائش ہے اور اسکے اوپر اجماع امت ہے مختلف وقتوں میں۔ اب اگر اسلامی ممالک کے قانونوں میں تبدیلی ایسی درجے کی ہے تو میں تو خود کہتا ہوں کہ اسکی گنجائش ہے۔ لیکن اگر وہ تبدیلی اس درجے کی ہے کہ انہوں نے خود اسلام کی جڑوں کی بیخ کنی کر دی ہے ان ستونوں کو گرا دیا ہے۔ جن ستونوں کے اوپر پورا سماجی ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے سے یہ کہہ دیا جائیگا کہ غیر اسلامی قانون ہے اور مسلم حکومتیں ہونے کے باوجود بھی ان کو اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گنجائش ہے لیکن گنجائش کے باوجود یہ ایک اصول رکھا گیا ہے۔

اب بھی ایک جگہ ہے ... نازک مقام ہے جس مقام پر علما اور فقہا کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ میں بہت دردمندی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس آنریبل ہاؤس کے

ذریعہ سے یہ بات ان تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ تم نے بھی اپنے فریضے کو پہچانا نہیں کاش تم اپنے فرض کو پہچانتے اور یہ وقت آنے سے پہلے تم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہوتا وقت کی تیز رفتار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا ہوتا اور قوانین میں ایسی تبدیلی کر دی ہوتی اجتہاد کے ذریعہ سے کہ آج وہ قوانین آج کے زمانے کا ساتھ دے سکتے تم اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ زمانے کی رفتار تمہاری اسس سست رفتاری کی وجہ سے رک جائیگی۔ زمانے کی رفتار رکنے والی نہیں ہے۔ اسس لیے جناب والا میں آپ کے ذریعہ سے بہت ادب کے ساتھ ان لوگوں کو جو دین اور شریعت کی محفوظیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے نہایت ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت نہیں گیا ہے اور سوسائٹی کے وقت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے قوانین پر نظر ثانی اسس میں ایسی بنیادی تبدیلی لاویں کہ ہمارے قوانین وقت کا ساتھ دے سکیں۔ اس وقت جب ایک رائے عامہ بن جائے مسلمان فقہا کی علمار کی تو پھر حکومت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ حکومت ان سے رابطہ قائم کر کے ان سے صلاح مشورہ کر کے اگر کوئی ایسی تصویر سامنے رکھی جارہی ہے جو تصویر مسلمانوں کے پرسنل لا کو ایک ڈائنامک شکل دینے والی ہے ایک نئی تصویر دینے والی ہے مثلاً یہ پراویژنس ہیں۔ مینٹیننس کے پراویژنس ہیں لیکن عمل تو کہیں نہیں ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ بیچاری ماری ماری پھرتی ہیں طلاق کے بعد اور اسمیں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر اسکی حالت کو دیکھ کر ہر شخص کو ترس آتا ہے اور بجا طور پر ترس آنا بھی چاہیے اور یہ سوال دماغ میں آنا چاہیئے کہ وہ کہاں جائے تو انہی قوانین کے متعلق کوئی ایک مضبوط رائے قائم کر کے حکومت کے سامنے رکھا جائے اور حکومت اسپر اقدام کرے۔ اس کے مطابق اسس قانون کو ڈھالے تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔

اب بالکل آخری سوال ہے۔ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ اس بحث کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ شریعت کے کیا احکامات ہیں اور کیا شریعت میں

گنجائشیں ہیں مینٹیننس کے کیا پراویزنس ہیں طلاق کے کیا معنی ہیں طلاق کے کیا شرطیں ہیں نکاح کا کیا درجہ ہے۔ ان ساری پرویزن پر میں بحث کر چکا۔ اب ایک مسئلہ ہے جس پر میں نے کہا تھا کہ بعد میں روشنی ڈالوں گا اور وہ ہے سپریم کورٹ کا شاہ بانو کا ججمینٹ۔ شری چندر جوڑ نے اس ججمینٹ کو طے کر کے جوڈزائرڈ افیکٹ کریڈیٹ کرنا چاہا کہ اس کے بارے میں آپ نے اپنے اسٹیٹمینٹ میں فرمایا ہے کہ وہ ڈزائرڈ افیکٹ انہوں نے کریئیٹ کر دیا۔" ہندوستان ٹائمز میں ۲۸ نومبر ۱۹۸۵ کو ان کا اسٹیٹمینٹ نکلا ہے یعنی ریٹائر ہونے کے بعد۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس نہ رہنے کے بعد ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ کبھی کبھی ڈائرکشن دینے سے کسی طرح سے باز نہیں آتے ہیں۔ یہ ہوتا بھی ہے کہ جب ایک عرصے تک ایک کرسی پر کوئی بیٹھا رہتا ہے تو اسکی ذہنیت بدلتے بدلتے ہی بدلتی ہے۔۔۔۔۔

(انٹرپشنز)۔۔۔ وہ بڑی مشکل سے بدلیگی۔

تھمتے تھمتے تھمینگے آنسو

رونا ہے یہ ہنسی نہیں ہے

۔۔۔(انٹرپشنز)۔۔۔

ہم کو رلا کر کہا ہے۔

ایک مانیہ سدسیہ : کیوں۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :۔ ابھی بتاتا ہوں کیوں۔ لیکن بہت سی باتیں یہاں بتانے والی ہیں اور بہت سی باہر بتانے والی ہیں۔ مسٹر لارڈشپ بتا رہے ہیں۔۔۔۔۔

شری دنبیر سنگھ (کیسر گنج) : جب انہوں نے یہ بات کہی تب وہ لارڈشپ نہیں تھے۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :۔ ٹھیک ہے ایک لارڈشپ اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں۔

"The former Chief Justice explained that although the Supreme Court had powers to review it's own decision but in this case a review was particularly inappropriate as the verdict ... significant land mark in the march of law towards social reformation.

چیف جسٹس کرسی سے ہٹنے کے بعد ریفارمر ہو گئے۔

He further said said "This decision has provoked a social ... which does not furnish any logical reasons to review it. If half the society does not like the ..., what about the other half

منشا ان کی یہ تھی کہ سوشل ٹو مائل ہو جائے لیکن آگیا زلزلہ۔ اس کو تھامنے کے لیے روکنے کے لیے کچھ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔

Which other half, this ex-Chief Justice is referring to ? Well it is a matter of the Muslim personal law. It does not concern others and if he means by this other half, the women-folk, perhaps he does not know the attitude of the Muslim women with regard to this Judgment. He is unware. He does not know. He is absolutely ignorant, and I can......

شری انویر سنگھ :- ان کا اشارہ بھتیجے کی طرف ہے

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیا فرماتے ہیں :-

"On allegations that the decision was an interference in Mus...

"On allegations that the decision was an interference in Muslim personal law.

Mr. Chanderchud said : "The law has to be interpreted by the court in accordance with the man date of Holy Koran."

And that interpretation he will give. Now all these Olemas, Mufti and Mushtehids should close down their offices. Mr; Chandrachud is here to interpret Koran as a grand Mufti, as a grand Mufahid of the time, who else can come forward to interpret Koran as a reformer ?

else can come forward to interpret Koran as a reformer

اس فیصلے کی زبان اس فیصلے کا طرز اس فیصلے کا انداز یہ ساری پیرویژن اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ در حقیقت یہ کوئی فیصلہ ہے ہی نہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے لائق آدمی نے ایک سیمینار کا پیپر تیار کیا ہے

شری ابراہیم سلیمان سیٹھ :- اینٹی اسلام پیپر ہے۔
شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- مقالہ جو انہوں نے پڑھ دیا۔

It is not a judgment at all.

Now, in this particular case, there are two parties. One a ... ng, the other a woman.

ایک عورت اور ایک مرد کے بیچ میں شروع ہے۔ کم سے کم عدلیہ جو عدل کرنا چاہتی ہے اس نے ظاہری طور پر غیر جانب داری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ غیر جانبداری کا رویہ اختیار نہیں کرتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ فیصلہ ایک پریموڈیس فیصلہ ہے اور اس کو کوئی حیثیت نہیں ہیں۔

میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں :-

The judgement begins with it

Some questions which arise under the ordinary civil and c... law are of a far-reaching significance to large segments of ... which have been traditionally subjected to unjust treatment. Women are one such segment.

Now he is again entering the field for which he is ...

** He has referred to Sastre

دو اُستری سوتنتر کے ارھتی

said Manu, the Law-Giver.

** Expunged as ordered by the Chair.

میں اس کا مطلب نہیں سمجھا لیکن اس کے آگے جہاں پر انہوں نے اسلام پر زبردست حملہ کیا ہے میں آپ سے بہت صفائی سے کہنا چاہتا ہوں۔

I am saving these things between the lines, and what I say I mean it. That is, the women does not deserv independence.

..eserve independence.

یہ منو نے بتایا ہے :-

"And it is alleged that the futal point of Islam is the degaradation of women - selection from Koran.

یہ سلیکشن آف قرآن کس کی کتاب ہے۔ جسکو وہ ریفر کر رہے ہیں جسٹس امیر علی کی نہیں ہے اور بہت سے اچھے جورسٹس ہوئے ہیں ان کی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے بدنام شخص کی ہے جو اسلام کی دشمنی کے لیے دنیا میں بدنام ہے۔ اسی کو یہ ریفر کر رہے ہیں اور وہ ریفر یہ ہے :-

Eoward William Lane. Everybody knows that in the whole of Islam world, he is a known person for his anti-Islam feelings. He has referred him, not Justice Amir Ali, not Tyabji, not the other jurists of eminence, but only Edward William Lane.

اب وہ حدیث میں آگئے ہیں : قرآن تک ہی معاملہ نہیں ہے۔ دوسروں کی کوٹیشنس تک ہی معاملہ نہیں ہے۔ اب وہ حدیث میں آئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنے ڈیروگیٹری ریمارکس ہیں :-

To the Prophet is ascribed the statement :

" ..hopfully wrongly that woman was made from the crooked rib, and if you try to bend it straight, it will breck. Therefore treat your wives kindly."

اس پوزیشن کو انہوں نے گویا یہ سمجھ کر پوٹ کیا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے درجے کو گرانے کے لیے اور حقارت کے لیے یہ حدیث ہے۔ جناب والا یہ حدیث مستند حدیث ہے اور حدیث کی سب سے معتبر کتابیں ہیں "بخاری" اور "مسلم" یہ حدیث ان کا ہے اور اس کا درجہ متواتر کا ہے۔ متواتر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ راویوں سے مختلف حدیثوں کی کتابوں میں آئیں۔ اب یہ "بخاری" ہے اور یہ "مسلم" ہے اور دو [illegible] کو میں بھول رہا ہوں۔ آپ کو کوئی جلدی تو نہیں ہے۔

ایک ماننیہ سدا سے :- آپ بولیے

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- آج معاملہ ڈرائی سا ہو گیا ہے۔ بھتیجے کی عدم موجودگی میں۔

شری بھاگوت جھا آزاد صاحب بھی خشک سے بیٹھے ہوئے ہیں۔

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولہ) بھتیجے کو بلوا لیجئے۔ مزا نہیں آرہا ہے۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- تم ہی ان کا رول ادا کرو۔

پروفیسر سیف الدین سوز : میں کیسے کر سکتا ہوں۔ میں تو آپ کو سینئر لی چچا مانتا ہوں۔ اپنے بھتیجے کو بلائیے۔ (انٹرپشنز)

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- کہیں آپ مجھے تو بھتیجہ نہیں مان رہے ہیں۔

پروفیسر سیف الدین سوز :- نہیں آپ کو چچا مانتا ہوں یہ چچا محترم۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- جناب عالی بخاری' یہ بخاری کی حدیث ہے جس کا عنوان ہے ہید کیا ہے۔ " باب الوصیت بالنساء " عورتوں کے متعلق وصیت۔ دی ول آف پرافٹ ریگارڈنگ دی ویمین " اس باب کے تحت یہ حدیث ہے یہ باب اس بات کو ظاہر کرتا ہے عورتوں کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کی وصیت کرنا چاہتے ہیں اور اسکے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت ابوہریرہؓ جو بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے۔ اپنے نیبر کو تکلیف نہ دے ہمسایہ کو تکلیف نہ دے اور عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کرلو اور یہ الفاظ ہیں۔ میں عربی کا متن نہیں پڑھ رہا ہوں صرف اردو کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ عورتوں کے بارے میں میری وصیت کو قبول کرلو اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے بلکہ مثال دی ہے محض مثال دی ہے اور مثال دی ہے پسلی سے میں پہلے پڑھ دوں پھر اس کے بعد بتا دونگا۔ سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو توڑ ڈالو گے اور اسی حال پر چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی پس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں ہماری وصیت قبول کرلو اسکو کہا ہے "ھوپ فول رانگلی" جناب والا اگر ٹیڑھا پن عورت کی فطرت کی نیچر کی طرف اشارہ کرنے والا اور ان کی تحقیر کرنے کے لیے ہوتا تو دنیا میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہیں۔ چاہے سو برس گاڑ دیجئے۔ یا انہیں بائیں پسلی سے مثال بہت دی ہے۔ کتے کی دم سے مثال بہت دیدیتے۔ مثال ہمارے آپ کے یہاں مشہور ہے کہ کتے کی دم کو سو برس گاڑے رہو تب بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ سیاق وسباق کا ریفرینس لمو کا نٹیکسٹ یہ بتلا رہا ہے کہ عورتوں کے متعلق وصیت کرنے کے لیے ہے۔ اس کا سیاق وسباق یہ بتا رہا ہے جیسا پہلے کہا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھا برتاؤ کرو یہ محض مثال ہے اور یہ قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ایسی مناسب مثالیں سامنے رکھ کے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ اشارہ صرف نزاکت کی طرف ہے کہ بڑی نازک ہوتی ہیں اور ان کی نزاکت طبع کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نزاکت تمہارے ڈنڈو تے صاحب آپ کے لئے خاص طور سے کہہ رہا ہوں۔ آپ بہت غور سے سن رہے ہیں۔ بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نازک مزاجی تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور تم زبردستی اسپر پریشر ڈال کر ان کو سیدھا کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ سکتی ہیں۔ لیکن مرحاد نہیں

ہوسکتا۔ اسکو کہہ رہے ہیں۔ "ھوپ فولی رانگلی" یہ تو میں نے آپ کو بخاری کا سنایا اور یہی حدیث مسلم میں ہے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے جو مسلم میں جو باب قائم کیا ہے اس حدیث کے لیے وہ بھی ہے "باب الوصیت بالنساء" عورتوں کے لیے وصیت کا باب ہے عورتوں کے لیے ول کا باب ہے اور اس کے نیچے عورتوں کے ساتھ خوش خلقی کرنے کا حکم یہ اس کا ھیڈنگ ہے عنوان ہے۔ ابوھریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان رکھتے ہو اللہ پر پہلے دین پر اسے ضروری ہے کہ جب کوئی امر پیش آئے تو اچھی بات کہو، ورنہ چپ رہو، اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو اچھی بات کہو نہیں تو خاموش رہو۔ یہ نہیں کہ "کہیوں ہوٹکر سہاتی ناہیں تو چپ دن راتیں" صاف صاف اچھی بات کہو نہیں تو چپ رہو۔ عورتوں سے خیرخواہی کرو اسلیے کہ وہ پسلی سے بنی ہے اور پسلی میں اونچی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ اسے سیدھا کرنے لگے تو اسے توڑ دیا اور ہاں چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہی اسلیے عورتوں کی خیرخواہی کرو۔ یہ دو حدیثیں ہیں ان حدیث پر کیا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک مثال کہی جاتی ہے۔ تیلی کا کام جب تنبولی کرنے لگتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ایک بڑھئی کو آپ کسی پل کا ڈیزائن کرنے کے لیے انجینیر کا درجہ دیدیں تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے پل کا ڈیزائن کریگا۔ علم سے واقف نہیں اور ایتھوس نہیں جانتا۔ اسلامی کلچر کا ایتھوس پتہ نہیں ہے اور ریفر کر رہے ہیں قرآن کو بھی۔ حدیث کو بھی اور کہہ رہے ہیں "ھوپ فولی رانگ فولی" میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس بات کی شہادت دیگی کہ یہ پریجوڈیسٹل ڈینیل ڈیزائن ہے۔ پہلے سے ذہن میں اس بات کو ٹھان لیا کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوتی ہی رہی ہے اور جب زیادتی ہوتی رہی تو اس میں بھی یقیناً زیادتی ہوگی ہے۔ ایسے ججمینٹ کی توقع کوئی شخص سپریم کورٹ جیسے بڑے ادارہ سے جو عدالت

عالیہ کہلاتی ہے ہمارے ملک کی نہیں کی جا سکتی۔ آپ بھی لاؤنگ ہو رہی ہے۔ اسٹیٹمینٹ دیئے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے اُس ججمینٹ نے سپریم کورٹ کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے۔ سپریم کورٹ کا ایک محترم احکام ہے جس سے امید کی جاتی ہے کہ اس کے سامنے سب برابر ہونگے اور یہ کسی انصاف کے معاملے میں ان کا ترازو عدل کا ترازو ہوگا وہ نہ ادھر ہوگا اور نہ وہ ادھر ہوگا۔ ڈسکریمینیشن نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے جو ججمینٹ آ رہے ہیں اسمیں ڈسکریمینیشن کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں ابھی تلاش کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔

پروفیسر سیف الدین سوز :- اطمینان سے تلاش کیجئے ہم کو جلدی نہیں ہے۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- میں آپ کی عنایت کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ گرشنا ستگھور سر قوم اہیر کا ایک ججمینٹ ہوا تھا۔ وہ ایک بابا کا چیلا ہو گیا۔ بابا کی کٹیا یا جو مکان تھا اسمیں وہ رہتا تھا۔ جب بابا سدھار گئے اس دنیا سے تو ان کے صاحبزادوں نے کہا کہ یہ کیسے یہاں قابض ہے۔ ہم نیچرل ہئیر ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم بابا کے چیلے ہیں اور یہ جائداد ہے اور ہم اسپر قابض ہیں۔ اسپر منصف کے یہاں قصہ چلا اسکے بعد ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے یہاں اور پھر الہ آباد کے ہائی کورٹ میں جہاں جسٹس گیرتی نے ایک ججمینٹ دیا جسمیں کہا گیا کہ چونکہ یہ شودر ذات ہے اس لیے یہ تو سنیاسی ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ کے بنارس کے گڑھوا گھاٹ کا قصہ ہے۔ .... (انٹرپشنز) .. .. کہ یہ غلط بات ہے اور آج کی دنیا میں آج کے دور میں شودر ذات اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں ڈسکریمینیشن کرنا بالکل غلط بات ہے۔ ہائی کورٹ نے اس اہیر کے حق میں چیلے کے حق میں فیصلہ دیا۔ اسپر سپریم کورٹ نے کیا فرمایا۔ اس ججمینٹ کے خلاف سپریم کورٹ نے جو اسٹرکچر پاس کیا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔

"It would be convenient at the outset to deal with the view expressed by the High Court that the strict rule enjoined by the Smriti rights as a result of which Shudras were considered to be incapable of enterning order of 'Jathi' or 'Sanyasi' has ceased to be valid because of the Fundamental Rights guaranteed under part-3 of the Constitution."

"In our opinion, a learned judge failed to appreciate that para 3 of the Constitution does not touch upon the Personal Laws of the Parties, and in applying the Personal Laws of the Parties, he could not introduce his own concepts of modern times, but should have enforced the law as recognised and authenticative source of Hindu Law."

That is the 'Smriti' and commentaries referred to and interpreted in the judgement of the various High Courts.

ایک طرف یہ اسٹیٹیوڈ ہے اور دوسری طرف یہ ججمنٹ نہیں کیا ہے۔۔ (انٹرپٹنز)۔۔ میں تو اس اسٹرکچر کی طرف آپ کا دھیان لے جا رہا ہوں۔ وہ اسٹرکچر ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ہے یا نہیں۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آپ کے حق میں تھا۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ خبردار اسمرتیوں کو چیلنج نہیں کر سکتے ہو۔

You have no right to re...

دوسری طرف آپ چاہیں تو قرآن کو مس انٹرپریٹ کر دیں چاہیں تو حدیث کو مس انٹرپریٹ کر دیں۔ پھر آپ کو بنارس والا وہ معاملہ بھی یاد ہوگا۔ اندرا جی کے زمانے میں جب چیف جسٹس صاحب کا حکم ہو گیا کہ قبروں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دو۔ وہ قصہ بھی آپ کے بنارس شہر کا ہے۔ دوسرا معاملہ ہمارے منشی جی کے یہاں کا ہے۔ جہاں قرآن کو پریسکرائب کرنے کے لیے ایک رٹ ہی ایڈمٹ ہو گئی۔ اس ملک میں یہ کیا مذاق ہو رہا ہے۔

Are they just enhancing the prestige of the Supreme Court or degrading it? We wish that this matter has to be looked into. We cannot allow the degradation of the Supreme Court like this, the court which has got the highest place in our body politic. This is the objection.

[redacted]

آپ غور فرمائیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ججمنٹ ایز اے ہول ڈسکریمینیٹری ہے (انٹرپشنز)

شری جی۔ ایم بنات والا (پونانی): یہ سیکولر ججمنٹ ہے۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری: ٹھیک ہے اس طرح کہتے

اب آپ اس ججمنٹ کی اور خوبیاں سنیئے۔

. . . (انٹرپشنز) . . . اب آپ اس ججمنٹ کے اندر جو کنٹراڈکشنس ہیں ان کو سنیئے ایک جگہ کہتے ہیں کہ

"Whenever there will be a conflict between the Personal Law and the provisions of the Law or any Act, the provisions of that Act will prevail."

اور دوسری جگہ قرآن کی تشریحات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پیج ۹۴۹ اے۔ آئی۔ آر سپریم کورٹ ۱۹۸۵

"It shows unmistakably that Section 125 over-rides the personal law if there is a conflict between the two."

معاملہ اگر یہیں پر روک دیتے اگر حضور اعلیٰ کا قلم یہیں پر رک گیا ہوتا تو تب بھی معاملہ کچھ نہیں تھا۔ آپ کے نزدیک ایک سب سٹینٹو لا ہے وہ کرتا ہے۔

دوسرے پرسنل لاز کو آگے چل کر اسی میں کیا کہتے ہیں۔

"The whole of this discussion as to whether the right conferred by Section 125 prevails over the personal law of the parties has proceeded on the assumption rhat there is a conflict between the provisions of that section and those of personal law."

اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری بحث جو ہوئی ہے وہ اسپر ہوئی ہے دونوں کے بیچ میں کوئی کنفلیکٹ ہے۔ اب ہز لارڈشپ نے بالکل دوسرا رخ اختیار کیا مجتہد کا دونوں کو کھینچ تان کر دونوں میں مطابقت پیدا کرو۔

اب میں قرآن شریف کی آیتوں کو فرمانا شروع کرتا ہوں۔

وہ ساری آیتیں جنپر لوگوں نے بہت تبصرہ کیا ہے سورۃ البقرہ ہے جو قرآن کی دوسری سورت ہے۔

(Shri Somnath Rath in the chair)

(سبھاپتی شری سومناتھ رتھ پیٹھاسین ہوئے)

اسکی تین چار آیتوں سے زیادہ کوئی پڑھ ہی نہیں پاتا ہے۔ قرآن میں تیس پارے ہیں گھوم پھر کر جو شخص پڑھتا ہے وہ دوسرے پر جا کر اٹک جاتا ہے۔ لاکھ کہیئے لاکھ آپ ہمیر لگا ئیے لیکن اڑیل ٹٹو جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کے پرو ویژنس پر اگر وہ دیانتداری کے ساتھ کوٹ کرنا چاہتا ہے تو ان کو کوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن سے پوری واقفیت حاصل کرنی چاہیئے تھی۔ درحقیقت جناب اعلیٰ میں یہاں پر انکو معیوب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے ایک ایسی چیز کو چھو لیا جس کے یہ اہل نہیں ہیں۔

"یوں تو چاتو سے نہ کھیل برخوردار
ہاتھ کٹ جائے گا نہ چھو تلوار"

انہوں نے ایک ایسی چیز کو چھو لیا ہے جس کے یہ اہل نہیں ہیں۔

سے یہ مونہیں سکتے یوں دیتے کہہ دیتے کہ بھائی ہم کو اس سے تعلق نہیں۔ ایک وکیل ڈینیل لطیفی صاحب ہیں جنہوں نے انکو پڑھا دیا ہے اور انہوں نے وہی پڑھ لیا ہے اور اسکو انہوں نے قرآن و حدیث کہا گویا یہ اچھا ہی ہوا ان کے لیے جیسے ڈینیل لطیفی صاحب نہ ہو کے خدا ہو گئے جو آسمان سے اتر آیا ہے جب وہ اسکی زبان سے قرآن سنرہے ہیں تو پھر اسمیں کوئی سوال ہی نہیں ہوا ڈینیل لطیفی نے جو پروویژن ان کو بتا دیے اور وہ پروویژن رہی ہیں کہ "وللمطلقات متاع بالمعروف" میں نے بحث کی ہے اسکے معنی ہی مینٹیننس کے نہیں ہیں اگر بعض مفسرین نے کہیں پر کہہ بھی دیا ہے اور متاع بالمعروف بھی نام بھی لیں تو کوئی

پیریڈ تو ہے نہیں۔ اگر یہ کہہ دیا کہ تم مینٹیننس دو تو اسکے معنی یہ نہیں کہ زندگی بھر دیتے رہو۔ یہ ایسی نائی ہوا ہے سورۃ طلاق میں اسکی چھٹی آیت میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ عدت کے پیریڈ تک صرف مینٹیننس پانے کی حقدار ہیں مطلقہ لیکن متاع بالمعروف ان کے حق پڑ گیا اسپر ان کی بحث ختم ہو گئی۔

میں نے یہ عرض کیا کہ یہ دو کانٹریڈکٹری باتیں ہیں۔ اگر تم مانتے ہو اور اس بات سے کنوینس ہو کہ سیکشن ۱۲۵ آف سی آر پی سی کے پروویژن پرسنل لاء کو اوور رائڈ کرتے ہیں۔ تو معاملہ ختم۔ جب تمہارا یہ کنوکشن ہے تو پرسنل لا جہاں جی چاہے جائے تم کو صاف صاف اسکے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ کنوکشن ہے کہ سیکشن ۱۲۵ پریویل کریگا۔ یہ اوور رائڈ کرتا ہے پرسنل لا کو تو تم کو کہہ دینا چاہیے تھا۔

We are not concerned with the provisions of the personal Law. We are only concerned with the provisions of the CRPC and Section 125 is enough and it overides every other provisions of Personal Law

زیادہ مصیبت اسی نے پیدا کی ہے۔ جب ہمارے سامنے دوسرا راستہ ہوتا ہم جاتے اور کہتے لیکن اب تو مسئلہ ہی دوسرا ہو گیا۔ آئے تھے ہری بھجن کو اوٹنے لگے کپاس۔

معاملہ یہ ہو گیا کہ پہلے قرآن کو ان کے دست برد سے بچاؤ۔ مینٹیننس گیا چولھے بھاڑ میں۔ مینٹیننس دیا جائے یا نہیں دیا جائے پہلے قرآن کو تو بچاؤ یہ مسئلہ ہے۔ میں ہز لارڈشپ کے بارے میں کیا کہوں۔ بہر حال مسئلہ یہ ہے کہ مینٹیننس کا حق تو پیچھے پڑ گیا ہے۔ اصلی مسئلہ یہ تھا آ گیا کہ اگر ہز لارڈشپ وہاں بیٹھ کر قرآن کا انٹرپریٹیشن کرنے لگیں تو کل وہ یہ کہہ دیں گے کہ قرآن میں ختنہ کرانا کہیں نہیں ہے۔ پرسوں یہ کہہ دیں گے کہ قرآن میں کہا ہے کہ مردے کو دفن نہ کیا جائے اسکو جلاتے کیوں نہیں۔

نماز کے بے کہہ سکتے ہیں کہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر بھول پکارا کرتے ہو۔ قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار اور حق کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے جو اس سے پورے پورے طرح واقف نہ ہو۔ نہیں بنایا جا سکتا

میں خالی قرآن کی ہی بات نہیں کرتا ہوں۔ کل یہ دھرم شاستروں کو انٹرپریٹ کریں گے کہ چلو چلو دھرم شاستر میں لکھا ہے تم گنگا کو پولیوٹ کر رہے ہو مردے جلا کر اس میں ڈالتے ہو۔ جو مردا اس کو ہے ختم کرو۔ اگر ایسے مسائل امامی کا لارڈ شپ پر آ جائیگا تو مصیبت ہو جائیگی۔ دھرم شاستروں یا بائبل اور گرنتھ صاحب اور بھگوت گیتا کا وہ انٹرپریٹیشن کرنے لگیں گے۔ اسلیے یہ بات کہی گئی کہ یہ چیزیں بہت اعلیٰ درجہ کی ہیں اور

the Chief Justice of the Supreme Court is **to interpret the Koran or any religious book or scripture.

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سارا مسئلہ یہ ہے۔ اب اسی پر اخبار بھی چل کھڑے پڑیں گے لیٹرس آ رہے ہیں۔ آکس یکورینٹسٹ یا فنڈامینٹلسٹ

** Expunged as ordered by the Chair.

کہہ رہے ہیں۔

کوئی مجنوں کہے یا مجھے رتجیر کرے۔

مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ لیلا کو میں لیلا نہ کہوں۔

جو تمہارا جی چاہے کہو جو جی چاہے سمجھو، لیکن یہ مجھ سے ممکن نہیں ہے کہ جس چیز کا میں نے علم حاصل کیا ہے اور جو چیز چالیس برس سے میرے مطالعے میں رہی ہے اسکے متعلق میں ان کی رائے مان لوں جنہوں نے اس ججمینٹ کے سلسلہ میں ڈینیل لطیفی صاحب سے سنا ہوگا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں سنا ہوگا۔ اور درحقیقت انہوں نے ڈینیل لطیفی کے آرگیومینٹ کو ہی اپنے ججمینٹ میں کوٹ کر دیا

اب ایک مسئلہ اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ یہ ججمینٹ

نہیں لکھا ہے۔ ریفارمر کی حیثیت سے سارے اختیارات پارلی مینٹ کے وہ خود لے لینا چاہتے ہیں کانسٹی چیوینٹ اسمبلی کے بھی سارے اختیارات خود لے لینا چاہتے ہیں ذرا غور فرمائیے ..... (انٹرپشن)

اب آئیے کامن سول کوڈ پر ذرا غور فرمائیے اور دیکھیے کہ اس میں کیا گل کھلائے ہیں میں نے جس وقت یہ ججمینٹ دیکھا تو مجھے بڑا رونا آیا .... (انٹرپشن) ..... نیند تو آجاتی ہے۔ نیند کی تو گولیاں ہیں لیکن رونے کو روکنا بہت مشکل ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔

دیکھیے اے آئی آر سپریم کورٹ زیج سنکھیا ۴ ۵ ۷، ۱۹۸۴

Common Civil Code

A.I.R. Supreme Court. Page 954

> "It is also a matter of regret that Article 44 of our Constitution has remained a dead letter, etc., A belief seems to have gained ground that it is for the muslim community to take a lead in the matter of reforms of their personal law, a common civil code will hate the cause of the national intergration by moving this desperate loyalities to laws which have conflicting ideologies",

سارا نیشنل انٹیگریشن مسلم پرسنل لا کو بدل دینے سے ہو جائیگا۔ بس یہ انکی مجبوری ہے اور یہ ان کی فلاسفی ہے۔ حالانکہ انکو یہ نہیں معلوم کہ انسانی فطرت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ سارا نیشنل انٹیگریشن اس سے ہو جانے والا ہے۔ آپ آگے دیکھئے اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہے:

> "In the State which is charged with the duty of securing a uniform civil code for the citizens of the country and unquestionable, it has the legislative competence to do so.".

A councel in the case whispers somewhat udibly that legislative competence is one thing and the poltical courage to use that competence is quite another thing. Whose political courage this judge is challenging? The political courage of this august House, the political courage of the Congress, the political courage of our Prime Minister, the political courage of executive, whose political courage he is challenging? It was most absured to pass such remarks against this august House, against the excutive, against the Prime Minister, against the Congress organisation which has got a long history.

Prof. N. G. Ranga : It is only a whisper.

Shri Z. R. Ansari : But how could he catch this wisper ? There are many things which are wispered. Their Lordships do not catch every wisper.

Shri G. M. Banatwalla : For the first time, a wisper has been given judicial recognition. How ridiculous.

Shri Z. R. Ansari : Thank you very much.

ہم لوگوں پر ان کو تھوڑا سا رحم تھوڑا سا ترس آگیا کہتے ہیں :-

"We understand the difficulties involved in bringing persons of different faiths and persuasions on a common platform."

Prof. N. G. Ranga : That much wisdom.

Shri Z. R. Ansari : it goes on

"But a beginning has to be made, if the Constitution has to have any meaning.

آرٹیکل (۴۴) میں جب تک یونیفارم سول کوڈ نہیں بن جائیگا تب تک کانسٹی ٹیوشن کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ لیکن آرٹیکل (۴۴) میں صرف اتنا ہی کہا ہے :

It is said that the State shall endeavour ; it is not obligatory on the part of the State, it is just an endeavour, an indication that if possible if people come together and agree to some uniform Civil Code, certainly the State shall proceed in that direction. It does not bind the State. It has not created any obligation on the part of the legislature, State or the Excutive to frame any Civil Code.

Shri Ebrahim Sulaiman Sait : It is not obligatory

Shri Z. R. Ansari : It is proceeds to say :

"Inevitably, the role of the reformer has to be assumed by the courts ....".

جیسے کہ مہاتما گاندھی بلکہ ان سے بھی زیادہ، راجہ رام موہن رائے، یا مہاتما بدھ۔

Let us see further

"Inevitably, the role of the reformer has to be assumed by the courts, because it is beyond the endurance of sensitive minds to allow injustice to be suffered, when it is so palpable."

It is a judgement or is it a sermon ? What is it ?

Prof. Saifuddin Soz : An exhibition of ignorance.

Now, Sir, the book which the Lordship is quoting was published in 1977; and a second edition was published in 1983. And this second edition was published by no less a publisher that A.I.R. Nagpur. For quite some time there were advertisements that the second edition of this book of Dr. Tahir Mohammad was coming out. He chooses not to refer to his latest book - —the second edition——but the first edition of 1977.**

although, in the latter edition Dr. Taheer Mohammad had deleted that Portion from his book, and he has changed his view. There is an article which he has written and I just want to quote from his article.

Shri Saifuddin Chowdhary : What is happening? How much time will he take ? I do not understand it. I take it seriously.

Shri Z. R. Ansari : What are you taking seriously ?

You do not want to understand things. What do you want ?

Prof. Saifuddin Soz : He is replying to the debate.

Shri Saifuddin Chowdhary : Who is replaying to the debate ?

Is he replying to the debate ?

Shri Z. R. Ansari : I am not quoting Marx's philosophy. It is not Marx's philosophy that I am quoting. I am not giving a lecture on the philosophy of Marx and Lenin. I am telling you about the ethos of this country, the culture of this country.

Shri Z. R. Ansari : He has not only incorrectly quoted, but misinterpreted Qoran and Hadith. He has also misquoted a renowned jurist of Delhi, Dr. Tahir Mehmood. He referred to his books. He reffered to his article. I will just read Very, very mild world which can be used for his misquoting, it is judicial indolence. Nothing shart of that.**

He has quoted Dr. Tahir Mehmood "Dr. Tahir Mehmood in his book 'Muslim Personal Law', 1976 edition, pages 201-202, has made a powerful plea for framing a uniform Civil Code for all citizens of India; and he says this and that. This he has quoted.

**Expunged as ordered by the Chair.

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- جناب والا میں عرض کرنا چاہتا ہوں
میرا مطالبہ ہے وہ خدا دشمنوں سے نہیں ہے "نہ خود بیں نے خدا بیں نے۔ جہاں بیں
یہ شکار ہے تیرے ھنر کا۔"
ان سے میرا مطالبہ نہیں ہے۔ میرا مطالبہ ان لوگوں سے ہے جو دھرم میں یقین رکھتے
ہیں۔ جو دین میں یقین رکھتے ہیں جو اس ملک کے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ ہم
ان لوگوں کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں۔ مارکسزم ریپریزینٹ نہیں کر رہے
ہیں۔ ڈیم مارکسزم ڈیم مارکسزم

Go and tell that philosophy in West Bengal. Do not tell it here You have to here me in this House.

Sir, I was just... ....(**Interruptions**)

An. hon. Member : He is provoked.

Shri Z. R. Ansari : No, no. I am quit controlled.

پروفیسر سیف الدین سوز :- آپ کے پیچھے تو دو بھتیجے ہیں۔
شری ضیاء الرحمن انصاری :- یہ بھتیجے سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ . . . . (انٹرپشن) . . . .

Shri Z. R. Ansari : I was just dealing with the subject.

(**Interruptions**)

Prof. Madu Dandavate : Ansariji, Marx is outside the House. Do not refer to him.

Shri Z. R. Ansari : But his representatives are here.
he is all prevading ;

پروفیسر مدھو ڈنڈوتے :- خدا کو اسلیے ریفر کر سکتے ہیں کیونکہ

شری ضیاء الرحمن انصاری :- آپ کو نہیں معلوم ہے۔ شیطان کے نمائندے ہر جگہ موجود ہیں۔ . . . . . . (انٹرپشن)

جب میں شیطان کہہ رہا ہوں تو یہ ان پارلیمینٹری نہیں ہے کیونکہ شیطان خود ایک بہت بڑا پارلیمینٹرین تھا۔ اس نے اللہ میاں کے ساتھ بحث کی تھی اس سے بڑا پارلیمینٹرین کون ہو سکتا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آئیگا۔ آپ ذرا کان میں آلہ لگاؤ۔ جوش ملیح آبادی نے شیطان کے متعلق کہا ہے۔

"بغاوت" ان کی ایک نظم ہے جس کا ایک اسٹینزا میں پڑھ رہا ہوں
جب ازل میں . . . . . .
پروفیسر سیف الدین چودھری (کٹوا) آپ شیطان پہ بول رہے ہیں۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- میں کہہ رہا تھا۔

"جب ازل میں سجدۂ آدم کا اٹھا یا سوال تھا اسی ہل چل سے موقعے

پر کہ تھا وقت جلال خود خدائے برتر و قہار سے ابلا پر

کی تھی میں نے گفتگو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر

رعب سلطانی سے یہ چہرا اتر سکتا نہیں

جو خدائی سے ڈرے وہ شاہی سے ڈر سکتا نہیں۔"

...... (انٹرپشن)...... یہ شیطان کی اولاد ہے جن کا یہ دل مردہ ہے۔

...... انٹرپشن......

شری سید مسعود الحسن (مرشد آباد) : یہ ہاؤس میں بے عزتی کر رہے ہیں۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- معاف کرنا اگر آپ کو برا لگے۔ جناب والا ڈاکٹر طاہر محمود نے سپریم کورٹ کے فاضل جج کو کانٹریڈکٹ کیا ہے اور اس پر اپنا ایک آرٹیکل بھیجا ہے جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔...... (انٹرپشن)......

"یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات

دے دل ہی ان کو اور جو نہ دے مجھ کو زبان اور"

...... (انٹرپشن)......

اگر اب میں نے بنگلہ میں شروع کر دیا تو آپ یہاں جائیں گے

شری سیف الدین چودھری :- بہت اچھا ہوگا

پروفیسر مدھو ڈنڈوتے :- اگر بنگلہ میں شروع کر دیں گے تو ہم

...... جائیں گے...... انٹرپشن)......

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- اب تمہاری مدد کرنے کے لیے ان کو ادھر بلا لیا ہے

...... انٹرپشن......

اس لیے بھتیجے بھی دو ہونے چاہئیں ۔۔۔۔ (انٹرپشن) ۔۔۔۔
ڈاکٹر فارق محمود نے جس کتاب کو ریفر کیا ہے اسکے بارے میں ڈاکٹر محمود نے
کہا ہے اور ان کا جو آرٹیکل ہے اس میں سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں ۔

The judgement runs into 31 pages, Page 20 of my book on Muslim Law has been quoted there. The second of this is say seminar address on divorcee's maintenance published in the Islamic and Comparative Law, quarterly, Vol. I 1981. I had commented on the Bi Tahira of the Supreme Court explaining how important it was for the Muslims in view of such cases to demostrate by their conduct the true understanding and practice of the Islamic Metrimonial Law.........''

The other work quoted by the Supreme Court, First is the concluding chapter of my book 'Muslim Personal Law—Role of the State in the Indian sub-continent; Ist edition Delhi; 1977 and the second edition, Nagpur, 1983. In that chapter I had taken the stand that religion-based personal laws of all communities should be admistered by the religious courts only and not by the State And if a common civil code was at all necessary for India, it was only the true Islamic Law, read in its correct perspective, that could be adopted by such a court. It is assured for anybody to conclude from the stand that I have demanded promulgation of uniform civil code after duing away with the Muslim Personal Law.''

Further he says.

"It is indeed unfortunate that the Supreme Court close to cite the 1977 edition of my book wholely ignoring its latter edition which was published two years ago by the most well known law publisher of India. M/s All India Reporter, Nagpur. It cannot easily be believed that the second edition was not in the knowledge of the learned judges of the Supreme Court, To remove all doubts, I clarify that I do not at all support the move for a common civil code and must not be regarded by any body as its supporter.

یہ ڈاکٹر طاہر محمود کا سب ہو گیا ان کا سارا قصہ آ گیا ۔ اب میں ایک بات
ذرا سا پرسنل لاء اور کامن لاء کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں ۔ وہاٹ از دی پرپز آف
آرٹیکل ۴۴ ۔ آرٹیکل ۴۴ میں کہیں پر کامن سول کوڈ کی بات نہیں کی گئی ہے یونیفارم سول
کوڈ کی بات کہی ہے ہمارے کانسٹی ٹیوشن کے فریمرس نے جان بوجھ کر یونیفارم سول کوڈ کہا ہے
کامن سول کوڈ نہیں کیا ۔ کامن مینس ون فار آل اور یونیفارم کے معنی یہ ہیں یا
کرکٹرسٹکس ڈیفرنٹ آئیڈینٹیٹیز شوڈ بی یونیفارمٹی اور یہی ریویو

ہو رہا ہے بار بار برابر ہمیشہ سے اور میں یہ آپ کو جناب والا ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ آسام کے بارے میں ہے۔ جب آسام اسٹیٹ ٹوٹی اور ناگالینڈ وجود میں آیا تو ناگالینڈ کے سلسلے میں تھرٹینتھ امینڈمینٹ آیا اور پنڈت جواہر لال نہرو ..... (انٹرپشن) .....

میں عرض کرتا ہوں کہ تھرٹینتھ امینڈمنیٹ میں ناگالینڈ کے خصوصی حالات وہاں کے حالات وغیرہ وہاں کا کلچر وہاں کی ایک مخصوص زندگی کے پیش نظر ان کے کلچر ان کے کسٹمری لا ان کے کسٹمز سب کو پروٹیکشن تھرٹینتھ امینڈمنیٹ میں صرف ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے یہ قانون لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک اسپیشل ٹائپ کا گروپ ہے جناب والا ایک چھوٹا سا حصہ اس ملک کی چھوٹی سی آبادی کے لیے تو ہماری دریا دلی کا یہ حال ہے کہ کانسٹی ٹیوشن کو امینڈ کر کے ان کے کلچر ان کے کسٹمز ان کے کسٹمری لا اس ان سب کو پروٹیکشن دیے رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں سے یہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ میں اسٹیم سے نکل آئیں گے اور بالکل کامن بن جائیں گے۔ آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ ججمینٹ ہے۔ ایک پرسنل لا کے سلسلے میں کانگریس کا کیا موقف رہا ہے اسے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیئے۔ مجھے تو کبھی کبھی بولنے کا موقع ملتا ہے ..... (انٹرپشن) .....

پروفیسر مدھو ڈنڈوتے:۔ ہم لوگوں کو بھی آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے ..... (انٹرپشن)

پروفیسر مدھو ڈنڈوتے:۔ ہم لوگوں کو بھی آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے .. انٹرپشن)

شری ضیاء الرحمٰن انصاری:۔ ایسے ایسے قدرداں موجود ہوں تو میرے ہمت کیوں نہیں بڑھے گی "میرے ہاتھ میں اس وقت ایک کتاب ہے ..... (انٹرپشن) ...

شری باسودیو آچاریہ:۔ اس کتاب کا کیا نام ہے

شری ضیاء الرحمٰن انصاری: یہ وہ کتاب ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئیگی

نہ سمجھا عمر گذری بت خود سر کو سمجھاتے پگھل کر موم ہو جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے

"THE CONGRESS AND MINORITIES" this is a book published by All India Congress Committee where all the Resolutions have been given which have been passed from time to time by the Congress right from 1920 till the present time.

This is the Working Party Resolution No. 23 of October 3, 4, 5, and 6 of 1921 at Bombay. It says,

> The Committee wishes also to assure the Muslmans States that when India has attained self-Government, her foreign policy naturally will always be guided to as to respect the religious obligation imposed upon the Musalmans by the Islam.

At page 94 of this Book. Resolution No. 15 of the 1931 Karachi session says:

"Meaning of Swaraj and Fundamental Rights is the heading of that Resolution. It says.

> "Freedom of conscience and free profession and the practice of religion subject to public order and moraility, protection of culture, language, and script of the minorities... ...."

Then again in another Resolusion of December 1931, the Working Committee Resolution at page 96 says :

> "The article and Constitution relating to Fundamental Rights shall include a guarantee to the communities concerned of the protection of their cultures, language, scripts, education profession and practice of religious endowments,
>
> "(b) Personal Laws shall be protected by specific provisions to be embodied in the constitution."

Then again at page 103, another Resolution under the heading "Minority Rights", these clauses of Fundamental Rights Resolutions make it clear that there should be no interference in matters of conscience religion or culture and the minority is entitled to keep its personal law without any change in this respect being imposed by the majority.

Prof. Madhu Dandavate : Right from 1968 onwards it is congress (I)

Shri Z. R. Ansari : Then again, there is the Working Committee Resolution when it met from October 26 to November 1, 1937 at Culcutta'

(Interruptions)

Shri Jaffar Sharief : For the earlier one, which is the date you quoted ?

Shri Z. R. Ansari : I have told you already.

(Interruptions)

Shri Jaffar Sharief : Prof. Madhu Dandvate was saying in was Congress (I). You are going on record in this House. I do not want any statement to be incorrect, nor is to be wrongly interpreted by anybody.

(Interruptions)

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- میں تو یہاں تک تیار ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہی حاضر کر دوں گا۔

Prof. Madhu Dandavate : I have not misunderstood, only your Member has misunderstood.

Shri Jaffar Sharief : Because there was no Congress (I) at that time.

Shri Z. R. Ansari : In approving the Working Committee's Resolution the AICC had passed a Resolution at the Congress Session at Haripura. Subhash Babu presided over it in 1936. It says :

"The Congress approves and confirms the Resolution of the Working Committee on minority rights passed in Calcutta in October, 1937 and declares afresh that it regards it as its primary duty and fundamental policy to protect the religious, linguistic, cultural and other rights of the minorities in India so as to ensure for being included in the scheme of Government to which the Congress Party......" etc

The Working Committee which met from December 7 to 11, in 1945 in Calcutta, said :

"The State should observe Neutrality in regard to all religions..."

شری وزیر سنگھ ـــــ (کیسر گنج) منتری جی آپ کی تقریر ادھر سے ہٹ کر یہ وہاں سے یہاں آ گئے ۔ ۔ ۔ (انٹرپشن) ۔ ۔ ۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- آ جاؤ بھائی ایمان سے آ ؤ ۔ اب بھی آ جاؤ (انٹرپشن) ۔ ۔

ورنہ تمہارا معاملہ رہ جائے گا ۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے ۔"

میں تو تم کو اپنی مارکسسٹ نہیں مان سکتا ۔ ۔ ۔

شری اجے مشر (جبل پور) میں ان کا شدھی کرن کر رہا ہوں

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- ورنہ تم دونوں جگہ سے چلے جاؤ گے

(انٹرپشن) ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

Prof. Madhu Dandavate : He change his ethos.

Shri Z. R Ansari : Now, Sir, this is the press statement issued by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister, the foremost leader of the Congress on January 2, 1938.

Prof. Madhu Dandavate : You tell us what this Nehru has to say.

Shri Z. R. Ansari : The Statement says :

Shri Z. R. Ansari : The statement says :

"The Congress can conceive of no freedom for India which is not an equal freedom which inhabit India and which all do not share equally and have full opportunities of growth and development. So far as the religious and cultural matters are concerned, it has given the fullest possible assurances and declared that this should be incorporated in the Fundamental Rights A further assurance has been given in regard to personal Law in regard to certain political rights. The communal award stands for the present and we have stated repeatedly that we seek no change except with the concurrence of all concerned."

Sir, letter of Pandit Jawaharlal Nehru to Mohammed Ali Jinnah dated April 6, 1938. I am just quoting it as follows : —

"As regards protection......"

Shri S. Jaipal Reddy : He is going from 1934 to 1938.

(Interruptions)

Shri Z. R. Ansari : Since my senior colleague ordered me to carry on I shall carry on.

Prof. Madhu Dandavate : Please take 40 minutes. You have to quote for 40 minutes, till the end.

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- اگر آپ کہتے ہیں تو ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ اکونومسٹ ہیں :-

This is a letter from Pandit Jawaharlal Nehru to Mohammed Ali Jinnah. It is at page 161 of this book

"As regards protection of culture, the Congress has declared its willingness to embody this in the fundamental laws of the Constitution. It has also declared that it does not wish to interfere in any way wish the personal laws of any community."

What, I just want to establish by these quotations is that, it has been our consistent policy right from the very beginning, the policy of the Congress, the sole freedom fighters organisation for the freedom movement of this country. This has been our consistent policy right from the very beginning.

[illegible] regards Election Manifesto [illegible] Congress. (Interruptions) I just [illegible] put the record straight. It is not they who are the protectors of personal laws. It has been our history to protect personal laws. I am just quoting the Manifesto of 1980 elections. It is at page 269 of this book.

> "We will not interfere with the personal law of the minorities. (It is in unequivocal term.) Immediately corrective steps will be taken to ensure proper management of Wokf properties amending existing legislation wherever necessary."

Shri Ebrahim Sulaiman Salt Declarations are there but.

Shri Z. R. Ansari : These have been implemented. Please for God's sake, don't. Who has done this——restoration of Wokf properties in Delhi. You or Indira Gandhiji? Now, you go to any place; see the list of Wokf properties which had been usurped by different persons. They had been restored and given to the hands of minorities.

Shri Ebrahim Sulaiman Salt : The Supreme Court has interfered.

شری اویسی (حیدرآباد) .. مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے صاحب۔

Mr. Deputy-Speaker : No interruptions please.

Shri Z. R. Ansari : Now, I would make a last quotation from the introductory note of Shrimati Indira Gandhi at the Congress Election Manifesto in 1977. She declares :

> "Secularism does not mean lack of faith but the protection of all faiths and the encouragement of spiritual and moral values."

It is not the values established by Marx and Lenin but the values established by the leaders and religious leaders of this country.

میں نے آپ سے کانگریس کا جو پرپیچیوٹی میں ریزولیوشن ہے وہ کہا ہے۔ میں نے اس بات سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہا کہ ہماری ٹیکنیک مستقل طور پر یہ رہی ہے کہ ہم کوئی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیئے ....

(انٹرپشن) .....

میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس سے صرف ایک بات اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کانگریس کا پرپیچیوٹی میں یہ اسٹینڈ رہا ہے۔ ...... (انٹرپشن) .....

اگر اس طرح کروگے تو بولنے نہیں دوں گا جب تم بولوگے۔ تم نئے نئے آئے ہو سمجھ لینا۔

..........(انٹرپشن)......

یا پانی پی پی کر کوسوں گا۔

اس بات میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی محض غیر ملکی حکمران سے یہاں کی دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہی نہیں لڑی گئی تھی انگریزوں کی مخالفت محض اسلیے نہیں کی تھی کہ کچھ غیر ملکی حکمران یہاں آ کر قابض ہو گئے تھے وہ حکومت کر رہے تھے۔ اس میں بہت سی چیزیں شامل تھیں۔

میں اس ہاؤس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آزادی کی لڑائی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ انگریز ہماری کلچر کو مٹانا چاہتا تھا۔ دھرم کو مٹانا چاہتا تھا۔ دین میں انٹرفیئر کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ مدے بھی اس لڑائی کے تھے۔

اس وقت ہندوستان میں سب سے زیادہ مدت کے لیے جو کانگریس کے پریذیڈنٹ رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ان کو کوٹ کرنا چاہتے ہوں۔ ایک وقت، جب برٹش گورنمنٹ کا اسٹیٹیوڈ یہ تھا مولانا ابوالکلام آزاد کو بہت سے لوگوں نے کوٹ کیا ہے میں بھی کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔

جب برٹش گورنمنٹ مسلمانوں کے دینی مسائل کے خلاف مخالفت کر رہی تھی..........(انٹرپشن)......

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- ہمارا جی چاہے تو میں آپ کو سر آنکھوں پر بٹھا لوں۔

شریمتی کرشنا ساہی :- ایک طرف یہ بات کہتے ہیں اور دوسری طرف لڑائی بنا کر دیکھتے ہیں۔

شری ضیاء الرحمٰن انصاری :- ہائے ہائے یہی بات اگر کاش سمجھ لیتیں مشکل ہو گئی

نہ سمجھا عمر گزری اس بت کافر کو سمجھا کے
پگھل کر موم ہو جاتا اگر پتھر کو سمجھاتے

جناب والا مسئلہ دوسرا کھڑا ہو گیا ہے۔ ڈیڑھ گھنٹے اس پر زور اور ڈھائی

گھنٹے آج مولانا سے کہے پھر بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب رامائن پوری ختم ہو گئی اور یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سیتا کس کی تھی اور رام کون تھا۔

مسلمانوں کا مطالبہ ہے برٹش گورنمنٹ کے سیکشن کا ۱۹ ۱۸۲۹ کا پہلا ایک باب میں یہ ہے "اسلام کے احکام کوئی ماخذ نہیں ہے جن پر حکومت کی رسائی نہ ہو جیسا عربی کتابوں میں مرتب ہے اور مدرسوں میں کے اندر شب و روز پڑھ درس تدریس ہوتا سپریم کورٹ کے مذہبی مدرسوں کے ہیں۔" پس گورنمنٹ کو چاہیے کہ صرف اس بات کو جانچ کریں کہ واقعی اسلام کے شرعی احکام ایسے ہی ہیں یا نہیں۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ایسے ہی ہیں تو پھر صرف دو ہی راہیں گورنمنٹ کے سامنے ہونی چاہیئے۔ یہ برطانیہ گورنمنٹ کے لیے کہا ہے۔ "یا مسلمانوں کے لیے ان کے مذہب کو چھوڑ دینا یا ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ان کے مذہب میں مداخلت ہو اور وہ اپنے مذہبی احکام کی بنا پر برٹش گورنمنٹ کے خلاف ہو جانے پر مجبور ہو جاویں یا پھر اعلان کر دیں کہ اس کو مسلمانوں کے مذہبی احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ وہ اس پالیسی پر قائم ہے کہ ان کے مذہب سے مداخلت نہیں کرے گی۔ اسکے بعد مسلمانوں کے لیے بھی نہایت آسان ہوگا کہ اپنا وقت بے سود شور و غل میں نہ صرف کریں اور برٹش گورنمنٹ اور اسلام ان دونوں میں سے کوئی ایک بات اپنے لیے پسند کریں۔"

جناب والا اس ایگزیکیوٹو میں اس اقتباس میں صرف اتنی سی ترمیم کر دی جائے کہ جہاں جہاں پر برٹش گورنمنٹ اور برٹش حکومت کا ذکر آیا ہے وہاں پر سیکولر گورنمنٹ کر دیا جائے تو اس وقت کا نقشہ تمام طرح سے مکمل ہو جائیگا۔

جناب والا میں بہت شکرگزار ہوں اور بلاشبہ آپ کی بینیفنس کی تعریف کرتا ہوں۔ آنریبل ہاؤس کا بھی اور آنریبل ممبرس کا اور آنریبل لیڈی ممبرس کا بھی ان کے بغیر تو ہمیں روٹی نہیں ملے گی۔ آخر کھانا پڑا ہمیں یہی دیتی ہیں۔

میں آپ کا سب کا بہت شکرگزار ہوں۔ میں آپ کے اس اگسٹ ہاؤس میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بنات والا صاحب ہو چکا کافی حال ہی میں نے ذکر کیا انہوں نے کہ ہم انہیں گاندھی جی کے جو اسٹیٹمنٹ ہوئے ہیں وہ واقعی واضح اور کھلے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک جتنے بیانات ہوئے ہیں ان میں ایک اضافہ ہے۔ انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ ہم مسلم پرسنل لا میں مداخلت نہیں کریں گے بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں یہ دیکھنے کی کہ کسی کلچر پرسنل لا اس سے ایفیکٹڈ نہ ہو اور یہ کہا کہ اس ملک کا پیٹرن ہماری کلچر کو محفوظ رکھنا ہے۔ ساری کلچرس سے پیار کرنا ہے۔ اگر ہماری یہ کلچر چلی گئی تو ہمارے پاس رہ کیا گیا۔ پھر یہ کہا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہ اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی قانون سے مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہو رہی ہے تو اس کو بھی ہم غور سے سوچیں گے۔ اس بات کے اوپر بھی ہم سوچیں گے۔ اس لئے اور اس بات کے بعد بہت زیادہ اس کے لئے گنجائش نہیں رہی ہے کہ بنات والا صاحب کا یہ بل زیادہ چلے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت اس طرف متوجہ ہو رہی ہے کہ واقعی مسلم پرسنل لا کے صحیح خدوخال کیا ہیں۔ علماء کے اس بات سے پوری طرح واقف ہیں ان سے معلومات کر کے میرا خیال ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ۔

ایک مانیہ سدسیہ :- آپ سے پوچھ لینا کافی ہے

شری ضیاء الرحمن انصاری ۔ آپ کی عنایت مہربانی

" من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو " کسی

وقت ہم بھی آپ کو بدلہ دیں گے۔

تو میں آپ سے کہہ رہا تھا اسکے بعد کوئی بہت گنجائش نہیں رہ گئی ہے اور میں امید کرتا ہوں یہ مسئلہ جو اتنے دنوں سے بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے حل ہو جائے گا۔ معلوم نہیں آج ہو پائے یا نہیں لیکن میں ایک اپیل تو کر ہی دوں جناب بنات والا صاحب سے کہ اس بل کو وہ واپس لے لیں اور حکومت کو اس بات پر غور کرنے دیں تاکہ وہ فوراً غور کر کے مناسب راہ جو سبھی کے لیے سبھی مائنیٹیز کے لیے ہو اسکو نکال سکے۔

آپ کا بہت بہت شکریہ

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जनाब मैं आपके जैसा तो बोल नहीं सकता हूं और हिन्दी भी नहीं आती है ।

[अनुवाद]

अतः मैं अंग्रेजी में बोलूंगा ।

मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण से आरम्भ करता हूं कि मैं पवित्र कुरान अथवा अन्य धार्मिक ग्रन्थों का विशेषज्ञ नहीं हूं । किंतु जो निर्णय और चर्चा सामने आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैंने फिर से पवित्र कुरान का अध्ययन किया और मैंने इसके भाव को समझने का प्रयास किया । तत्पश्चात् मैंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को परखने का प्रयास किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं जनाब अन्सारी द्वारा प्रकट किए गए विचारों से सहमत नहीं हूं ।

परसों रात को हमने दूरदर्शन पर इन दो व्यक्तियों को देखा । शाहबानो और एम०ए० खान दूरदर्शन पर बात कर रहे थे । उसको सुनकर और शाहबानो की दयनीय स्थिति का आभास पाकर मैं सोच रहा हूं कि यदि मुझे अधिकार हो तो मैं उस व्यक्ति को खुले आम कोड़े लगवाने के आदेश दे देता और मैं समझता हूं कि शरीयत द्वारा भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है ।

मैं अन्सारी साहब की तरह अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । पवित्र कुरान के कई संस्करण हैं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : संस्करणों से आपका क्या अभिप्राय है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरा मतलब विभिन्न भाषाओं में अनुवाद से है । यदि मैंने गलत कहा हो तो उसे दुरुस्त कर दीजिए । विभिन्न अनुवाद उपलब्ध हैं ।

श्री अजय मुशरान : आप अपने भाषण की शुद्धि क्यों नहीं करा लेते ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं कोशिश करूंगा । बनातवाला साहब मुझे बता सकते हैं । इसी लिए मैंने आरम्भ में कहा था कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं । पवित्र कुरान के आयत 241 में क्या कहा गया है । स्त्री को तलाक देने के पश्चात् उचित दर पर भरण-पोषण उपलब्ध किया जाए । नेक व्यक्ति का यह कर्तव्य है । यह बात तो बिलकुल स्पष्ट है ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : कब तक ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं इस विषय में भी बता दूंगा ।

प्रो० एन०जी० रंगा : श्री अंसारी कह रहे थे ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह अन्सारी की बात वही कह रहे हैं, वह तो मूल धर्मसूत्र की बात कहते हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आयत 242 में आया है :

"इस प्रकार खुदा अपने संकेत स्पष्ट करता है ताकि तुम समझोगे।"

किन्तु ऐसा लगता है कि सरकार भी उनके वचन लोगों को समझाने में असफल रही है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : कब तक ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं उस विषय पर भी आता हूं। अब, कहा जाता है भरण-पोषण इद्दत तक है। सुराअल-तलाक में आया है :

"यदि आप को किसी महिला को तलाक देना है, तो तलाक की घोषणा तब कर जब वह मुक्त स्थिति में हों (मासिक धर्म अथवा गर्भावस्था से मुक्त)। उन्हें अपने घर से मत निकाल दीजिए, भगवान् आप के बीच में मेल-मिलाप कर सकते हैं।"

आप को यह बात सुनिश्चित करनी है कोई विशेष महिला मुक्त स्थिती में है। अब प्रश्न यह उठता है, मैं आगे उदाहरण देता हूं :

"और जब वह अपनी अवधि पूरी करती हैं, तब उन्हें कृपापूर्वक अपने साथ रखिये अथवा न्यायोचित तथा नम्रतापूर्वक अलग कीजिए।

प्रतीक्षा की निर्धारित अवधि तीन मास की है सिवाय गर्भवती (महिला) के लिए जिसके लिए भार हल्का होने तक समय बढ़ाया गया है।"

यह किस लिए है। क्या यह भरण-पोषण के लिए है ? नहीं। यह मेल-मिलाप के लिए है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : यह बिल्कुल गलत है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत बोलिये। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अल्लाह कहता है :

"उन्हें (इद्दत में महिलाएं) वहां रखो जहां तुम स्वयं रहते हो और उन्हें उस ढंग से रहने दो जैसे तुम स्वयं रहते हो।"

अतः इद्दत मेल-मिलाप की अवधि है और भरण पोषण इसके पश्चात् आता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत बोलिये। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि इद्दत की यह अवधि—तीन महीने की --भरण-पोषण के लिए नहीं है। यह मेल-मिलाप के लिए है। (व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : मेल-मिलाप जीवत भर नहीं चलता रहता है। मेल-मिलाप केवल इद्दत की अवधि के दौरान है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। आपको उत्तर देने का अधिकार प्राप्त है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं श्री बनातवाला से सहमत हूं कि इद्दत मेल-मिलाप की प्रतीक्षा की अवधि है। इद्दत मेल-मिलाप की अवधि है। भरण-पोषण अलग हो जाने के बाद आता है। तलाकशुदा महिलाओं को उचित दर पर भरण-पोषण उपलब्ध किया जाना चाहिए। यही कुरान-ए-पाक में भी आया है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि कुछ लोगों द्वारा इस प्रश्न की घोर गलत व्याख्या की जा रही है। वह मुसलमानों के मन में क्रोध उत्पन्न करना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुत ही महान निर्णय दिया गया था। हो सकता है कि निर्णय देते समय उन्होंने "कुरआन" से गलत उद्धरण दिया हो अथवा इसकी गलत व्याख्या की हो। किंतु निर्णय का भाव "कुरआन" के अनुसार ठीक है। वह इतनी सारी बातों में जाने के बिना प्राकृतिक न्याय के रूप में निर्णय दे सकते थे। किन्तु मैं निर्णय के भाव का समर्थन करता हूं। मैं लाखों महिलाओं के लिए जो हमारे देश में हमारी बहनें और माताएं हैं उनके लिए इसका समर्थन करता हूं। हमारे देश में किसी को भी किसी समुदाय, किसी धर्म अथवा किसी प्रणाली का एकाधिकार प्राप्त नहीं है। सामान्य मुसलमान कोई गलत प्रथा नहीं चला रहे हैं। किंतु कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग भी हैं जो गलत व्याख्या करते हैं और उनका और इस प्रणाली का शोषण करते हैं।

श्री जाफर शरीफ : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महोदय, उन्होंने मूल-अधिकार के प्रति अर्थात किसी धर्म को मानने और पालन करने के अधिकार पर संदेह प्रकट किया है। उन्हें यह कहने और अपने विचारों को किसी पर थोपने का साहस है कि किसी को भी धर्म का एकाधिकार प्राप्त नहीं है। मुझे इस पर आस्था और विश्वास है। इस पृथ्वी पर कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है। किन्तु उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि किसी को भी एकाधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हां, मैंने कहा है और मुझे एकाधिकार नहीं है। किन्तु आप कहते हैं कि आपको एकाधिकार प्राप्त है। यह मुसलमानों को प्राप्त होना चाहिए और वह जान जाएं कि उन्हें देश के पूरे मुस्लिम समुदाय का एकाधिकार प्राप्त है।

महोदय, हमारा देश धर्म-निरपेक्ष है और दंड प्रक्रिया संहिता में इस संबंध में एक बहुत अच्छी धारा है। एक उपबंध भी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में यह कहा गया है।

> "अगर कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त, साधन है अपनी पत्नी का गुजारा चलाने में आनाकानी करता है या इन्कार करता है या उसका गुजारा चलाने के अयोग्य है, तो न्यायाधीश उस व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी के गुजारे के लिए मासिक भत्ता दे।"

यहां पर इसका स्पष्टीकरण भी किया गया है। अब यदि यह धारा पूरी है, तब कोई समस्या नहीं उठेगी। यहां क्या समस्या है? यहां सरकार ने एक चीज और जोड़ी है और वह

हमारे देश के लिए खतरनाक और अपमानजनक है, और हमारे देश को 'धर्मनिरपेक्ष' रखने में बाधक है। 127-3 (बी) में असंगतता है। इसमें कहा गया है—

"यदि तलाक दिए गए व्यक्ति को सभी देय वैयक्तिक कानूनों के अनुसार चुका दिए जाए तो मजिस्ट्रेट के आदेश रद्द हो जायेंगे।"

यहां हम देखते हैं कि वैयक्तिक कानून के साथ राज्य कोई हस्पक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन वैयक्तिक कानून 'धर्मनिरपेक्ष' कानून में हस्तक्षेप कर रहा है। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे ? हम 21 वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं और वह हमें पीछे 5वीं शताब्दी में ले जा रहे हैं।

अब एक महिला वैयक्तिक कानून द्वारा दिए गए तथाकथित न्याय से असंतुष्ट होकर न्यायालय में आती है। आप उसको फिर से वैयक्तिक कानून की मदद लेने के लिए कहते हैं। यह कैसा न्याय है ?

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : वह अपनी दलील से पीछे हट गई है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इन्दौर में चिल्लाते हुए उसे अपनी बात वापिस क्यों लेनी पड़ी। उसने वहाँ पर वापिस लेने के बारे में कहा कि काफी उपद्रव और काफी हंगामा खड़ा हुआ। मैं उस महिला का सम्मान करता हूं जो साहस के साथ संघर्ष को जारी रखती है। उसको दबाव में रखा गया है। अब हमने उसे बचाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसे दबाव में आकर उच्चतम न्यायालय का फैसला रद्द करने के लिए एक वक्तव्य देना पड़ा। **(व्यवधान)** यह क्या एकाधिकार है। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण और दयनीय है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां एक सामान्य सिविल कोड नहीं है। मैं एक सामान्य सिविल कोड की आवश्यकता पर बल देता हूं। आप इसे एक समान सिविल कोड का नाम दे सकते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हम हिन्दू, मुस्लिम या ईसाइयों और दूसरे लोगों के लिए अलग-अलग कानून नहीं रख सकते। मैं वैयक्तिक कानून में कोई हस्तक्षेप करने का सुझाव नहीं दे रहा हूं लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता में क्या हुआ है। राज्य ने वैयक्तिक कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं किया परन्तु वैयक्तिक कानून ने राज्य कानून में हस्तक्षेप किया है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : आप कुरान के बारे में एक भी शब्द नहीं जानते और कुरान के बारे में बातें कर रहे हैं। क्या आप कुरान के दो वाक्य पढ़ सकते हैं··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उच्चतम न्यायालय का फैसला कुरान की भावनाओं के बिल्कुल अनुरूप है। उसमें वैयक्तिक मुस्लिम कानून से कोई विरोध नहीं है। संविधान की धारा 44 राज्य को यह अधिकार देती है कि वह सारे देश के नागरिकों को एक सा सिविल कोड प्रदान करने की कोशिश करे। इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किए गए हैं और सरकार ने क्या

किया है। हर बार सरकार कहती है कि परसनल मुस्लिम ला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अभी हाल ही में अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह परसनल ला में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष के नाम पर एक प्रकार का पाखण्ड चल रहा है···

(व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी : धर्मनिरपेक्ष क्या है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों की उत्तेजना का मिश्रण नहीं है। विभिन्न धर्मों से राज्य को अलग रखना है। राज्य को धर्म के साथ नहीं मिलना है। शिक्षा को धर्म से नहीं मिश्रित होना है। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की पूजा करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए···(व्यवधान) लेकिन इसमें एक गलत धारणा है कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून के नाम पर जो वहां हो रहा है, वह अपरिवर्तनीय और अतिपवित्र है। लेकिन हमने 1937 में क्या देखा ? ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिम परसनल कानून बनाया···

(व्यवधान)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : आश्चर्यजनक।

एक माननीय सदस्य : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न करें। उनको पूरा करने दें।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : वह सदन को बिल्कुल गुमराह कर रहा है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप बोलें आप उत्तर दे सकते हैं मैं आपको भी एक अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री ओवेसी (हैदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, ये हमारी तौहीन है कि अंग्रेज हमारे कानून बना रहे हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। किसी के जजबाद को मुश्तइल क्यों कर रहे हैं आप ?···(व्यवधान)

5.55 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : अंग्रेजों ने 'शरीयत' का कानून नहीं बनाया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं यह नहीं कहता। मेरा मतलब है इसको लागू करना...व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया जारी रखें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है। मैंने केवल यह कहा कि वैयक्तिक कानून के विषयों को ब्रिटिश शासकों द्वारा संहिताबद्ध किया गया था। अगर आपके पास कुछ कानून हैं तो उनको लागू करना पड़ेगा। 1937 में अंग्रेजों ने एक कानूनी प्रावधान बनाया था जिससे कि कानून को लागू किया जा सके।

अब श्रीमान अंसारी साहिब ने ताहीद मोहम्मद की "एन इण्डियन सिविल कोड एण्ड इस्लामिक ला" का हवाला दिया है। इस पुस्तक के द्वारा मैं सिद्ध कर सकता हूं कि जो अब

मैं कह रहा हूं कि कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं हैं, उचित है। मैं इस पुस्तक से उद्धृत करना चाहूंगा :

"विवाह समझौतों में द्वि-विवाह के विरुद्ध उल्लेख को सभी मुस्लिम देशों जैसे लबनाने जोरडन और मोरक्कों, में कानूनी मान्यता प्राप्त है।"

यह पुस्तक यह भी बताती है कि सीरिया, ईरान, ईराक और मलेशिया सारवाक में न्यायालयों द्वारा विवाह से पहले अंकुश लगाया जाता है और इण्डोनेशिया, पाकिस्तान, बंगलादेश में प्रशानिक निकायों द्वारा अंकुश लगाया जाता है। ट्यूनीशिया और टर्की में द्वि-विवाह का पूर्ण रूप से निषेध है। ये सभी मुस्लिम देश हैं। मुझे आश्चर्य है कि हम उनसे अलग क्यों हैं ? यदि द्वि-विवाह प्रचलन का निषेध कर दिया जाए, तो क्या इस्लाम खतरे में होगा ?

श्री जी० एम० बनातवाला : हमारा कुरान की भावना से अधिक संबंध है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कुरान की भावना भी, जहां तक कि मैं समझ पाया हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, यह है कि विवाहों की संख्या पर बन्धन लगाया जाये इसीलिए उन्होंने उसकी सीमा पर निर्णय लिया। निदेश बहु-विवाह प्रथा के संबंध में है—हमें उसकी भावना को लेना होगा तथा उन हालात को भी देखना होगा जिनमें वे करने पड़े थे (व्यवधान)। अब मैं तलाक के पहलू को लेता हूं। मुस्लिम देशों जैसे मिस्र, सुडान, जोर्डन, सीरिया आदि में तीन बार तलाक अर्थात तथाकथित तलाक की प्रथा समाप्त कर दी गयी है। वे तीन बार तलाक प्रणाली पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। यह सब मैं ताहीद मोहम्मद की पुस्तक से उद्धृत कर रहा हूं। मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता हूं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : फिर आप इसमें दखल क्यों दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उसमें लिखा है कि इसकी मनाही है। मैं केवल उद्धृत कर रहा हूं। और मैं क्या कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : आप अगली बार अपनी बात कह सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : ठीक है, धन्यवाद।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : महोदय, यह विवाद कब तक चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक आप चाहें।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कौन ? मैं ! नहीं नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री डागा आप अपना विधेयक रखें।

5.59 म०प०

आयकर संशोधन विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* दिनांक 20-12-1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"आयकर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

6.00 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[—जारी]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम तथा सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 248/85-के० उ० शु० जो 20 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अल्मोनियम के मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित ई० सी० ग्रे० के अल्मोनियम पर उत्पाद शुल्क की प्रभावी दरें नियत करने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 249/85-के० उ० शु०, जो 20 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अल्मोनियम और उसके उत्पादों पर मूल उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरें नियत करने के बारे में है।

(तीन) अधिसूचना संख्या 250/85-के० उ० शु०, जो 20 दिसम्बर, को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अल्मोनियम और उसके उत्पादकों को विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) अधिसूचना संख्या 251/85-के० उ० शु०, जो 20 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 अगस्त, 1984 की अधिसूचना संख्या 183/84-के० उ०

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

शु० में कतिपय संशोधन किया है, ताकि कतिपय परिणामी परिवर्तन किए जा सकें ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1940/85]

(दो) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 363/86-सी० शु०, जो 20 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 27 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 179/85-सी०शु० रद्द की गई है ।

(दो) अधिसूचना संख्या 363/85-सी०शु०, जो 20 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अल्मोनियम की सिल्लियों पर मूल सीमा-शुल्क की प्रभावी दर नियत करने के बारे में है ।

(तीन) अधिसूचना संख्या 365/85-सी०शु०, जो 20 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अल्मोनियम की सिल्लियों पर उपसंगी सीमा-शुल्क की प्रभावी दर नियत करने के बारे में है ।

(चार) अधिसूचना संख्या 366/85-सी०शु०, जो 20 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अल्मोनियम और उसके उत्पादों पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क की प्रभावी दरें नियत करने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1941/85]

— — — —

60.1 म० प०

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गण, आज सभा के अनिश्चित काल के लिए स्थगन के समय मैं आप सभी को हृदय से सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं । यह सत्र बड़ा लाभदायक रहा है । पिछले पांच सप्ताह में सभा की 24 बैठकें हुई जिन पर 159 घंटे लगे तथा सभा द्वारा 30 सरकारी विधेयक पारित किए गए । इसके अलावा वर्ष 1985-86 की अनुदानों की अनु. पूरक मांगों (सामान्य) तथा अनुदानों की अनूपूरक मांगे (रेलवे) चर्चा पर हुई तथा पारित की गई। 7 ध्यानाकर्षक, प्रस्तावों तथा 5 प्रस्तावों पर चर्चा हुई । दो अल्प-अवधि चर्चाएं भी हुई "शिक्षा की चुनौती" पर 10 घंटे चर्चा हुई जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना पर 9 घन्टे चर्चा हुई । हमने लगभग 5 1/2 घंटे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी चर्चा की ।

हमें पंजाब के 13 तथा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से उपचुनाव जीत कर आए 7 नए

सदस्यों के स्वागत का भी अवसर मिला। असम के 14 सदस्यों की हम उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। पंजाब, असम तथा अन्यत्र जिस शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन हुआ वह सभी के लिए संतोष का विषय है।

मित्रों आप सभी जानते हैं कि इसे शीघ्र राष्ट्र मंडलीय अध्यक्ष तथा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में कर रहे हैं। मैं आप सभी को 6 जनवरी, 1986 को उसके उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद में उसकी कार्यवाही देखने का आमंत्रण देता हूं।

समाप्त करने से पूर्व मैं आप सभी को सुख समृद्धिमय नववर्ष की कामना करता हूं।

माननीय सदस्यों अब हम बजट सत्र में मिलेंगे।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुन्टूर) : मुझे उम्मीद है कि आपको हम सभी के साथ, तथा पूरे विश्व के लिए नववर्ष मंगलमय हो।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आप सौभाग्यशाली हों।

6.04 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई

———— —